छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **सप्तम् सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त, 2020

(भाद्रपद 06, शक सम्वत् 1942)

[अंक 04]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त, 2020

(भाद्रपद 6, शक सम्वत् 1942)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बीजों का गुणवत्ता परीक्षण

1. (*क्र. 493) श्री धरमलाल कौशिक : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इस वित्तीय वर्ष में कृषि व बीज विकास निगम द्वारा प्रदायित स्वर्णा, सोयाबीन व अन्य धान बीज के गुणवत्ताविहीन होने के कारण खेतों में अंकुरण नहीं हुआ? यदि हां तो प्रदायित बीज का गुणवत्ता परीक्षण विभाग/निगम व प्रदायकर्त्ता के द्वारा कब-कब व किन लेबो में कराया गया और क्या रिपोर्ट आयी? (ख) क्या यह सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु हाईब्रिड धान बीज व हाईब्रीड मक्का बीज के लिए रेट-कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां तो दोनों बीजों का मोलक्यूलर टेस्ट रिपोर्ट (डीएनएटेस्ट) जमा करने के संबंध में रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर में क्या प्रावधान किये थे व किन नियमों के आधार पर किये गये थे ? (ग) प्रश्नांश "ख" अनुसार रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर में किन-किन निविदाकारों के द्वारा निविदा भरी गई व टेस्ट रिपोर्ट किस लैब का प्रस्तुत किया गया है ? क्या वह लैब नोटिफाइड लैब थी? सफल निविदाकार कौन थे ? (घ) क्या यह सही है कि आरसी के सफल निविदाकारों का क्रय आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय न करने पर आदेश निरस्त मानते हुए सुरक्षा निधि राजसात करने व काली सूची में डालने का प्रावधान है ? यदि हां तो प्रश्नांश "क" अनुसार आरसी के अंतर्गत प्रदाय आदेश के अनुसार किन-किन जिलों में किन-किन फर्मों में कब-कब 15 दिवस की अवधि के उपरांत सामग्री प्रदाय किया व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा कृषकों को वितरित धान किस्म स्वर्णा एवं अन्य धान बीज के गुणवत्ताहीन होने संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अपितु सोयाबीन बीज में अंकुरण कम होने की शिकायत प्राप्त हुई है ।

कृषकों को प्रदायित किये जाने वाले बीजों का परीक्षण छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की प्रयोगशाला में कराया जाता है । बीजों के परीक्षण का जिलेवार, फसल किस्मवार, नमूना लेने की तिथि एवं रिपोर्ट (मानक/अमानक) से संबंधित जानकारी प्रपत्र-अ पर है ।

(ख) जी हां । हाईब्रिड धान एवं मक्का बीजों की आपूर्ति हेतु ऑनलाईन आमंत्रित निविदा में निविदाकर्ताओं को प्रजातिवार मॉलीक्यूलर मार्कर संबंधी अभिलेख अपलोड करने संबंधी प्रावधान किया गया था । छ.ग. राज्य बीज

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

एवं कृषि विकास निगम लिमि. मुख्यालय स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा निविदा संबंधी शर्तों का निर्धारण किया गया था ।

(ग) प्रश्नांश ख के परिप्रेक्ष्य में हाईब्रिड धान एवं मक्का बीजों की आपूर्ति हेतु प्रकाशित निविदा के परिप्रेक्ष्य में निविदा भरने वाले और सफल निविदाकारों का विवरण प्रपत्र-ब पर है ।

निविदाकारों के द्वारा भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयं के इन हाऊस अनुसंधान एवं विकास इकाई (आर.एण्ड डी.यूनिट) के प्रयोगशाला का टेस्ट रिपोर्ट ऑनलाईन निविदा में प्रस्तुत किया गया है । यह प्रयोगशालाएं नोटिफाईड नहीं है ।

(घ) जी हां । सभी बीज आपूर्तिकर्ताओं संस्थाओं द्वारा निर्धारित समय-सीमा में बीज प्रदाय किया गया है । अत: किसी भी फर्म के विरूद्ध कार्यवाही संबंधी प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो अमानक बीज और उसके साथ में उसकी गुणवत्ता जिस प्रकार से प्रदायकर्ता के द्वारा प्रदाय की जानी चाहिए और जो समय पर प्रदाय की जानी चाहिए उस बात को लेकर मैंने प्रश्न लगाया है । माननीय मंत्री जी का उत्तर आया, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मार्च में जो प्रश्न लगाया था और जो आपसे जवाब दिलवाया और अभी जो जवाब आया है कि उन्होंने कहा कि इसको परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है, टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है । उसमें एक कमेटी भी बनायी गयी है जो तकनीकी समिति है और उनके द्वारा जो अभी बताया गया है तो दोनों में अंतर है तो यह जो अंतर आ रहा है और जवाब दिलवा रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो दोनों में अंतर है तो पहले जिस बात को उन्होंने छिपाया और अभी जिस बात को स्वीकार किया तो क्या ऐसे तकनीकी सिमति में रहने वाले जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रश्न के उत्तर में किसी तथ्य को छिपाने का कोई आशय नहीं है यह पहली बात । दूसरा मार्च के प्रश्न के संदर्भ में आपने क्या जानकारी चाही थी और आज के प्रश्न के अंतर्गत किस तरीके से चाही गयी है, इसमें आप क्या अंतर महसूस करते हैं इसको आप बता दें तो उसमें कार्यवाही कर लेंगे और तीसरी बात तकनीकी समिति तो विशेषज्ञों की एक समिति होती है, वह आर.सी. के पहले किस तरीके से आर.सी. करना है, कांट्रेक्ट किस तरीके से होगा, कैसे बीज चाहिए उसके बारे में यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि रहते हैं, बीज निगम के प्रतिनिधि रहते हैं, डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि रहते हैं, वह बनते रहता है, आप कहेंगे तो उसमें परिवर्तन भी कर देंगे लेकिन मूल रूप से इसमें आप क्या जानना चाहते हैं और कित तरीके से कार्यवाही चाहते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद आपने इसी सत्र के प्रथम दिवस के ध्यानाकर्षण में भी इसी प्रश्न को लिया था, मैंने उस दिन सारे तथ्य दे दिये थे उसके बावजूद भी अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी चूंकि बहुत जिम्मेदारी वाली जगह पर बैठे हुए हैं, किसानों के हित की बात सोचते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- उस जगह में आप ज्यादा अच्छे लगते थे, जिम्मेदार लगते थे ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- क्यों यहां अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या ? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मुझे आज 25 प्रश्न लेने हैं इसलिए जल्दी जवाब भी दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो पहले के बाद कैसे 25 आ जायेगा ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मतलब जल्दी-जल्दी करिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसके बावजूद भी पिछले ध्यानाकर्षण में सारी चर्चाएं हो गयीं थीं लेकिन तकनीकी समिति के बारे में अगर आप कुछ मार्गदर्शन देना चाहें तो हम उस दिशा में भी पहल करेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में खासकर उसकी जो गुणवत्ता की बात है और उसकी टेस्टिंग की बात है कि भारत सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त लैब है उससे उसकी जो डी.एन.ए. टेस्टिंग होनी चाहिए, बाकी चीजों का जो पालन होना चाहिए । वास्तव में कहीं न कहीं उसमें चूक हो रही है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाले समय में इसमें पूरी एक गाईडलाईन बनाकर के चाहे वह खाद को लेकर हो, बीज को लेकर हो और उसके जो सारे प्रावधान चूंकि वह आपने ही बनाये हैं उस प्रावधान का पालन नहीं हो रहा है उस प्रावधान का पालन हो और यदि उसमें अनियमितता पायी जाती है तो उसमें कार्यवाही सुनिश्चित हो यह आगे के लिये आप उसको दिशा-निर्देश करें ।

अध्यक्ष महोदय :- हां जी, बोल दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि माननीय स्वयं बीज निगम के अध्यक्ष रहे हैं । नंबर एक यह जो प्रक्रियाएं हैं यह उसी समय से चली आ रही हैं दूसरा आपने जो कहा कि नोटिफाईड लैब नहीं है तो बिल्कुल सत्य है, मैंने उस दिन भी स्वीकार किया लेकिन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन हाऊस लैब के द्वारा जो भी टेस्ट रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, अपलोड किया जाता है उसको मान्य किया जाता है और अगर नोटिफाईड लैब नहीं है उसके बाजवूद भी लगातार यह प्रक्रिया चल रही है तो आपने जैसा सुझाव दिया, भविष्य में उस कंडीशन के बारे में हम विचार करेंगे ।

प्रश्न संख्या : 2 XX XX

<u>पामगढ़ परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती में अनियमितता की जांच</u>

3. (*क्र. 465) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर (चाम्पा) अंतर्गत पामगढ़ परियोजना में अप्रैल 2018 से जुलाई 2020 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के कुल कितने पदों पर भर्ती की गयी है ? कितने पदों पर अनियमितता एवं भर्ती नियमों का पालन नहीं किया जाना पाया गया हैं ? (ख) क्या भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की जांच करायी गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : (क) एकीकृत बाल विकास परियोजना पामगढ़ में अप्रैल 2018 से जुलाई 2020 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 19 पद, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 10 पद एवं आंगनबाड़ी सहायिका के 34 पद कुल 63 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की गई. प्रारंभिक परीक्षण उपरान्त इनमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के 03 पद एवं आंगनबाड़ी सहायिका के 21 पदों पर भर्ती

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

नियमों का पालन नहीं होना पाया गया है. (ख) भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पामगढ़ एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अधिकारी पामगढ़ द्वारा की गई है.

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि जिला जांजगीर (चाम्पा) अंतर्गत पामगढ़ परियोजना में अप्रैल 2018 से जुलाई 2020 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के कुल कितने पदों पर भर्ती की गयी है ? कितने पदों पर अनियमितता एवं भर्ती नियमों का पालन नहीं किया जाना पाया गया हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को परियोजना पामगढ़ में अप्रैल 2018 से जुलाई 2020 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 19, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 10 पद एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 34 पद, कुल 63 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की गई थी । प्रारंभिक परीक्षण उपरांत इनमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 3 पद, आंगनबाड़ी सहायिका के 21 पदों पर भर्ती नियमों का पालन नहीं होना पाया गया ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि भर्ती प्रक्रिया में अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता की जांच कराई गई है और दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़ एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पामगढ़ के द्वारा की गई है । जो अनियमितता पाई जाने के बाद परियोजना अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- वाह, धन्यवाद् ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदया ने बताया कि वहां के राजस्व अधिकारी और जनपद सी.ई.ओ. के द्वारा टीम गठित करके उनकी जांच की गई, जो खुद नियुक्तिकर्ता हैं । अगर नियुक्तिकर्ताओं के द्वारा 24 प्रकरणों में अनियमितता पाई गई है तो मैं चाहती हूं कि मुख्य सचिव के द्वारा एक टीम गठित करके उसकी पुन: जांच कराएं ।

श्री अनिला भेंडिया :- अनियमितता पाई गई तो उनका निलंबन कर दिया गया और क्या जांच कराएं इसमें ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- अध्यक्ष महोदय, जो नियुक्तिकर्ता हैं, उन्हीं के द्वारा अनियमितता पाई गई है । अगर उसकी जांच अच्छे से कराई जाए तो और कितनी अनियमितता पाई जाएगी ।

श्री अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष जी, विभागीय अधिकारी के द्वारा ही जांच कराई गई है ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- आपने पामगढ़ एस.डी.एम. और सी.ई.ओ. के द्वारा आपने जांच कराई है, लेकिन नियुक्तिकर्ताओं की जो समिति गठित होती है उसमें इन दोनों की सहमति होती है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- निलम्बन होने के बाद उनके लिए और क्या कार्यवाही करेंगे, आप बताइए ?

श्रीमती इन्दू बंजारे :- उनका ट्रान्सफर कर दिया गया था । अभी जब हम लोगों का आवेदन गया तभी उनका निलम्बन किया गया है । 6-7 महीने तक अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अधिकारियों की जांच की प्रक्रिया चल रही थी । रिपोर्ट नहीं आई थी, रिपोर्ट आने के बाद उनका निलम्बन कर दिया गया है और उन्हें अटैच भी कर दिया गया है ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- अध्यक्ष महोदय, अभी भी वह अधिकारी हमारे जांजगीर जिले में बैठी हुई हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- दो महिलाओं के बीच में आप कहां से आ गए । अध्यक्ष जी, आप बताइए ?

अध्यक्ष महोदय :- मैंने विशेष कृपा करके अवसर दे रहा हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने ने इन पर विशेष कृपा क्यों की यह भी बात दीजिए?

श्री नारायण चंदेल :- यह अध्यक्ष जी के जिले का मामला है, गंभीर मामला है।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- इसी को बोलते है दाल भात में मूसरचंद ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जिले में वास्तव में महिला बाल विकास...।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिये ।

श्री नारायण चंदेल :- उसी में प्रश्न कर रहा हूं । अभी महिला स्व सहायता समूहों को जो वहां सप्लाई करते हैं, उसके लिए दो बार टेंडर निकाला गया और दो बार निरस्त किया गया है । आंगनबाड़ी केन्द्रों को सप्लाई किया जाने वाला दलिया पौष्टिक आहार और अन्य सामग्री की वहां पर सप्लाई नहीं हो पा रही है । किस कारण से आंगनबाड़ी केन्द्रों में सामान नहीं पहुंच पा रहा है । माननीय मंत्री जी, जांजगीर-चांपा जिले को थोड़ा टाइट करिये ।

अध्यक्ष महोदय :- ज़रा टाइट कर दीजिए ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- इस प्रश्न से यह उद्‌भुत नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय :- उद्‌भुत नहीं होता, आप बैठ जाइए और मैं कह रहा हूं कि ज़रा टाइट कर दीजिए ।

<u>जल संसाधन संभाग गरियाबंद के अंतर्गत तालझोर नाला में स्टापडेम निर्माण</u>

4. (*क्र. 488) श्री धनेन्द्र साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधान संभाग गरियाबंद के अंतर्गत ग्राम गिरसुल के तालझोर नाला में स्टापडेम निर्माण हेतु कितनी राशि का ठेका किस एजेन्सी को एवं किस अवधि तक (कार्य पूर्ण करने का समय) के लिए दिया गया था ? तथा कार्य कब तक पूर्ण हुआ ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त नव निर्मित स्टापडेम अफलेक्स बंड सहित पहली बारिश में बह गया ? यदि हां तो, निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की जॉच किस अधिकारी द्वारा कब की गयी एवं उक्त घटिया एवं गुणवत्ता विहीन कार्य के लिए किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी को दोषी पाया गया ? यदि जॉच कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों एवं कब तक की जाएगी?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जल संसाधन संभाग गरियाबंद के अंतर्गत ग्राम गिरसूल के तालझोर नाला में स्टापडेम निर्माण कार्य हेतु रु. 62.63 लाख का ठेका मेसर्स एच. पी. कन्स्ट्रक्शन, ''बी'' श्रेणी ठेकेदार डी-5 कंचन गंगा फेस-2 डगनिया, रायपुर को अनुबंध क्रमांक 20/डी.एल./2017-18 दिनांक 08.11.2017 के तहत् अनुबंधित

किया गया. कार्य पूर्णता की समयावधि 6 माह अर्थात दिनांक 08.05.2018 तक निर्धारित थी. कार्य पूर्ण किये जाने हेतु दिनांक 31.01.2019 तक समयावृद्धि प्रदान की गई थी, जिसे दिनांक 25.01.2019 को पूर्ण कर लिया गया है. (ख) यह सही नहीं है कि नवनिर्मित स्टापडेम अफ्लेक्स बंड सहित पहली बारिश में बह गया. अपितु स्थानीय निवासियों द्वारा एफलक्स बंड, पर आने जाने का रास्ता बनाये जाने के फलस्वरूप तथा नाले में पिछले वर्ष अति वर्षा से अत्याधिक जल प्रवाह के कारण बॉये तट का लगभग 4.00 मी. तक का बंड आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसका सुधार कार्य तत्काल करा लिया गया है. प्रश्नांश "ख" के शेंष भाग की जानकारी शून्य है.

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी नी गरियाबंद जल संसाधन संभाग कार्य क्षेत्र के अंतर्गत देवभोग इलाके के तालझोर नाले का जो स्टॉपडेम बह गया है, उसे बारे में उन्होंने स्वीकार तो किया है कि अफ्लेक्स बंड बह गया है और उन्होंने उसको तत्काल ठीक भी करा दिया है । जबकि यह पिछले वर्ष की बाढ़ में बह गया था । अभी मेरे विधान सभा में प्रश्न लगने के बाद में उसे आनन-फानन में बनाया गया है और वह भी पूरी सीमेंट की बोरी डाल-डालकर मिट्टी भरकर पूरे बंड में..।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके बाद भी आप इस सरकार में मुस्कुराते हुए प्रश्न कर रहे हो।

श्री धनेन्द्र साहू :- आप बैठिए तो सही।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा गोल-माल है।

श्री कवासी लखमा :- आप लोग जो बनाये थे न। यह आपके समय का है।

श्री अजय चन्द्राकर :- लखमा, कल तो आप खड़े नहीं हो रहे थे। आज जल्दी-जल्दी खड़े हो रहे हो।

श्री धनेन्द्र साहू :- ये सारे फोटोग्राफ्स हैं। अभी उन्होंने ताजा मिट्टी भरकर उसे रिपेयर किया है और कहीं कोई टिचिंग नहीं और उसमें कहीं भी कोई स्पेशिफिकेशन नहीं। सीधे ही सीमेंट बोरी डालकर उसे अभी लीपापोती करने की कोशिश की गई है। यह जो गलत जानकारी देकर इस तरह से गुमराह कर रहे हैं, तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे कि वास्तव में यह बांध कब बहा था और इसकी जो लीपापोती करके अभी जो टेम्पोरेरी काम कराया गया है तो क्या इसकी सत्यता की माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे सदन के बहुत ही वरिष्ठतम सदस्य हैं। वैसे केवल चार मीटर मिट्टी का बंड, वह लास्ट बरसात में बहा था। उसे रिपेयर भी किया गया है और जितना उसमें सिंचाई का डिजाइन किया गया था, वह हो भी रहा है। सौभाग्य से माननीय अध्यक्ष जी, इसमें पहले केवल किसानों के द्वारा निजी सिंचाई करने का प्रावधान था। अभी उसमें पाइप लगाकर के फ्लो इरीगेशन से भी सिंचाई किया जा रहा है। बंड का मुख्य जो मुख्य स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई डैमेज नहीं है। उसके बाजदूर भी अगर माननीय धनेन्द्र भैय्या चाहेंगे तथा वे जिस लेवल से चाहेंगे तो मैं किसी अधिकारी को आपके साथ भेज दूंगा। वे उसे देख लेंगे।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, मेरे जाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से वहां पर बड़े-बड़े करोड़ों रूपयों के काफी महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं। अमार एनीकट, कुड़ेरपानी डायवर्सन में अभी लगातार वहां के बारे में मीडिया में या अखबारों में हैं, जितने भी जल संसाधन के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं। मैनपुर देवभोग काफी दूरस्थ इलाका है। वहां पर कोई अधिकारी कभी जाता ही नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कितना भी बोल ले भाटो, करबो कुछ नहीं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- कोई काम देखने नहीं जाते। ये जितने भी बड़े काम हैं जो मैं आपको बता रहा हूं अमार एनीकट है, कुड़ेरपानी डायवर्सन है, गरियाबंद के आगे कहीं भी कोई जल संसाधन विभाग का अधिकारी कभी एक भी दिन कार्य स्थल पर निरीक्षण के लिए नहीं गया है। आप इसकी जांच करा लें कि किसी एक भी में उन्होंने साइड इंस्पेक्शन किया हो तो ? यदि वे जा भी रहे होंगे तो वे सारे के सारे फर्जी हैं। कहीं भी कोई साइड इंस्पेक्शन इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इन तीनों योजनाओं का स्थल निरीक्षण कभी किया है क्या ? कृपया, आप इसकी जांच कर करा लीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप बैठिए न मैं बताता हूं।

श्री धनेन्द्र साहू :- और आगे फिर पूछूंगा..।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे मत पूछें करके, आप पहले से खड़े हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जांच करा लेंगे।

श्री धनेन्द्र साहू :- नहीं, मैं पूछ रहा हूं न।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय अजय भैय्या, आज आपके सामने वाले अगर आये होते न तो आप इतने जोर से नहीं बोलते। 5 साल के उन्हीं के कार्यकाल में 300 एनीकट बनाया गया। उसमें 1600 करोड़ रूपये खर्च किये गये। उसी के लगातार बहने की बात हो रही है, जो माननीय धनेन्द्र भैय्या प्रश्न कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो कार्यवाही करिए न ।

श्री धनेन्द्र साहू :- इसीलिए तो कर रहे हैं। इसीलिए तो मामला उठाया है न।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो करो न।

श्री रविन्द्र चौबे :- उनकी गैर-हाजिर में आप जोर से बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा। आप उधर मुंह कर लीजिए। मैं इधर मुंह कर लेता हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, जिन तीन एनीकट के बारे में आदरणीय धनेन्द्र भैय्या ने उल्लेख किया, अभी तक विभाग की जो जानकारी आयी है, उसके आधार पर मैं यहां उत्तर दे रहा हूं। उसमें केवल 4 मीटर का बंड निश्चित रूप से डैमेज हुआ था और उसे रिपेयर किया गया है। उसके बावजूद भी दो एनीकट के बारे में धनेन्द्र भैय्या कह रहे हैं तो मैं ई.एन.सी. लेवल के अधिकारी को भेज दूंगा कि किसने मॉनिटरिंग किया है ? किसने निरीक्षण किया है और किसने निरीक्षण नहीं किया है ? उसकी क्या परिस्थिति है ? आदरणीय धनेन्द्र भैय्या, उसकी जांच करा लेंगे।

श्री धनेन्द्र साहू :- मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर गुणवत्ता को लेकर ज्यादा शिकायतें आती हैं। तो सी.टी. को ही भेजकर वहां से सी.टी. से ही जांच करा दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी यह सी.टी. के लायक मामला नहीं है। आपने कहा तो मैं अपने ई.एन.सी. से जांच करा दूंगा।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की बात है और मेरे क्षेत्र का मामला है। हमारे माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह वास्तव में सही हुआ है और हमारे किसान भाई के जमीन भी पटा गया है। अधिकारी देखने ही नहीं गये हैं और बोल रहे हैं कि हम मरम्मत कर दिये हैं। माननीय मंत्री जी को गुमराह करके जो गलिया बोरी है और सीमेंट बोरी हैं, उसमें मरम्मत कर दिये हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज और जानना चाहूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सबको गुमराह कर रहे हैं।

श्री धनेन्द्र साहू :- आज ही के मेरे दूसरे प्रश्न में जो जानकारी आयी है, गरियाबंद जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने वर्ष 2017-18 में लगभग 80 काम 1 लाख 66 हजार के पीस वर्क पद्धति से दिया है। 2018-19 में 1 करोड़, 64 लाख से ऊपर के 80 काम उन्होंने पीस वर्क में काम जारी किया है और 2019-20 में 1 करोड़, 82 लाख रूपये के 85 काम पीस वर्क पद्धति में गरियाबंद संभाग के द्वारा कराया गया है । बड़े आश्चर्य की बात है कि जब पीस वर्क पद्धति से काम कराने के आदेश नहीं हैं, टेण्डर वर्क उसके लिए कराये जाते हैं, जहां बड़े काम हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी राशि का काम पीस वर्क पद्धति से कराकर जो कि पूरा का पूरा फर्जी है, बोगस है, कोई नहरों का मेंटनेंस नहीं, कोई जलाशय का मेंटनेंस नहीं, कोई देखरेख नहीं, लेकिन करोड़ों रूपयों का पीस वर्क अपने चहेते लोगों के नाम से डालकर पूरा भ्रष्टाचार किया जा रहा है । ये सारे पीस वर्क पद्धति अपने आप में ही फर्जी है । आज आपके ही प्रश्न के उत्तर में पूरी जानकारी दी गई है । जितने पीस वर्क में काम हुए हैं, उसे किसने अनुमति दी, क्या वास्तविक में काम हुए हैं, स्थल निरीक्षण कराकर इन पूरे मामलों की, पीस कार्यों की जांच कराएंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि लगभग सवा चार करोड़ का दो साल का पीस वर्क से उन्होंने काम कराये हैं तो मैं सबसे पहले तो उसको विभाग से दिखवा लूंगा और अगर ऐसी परिस्थिति हुई होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगा ।

माण्ड नहर परियोजना में नहर खुदाई से प्रभावित कृषकों को मुआवजा का प्रदाय

5. (*क्र. 435) श्री रामकुमार यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र में माण्ड नहर परियोजना हेतु कुल कितने किसानों की जमीन नहर खुदाई (बनाने) हेतु उपयोग में ली गयी ? (ख) क्या उक्त नहर हेतु मुआवजा सभी किसानों को दिया जा चुका है ? यदि नहीं तो कितने किसानों को कितनी-कितनी राशि दिया जाना शेष है? (ग) किसानों को मुआवजा राशि कब तक दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र में माण्ड नहर परियोजना हेतु कुल 1324 किसानों की जमीन नहर खुदाई (बनाने) हेतु उपयोग में ली गयी. (ख) जी नहीं. 09 किसानों को राशि रुपये 8,30,722/- दिया जाना शेष है. विस्तृत जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) न्यायालयीन वाद निपटारा उपरांत किसानों के द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जावेगा.

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ला पूछना चाहथौं कि जांजगीर जिला के चन्द्रपुर विधान सभा में हमर किसान के कतना सारा मुआवजा बाचे हे, ओ ह कब तक मिलही

[1] † परिशिष्ट "एक"

? मैं माननीय मंत्री जी ला प्रश्न पूछे हव तो मोला जवाब में दे हे, पर मैं मंत्री जी से प्रश्न करना चाहथौं कि जांजगीर जिला में पहिली के सरकार मा बड़े-बड़े डेम बनाए रिहीन हे, डेम बन गे हे अउ कम्पनी शुरू हो गे हे, पर ओमन के मुआवजा नहीं मिलिस । 3-4 ठन कम्पनी आए हे, उहू मन के मुआवजा बाचे हे त कुल मिलाकर आपसे मोर निवेदन हे कि मंत्री जी ला निर्देश कर देवव कि एक ठीन जांच टीम गठित करके चन्द्रपुर विधान सभा के जतना गरीब किसान मन के मुआवजा ला दिलवा देसित । पुराना सरकार ह तो 15 साल में नहीं दिलवा सकिस । मंत्री जी से मोर निवेदन हे कि ओ मन ला मुआवजा दिलवा देतिस ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मांड परियोजना के बारे में नहर खुदाई के मुआवजा के संबंध में प्रश्न किया है और स्पष्ट जवाब दिया गया है कि 9 किसानों का मुआवजा बाकी है, जो न्यायालय में प्रक्रियाधीन है तो उसमें जब भी न्यायालय का फैसला आयेगा, उसके बाद प्रक्रिया पूरी होने पर मुआवजा प्रदान कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- 9 किसानों के अलावा भी कोई हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- हां, हैं माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- कितने हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, साराडीह बैराज, कलमा बैराज के अतका सारा किसान हे, ओमन बड़े-बड़े पम्प ले गे हे । किसान मन ऊहां के धन, ऊहां के छाती उपर उअ कम्पनी मन के पाईप मा पानी भागथे धर धर धर धर। ओ लईन बनाए बर लोहा फैक्ट्री बर अउ किसान ला साराडीह के एक बूंद पानी नहीं मिलथे । मोला कबीर साहब के दोहा याद आथे-जल में रहके मीन प्यासी, अउ मोही सुन-सुन आवय हांसी । पानी दिखथे, लेकिन किसान मन ला पानी नहीं मिलथे। मोर आपसे प्रार्थना हे कि चन्द्रपुर विधान सभा में टीम गठित कर दिया जाये, जम्मो ला कह दिया जाये, जो-जो भी प्रकार के चाहे डेम के मुआवजा हो, चाहे बैराज के मुआवजा हो, चाहे ओमन जमीन ला ले लिही, ए सबके मुआवजा ला कृपा करके आपके जिला के, अब तोर आशीर्वाद से तुहरे तीर के विधायक आंव । टीम गठित करके सब मुआवजा ला देवा देवव ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, यदि वे पाईप से पानी ले जाते हैं तो उसका भी मुआवजा निर्धारित किया जाता है क्या ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पाईप से पानी ले जायें या नहर खुदाई से हो, जो भी किसान की जमीन उसमें प्रभावित होगी, जिसका उपयोग किया जायेगा तो मुआवजा अलग-अलग प्रकार से निर्धारित है तो उसको मुआवजा दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय :- उनको तो शिकायत है कि साराडीह में जो डेम वाली पाईप लाईन का ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, साराडीह के बारे में प्रश्न नहीं हैं, उसके बारे में माननीय सदस्य जानकारी दे दें, मैं दिखवा लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- उसकी जांच करा लीजिए, जितने लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, जल्दी से जल्दी तुरंत उसकी जांच करा दीजिए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, वे बता दें, मैं जांच करवा लूंगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

<u>बस्तर संभाग में कृषि भूमि में सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्य योजना</u>

6. (*क्र. 144) श्री मोहन मरकाम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में कुल कितने हेक्टेयर कृषि भूमि हैं ? जिलेवार बताएं ? (ख) इसमें से कितनी हेक्टेयर कृषि भूमि हेतु सिंचाई के संसाधन उपलब्ध हंै ? (ग) शेष कृषि भूमि के लिए सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विशेष कार्ययोजना बनाई गई है अथवा बनाई जा रही है ? (घ) कंडिका "ग" के अनुसार कोण्डागांव जिले में निर्माण धीन, बजट में सम्मिलित एवं आगामी वर्षों में प्रस्तावित की जाने वाली योजनाओं का विवरण दी जाए?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) बस्तर संभाग में कुल 894478 हेक्टेयर कृषि भूमि है. जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 में दर्शित है. (ख) इसमें से 150213 हेक्टेयर भूमि में कृषि हेतु सिंचाई संसाधन उपलब्ध है. (ग) शेष कृषि भूमि के लिए सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा 100 निर्माणाधीन योजनाओं से 28938 हेक्टेयर एवं बजट वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के नवीन मद में सम्मिलित 129 योजनाओं से 204565 हेक्टेयर एवं 3331 नग ट्यूबवेल से 6868 हेक्टेयर सिंचाई की कार्ययोजना प्रस्तावित है. (घ) कंडिका "ग" के अनुसार कोण्डागांव जिले में निर्माणाधीन 17 योजनाओं तथा बजट वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के नवीन मद में सम्मिलित 06 योजनाओं के साथ ही आगामी वर्षों में प्रस्तावित 210 नग ट्यूबवेल खनन व 02 सिंचाई योजनाओं का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 में दर्शित है.

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से बस्तर संभाग में सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराने से संबंधित था, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है । बस्तर संभाग में 894478 हेक्टेयर कृषि भूमि में से 150213 हेक्टयर कृषि भूमि में सिंचाई संसाधन उपलब्ध है। बस्तर संभाग में 16 प्रतिशत और कोण्डागांव में 9 प्रतिशत, बीजापुर में 8 प्रतिशत इस प्रकार कुल 16 प्रतिशत सिंचाई संसाधन उपलब्ध हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सौर निर्माणाधीन योजनाएं हैं, जिसमें 28938 हेक्टेयर और 2019-20, 2020-21 के बजट में 129 योजनाएं हैं, वह कब तक पूरी होंगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह जो चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बतायेंगी, मंत्री जी नहीं बतायेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय जी, जनता ने सौभाग्य से आपको केवल प्रश्न करने के लिए भेजा है। इसलिए कौन जवाब बतायेंगे, यह तय करने का काम आसंदी जो निर्देश करे, उधर से होगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने जो प्रश्न किया, उसका उत्तर मुझे देना है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- यही बात तो इनके समझ में नहीं आ रही है न। इतना ही समझ ले तो फिर दिक्कत क्या है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में लगभग स्पष्ट है। 17 योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जो बजटेड है, जिसमें काम चल रहा है। जब ये योजनाएं पूरे हो जायेंगे तो लगभग ढाई हजार हैक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध होगी। इसके अलावा अगर आप पूरे बस्तर की बात करेंगे तो हम लोगों ने बस्तर संभाग में लगभग ढाई लाख हैक्टेयर

अतिरिक्त सिंचाई के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं, जिसमें बोधघाट का भी समावेश है। अकेले बोधघाट में दन्तेवाड़ा, बीजाजपुर और सुकमा जिले के लगभग 1 लाख 71 हजार हैक्टेयर में खरीफ, 1 लाख 31 हजार हैकटेयर में रबी और समर पैडी का 64,430 हैक्टेयर में सिंचाई होगी। आपने बाकी योजनाओं के बारे में पूछा है तो बजट 2019-20 तथा 2020-21 के बजट में जो योजनाएं शामिल थीं तो यह वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। थोड़ा कोविड-19 के कारण भी स्वीकृति में विलंब है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार की प्राथमिकता है कि आने वाले समय में इन सारी योजनाओं को में पूरा करेंगे और बस्तर में सिंचाई सुविधा मुहैय्या करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री डमरूधर पुजारी।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि दो प्रश्न और करना है।

अध्यक्ष महोदय :- शार्ट में करिये। मेरे जिले में 17 योजनाएं हैं, जिसमें जोंधरा व्यपवर्तन, बागडोंगर व्यपवर्तन, ये बहुत पहले से चालू हैं। ये 10-10, 15-15 सालों से लंबित हैं। मेरे जिले में मात्र 9 प्रतिशत सिंचाई सुविधा है। अगर बस्तर के लोगों को हल पकड़ा दिया जाये तो ये नक्सली समस्याएं समाप्त हो जायेगी। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो योजनाएं 10-10, 15-15 सालों से लंबित हैं, उनको कब तक पूरा किया जायेगा ? मैं पिछले 5 साल तक लगातार प्रश्न करता रहा। मगर पिछली सरकार द्वारा भी वही गोल-मोल उत्तर दिया जाता रहा कि हम कर रहे हैं। तो आप कब पूर्ण कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनको कब तक पूरा करेंगे ? आप प्राथमिकता में बस्तर संभाग को लेंगे या नहीं लेंगे ? अगर सचमुच में नक्सली समस्या को समाप्त करना है तो वहां के लोगों को ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये न। आप भटक रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- मैं वही माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ..।

श्री केशव चन्द्रा :- मरकाम जी, आप मंत्री जी को बोलिये कि गोल-मोल उत्तर नहीं आना चाहिए। अब सही-सही उत्तर आ जाये।

श्री रविन्द्र चौबे :- उत्तर में गोल क्या है, आप पहले यह बताओ ?

श्री केशव चन्द्रा :- मरकाम जी बोल रहे हैं कि गोल-मोल उत्तर आता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- वह हमारे अध्यक्ष जी हैं। उन्होंने कहा 15 साल।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनको बोधघाट परियोजना की फोटो दिखाओ। जैसे मैंने कहा कि आप सब परियोजना का फोटो दिखा रहे हो, वैसे ही फोटो देखकर वह खुश हो जायेंगे कि बोधघाट ऐसी बनेगा, कहकर। जैसे आप ज्वेलरी पार्क की फोटो दिखाये हो, अकादमी का फोटों दिखाये हो, दिल्ली भवन का फोटो दिखाये हो, चन्द्रखुरी मन्दिर का हाथ वाला फोटो दिखाये हो, तो आप बोधघाट परियोजना का भी फोटो दिखा दो।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, आज की कार्यवाही में बहुत सारा समय लगेगा। प्लीज, आज आप सहयोग करे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष जी का उत्तर दे दूं। आपने 17 योजनाओं के बारे में जिक्र किया, ये निर्माणधीन है। लेकिन निश्चित रूप से और तीव्रगति से कैसे हो, इसको हम लोग कर लेंगे। मैने कहा कि एक योजना वर्ष 2019-20 का 2020-21 योजनाएं आपके यहां का, 2 प्रस्तावित किया गया है। जिसको हम बजट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में लेने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ लगभग 210 ट्यूबवेल आपके विधानसभा क्षेत्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया में है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इन सारी सिंचाई योजनओं के पूरा होने से कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र मे लगभग साढ़े पांच हजार हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध होगी। आपने समय-सीमा की बात कही है। इसको जितनी जल्दी और जितनी शीघ्रता से हो सके, हम आने वाले समय में पूरा करेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बताया है कि 3331 नग ट्यूबवेल से 6868 हेक्टेयर सिंचाई की कार्ययोजना है और मेरे जिले में 210 नग ट्यूबवेल खनन किये हैं। इसके लिए तो मुझे लगता है कि समय नहीं लगना चाहिए। बाकी भले ही बड़े प्रोजेक्ट में समय लग सकता है लेकिन इसमें समय नहीं लगना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्राथमिकता देते हुए ट्यूबवेल खनन कार्य करायें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, जी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत किसान

7. (*क्र. 531) श्री डमरूधर पुजारी: क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है व इस योजना में कौन-कौन पात्र है ? (ख) प्रश्नांश (ख) अनुसार जुलाई 2020 की स्थिति में प्रदेश में कितने पात्रताधारी किसान योजनांतर्गत पंजीकृत है व कितने पंजीकृत नहीं है? इनका पंजीयन कब तक कर लिया जावेगा? किसानों के योजनांतर्गत पंजीकरण के क्या नियम है व उसमें क्या परिवर्तन किया गया है व कब? (ग) प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत प्रश्नांश "ख"अवधि में कितने किसानों को कितनी किश्तें व कितनी राशि प्राप्त हो गई है? जिलेवार जानकारी देवें.

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसान परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की योजना है. ऐसे सभी किसान परिवार जिनका नाम भू-अभिलेख में दर्ज है तथा अपवर्जन की श्रेणी में नहीं आते है, योजना हेतु पात्र है. कितने कृषक पंजीकृत नहीं है, बताया जाना संभव नहीं है. (ख) जानकारी † [2]संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

श्री डमरूधर पुजारी:- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान निधि से संबंधित प्रश्न पर माननीय मंत्री का उत्तर आया है मगर गरियाबंद जिला में किसान निधि की मात्र दूसरी-किश्त मिल चुकी है और दो किसानों की पांच किश्त मिली है। तीसरी किश्त के बाद पांचवी किश्त तक दो किसानों को कैसे मिली यह माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पूरी सूची मैंने आपके पास दिया हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ से लगभग 32 लाख किसान पंजीकृत हैं और अभी आखिरी किश्त जिसके बारे में अभी कह रहे हैं कि गरियाबंद में सबसे कम मिला है, तो पूरे प्रदेश में 32 लाख किसानों में से केवल 2 लाख 40 हजार किसानों को आखिरी पांचवी किश्त मिली है। तो यह केंद्र सरकार की योजना है। पहली बार जब प्रधानमंत्री

[2] परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किसान सम्मान निधि योजना जारी हुई थी और आज के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कभी आधार कार्ड से लिंक करना है, कहीं उनके नाम बैंकों में परिवर्तित हो गये या उनके नाम में एक अक्षर का भी मिस्टेक हो गया तो उस कारण से यह कम है लेकिन हम लोग केंद्र सरकार से अभी भी लगातार मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से 32 लाख किसान, इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पंजीकृत हैं, हालॉकि उसकी राशि कितनी है उसे आप समझ सकते हैं जो कि लगभग 500 रूपये प्रतिमाह है। उसके बावजूद भी हम केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण ये सम्मान निधि रोका न जाए और हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना चाहिए और गरियाबंद के किसानों को भी मिलना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 32 लाख 60 हजार किसान पंजीकृत हैं। 25 लाख 94 हजार किसानों को इसका लाभ मिला है। लगभग 6.5 लाख किसान वंचित हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। 25 लाख लोग कोई न कोई किश्त पाये हैं लेकिन जो प्रावधान है कि साल में हर चार महीने में दो हजार रूपये की किश्त मिलनी चाहिए वह नहीं मिली है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि 32 लाख 60 हजार किसान इसमें पंजीकृत हैं, 25 लाख 94 हजार लोगों को इसका फायदा मिल रहा है बाकी किसानों को अभी एक किश्त भी नहीं मिली है। मेरा आग्रह यह है कि उसमें पोर्टल में जो यहां से जानकारी भेजी जानी चाहिए। पहले इसे राजस्व विभाग देख रहा था अब इसे कृषि विभाग में आप देख रहे हैं। राशि कम हो, ज्यादा हो, उसमें एक नया पैसा राज्य सरकार का नहीं लगना है, जो भी लगेगा तो केन्द्र सरकार से पैसा मिलना है। यदि 6000 रूपये मिल रहा है तो आपके हिसाब से उस पैसे का महत्व नहीं है लेकिन किसानों को उस पैसे का महत्व है। आखिर इतने किसान जो वंचित हैं वह भी वंचित न रहें और यहां से जो जानकारी भेजी जानी चाहिए, मैं अभी पथरिया में बैठक लिया था, पोर्टल में जो जानकारी भेजी जानी चाहिए वह भेजी नहीं गई है और उसके कारण से वंचित हैं। मंत्री जी से मेरा आग्रह यह है कि 32 लाख 60 हजार किसानों को वह राशि मिले और उसमें जो कमियां हैं कि यहां से जानकारी नहीं भेजी गई है तो उसे कब तब भिजवायेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कब तक नहीं, हमने भेजा भी है। हमारे राज्य के प्राप्त सुझाव के आधार पर भारत सरकार द्वारा कृषकों की सुविधा हेतु पोर्टल में निरंतर सुधार की कार्यवाही की जा रही है। आपने जो प्रश्न किया उसको प्रश्न के पूर्व ही हम लोग लगातार correspondence कर रहे हैं और आप भी भी मंशा है और हमारी भी मंशा है। हमारे छत्तीसगढ़ के यदि 32 लाख 60 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है तो सबको लाभ मिलना चाहिए। केवल पोर्टल की खराबी नहीं है। कभी-कभी क्या है कि किसानों की अधिकता के कारण भी है। और केवल सरकार करेगी ऐसा नहीं है, सी.एस.सी. के माध्यम से भी किसान सीधे भी अपना सुधार कर सकते हैं, आधार कार्ड में गलती है, बैंकों में थोड़ा नाम में परिवर्तन हो जाता है, उसके कारण बहुत सारी त्रुटियां हैं लेकिन ये केन्द्र सरकार की योजना है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उसमें आपसे एक आग्रह है कि आपके कृषि विभाग के अधिकारी वहां पर हैं, आपके पटवारी वहां पर हैं। एक बार आपके एस.डी.एम. स्तर के अधिकारी वहां पर मॉनिटरिंग कर लें और जो उनकी कमियां हैं उन कमियों को किसान से बात करके क्योंकि पटवारी है, ग्राम सेवक है

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ये लोग करके उसको पूरा करा देंगे तो किसान जो वंचित हैं उनको लाभ मिल जायेगा। आप इतना निर्देश जारी करा दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- जो गलती है उसके संबंध में भारत सरकार से लगातार आग्रह है, वे सुधार करने की गुंजाईश में काम कर भी रहे हैं लेकिन जो आपका सुझाव है, उसको भी हम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- देवव्रत सिंह जी।

तहसील छुईखदान के ग्राम पैलीमेटा स्थित सुरही जलाशय को मछली पालन हेतु आबंटन

8. (*क्र. 409) श्री देवव्रत सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा शासकीय जलाशयों में मछली पालन हेतु पंजीकृत मछुआ समितियों को पट्टा दिये जाने हेतु 08 कि.मी. दूरी तक निवास/पंजीकृत मछुआ समिति की बाद्धयता है ? (ख) यदि हां तो जिला राजनांदगांव के तहसील छुईखदान के ग्राम पैलीमेटा स्थित सुरही जलाशय में मछली पालन हेतु पट्टा जिस समिति को आबंटित किया गया है, उस मछुआ समिति के अध्यक्ष, सदस्यों व समिति का पंजीयन, पता तथा सदस्यों का निवास 08 कि.मी. तक है ? ग्राम पैलीमेटा स्थित सुरही जलाशय में मछली पालन हेतु मछुआ समिति को पट्टा आबंटन स्वीकृत कब किया गया है ? (ग) उक्त निविदा में शामिल अन्य मछुआ समितियों का नाम, अध्यक्ष का नाम, पंजीयन संख्या एवं पता सहित बतावें ? (घ) प्रश्नांश "क"अनुसार राज्य शासन द्वारा उक्त ग्राम पैलीमेटा स्थित सुरही जलाशय में मछली पालन हेतु आबंटित उक्त मछुआ समिति का पंजीयन किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) विभाग के आदेश दिनांक 24.3.2003 द्वारा "मछुआरो के हितार्थ जारी मछुआ नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्देश/प्रक्रिया" के कंडिका क्रमांक 2.9 के अनुसार "तालाब/जलाशय की 8 कि.मी. की परिधि में आने वाली स्थानीय पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को प्राथमिकता रहेगी यदि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक स्थानीय पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियॉ है निर्धारित समयावधि में आवेदन देने की स्थिति में सबसे पुरानी पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को प्राथमिकता होगी." किन्तु बाध्यता नहीं है.(ख) जिला राजनांदगांव के तहसील छुईखदान के ग्राम पैलीमेटा स्थित सुरही जलाशय में मछली पालन हेतु पट्टा अध्यक्ष गण्डई मछुआ सहकारी संस्था मर्या. गण्डई को आबंटित किया गया है. उस मछुआ समिति के अध्यक्ष, सदस्यों व समिति का पंजीयन, पता तथा सदस्यों का निवास 08 कि.मी. तक नहीं है. ग्राम पैलीमेटा स्थित सुरही जलाशय में मछली पालन हेतु गंडई मछुआ सहकारी संस्था समिति गंडई पं. क्र. 01, दिनांक 17.07.1978, को दिनांक 14-08-2019 को पट्टा आबंटन स्वीकृत किया गया है.(ग) उक्त विज्ञप्ति में शामिल अन्य आवेदक को नाम है, जय भोले मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या. पैलीमेटा, अध्यक्ष का नाम श्री राम सिंग, पंजीयन क्र. 333, दिनांक 08.01.1996 पता ग्राम-पैलीमेटा, तहसील छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.). (घ) प्रश्नांश "क" अनुसार राज्य शासन द्वारा उक्त ग्राम पैलीमेटा स्थित सूरही जलाशय में मछली पालन हेतु आबंटित उक्त मछुआ समिति का पंजीयन, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा किया गया.

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में राज्य शासन से जो जानकारी आयी है, उसमें स्वयं शासन ने स्वीकार किया है कि जिस मछुआ सिमति को वर्तमान में काम दे दिया गया है, वह 8

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किलोमीटर के बाहर की मछुआ समिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो सुरही जलाशय है यह आपके विधानसभा क्षेत्र की जीवन दायिनी नदी है। इस पर यह जलाशय बना हुआ है। पिछली जो मछुआ समिति पिछले 30 वर्षों से यहां पर कार्य कर रही थी, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पहली बार जब माननीय दिग्विजय सिंह जी, पंचायती राज वन्य उन्होंने एक कदम उठाया था कि जिला पंचायत के माध्यम से बल्क टैंकों को दिये जाने की प्रथा थी और डोंगरगढ़ में दिग्विजय सिंह जी के हाथ से पहली बार जब माननीय रविन्द्र चौबे जी, माननीय धनेश पटेल मंत्री बने थे तो वहां बमलेश्वरी दर्शन करने आये थे तो ये जो श्री राम सिंग मछली समिति है, यह आदिवासी और निषाद लोगों की मछुआ समिति है, वहां पट्टा और कार्य दिया गया था और पट्टे को डोंगरगढ़ में दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से पट्टा दिया गया था और वे संचालन कर रहे थे, मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अचानक मछली विभाग के अधिकारियों ने ऐसा क्या प्रकरण बना दिया कि गंडई के कुछ लोगों ने, रातोंरात जो एक पुराना समूह था, खत्म हो चुका था, उस समूह हो जीवित किया और उसको जीवित करने के बाद में दुर्ग के कुछ ठेकेदार घूस गये, व्यक्ति विशेष बहुत सारे लोग घूस गये। व्यक्तिगत किसी समाज के लोग घूस गये और उन्होंने उसको कब्जा करने के बाद में उसका आबंटन करा दिया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण है, नई समिति को जो मछली टैंक का पट्टा दिया गया है वह दोषपूर्ण है, उसमें मछली विभाग के अधिकारी कर्मचारी हों, किसी के भी दबाव में हो, गलत तरीके से किया गया है। 100 प्रतिशत उसमें केवल निषाद और आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और वहां 25 वर्षों से लगातार मछली पालन करते आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री देवव्रत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तर पर जांच कराकर इसमें कार्यवाही करायेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न से तो ये कोई बात प्रगट ही नहीं हुआ कि किस बात की जांच करायें। आपने कहा कि दो कापरेटिव सोसायटी जो मछुआ सोसायटी है, उन्होंने जो कार्यरत सोसायटी था उसको खिलाफ कार्यवाही करके गंडई का जिसका आपने जिक्र किया, नई सोसायटी को पंजीकृत कर दिया गया। विभाग की जानकारी में यह है कि यह मामला 2011 में हाई कोर्ट तक गया अजय जी, सन् बताऊंगा तो आप नाराज नहीं होना। ये सब पुराने कार्यकाल के हैं। 2011 का है।

श्री अजय चंद्राकर :- फिर आप दूसरा तरीका निकाल रहे हैं, मैं इस कार्यकाल का बोलूंगा।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाह रहा था कि ..।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप किस बात की जांच चाहते हैं ये जरा स्पष्ट बतायेंगे तो मैं उसमें आगे बढ़ूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बताईये।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इस बात की जांच करायेंगे कि जो समिति 8 किलोमीटर परिधि की बाहर का है, उसको किन कारणों से वहां जो सबसे पुरानी समिति है, उसको हटाकर उसको क्यों दे दिया गया ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- जो उत्तर मिला है उसके मुताबिक तो विज्ञापित किया जाता है। दो समितियों ने एप्लीकेशन दिया। जो पुरानी समिति थी उसने दिया और गंडई की समिति ने दिया। पुरानी समिति को डिस्ट्रिक्ट रजिस्टार ने डिफंग कर दिया, उसके बाद भी ओ.आई.सी को लिखा गया कि इस मछली तालाब के लिये अगर पट्टे का आपका आवेदन है तो उसकी राशि जमा कर दें। उसने कहा कि हमारी समिति तो उस राशि को भी जमा करने में असमर्थ है। तो एप्लीकेंट तो एक ही समिति बचा ना। उसको देने के लिये कारण यही था। अध्यक्ष जी उसके बावजूद भी माननीय विधायक जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, उनको शंशा है, इसमें कोई गलती हो गयी है, मछली पालन के लिये गलत समिति को पैलीमेटा डेम को दे दिया गया है तो हम उसकी उच्च स्तरीय जांच करा लेंगे। हम लोग चाहते हैं कि गरीब मछुआरों के लिये हम लोगों की जो नीति है, उसके तहत भी उन लोगों को मछली पालन का अधिकार मिले। मुझे इसमें जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है कि यहां राज्य स्तर के अधिकारी को भेज के जांच करायेंगे तभी सारी वस्तु स्थिति सामने आयेंगी। क्योंकि जिस तरीके से पुरानी समिति को डिफंग किया गया है, उस पर उन्होंने अपील कर रखी है कि डिफंग कैसे किया गया ? वह रजिस्ट्रार के यहां पेंडिंग है। लेकिन जिस प्रकार से पहले डिफंग समिति को दे दिया गया वह भी 8 किलोमीटर के बाहर की परिधि का है, वह जांच का विषय है। जब तक के राज्य स्तर के अधिकारी जाकर जांच नहीं करेंगे तब तक इसका निराकरण नहीं हो पायेगा।

संसदीय सचिव, खाद्य मंत्री से संबंद्ध(श्री कुंवर सिंह निषाद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी संबंध में माननीय मंत्री जी से कुछ पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये हमने आपसे व्यवस्था मांगी थी।

अध्यक्ष महोदय :- क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय सचिव महोदय खड़े हो रहे थे इसीलिये हमने दूसरे दिन व्यवस्था मांगी थी।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा। श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी।

श्री देवव्रत सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा जवाब आ जाये।

अध्यक्ष महोदय :- वे एक साथ जवाब दे देंगे। आप छन्नी साहू जी का भी प्रश्न सुन लीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसी में पूछ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- हां। माननीय छन्नी साहू जी भी उसी में पूछ रही है। आप एक साथ सबको उचित उत्तर दे दीजिएगा।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में चर्चा करना चाहूंगी। आदरणीय सदस्य जी जो बता रहे थे। वाकई में राजनांदगांव जिले में मत्स्य विभाग की बहुत ही ज्यादा मनमानी है। मेरे खुज्जी विधान सभा में जो बांधा बाजार है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि नियम यह कहता है कि अगर कोई मछुआरा समिति अनियमितता कर रही है तो कायदे से विभाग की तरफ से सोकाज नोटिस दिया जाता है ताकि वह अपना पक्ष रख सके, लेकिन वैसा नहीं किया जाता है। न उनको अपना पक्ष रखने दिया जाता है और डायरेक्ट कार्यवाही कर देती है

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

और मनमानी करके, वह अपनी इच्छानुसार जो समिति, मैं बता रही हूँ इसमें यह दिया भी है कि 8 किलोमीटर के दायरे में जो पंजीकृत समिति आएगी, उसी को प्राथमिकता में लिया जायेगा, लेकिन कई जगहों पर और बांधा बाजार में जो 8 किलोमीटर के दायरे में नहीं आती है, उनको ही दिया जायेगा तो जिन अधिकारियों के द्वारा ऐसी अनियमितता और लापरवाही की जा रही है तो उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न क्या है?

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बांधा बाजार का बता रही हूँ। बिना सोकाज नोटिस दिये बिना अनियमितता की जा रही है तो कायदे से सोकाज नोटिस देकर, उन्हें अपने पक्ष की बात रखने का मौका देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- 8 किलोमीटर के बाहर के लोगों को क्यों दिया जाता है, यह उनका प्रश्न है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ते कुछ बोलत रहेस का?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी कहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय देवव्रत सिंह जी का ये गंडई के पैलीमेटा डेम का प्रश्न था। आदरणीय छन्नी साहू जी ने बांधा बाजार के किसी तालाब का जिक्र किया। आप भी कुछ कह रहे थे।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी कुछ कह लीजिए , फिर एक साथ उत्तर दे देंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 किलोमीटर की परिधि में आकर, एक किरगी जलाशय का भी दूसरे समिति को दे दिया गया। पता नहीं, पी.डब्ल्यू.डी. ने क्यों ऐसी रिपोर्ट दे दी। जबकि 4 किलोमीटर के दायरे में ही नहीं है उनको दे दिया गया। किरगी जलाशय को 10 किलोमीटर के दायरे वाले को दे दिया गया।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, इसमें प्रदेश के अनेक स्थानों में इस तरह की समस्याएं हैं विशेषकर के 8 किलोमीटर की बाहर के लोगों को देने की है। एक साथ सब की जांच करा दीजिए, क्या करना है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में तीन अलग-अलग बातें हो गईं। वह जो माननीय देवव्रत सिंह जी कह रहे हैं कि कॉपरेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा रजिस्ट्रार होते हैं वह मछलियां सब समिति का रजिस्ट्रशन वगैरह करते हैं। दलेश्वर जी ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि पी.डब्ल्यू.डी. वालों ने 10 किलोमीटर को पता नहीं कैसे 4 किलोमीटर लिख दिया। कौन कैसे लिख दिया, इसकी बात नहीं है लेकिन मैं समझ रहा हूँ। तीन अलग-अलग विभागों का है। केवल मछली पालन विभाग से जांच कराऊंगा तो मैं परिणाम तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं अपने विभाग के उप सचिव से तीनों मामले जो यहां सदन में आये हैं, उनसे जांच करा लूंगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री देवव्रत सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद्।

<u>रायगढ़ जिले में कोटवार सेवा भूमि की खरीदी-बिक्री</u>

9. (*क्र. 248) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कितनी कोटवार सेवा भूमि की खरीदी-बिक्री की गई है ? क्या ऐसे सभी रजिस्ट्रियों को निरस्त कर शून्य कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कब तक कर दिया जायेगा ? (ख) कोटवार सेवा भूमि की खरीदी-बिक्री में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायगढ़ जिले में कुल 8.320 हे. कोटवार सेवा भूमि माननीय राजस्व मंडल एवं न्यायालय अपर कलेक्टर रायगढ़ से प्राप्त अनुमति से खरीद-बिक्री की गई है. अनुमति प्राप्त होने के कारण रजिस्ट्री को निरस्त कर शून्य नहीं किया गया है. (ख) माननीय न्यायालयों द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने के कारण खरीद बिक्री में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है.

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि रायगढ़ जिले में कितनी कोटवार सेवा भूमि कितनी अन्य सामान्य लोगों को हस्तांतरित की गई है, इसमें जवाब भी आ गया है कि कुल 8.320 हेक्टयर कोटवार सेवा भूमि माननीय राजस्व मंडल एवं न्यायालय अपर कलेक्टर रायगढ़ से प्राप्त अनुमति से हस्तांतरित की गई है। ये जो आंकडें हैं, यह बहुत कम है। रायगढ़ जिले में बहुत सारी जमीन कोटवार सेवा भूमि बिना अनुमति के अन्य जगहों से लोगों को हस्तांतरित की गई है। जैसे अंबिका इस्पात तराईमाल को 10 एकड़ कोटवारी सेवा भूमि हस्तांतरित की गई है। इसी तरह बरमकेला ब्लॉक के शुभ मिजल को कोटवार सेवा भूमि पर भण्डारण कर रखा है और रायगढ़ जिले में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर ऐसी बात आयी है और पटवारी, कोटवार सेवा भूमि जो प्राईम लोकेशन की है उन कोटवारों को प्रलोभन देकर, ठगी करके उसके बदले में तबादले किये गये हैं जिससे कोटवारों की जो हक की भूमि या पैसा है, वह छिना गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे जितनी भी कोटवारी भूमि अवैध रूप से ठगी करके या प्रलोभन देकर हस्तांतरित की गई है, उसकी आप जांच करायेंगे क्या ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 में शासन से एक आदेश पारित हुआ था, उसके तहत बाद में अलग-अलग वर्षों में जो भूमि परमीशन के माध्यम से कोटवारों ने बेची और किसी ने खरीदी, उसकी जानकारी मैंने दे दी है। 2018 में फिर आदेश पारित हुआ, उसमें ये आदेश हुआ कि इस प्रकार से भूमि को नहीं बेचा जा सकता। अगर उसके बाद का कोई मामला है तो माननीय सदस्य बता दें, मैं उसको जांच करा दूंगा और निरस्त कर दूंगा।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि बहुत सारी कोटवारों की जमीन है जो प्राईम लोकेशन में है, उसके तबादला हो जाने पर उसको अन्य जगह पर भूमि दी गई है जिससे कोटवारों का अहित हुआ है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो मेरी जानकारी में है। क्या आप ऐसे विषय में जांच करायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- आपको जहां-जहां की जानकारी है, सबको लिखकर दे दीजिए, सबकी जांच करा देंगे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि कोटवार की नहीं है। कोटवारों को सेवा भावना के नाम से भूमि आवंटित की गई है। मान लीजिए जब कोई कोटवार नहीं रहता, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वही जमीन दूसरे कोटवार को दी जाती है। कोटवार का कोई मालिकाना हक नहीं है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोटवारों को आवंटित भूमि की ही बात कर रहा हूं। उनका तबादला किया गया है, मैंने अभी रायगढ़ का एक मामला बताया। अभी हाल में कोटवारी भूमि पर लाइमस्टोन का भंडारण किया गया है। यह मामला तो गंभीर है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा कोई भंडारण हुआ है तो हम उसको दिखवा लेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- क्या जांच कर लेंगे?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां जांच भी कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक- 10, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू।

<u>जिला धमतरी में धान खरीदी की अवधि एवं निर्धारित समय में धान का उठाव न होने पर हुई क्षति</u>

10. (*क्र. 05) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ फसल वर्ष 2019-20 में जिला धमतरी में धान खरीदी अवधि कब से कब तक तय की गयी थी ? जिला धमतरी के प्रत्येक खरीदी केन्द्र में बफर स्टाक कितना तय किया गया था एवं कितने घण्टे में परिवहन करने का समय निर्धारित किया गया था ? समय पर धान उठाव नहीं होने के कारण कितना क्विंटल धान, कितनी राशि का नुकसान हुआ ? तथा इसके जिम्मेदार कौन थे एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? (ख) सरकार द्वारा उक्त वर्ष में कितने किसानों का कितना क्विंटल धान की खरीदी नहीं की गयी ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ वर्ष 2019-20 में धान खरीदी की अवधि दिनांक 01 दिसंबर 2019 से 20 फरवरी 2020 तक निर्धारित की गई थी. उपार्जन केन्द्रवार बफर स्टॉक की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. खरीफ वर्ष 2019-20 की धान खरीदी नीति अनुसार खरीदी केन्द्रों में बफर स्टॉक की सीमा से अधिक धान की परिवहन 72 घण्टे के भीतर कराए जाने का प्रावधान है. समय पर धान का उठाव नहीं होने के कारण धान का नुकसान नहीं हुआ है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) धमतरी जिले में खरीफ वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु पंजीकृत 1,05,519 किसानों में से 1,02,498 किसानों द्वारा धान विक्रय किया गया है. शेष 3,021 किसानों द्वारा धान विक्रय नहीं किया गया.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- पहले जिनका प्रश्न है, उनको प्रश्न कर लेने लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न में कोई दूसरी बात नहीं हो सकती, उनका प्रश्न है, उनको प्रश्न करने दीजिए। आप पूरक प्रश्न कर सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया एक मिनट सुन लीजिए। जो प्रश्न रंजना डीपेन्द्र साहू जी ने लगाया है, वह हमारे जिले का है। हम किन्हीं कारणों से, मैंने उनसे बात की है, मैंने प्रश्न का स्वरूप भी दिया है, मैंने भी देखा है। किन्हीं कारणों से, मैं आरोप नहीं लगा सकता, उस व्यवस्था में नहीं बोल सकता, लेकिन हम दोनों उस प्रश्न को नहीं पूछना चाहते, हम किन्हीं कारणों से वह विरोध दर्ज करना चाहते हैं। यहां बैठकर यदि हम रहेंगे तो प्रक्रिया के खिलाफ होगा। यदि आपमें सदाशयता है तो मेरी पीड़ा को जरूर सुनेंगे और उसमें हल करेंगे। माननीय रंजना जी, चलिये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

11:42 बजे

बहिर्गमन

प्रश्न के विरोध में बहिर्गमन।

(श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री अजय चन्द्राकर सदस्यों द्वारा प्रश्न के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- यह चलिये क्या होता है, वह प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हुई हैं, आप कैसे चलिये बोल सकते हैं ? मेडम आपका पहली बार प्रश्न अच्छा लगा है, आप प्रश्न पूछिये।

प्रश्न संख्या : 11 XX XX

प्रश्न संख्या : 12 XX XX

नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत आवंटित बजट

13. (*क्र. 521) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजनांतर्गत शासन के द्वारा विभिन्न विभागों को बजट प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक योजना के प्रत्येक घटक के लिये कुल कितने राशि कितने कार्यों के लिए किस विभाग को दी गई है ? वित्तीय वर्षवार, घटकवार व जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क"अनुसार राशि में केन्द्र से प्राप्त कितनी राशि दी गई है तथा राज्य से प्रदत्त राशि में किस विभाग के बजट से व प्राधिकारणों के बजट से कितनी-कितनी राशि दी गई है ? (ग) प्रश्नांश "क" अनुसार घटकों हेतु कितने कार्य स्वीकृत किये गये है व इसमें कितने पूर्ण है, कितने अपूर्ण है ? कितनी राशि का भुगतान किया गया है व कितनी राशि का भुगतान शेष है ? जिलेवार व घटकवार जानकारी देवें.

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ/7-6/2019/एक/6दिनांक 20.09.2019 द्वारा नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी हेतु कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को नोडल विभाग आदेशित किया गया है।

प्रश्नाधीन अवधि तक गरवा, गरवा एवं घुरूवा घटक अंतर्गत घटकों में राज्य शासन द्वारा किसी भी विभाग को पृथक से बजट प्रदाय नहीं किया गया है। इन घटकों का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं के अभिसरण से किया जा रहा है। बाड़ी घटक हेतु पोषण बाड़ी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्षवार, जिलेवार, आबंटित राशि का विवरण प्रपत्र-अ पर है।

(ख) जानकारी प्रपत्र-ब पर है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(ग) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में गरवा, घुरूवा, एवं बाड़ी घटकों में विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत कार्य पूर्ण/अपूर्ण कार्य भुगतान की गई राशि व भुगतान हेतु शेष राशि का जिलेवार विवरण क्रमश: प्रपत्र- 'स', 'द' एवं 'ई' पर है।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत आवंटित बजट की जानकारी चाही थी। यह एक महत्वपूर्ण योजना है और ड्रीम प्रोजेक्ट है। पर मैंने जो प्रश्न किये हैं और विभाग ने जो उत्तर दिये हैं। उसमें मैं देख रहा हूं एक तो 2019-2020 में 10 करोड़ का बजट एलाट किया हुआ था, इस वर्ष 2020-21 में बजट एलाट किया था, वह बजट एलाट नहीं है। क्या वह योजना बंद हो गई एवं इसके बजट एलाट के संबंध में बता दीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, हमने 'क' के उत्तर में लिखा है कि इन घटाकों का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं के अभिसरण से किया जा रहा है। जहां विभाग के बजट के जरूरत है, उसमें विभाग का बजट है। लेकिन सारी योजनायें हैं, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी चारों के लिए अलग-अलग घटक में कौन-कौन सी योजना में कौन-कौन से विभाग का कितना पैसा खर्च हुआ, यह तो मैंने आपको परिशिष्ट में जानकारी दी हुई है।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आपने जो परिशिष्ट में जानकारी दी है। मैंने जानकारी चाही है कि इन योजनाओ के लिए केन्द्र से कितना बजट प्राप्त हुआ है और राज्य से कितना बजट है ? मैंने अलग-अलग जानकारी चाही है, आपने एकजाई जानकारी दे दी है, क्या उसको अलग से बताने का महत्व नहीं हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिएजो मद आवंटित होता है, उसी के अनुसरण में ये सारी योजनायें क्रियान्वित हैं। इन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अलग से कोई मद या बजट प्रावधानित नहीं है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक-दो छोटे प्रश्न हैं । आपने गौठानों के निर्माण पर जो जानकारी दी है । चूंकि यह इतना महत्वपूर्ण है, वर्ष 2018 से लेकर अब तक आपके लगभग 50 परसेंट कार्य अपूर्ण हैं, पूर्ण ही नहीं हैं । जो नोडल अधिकारी बनाये गये हैं क्या उसकी दिलचस्पी या रूचि इसको पूर्ण करने में नहीं है ? आप यह बता दीजिये इसको कब तक पूर्ण कर लेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सतत् प्रक्रिया है । हमने गौठान स्वीकृत किया, पहले हमने कहा था कि हमारे करीब 2200 गौठान कंपलीट हैं। आज आपने जब प्रश्न किया तब यह आंकड़ा उससे बढ़ गया है और जब हमने गोबर खरीदी गौधन न्याय योजना के अंतर्गत शुरू किया तो आंकड़े और बढ़ रहे हैं यह सतत् प्रक्रिया है, हमारा प्रयास है और आने वाले समय में सभी ग्राम पंचायतों में अगर वह हो जायेगा तो उसके बाद सभी ग्रामों में हम गौठान स्वीकृत करेंगे ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, अब तक के जो आंकड़े आपने दिये हैं वह लगभग 50 परसेंट आप अपूर्ण बता रहे हैं । यही, इतने ही अब आगे का और प्रस्तावित करेंगे और संख्या बढेगी, वह संख्या कब बढ़ेगी, कैसे होगा यह मुझे नहीं मालूम लेकिन जितने अभी आपने आंकड़े अपूर्ण की जानकारी दी वह कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह सतत् प्रक्रिया है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया में संख्या बढ़ सकती है । स्वीकृति की संख्या बढ़ सकती है लेकिन जो स्वीकृत हो चुके हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं कह रहा हूं न कि गौठान कितने कब पूर्ण होंगे उसकी एकदम निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है, शीघ्रातिशीघ्र ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्वीकृत हो चुके हैं । संख्या बढ़ने का प्रस्ताव हो गया, वह ठीक है लेकिन जो स्वीकृत हो चुके हैं, अधूरे पड़े हुए हैं उसको कब तक पूर्ण करेंगे चूंकि आपकी यही योजना पूर्ण नहीं हो पायी है और लगातार आप केवल स्वीकृत करते चले जायेंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आदरणीय डॉ. साहब का सम्मान करते हुए उत्तर दिया कि शीघ्र ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अच्छा ठीक है। धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्री सत्यनारायण शर्मा जी ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी जानकारी रख रहा हूं । वितरण में... ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय जी आसंदी की तरफ पीठ करके खड़े हो गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, आप इधर पीठ करके न खड़े हों ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आज पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, वे सुन भी नहीं रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है । आसंदी की तरफ कभी पीठ करके खड़े नहीं होते हैं यह तो परंपरा के विपरीत है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको दंड दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया भई । चलिये ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न बीज वितरण को लेकर है । यह जो बीज वितरण करने के लिये हैं, आपने बीज का एक लाख का लक्ष्य किया हुआ है लेकिन अभी तक आपने बीज वितरण की जो जानकारी दी है उसमें 34,092 लोगों का अभी तक बीज का वितरण नहीं हो पाया है । अब यह पूरा फसल चक्र का समाप्त ही हो रही है, अब उसका वितरण ही नहीं होगा तो ऐसे किसानों के लिये कैसे न्याय कर पायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप मुस्कुरा कर क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं ? (हंसी)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ताकि मेरा जवाब आ जाए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके मुस्कुराने का आशय यह है कि योजना अच्छी चल रही है कुल मिलाकर यह सब काम जल्दी-जल्दी हो जाए ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उन किसानों का क्या होगा जिनका वितरण ही नहीं हुआ है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- डॉ. साहब जन्मदिन मनाने गौठान में जाते हैं इसलिए हंस रहे हैं । डॉ. साहब उसी गौठान में जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाना शुरू किये हैं वहां अपना जन्मदिन मनाने जाते हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गाय के महत्व को जान रहा हूं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं इसीलिए इस बात को सम्मानपूर्वक कह रहा हूं कि आपने वहां अपना जन्मदिन मनाकर उस योजना को स्वीकारा ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर अव्यवस्था हो रही है। आपने जिन लोगों को नोडल अधिकारी बनाया वे लोग गंभीर नहीं हैं । यह योजना आने वाले समय में इनकी गंभीरता नहीं होने के कारण फेल हो जाएगी इसलिये माननीय मंत्री जी आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दें, यह प्रश्न इसीलिए लगाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, शर्मा जी को आने दीजिए ।

<u>प्रदेश में दलहन उत्पादन में वृद्धि हेतु कार्य योजना</u>

14. (*क्र. 155) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दलहन की मांग कितनी है ? मांग की तुलना में कितना दलहन उत्पादन होता है ? (ख) दलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कोई कार्य योजना है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रदेश की 2.55 करोड़ जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार) के लिए प्रतिवर्ष लगभग 698.06 हजार मे. टन दलहन की मांग रहती है. प्रदेश में वर्ष 2019-20 में लगभग 832.00 हजार मे. टन दलहन का उत्पादन हुआ. (ख) जी हां. प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिये विभिन्न राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है.

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने जनसंख्या वर्ष 2011 की मांग की तुलना में वर्ष 2019-2020 के उत्पादन को बताया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जाननाद चाहता हूं कि दलहन में उत्पादित अरहर, मूंग, चना, सोयाबीन, मसूर, तिंवरा आदि का अलग-अलग कितना उत्पादन है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा ।

प्रश्न संख्या : 15 XX XX

<u>अल्ट्राटेक सीमेंट रावण द्वारा सतही अधिकार के तहत ली गई भूमि</u>

16. (*क्र. 93) श्री प्रमोद कुमार शर्माः क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में स्थापित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट रावण द्वारा माइनिंग एरिया में सतही अधिकार के तहत कितनी जमीन ली गई है ? खसरा नंबर सहित रकबावार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश "क" के तहत कितने कृषकों

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

को उक्त क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हुई है व कितने कृषकों को क्षतिपूर्ति की राशि देना शेष है ? यदि हां तो यह राशि कब तक प्रदान की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में स्थापित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट रावण द्वारा माइनिंग एरिया में सतही अधिकार के तहत कुल 113.342 हेक्टेयर जमीन ली गई है. खसरा नंबर सहित रकबावार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) प्रश्नांश "क" के तहत 10 कृषकों को क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हुई है व 38 कृषकों को क्षतिपूर्ति की राशि देना शेष है. भू-स्वामियों द्वारा राशि लेने हेतु उपस्थित होने पर राशि भुगतान कर दी जावेगी.

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में आया है कि सतही अधिकार के तहत् 38 किसानों की क्षतिपूर्ति राशि अभी तक अप्राप्त है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि यह 20 साल पहले की राशि है, यदि आज आप भुगतान करेंगे तो कौन सी दर से करेंगे, किसानों के पिछले 20 सालों के ब्याज का क्या होगा ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी ज़मीन का अधिग्रहण होता है उस समय निर्धारित राशि प्रदान की जाती है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे सीमेंट प्लांट हैं, जो खदानों के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण करते हैं । पूरी जमीनें खरीदने के बाद कुछ आदिवासियों की जमीनें शासन की अनुमति के लिए भेजा गया है यह कहकर छोड़ दी जाती हैं । जबकि पूरे प्लांट को सतही अधिकार यह है कि 4 गुना पैसा देकर जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है । लेकिन ये प्लांट वाले मात्र इसलिए कि 4 गुना पैसा देना पड़ेगा, उस गरीब आदिवासी किसान की जमीन आज भी पड़ी हुई जिसमें वह किसान आज भी खेती नहीं कर पा रहा है, वह जमीन शासन की परमीशन के लिए रूकी हुई । क्या मंत्री महोदय इसके लिए कुछ पहल करेंगे ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- उसको दिखवा लेंगे, अध्यक्ष महोदय ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- धन्यवाद् ।

<u>जिला राजनांदगांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषकों का बीमा</u>

17. (*क्र. 278) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत वर्ष 2018-19 से 31 जुलाई 2020 तक राजनांदगांव जिले के कुल कितने ऋणी एवं अऋणी कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया ? फसलवार रकबा बतावें. (ख) प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि प्रति हे. कितनी तय की गई ? विकासखण्डवार रकबा एवं राशि बतावें. (ग) फसल क्षतिपूर्ति की राशि प्रभावित कृषकों को कब तक भुगतान कर दी जावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जानकारी [3]†† संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) एवं (ग) की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

---

[3] परिशिष्ट "सात"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो किसनों द्वारा बीमा कराया जाता है । मैं एक वाकया बताना चाहूंगा । भंडारपुर पंजाब नेश्नल बैंक है, वहां पर बैंक से बीमा कंपनी को पैसा चला गया, उनका इंस्टाल्मेंट चला गया लेकिन उसके बाद हमारे बहुत सारे किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल पाया । ऐसे लगभग 1400 किसानों का लगभग 28 लाख रूपया बीमा कंपनी को जाने के बाद पोर्टल में कुछ किसानों की एंट्री नहीं होने के कारण वह बीमा कंपनी 4 महीना पैसा रखने के बाद बैंक को लगभग 14 लाख रूपया वापस कर दी । आधे किसानों का बीमा हो पाया और आधे किसानों का बीमा नहीं हो पाया । लगभग 750 किसान आज भी बीमा के लिए बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ लोग मंत्री जी से मिलने आए थे, कुछ लोग मुझसे भी मिलने आए थे । ऐसे पोर्टल में जो हमारे किसानों की एंट्री नहीं हो पाई, क्या इन लोगों को हम बीमा का लाभ दिलवा पाएंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है । यदि किसानों ने प्रीमियम पटाया है उसके बाद भी अपलोड क्यों नहीं किया गया और किसानों को लाभ क्यों नहीं मिला । माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है । मैं जिला प्रशासन के कलेक्टर को या अपने विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर को भेजकर इस पूरे मामले को दिखवा लूंगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय मंत्री जी, जांजगीर-चांपा जिले में भी यही मामला है ।

<u>खारंग जलाशय के मरम्मत हेतु प्रावधानित राशि एवं व्यय</u>

18. (*क्र. 77) श्री शैलेश पाण्डे : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खारंग जलाशय के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में मरम्मत कार्य हेतु कितनी राशि का प्रावधान था ? इसके विरूद्ध कितनी राशि का आबंटन प्राप्त हुआ ? आबंटित राशि को किन-किन कार्यों में व्यय किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : खारंग जलाशय के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में मरम्मत कार्य हेतु रु. 539.35 लाख का प्रावधान था, जिसके विरूद्ध रु. 389.35 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ. आबंटित राशि में से रु. 311.83 लाख व्यय किया गया. कार्यवार विवरण [4]‡ परिशिष्ट परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया है । मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि परिशिष्ट में जो खारंग जलाशय में 28 कार्यों का उल्लेख किया गया है, इसमें मरम्मत कार्य के लिए पैसा आया था, उसमें निर्माण कार्य किया गया है । जल संसाधन मंडल बिलासपुर कार्यालय भवन के प्रथम तल का पार्टीशन किया गया है । ये सब चीजों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे मदों में पैसा खर्च किया गया है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसमें जांच का विषय नहीं है । आपने पूछा कि खारंग जलाशय में कितना खर्च किया । आपको तो खारंग से देर-सबेर पानी चाहिए । सारी व्यवस्थ तो मिशन अमृत के तहत बिलासपुर के लिए मुझे करना

[4] परिशिष्ट "आठ"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है । खारंग ठीक होगा तब तो बिलासपुर को पानी मिलेगा ना । इसमें यदि और कुछ अच्छा हो सके तो मुझे सुझाव दे देना ।

श्री शैलेश पाण्डे :- ठीक है ।

प्रश्न संख्या : 19 XX XX

जिला जांजगीर चाम्पा में रेडी टू ईट फूड संचालन हेतु आमंत्रित विज्ञापन

20. (*क्र. 501) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा में 1 मार्च, 2019 से आज तक रेडी टू ईट फूड संचालन हेतु कब-कब एवं जिला सेक्टर हेतु विज्ञापन निकाला गया है ? उक्त विज्ञापन में कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं प्राप्त आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई ? सेक्टरवार बतायें ? (ख) क्या उक्त विज्ञापन की चयन प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो दोषी अधिकारी कर्मचारी के ऊपर क्या कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : (क) दिनांक 01 मार्च 2019 से आज तक रेडी टू ईट फूड संचालन हेतु जिला स्तर पर दिनांक 10.02.2020 को 20 सेक्टर एवं दिनांक 30.07.2020 को 62 सेक्टर के लिये विज्ञापन जारी किया गया है. दिनांक 10.02.2020 को जारी विज्ञापन के विरूद्ध कुल 94 एवं दिनांक 30.07.2020 को जारी विज्ञापन के विरूद्ध कुल 04 आवेदन पत्र प्राप्त हुये. सेक्टरवार जानकारी [5]†† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. दिनांक 10.02.2020 को जारी विज्ञापन के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पर 12 सेक्टर हेतु महिला स्व सहायता समूहों की चयन सूची क्रमशः दिनांक 17.06.2020, दिनांक 19.06.2020, दिनांक 27.06.2020 एवं दिनांक 13.08.2020 को जारी की गयी. बाल विकास परियोजना अकलतरा के सेक्टर अकलतरा शहरी में न्यायालयीन प्रकरण होने के कारण आदेश जारी नहीं हुआ तथा दिनांक 22.07.2020 को बाल विकास परियोजना जैजैपुर के 07 सेक्टर का आवेदन को निरस्त किया गया. दिनांक 30.07.2020 को जारी विज्ञापन को दिनांक 11.08.2020 को निरस्त कर दिया गया, अतः उक्त विज्ञापन पर कृत कार्यवाही निरंक है. (ख) जी हां, महिला स्व सहायता समूह की चयन प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है. शिकायत की जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि 22.07.2020 को जैजैपुर सेक्टर के 07 रेडी-टू-ईट के लिए जो आवेदन थे उनको निरस्त कर दिया गया, 07 सेक्टर के समूह को । उसके बाद 11.08.2020 को पुन: निकाले गए विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है और अनियमिता की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर जांच प्रक्रियाधीन है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जांच प्रक्रियाधीन है, अनियमिता की शिकायत हुई है और एक बार निरस्त करने के बाद, पूरे जिले के उन्हीं अधिकारियों द्वारा पुन: क्यों विज्ञापन निकाला गया ।

[5] परिशिष्ट "दस"

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जो पुन: विज्ञापन निकाला गया । इनकी जानकारी मिली इसलिए अभी कार्यवाही चल रही है तो पुन: विज्ञापन नहीं निकालना है इसलिए निरस्त किया गया ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि शिकायतकर्ता मैं था, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सचिव स्तर के अधिकारी से इसकी जांच कराया । उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । लेकिन पुन: उसमें रेडी-टू-ईट आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी तो ऐसे अधिकारी जो उसमें लिप्त हैं, उनको हटाकर करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- विचार करिये ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हम दिखवा लेंगे ।

प्रश्न संख्या : 21	**XX**	**XX**
प्रश्न संख्या : 22	**XX**	**XX**
प्रश्न संख्या : 23	**XX**	**XX**

सिहावा विधान सभा क्षेत्र के बरबांधा जलाशय का जीर्णोद्धार

24. (*क्र. 556) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है, कि सिहावा विधानसभा क्षेत्र में बरबांधा बांध के जीर्णोद्धार के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में शामिल किया गया था ? यदि हां तो क्या जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों एवं कब तक किया जाएगा ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : "हां" यह सही है कि, सिहावा विधानसभा क्षेत्र में बरबांधा बांध (जलाशय) के जीर्णोद्धार के लिए इसे वर्ष 2018-19 के बजट के नवीन मद के लेखा शीर्ष 41/4702 (3828) में शामिल कर कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु रु. 1528.31 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत कियागया था. कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 31.03.2020 तक प्राप्त नहीं होने से जीर्णोद्धार कार्य नहीं कराया जा सका है. यह योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रावधानित होने के कारण वर्तमान में नियमानुसार बजट से विलोपित हो चुकी है. अब योजना को आगामी वित्त वर्ष के बजट में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया जावेगा. प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य किया जाना संभव होगा.

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा बरबांधा डेम है..।

अध्यक्ष महोदय :- एक प्रश्न और बचा है। आप जल्दी करिए।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- वह 15 साल से टूटा पड़ा है और इसके लिए बजट भी आ गया है। मैंने मंत्री महोदय से बात भी कर ली है और उसे अगले बजट में शामिल करने की बात कही गयी है, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को यह बताना चाहती हूं कि किसानों को उस बांध से दोहरा नुकसान है, क्योंकि जो खेत है, वह नदी के समान बन गया है और वे उससे फसल नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए यह बनाना बहुत जरूरी है और 400-500 हेक्टेयर जमीन है और इसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। चूंकि मेरा गांव भी वहीं पर है, इसलिए आये दिन किसान मेरे पास आकर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए। भाषण मत दीजिए। प्रश्न करिए।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- बस आप बना दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आश्वासन दे दिया है।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- मंत्री महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 25. अमितेश शुक्ल जी।

प्रश्न संख्या : 25 XX XX

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष जी, आज समय के पहले पूरे 25 प्रश्न हो गये हैं। आपको बहुत-बहुत बधाई। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष जी, नये सदस्यों को..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने तो आज कमाल कर दिया है कि 25 तक प्रश्न पहुंच गये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- और समापन भी आपने बहुत तेजी से किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और यह अच्छा हुआ कि मेरा प्रश्न नहीं था।

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि प्रश्नों का प्रथम चक्र पूर्ण हो गया और समय शेष है, इसलिए मैं प्रथम चक्र में अनुपस्थित माननीय सदस्यों के नाम पुन: पुकारूंगा, जो माननीय सदस्य उपस्थित होंगे, वे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

प्रश्न संख्या : 2 XX XX

प्रश्न संख्या : 11 XX XX

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, 3 मिनट बचे हैं। आप जल्दी प्रश्न करिए।

<u>जिला कोरबा में मछली उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन</u>

12. (*क्र. 538) श्री मोहित राम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोरबा में मछली उत्पादन के लिए कितने कृषकों को प्रोत्साहित किया गया है उन्हें प्रोत्साहन हेतु मत्स्य कीट में क्या-क्या दिया गया है ? (ख) मिनीमाता बांगों डेम में केज को कितने राशि में किराये पर दिया गया है एवं किनको यह केज दिया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जिला कोरबा में मछली उत्पादन के लिए 379 कृषकों को प्रोत्साहित किया गया है उन्हें प्रोत्साहन हेतु मत्स्य किट (सहायता) में निम्नानुसार सामग्री दिया गया है :—

(1) तालाबों की मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर अंगुलिका वितरण.

(2) मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन योजनांतर्गत स्पान प्रदाय.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(3) मत्स्याखेट सुविधा हेतु जाल प्रदाय.

(4) फुटकर मछली विक्रय योजनान्तर्गत आइस-बाक्स प्रदाय.

(5) तालाबों की मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने हेतु सीफैक्स वितरण.

(ख) मिनीमाता बांगो डेम में 48 नग केज वार्षिक लीज राशि रु. 401786.00 पर श्री इरसाद खान पिता श्री अब्दुल जब्बार खान, वार्ड नं. 06, जंगल पारा, नगरी जिला धमतरी (छ.ग.) को 10 वर्षीय लीज पर प्रदाय किया गया है.

श्री मोहित राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से खूंटाघाट डेम के संबंध में एक प्रश्न पूछा था जो कि जो मत्स्य विभाग के संबंध में है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या कौन सा था ?

श्री मोहित राम :- 12

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री मोहित राम :- चूंकि मुझे उत्तर मिल गया है तो भी मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करूंगा कि मंत्री जी बांगो डेम बहुत बड़ा है, जिसमें हम मछली पालन से ही संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कोरबा जिले में स्थित है। कोरबा जिले के किसान को उसमें से एक बुंद पानी भी अपासी के लिए नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पाली-तानाखार में स्थित है। चूंकि किसानों को पानी की अति आवश्यकता है। इसलिए मेरा निवेदन था कि मछली पालन से ही हमारे किसानों का हित नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आगामी बरसात के बाद एक बार निरीक्षण करने आये और हमारे विधान सभा के लिए पानी की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय :- डेढ़ मिनट का पूरा उपयोग करें।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, हम लोग जो प्रतिनिधि बनाने जा रहे हैं, उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका पूरा डेढ़ मिनट बचा है। आप उसका पूरा उपयोग कीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सदस्य का जो सुझाव है, उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- पूरा डेढ़ मिनट का उपयोग कर लीजिए। डेढ़ मिनट बचा है। उन्हें पूरा संतुष्ट कर दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- डेढ़ मिनट का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- वे डेढ़ मिनट में संतुष्ट हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर।

श्री मोहित राम :- मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे निश्चित रूप से पाली-तानाखार विधान सभा क्षेत्र को पानी उपलब्ध करायेंगे। धन्यवाद।

<u>राज्य शासन की फ्री होल्ड योजना के तहत शासकीय भूमि का निजी भूमि में परिवर्तन</u>

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

15. (*क्र. 481) श्री शिवरतन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य शासन की फ्री होल्ड योजना क्या है तथा किस नियम के अंतर्गत शासकीय भूमि को निजी भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : राज्य शासन द्वारा पट्टे पर आधारित भूमि को राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क पट्टेदार द्वारा जमा करने पर पट्टे की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किया जावेगा. इसके उपरांत पट्टे में उल्लेखित शर्तें समाप्त हो जायेंगी तथा वह पट्टेदार उस भूमि के संबंध में पूर्णरूपेण भूमिस्वामी होगा. राज्य शासन की इसी योजना को सामान्य भाषा में फ्री होल्ड योजना कहा जाता है. राज्य शासन द्वारा भूमि/राजस्व के संबंध में जारी निर्देशों का "संकलन राजस्व पुस्तक परिपत्र" है. भूमि का बंटन राजस्व पुस्तक परिपत्र में वर्णित निर्देशों के तहत की जाती है. भूमि बंटन एवं पट्टों में उल्लेखित शर्तें राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जाती है इसी के तहत राज्य शासन द्वारा यह योजना भूमि स्वामी हक में परिवर्तन प्रारंभ की गई है.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फ्री हेल्ड स्कीम है, उसमें दरों के निर्धारण की प्रक्रिया किन-किन क्षेत्रों के लिए किस प्रकार निर्धारित है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, नगर-पंचायत, नगर-निगम, नगर-पालिका जो 4 श्रेणी हैं उसकी दर किस प्रकार किसके द्वारा निर्धारित की गई है और योजना की अवधि क्या है ? कब से कब तक लागू है।

श्री जय सिंह अग्रवाल :- कौन सा प्रश्न है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- 15 वां प्रश्न है। प्रश्नकाल खत्म हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12.00 बजे **<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>**

(1) छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखता हूं ।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2020 की प्रतिवेदक संख्या 01)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2020 की प्रतिवेदक संख्या 01) पटल पर रखता हूं ।

(3) राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 02)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 02) पटल पर रखता हूं।

(4) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961)

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 15-25/15-2/2020/2, दिनांक 17 अगस्त, 2020 पटल पर रखता हूं ।

(5) छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक प्रतिवेदक एवं लेखे वर्ष 2018-2019

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2018-2019 पटल पर रखता हूं ।

पृच्छा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां पर हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूं कि जैसे मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को नौकरी में प्राथमिकता देने की बात शुरू हुई है, तेलांगाना और अन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार की बात हुई है । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अभी सरकार की तरफ से बहुत बड़ी संख्या में भर्ती होनी है तो ऐसा कुछ नियम सुनिश्चित किया जाना चाहिए और कड़े नियम बना दिए जाएं, ताकि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार लड़कों को यहां की नौकरियों में उनका अधिकार सुरक्षित हो सके । मैं आशा करता हूं कि अगर आप विचार करेंगे और यह निर्णय लेंगे तो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी और वे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पा सकेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा, बस आपसे यही आग्रह है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों को खाद बीज की कमी हो रही है, यूरिया नहीं मिल रहा है, जिन किसानों को टोकन दिए गए, उनका धान नहीं खरीदा गया और यहां तक कि यह स्थिति हो रही है कि कवर्धा में 35 सौ किसानों का धान उनके कोठारों में सड़ रहा है और हालत यह है कि माननीय खाद्यमंत्री जी के क्षेत्र में उनको अधिकारियों को फटकारना पड़ता है । सूरजपुर, बलरामपुर के लोग यूरिया खरीदने के लिए अम्बिकापुर आ रहे हैं, परन्तु 8-8, 10-10 दिन तक उनको यूरिया नहीं मिल रहा है और लगभग 55 हजार लोगों का के.सी.सी. कार्ड नहीं बना है, उनके कारण सोसायटियों के माध्यम से उनको यूरिया नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं विचार कर रहा हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है । माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं । हर बार सरकार मानीटरिंग करती थी कि यूरिया की क्या स्थिति है, डी.ए.पी. की क्या स्थिति है, कितनी केन्द्र सरकार दे रही है, कितना नहीं मिल रहा है, डबल लॉक में, सिंगल लॉक में कितना पहुंचा है, परन्तु यह सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है और उसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में किसान परेशान हैं, बस्तर में परेशान है । बस्तर क्षेत्र के दुरूह क्षेत्र के लोग कहां से खेती करेंगे, अगर उनको यूरिया, खाद, पेस्टी साईड नहीं मिलेगा, नकली पेस्टी साईड मिलेगा तो वे कहां से खेती करेंगे । आपसे इस बात का आग्रह है कि इस पर में हम लोगों ने स्थगन दिया है, आपसे आग्रह है कि आप उसमें चर्चा कराएं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इस पर विचार कर रहा हूं, मुझे विचार तो कर लेने दीजिए ।

समय :
12:05 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय बृजमोहन जी ने जो विषय उठाया, सिर्फ यूरिया की कमी का सवाल नहीं है । कल माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि हम सब किसान हैं, किसानों के लिए कुछ भी कर सकते हैं । अभी नाईट्रोजन डालने का समय है और नाईट्रोजन नहीं है । आज समाचार-पत्र में आया है कि आपके विद्वान संसदीय कार्यमंत्री एक कम्पनी पकड़कर लाये हैं, जिसका 1 किलो डी.ए.पी. 45 किलो यूरिया के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बराबर काम करता है। वह ऐस काम करता है, यह अभी अधिकारियों को मालूम नहीं है। ऐसे फर्जी कम्पनियां, किसान जैसे ही समाचार-पत्रों में शिकायत करते हैं, उसमें किसानों का नाम भी छपा है, तो वह कम्पनी गायब हो जाती है। उसमें कार्रवाई हो जाती है और ये महान क्षमतावान कृषिमंत्री को मालूम नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, हाइब्रिड बीज के बारे में छपा है कि हाईब्रिड के मामले में एक किसान का नाम है कि अभी बाली निकल गई है। माननीय सभापति महोदय, ये जांजगीर के विधायक बैठे हैं, सबने कहा कि 12 हजार से ज्यादा हैक्टेयर में जर्मिनेशन ही नहीं आया है। यूरिया की कमी है, बीज नहीं है। अभी मुझे एक किसान ने बताया कि हम लोग जब पहले डी.ए.पी. डालते थे तो डी.ए.पी. नीचे बैठ जाता था और घुल जाता था। अभी जब डी.ए.पी. डाल रहे हैं तो वह जाकर कोने में, किनारे में जाकर एकत्र हो जा रहा है और वह नहीं घुल रहा है। ऐसा ये स्पेशल डी.ए.पी. कहां से पकड़कर लाये हैं ? यह किसानों की सरकार है। इसमें सब काम रोककर अभी तत्काल चर्चा करानी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने स्थगन दिया है। अभी यूरिया को लेकर जो परिस्थिति है, पूरे प्रदेश में यूरिया संकट की स्थिति है। मैंने सोसायटियों का भी दौरा किया है। अभी रायगढ़ जिले की यही स्थिति है। मंत्री जी बता रहे हैं कि पिछले साल से ज्यादा खाद आपूर्ति किए हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, उनको थोक के भाव यूरिया दी जा रही है और जिनके पास जमीन है, उनको यूरिया नहीं मिल रहा है। हमारी लगातार 15 साल की सरकार में एक दिन भी यूरिया का शार्टेज नहीं आया था। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी है, यूरिया की कालाबाजारी शुरू हो गई है। आज किसानों को दुकानों से ज्यादा रेट पर यूरिया खरीदना पड़ रहा है। यह पूरे प्रदेश की स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने स्थगन दिया है और आप स्थगन को स्वीकार करके चर्चा कराईये।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है और इसके पहले जो बारिश हुई है, उसके कारण किसानों के जो मिट्टी के घर बने हुए थे, वे घर ढह गये हैं। सब्जियों की फसलें चौपट हो गई हैं। उसके बाद रेला में धान खराब हो गये हैं। प्रापर सर्वे नहीं हुआ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी तो पानी छोड़े नहीं हैं, कहां खेत खराब हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं बता रहा हूं। सर्वे की बात आई तो अभी तखतपुर में राजस्व विभाग के द्वारा सर्वे कराकर के 4100 रूपया दिया गया है। वह 4100 रूपये में दीवाल उठायेगा या उस राशि बल्ली खरीदेगा या उस राशि बांस खरीदेगा या उस राशि से खपरा खरीदेगा ? राजस्व मंत्री जी बैठे हुए हैं। राजस्व मंत्री जी आप 4100 रूपया देंगे, 3100 रूपया देंगे तो उससे उसको कोई लाभ नहीं होगा। वास्तव में जो गरीब हैं, जिनका मकान बरसारत के कारण गिर गया है और यदि आप कोई क्षतिपूर्ति राशि दे रहे हैं तो कम से कम वह गरीब आदमी अपना मकान खड़ा कर ले, उनको कम से कम इतनी राशि तो मिल जाये। हमारे यहां सहगांव में सल्फा के किनारे में मनिहारी नदी के पानी के कारण उनके पूरे घर डूब गये। उसके बाद उनकी जो सब्जी की फसलें थीं, वे चौपट हो गई हैं। यहां माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, राजस्व मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। आप अपने हृदय को थोड़ा सा बड़ा करके आदेश और निर्देश करें, जिससे उनको कुछ लाभ हो सके।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संसदीय कार्यमंत्री (महिला एवं बाल विकास मंत्री से सम्बद्ध) (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के नुकसान के बारे में मैं भी आग्रह करना चाहूंगी। जो मुआवजे की राशि में अंतर है, उसके लिए भू राजस्व संहिता में संशोधन की आवश्यता पड़ेगी।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चाम्पा) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ पदेश में सरकार के प्रति किसानों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है। आक्रोश और गुस्सा इसलिए है क्योंकि नकली खाद और बीज की समस्या है, वहां पर जो बीज मिल रहा है, वह अंकुरित नहीं हो रहा है। नकली बीज दिए जा रहे हैं। इसलिए इस प्रदेश में किसानों के साथ सरकार के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा खुले रूप से धोखाधड़ी की जा रही है। माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर हैं, जांजगीर-चांपा जिले में डुप्लीकेट कीटनाशक दवाईयों का अवैध कारोबार हुआ है। करीब 19 करोड़ रूपये की किसानों से ठगी की गई है। हमने इस पर स्थगन दिया है कृपया इसे स्वीकार करके चर्चा करायें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- माननीय सभापति महोदय, आज रात को मेरे विधानसभा क्षेत्र मस्तुरी जो कि अरपा नदी, लीलागर नदी और शिवनाथ नदी से घिरा हुआ है वहां रात में बहुत वर्षा हुई है जिससे कई गांव और कई खेत डूब गए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश मेरे जिला प्रशासन को चला जाए। मेरे जिले के प्रभारी मंत्री जी भी हैं मेरे जिले के प्रभारी मंत्री जी का भी आवश्यक दिशा-निर्देश चला जाए। मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र जो लीलागर, अरपा नदी से घिरा हुआ है उसके आसपास के 25-30 गांव पूरे डुबान में आ गये हैं। करीब 30-40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। कृपया आपका आवश्यक दिशा-निर्देश चला जाए।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :-सभापति महोदय, जांजगीर जिला सबसे ज्यादा सिंचित जिला है और सबसे ज्यादा धान की खेती जांजगीर जिले में होती है।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- देखो सौरभ भैय्या, आप आज बोल रहे हैं न, अभी अजय जी और नारायण चंदेल जी ने कहा न कि 12 हजार हेक्टेयर में बीज अंकुरित नहीं हुआ है, अब धान खरीदी में उन्हीं गांवों की जानकारी मुझे बताना कि वहां बीज अंकुरित नहीं हुआ है, वहां धान बिकेगा या नहीं बिकेगा।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- सभापति महोदय, वहां पर यूरिया की बहुत जबरदस्त शार्टेज है। डबल लॉक में यूरिया उपलब्ध नहीं है, मार्कफेड में भी यूरिया उपलब्ध नहीं है और उसके बाद जो यूरिया उपलब्ध है वह व्यापारियों के पास यूरिया उपलब्ध हो जा रही है। वहां के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वह व्यापारियों को माल दे दे रहे हैं और मार्कफेड को यूरिया नहीं दे रहे हैं। तो यूरिया की जो गंभीर शार्टेज है इस पर हमने स्थगन सूचना दी है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय बांधी जी जिस बात को बोल रहे थे मेरा विधानसभा क्षेत्र और बांधी जी का विधानसभा क्षेत्र नदी के इस पार और नदी के उस पार है। कल रात की घटना है, नीको विस्तार संयंत्र पूरा डूब गया है। कल कांग्रेस पार्टी का एक नेता, हमारा पड़ोसी एक बच्चा लोगों को बचाते हुए वहां पर रात को शहीद हो गये। इतना पानी भर गया था करके उनका पैर स्लीप हो गया और सुबह उनकी शहादत हो गई। अभी भी यह परिस्थिति है कि पूरा का पूरा प्लांट डूबा हुआ है, तीन गांव डूबे हुए हैं और लोग अपनी छतों पर हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर कुछ व्यवस्था प्रदान करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि अभी 3 तारीख तक और बारिश होगी। स्थिति भयानक है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। वह अपने स्तर पर तो प्रयास करेंगे ही, हो सकता है कि निर्देश जारी कर दिये होंगे लेकिन मेरा आग्रह है कि निर्देश केवल वहीं तक सीमित न हो बल्कि जिनका मकान टूटा है, देर रात तक उनका फोन आता रहा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई गांव खाली करने पड़े हैं और बहुत सारे लोगों का मकान टूटा है। तो उनकी क्षतिपूर्ति आपके राजस्व परिपत्र 6(4) के अंतर्गत जो भी प्रावधान होगा, पटवारी को मौके पर भेजकर दिलवाने की कृपा करेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में लाईट व्यवसाय के संचालकों के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है। उनका साऊंट सर्विस सब बंद हो गया है। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि सभी संचालकों के साउंड सर्विस और लाईट की व्यवस्था को अनुमति दी जाए जिससे उनको रोजी रोटी की समस्या से मुक्ति मिल सके।

समय :
12:14 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)**

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसानों को जो ऑनडिमांड पंप कनेक्शन मिलता है उसमें संभागीय स्तर पर टार्गेट तय कर दिये गये हैं और पहले टार्गेट तय नहीं होता था। इसके चलते वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी बहुत सारे पंप कनेक्शन चाहे वह बिलासपुर का हो या पूरे प्रदेश का हो, किसानों का पंप कनेक्शन जो स्थायी कनेक्शन के लिए देते थे उसमें बहुत सारी पेन्डेन्सी आ गई है और इसके कारण अस्थायी कनेक्शन लेने में दिक्कत हो रही है और वोल्टेज की प्राब्लम आ रही है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग भी हैं इस ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने भी किसानों का पंप कनेक्शन इन कारणों से पेन्डिंग है उनके लिए प्रयास करके उनको स्थायी कनेक्शन देने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। मैं यह ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में खाद, बीज, बिजली, इनको लेकर पूरा प्रदेश परेशान है।

उपाध्यक्ष महोदय :- बैठिये-बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी..। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूं, मैं आपका ही स्थगन पढ़ रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- खाद, बिजली नहीं मिल रही है। इसके ऊपर हम चाहते हैं कि तुरंत चर्चा करायी जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:15 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश के किसानों को अमानक खाद, बीज एवं रासायनिक दवाईयों का वितरण

अध्यक्ष महोदय :- प्रदेश के किसानों को अमानक खाद, बीज एवं रासायनिक दवाईयों के वितरण के संबंध में 15 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

प्रथम सूचना	-	श्री अजय चंद्राकर, सदस्य
दूसरी सूचना	-	श्री नारायण चंदेल, सदस्य
तीसरी सूचना	-	डॉ. रमन सिंह, सदस्य
चौथी सूचना	-	श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
पांचवी सूचना	-	श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
छटवीं सूचना	-	श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
सातवीं सूचना	-	श्री सौरभ सिंह, सदस्य
आठवीं सूचना	-	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
नवमीं सूचना	-	श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
दसवीं सूचना	-	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
ग्यारवीं सूचना	-	श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
बारहवीं सूचना	-	श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
तेरहवीं सूचना	-	श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
चौदहवीं सूचना	-	श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
पन्द्रहवीं सूचना	-	श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

चूंकि श्री अजय चंद्राकर, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अतः उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

प्रदेश के किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिये पूर्व शासनकाल से अनेक प्रकार की मुहिम चलायी जा रही है, किन्तु वर्तमान में समस्या दूर होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान में किसानों को सभी प्रकार के फसलों के लिये खाद, बीज एवं कीटनाशक की आपूर्ति की गयी, जिससे बेहतर गुणवत्ता वाली अच्छी फसल का उत्पादन हो सके। किन्तु किसानों के लिये छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम द्वारा करोड़ों रूपये की रासायनिक खाद की आपूर्ति कृषि विभाग को की गयी, जिसकी गुणवत्ता की जांच तक करना मुनासिब नहीं समझा आपूर्ति करने वाली खाद कंपनियों ने छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में टेस्ट कराने के बजाय स्वयं की ही लैब या अन्य प्राइवेट लैब से गुणवत्ता का प्रमाण पत्र बनवा लिया, इससे भी दुर्भाग्यजनक ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम व कृषि विभागों द्वारा उस निम्न गुणवत्ता की खाद के वितरण हेतु उस कंपनी को सहमति देने के साथ-साथ भुगतान भी कर दिया गया और सरकार इस घटना का उजागर होने पर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कागजों पर लीपापोती करने लगी है, ऐसा प्रतीत होता है कि जिन कंपनियों द्वारा घटिया खाद सप्लाई की गयी है, उनसे शासन व प्रशासन के साथ सांठ-गांठ है। धान बीज की गुणवता के संबंध में गाईड लाईन के मुताबिक शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से टेस्ट कराने के बाद ही वितरण करने का निर्देश है, इसके बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम व शासन-प्रशासन ने इन कंपनियों से निम्न गुणवत्ता की खाद क्रय कर किसानों को वितरण किये जिसका परिणाम पूरे प्रदेश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इन बीजों का बिना डी.एन.ए. टेस्ट किये प्रदेश के किसानों में वितरित कर दिया गया। फलस्वरूप करोड़ों रूपये का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। जांजगीर-चांपा जिला के नवागढ़ तथा जैजेपुर ब्लाक में किसानों ने लगभग 12,000 एकड़ खेतों में सोसायटी से प्राप्त धान बीज बोये जो अंकुरित ही नहीं हुए, पूरे प्रदेश के किसान इस नकली बीज का शिकार हो रहे हैं। पूरे राज्य में एक्सपायरी डेट वाली करोड़ों की कीटनाशक दवाईयों की बिक्री धड़ल्ले से फल-फूल रही है, "सत्या कंपनी-- जैसी कई कंपनी है जो दवाईयों में एक्सपायरी डेड के ऊपर नया लेबल चिपकाकर किसानों को बिक्री कर रहे हैं। सरकार कार्यवाही करने के बजाये चुप्पी साधी हुई है। सरकार प्रदेश के किसानों के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है। हालात दिन-प्रतिदन बिगड़ते ही जा रहे हैं।

अत: इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- उपाध्यक्ष जी, यह सही नहीं है कि छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा करोड़ों रूपये की रासायनिक खाद की आपूर्ति कृषि विभाग को की गई, अपितु वास्तविकता यह है कि छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा रासायनिक खादों के खरीदी-बिक्री की कार्यवाही ही नहीं की जाती है। अत: इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता व भ्रष्टाचार करने संबंधी कथन मिथ्या है।

यह कहना सही नहीं है कि छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा हीं कोई नकली बीजों का वितरण किया गया है। वास्तविकता यह है कि छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम में जुड़े उन्नत कृषकों, स्वयं द्वारा संचालित कृषि फार्म में उत्पादित एवं छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित उन्नत बीज ही कृषकों को आपूर्ति की जाती है।

इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय बीज निगम, हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड एवं अन्य राज्यों के बीज निगम एवं पंजीकृत सोसाइटियों से भी प्रमाणित बीज क्रय कर इसी आपूर्ति किसानों को की जाती है। अत: यह कहना सर्वथा उचित नहीं है कि छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अमानक बीज कृषकों को वितरण किया गया है। जहां तक बीजों के डी.एन.ए टेस्ट का प्रश्न है, यह टेस्ट केवल हाइब्रिड बीजों में ही किया जाता है। छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा इसके लिए दर अनुबंध (आर.सी.ओ.) जारी किया जाता है।

जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ तथा जैजेपुर विकासखंड में किसानों द्वारा लगभग 12000 एकड़ खेतों में बोए गए सहकारी समितियों से प्राप्त धान बीज में अंकुरण नहीं होने संबंध कथन भी तथ्यहीन है। इस संबंध में दिनांक 20.07.2020 को समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए जांच कराई गई। जांच दल द्वारा विकासखंड नवागढ़ एवं जैजेपुर के विभिन्न ग्रामों में खेतों का निरीक्षण कर

किसानों से बयान लिए गए, जिसमें पाया गया कि विकासखड़ नवागढ़ के ग्राम तुलसी के कुछ कृषकों द्वारा सेवा सहकारी समिति मर्यादित तुलसी से कुछ 26 बोरी स्वर्णा किस्म की धान बीज का क्रय किया गया था, जिसमें से 13 बोरी के बीजों को गलत तरीके से भिगोए जाने का करण उनमें अंकुरण कम पाया गया, परंतु खेत में फसल अच्छी अवस्था में है। इसके अतिरिक्त सेवा सहकारी समिति मर्यादित तुलसी से ग्राम किरीत एवं विकासखंड नवागढ़ के ग्राम पिस्दा के किसानों द्वारा सेवा सहकारी समिति मर्यादित केरा से स्वर्णा किस्म का धान बीज क्रय किया गया था, परंतु उनमें अंकुरण की कमी नहीं पाई गई तथा फसल भी अच्छी अवस्था में पाए गए।

जबकि विकासखंड जैजेपुर के ग्राम करही में जांच के दौरान केवल एक कृषक से ही अंकुरण में कमी की शिकायत प्राप्त हुई जिसके खेत का निरीक्षण करने पर पाया गया कि बुवाई के पश्चात् लगातार वर्षा का पानी खेत में भरे रहने एवं जल निकासी न होने के कारण बीज सड़ गया तथा अंकुरण कम प्राप्त हुआ। यही स्थिति ग्राम देवरामठ एवं ग्राम झरप के एक-एक कृषक के खेत में भी पाई गई, तथा अन्य कृषकों के खेतों में अंकुरण में कमी संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

यह भी सही नहीं है कि राज्य में एक्सपायरी डेट वाली करोड़ो का कीटनाशक दवाईयों की बिक्री का गोरखधंधा सत्ता के संरक्षण में धड़ल्ले से फल फूल रहे है, सत्या जैसी कोई कंपनी है जो दवाईयों में एक्सपायरी डेट के ऊपर नया लेबल चिपकाकर किसानों को बिक्री कर रहे है। अपितु सही यह है कि सत्या कंपनी नामक कोई भी संस्था छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के आर.सी.ओ. अंतर्गत अनुबंधित ही नहीं है। छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से सप्लाई की जाने वाले पौध-संरक्षण औषधियों का विभागीय कीटनाशी निरक्षकों द्वारा नियमानुसार नमूना लिया जाकर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं में परीक्षण करवाया जाता है। यदि आदान सामग्रियों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो स्कन्ध को जब्त कर इसके वितरण पर रोक लगाने के साथ-साथ संबंधित प्रदायक या कंपनी के विरूद्ध आर.सी.ओ. में निहित शर्तों के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाहियां की जाती है। अत: सरकार पर कार्यवाही न करने, भ्रष्टाचार के विरूद्ध चुप्पी साधने एवं किसानों के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं रहने संबंध आरोप निाधार है, तथा किसान व जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त होने जैसी कोई भी बात नहीं है। अत: उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में स्थगन प्रस्ताव अग्राहय करने योग्य है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा प्रदेश में यूरिया नहीं मिल रहा है। पूरे प्रदेश में हाहाकार है। माननीय मंत्री जी कम से कम आपको अपने जवाब में बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में यूरिया की क्या स्थिति है, क्या यूरिया की कमी है। सरकार क्या कर रही है आपको इसके बारे में जवाब देना चाहिए, लेकिन आपने किसी भी प्रकार का कोई यूरिया, डी.ए.पी. के बारे में कुछ नहीं बताया।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।आप बैठिए, सुनिये। शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसानों को बिजली नहीं मिल रही है उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। आप कुछ नहीं बता रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाए गए)समय :

12:24 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में 25 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद ही अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

उपाध्यक्ष महोदय :- पहले क्रमांक (1) से (2) तक की सूचनाएं ली जावेगी। (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- धान खरीदी में कालाबाजारी हो रही है। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को नकली बीज मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ धोखा हो रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर में चर्चा करवाई जाये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- वनांचल क्षेत्र के किसान परेशान है। उनको यूरिया नहीं मिल रही है। यूरिया की कालाबाजारी हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। यह किसानों साथ छल है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा करा दीजिए, यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह महत्वपूर्ण विषय है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहिए कि प्रदेश में यूरिया उपलब्ध करवाने के लिए सरकार क्या कर रही है? जब किसानों का धान नहीं खरीदा गया है, उसको खरीदने के लिए क्या कर रही है? किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? 55 हजार लोगों के के.सी.सी. कार्ड नहीं बने हैं, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? इस सरकार की नीति के कारण पूरे प्रदेश का किसान परेशान है। मंत्री परेशान है, यूरिया संकट के कारण मंत्री को सड़क पर उतरना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने स्थगन को अग्राह्य कर दिया है और यह कोई चर्चा करने का विषय नहीं है। चूंकि शासन का वक्तव्य आ चुका है, उस पर चर्चा करने की कोई बात नहीं है। डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी जी अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

समय :

12:26 बजे

बहिर्गमन

स्थगन को ग्राह्य न किये जाने के विरोध में।

(नेता प्रतिपक्ष, श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा स्थगन ग्राह्य न किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

समय :

12:28 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(1) बिलासपुर जिले के बेलगहना क्षेत्र अंतर्गत चाटापारा एनीकट निर्माण में अनियमितता की जाना।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी जी (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- बिलासपुर जिले के बेलहगना क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई विभाग द्वारा अरपा नदी में 07 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित चाटापारा एनीकट वर्तमान में विवादों के घेरे में है। इसके निर्माण के समय से ही गुणवत्तायुक्त सामग्री का उपयोग नहीं किये जाने तथा निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं की शिकायत हुई थी। पूर्व में भी यह एनीकट हुदहुद तूफान के आने से हुई बारिश से टूट गया। जिसे बाद में 40 रुपये खर्च कर मरम्मत कराया गया था। इस निर्माण कार्य में भी अनियमितता बरतने की शिकायत की गई। इस एनीकट का रखरखाव संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होती है और विभाग की घोर लापरवाही होने के कारण हाल ही में 24 जुलाई 2020 को हुई हल्की बारिश के कारण एनीकट बह गया। एनीकट बह जाने के पश्चात भी जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी निरीक्षण करने नहीं पहुंचे। क्षतिग्रस्त एनीकट की स्थिति अत्यन्त भयावह है और उसमें हुए भ्रष्आचार के प्रमाणों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए क्षेत्रवासियों में शासन एवं प्रशासन के विरूद्ध भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

जल संसाधन मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- बिलासपुर जिले के बेलगहना क्षेत्र के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा अरपा नदी में रुपये 710.28 लाख की लागत से चांटापारा एनीकट का निर्माण किया गया है। एनीकट की प्रशासकीय स्वीकृति सितंबर 2009 में रुपये 750.30 लाख की प्रदान की गई थी। एनीकट का निर्माण फरवरी 2010 में प्रारंभ कर मार्च 2013 में पूर्ण किया गया था। यह कहना सही नहीं है कि यह एनीकट विवाद के घेरे में है, अथवा इसके निर्माण काल से ही इसमें गुणवत्ताविहीन सामग्री के उपयोग और अनियमितता की शिकायत हुई थी।। वस्तुत: एनीकट निर्माण के दौरान ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। यह सही नहीं है कि एनीकट पहले वर्ष 2014 में ही हुदहुद तूफान से हुई बारिश में टूट गया था। वस्तुत: एनीकट प्रथम बार 2015 की बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

था। तत्समय में एनीकट के डाऊन स्ट्रीम फ्लोर के नीचे से कुछ रिसाव देखा गया था। एनीकट का रखरखाव विभाग की जिम्मेदारी है इसी के दृष्टिगत विभाग द्वारा रुपये 40.44 लाख व्यय कर एनीकट की मरम्मत की गई थी। इसमें निर्माण एजेन्सी से राजसात किए गए रुपये 30.23 लाख भी सम्मिलित है। वर्ष 2016 में मरम्मत किए गए स्थान से अन्यत्र स्थान पर हुई क्षति को ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से ऊपरी तौर आशिंक मरम्मत किया गया था। यह सत्य है कि हाल ही में जुलाई 2020 में हुई वृष्टि की वजह से पुन: एनीकट को क्षति पहुंची है । परंतु यह सही नहीं है कि डायफ्राम वाल का निर्माण नहीं किया गया है यह संभव है कि डायफ्राम वाल निर्माण पश्चात् नदी के भूमिगत प्रवाह के कारण कुछ क्षतिग्रस्त हो गई हो क्योंकि डायफ्राम वाल का निर्माण सतह से 5-6 मीटर नीचे तक होता है अत: इस पर टीप जांचोपरांत ही संभव है । परंतु यह कहना उचित नहीं है कि एनीकट क्षतिग्रस्त हो जाने के पश्चात् भी जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण करने नहीं पहुंचे । अपितु संबंधित कार्यपालन अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 04.08.2020 को निरीक्षण किया गया है । एनीकट को हुई क्षति के कारणों का परीक्षण एवं जांच की जा रही है । अत: विभाग की घोर लापरवाही कहा जाना सही नहीं है । यह कथन भी सही नहीं है कि भ्रष्टाचार के प्रमाणों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है । अत: क्षेत्रवासियों में शासन एवं प्रशासन के विरूद्ध रोष एवं आक्रोष व्याप्त होने की बात निराधार है ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि सर्वप्रथम यह बेलगहना के पास सक्तीबेहरा ग्राम पंचायत में बना है जहां इसके द्वारा सिंचाई करने के लिये एक भी एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं है। जंगल के बीच में एक बहुत ही सी ग्रेड कांट्रेक्टर जो बेलगहना के निवासी हैं श्री शिवप्रसाद पटेल जिन्होंने मैं सोचती हूं कि अन्य किसी भी जगह कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया होगा, एनीकट का उनको कोई अनुभव नहीं था । विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें या किसी और को उपकृत करने के लिये यह 07 करोड़ की राशि प्रदान की गई और चूंकि यह जंगल के बीच में बना है, मैंने स्वयं इसका निरीक्षण किया है और पेपर में पढ़ा है । मेरे साथ श्री शैलेश पांडे जी ने भी उस स्थान का निरीक्षण किया है तो वह भी उस बारे में जानकारी दे सकते हैं । उस समय ई.एन.सी. श्री तिवारी थे उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि वह मरम्मत हो जाएगी । मैं यह भी आपके संज्ञान में ला दूं कि जब अरपा भैंसाझार की योजना बन रही थी तो उससे मात्र 05 किलोमीटर पहले यह एनीकट बनाने का अरपा नदी में ही कोई औचित्य ही नहीं था क्योंकि भैंसाझार जो करीब 06 अरब की योजना थी उसमें तो यह सब हिस्सा डूब में आता ही तो क्या आप जो अधिकारी और ठेकेदार जिन्होंने बहुत ही निम्न स्तर का कार्य किया है और शायद पहली और आखिरी बार उन्होंने यह बांध बनाया है किसको उपकृत करने के लिये विभागीय अधिकारियों को या जो भी संबंधित थे तो कृपया इसकी दोबारा जांच कराईए और इसकी तह में जाईए क्योंकि क्षेत्रवासियों को वाकई में लगता है कि पैसे का और हम लोगों के शासन और छत्तीसगढ़ की जनता के पैसों का पूरा दुरूपयोग स्पष्ट दिखता है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, उनको भी प्रश्न करने दीजिए और एक साथ उत्तर दे दीजियेगा ।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चाटापारा का जो एनीकट है यह पूरी तरीके से अपाहिज हो चुका था और जब कोई चीज अपाहिज हो जाती है, दिव्यांग हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज्यादा देखभाल करनी चाहिए थी । जब वर्ष 2013 में एनीकट बना और फिर वर्ष 2016 में टूटा फिर एक-बार

मरम्मत हुई फिर टूटा । इतनी बार वह टूट चुका था कि जब मैं निरीक्षण करने गया तो मैंने देखा कि उसमें किस प्रकार से गुणवत्ताहीन कार्य किया गया है, मेडम जो कह रही हैं कि निम्न स्तर का जो ठेकेदार था बेलगहना का तो वाकई बात सही है और वहां पर दो प्रकार की कमियां थीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि एक तो उस एनकीट में टेक्निकल फाल्ट था वह सही नहीं बनाया गया था । माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी चूंकि आप अरपा नदी को लेकर इतना बड़ा भागीरथी प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार से यदि एनीकट टूट जायेगा तो यह अच्छी बात नहीं है । जब वह एनीकट बना या कोई बैराज बनता है या कोई डेम बनता है तो हम नीचे तक उसको गड्ढ़ा करते हैं, हम ड्रीलिंग करते हैं, चेक करते हैं कि कहां तक हार्ड है ।

अध्यक्ष महोदय :- संक्षिप्त में, आप प्रश्न तक सीमित रहिए ।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी में आ रहा हूं । यह जो एनीकट बनाया गया है इसमें डायफ्राम वाल जो 14 मीटर की बननी थी । वह 14 मीटर की डायफ्राम वाल बनी ही नहीं वह 12 मीटर की बनी इसलिये रिसाव नीचे से हुआ और जब रिसाव नीचे से हुआ तो वह कमजोर हो गया और कमजोर हुआ तो वह टूट गया और उसके बाद मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि दिनांक 15.04.2017 को फिर से साढ़े 3 करोड़ रूपए मांगे गए थे । साढ़ 7 करोड़ खर्च हो चुके हैं, 40 लाख खर्च हो गए, उस ठेकेदार का 30 लाख राजसात किया और फिर से साढ़े 3 करोड़ मांगा । यह भारतीय जनता पार्टी के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए । मैं समझता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है । आरोप लगाने के लिए जो प्रक्रिया है, माननीय सदस्य उसके तहत आएं । या फिर उसके पास दस्तावेज हैं तो उसको क्लीयर करें । केवल यह कहने से कि इसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, यह सदन की परम्परा नहीं है । यदि आरोप लगाना है तो प्रक्रिया में आएं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- इसमें प्रक्रिया क्या, क्या यह आपके शासनकाल में नहीं हुआ । माननीय चंद्राकर जी क्या आपका शासनकाल नहीं था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं भी उसी तरह से कह देता हूं कि इनके कार्यकाल में ऐसा हुआ, उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ, नाम भी ले देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, वे पहले विधायक हैं समझ लेंगे ।

शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं यह चाहता हूं कि इसमें जो ठेकदार है, आपने उसको काम दिया और उसने काम नहीं किया, पहली गलती ठेकेदार की है तो आपने उसकी राशि राजसात की । इस एनीकट के टूटने के बारे में मेरी दो मांगे हैं पहली यह कि इसमें मेंटेनेंस नहीं किया और मेंटेनेंस नहीं करने के कारण वह टूट गया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए । दूसरी बात - यह एनीकट इतनी अच्छी जगह बना हुआ था, इतनी सुंदर जगह बना हुआ था, मैं वहां निरीक्षण करने गया, वाकई वहां उसकी जरूरत थी इसलिए बनाया गया था । वहां पर एक एनीकट की आवश्यकता भी है इसलिए मैं चाहता हूं कि उसमें एक एनीकट का प्रावधान करने या घोषणा करने का कष्ट करें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आप ही को धन्यवाद् दूंगा। मध्यप्रदेश की विधान सभा में पंडित श्रीनिवास तिवारी हमारे अध्यक्ष होते थे तो जिस मंत्री के लिए वे बहुत प्रसन्न होते थे उनका प्रश्न भी लगता था, उनका स्थगन भी लगता था, उनके विभाग का ध्यानाकर्षण भी खूब लगता था । आज लगता है कि मेरे लिए आप बहुत प्रसन्न हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- निश्चित रूप से मैं बहुत प्रसन्न हूं । चूंकि मैं जानता हूं कि आप सबसे अच्छा उत्तर दे सकते हैं और आज अंतिम दिवस है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, इसका मतलब यह है कि बाकी लोग अच्छा उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अजय जी, आप कहां बात को ले जा रहे हो भई ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जोक..(हंसी)..जोक ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह आपत्तिजनक है । हम लोगों ने भी सफेद शेर के साथ काम किया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, आप माननीय चौबे जी से श्रीनिवास तिवारी सरीखे खुश तो नहीं हैं ना (हंसी)।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनके साथ हम लोग थे । लेकिन आपका आशय यह है कि इनके अतिरिक्त बाकी लोग ठीक से उत्तर नहीं दे सकते ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं...नहीं, मेरा यह आशय नहीं था ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, हमको आपत्ति इस बात पर है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह बहुत टॉटिंग-वे में कहा है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अरे, सम्मान में कहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नहीं, सम्मान में नहीं कहा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आप वहां बैठकर भले ही हंस लें । आप भी समझ रह हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- लो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सफेद शेर की जो आदत थी, वह आपकी भी है क्या।

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष जी, चन्द्राकर जी से कहें कि वे पॉजिटिस सोचना चालू कर दें, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल चल रहा है ।

श्री नारायण चंदेल :- चौबे जी का अर्थ दुभाषिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज अरूण जी उत्तेजित नहीं हैं ।

श्री अरूण वोरा :- मेरी उम्र देख लो । उम्र के हिसाब से तो ठीक बोलो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको तो बिना दंत का, बिना जुबान का कबीरहा शेर समझकर ऐसे टॉट किया जा रहा है । अगर कोई दूसरे अध्यक्ष होते तो ऐसा टॉट करने की हिम्मत नहीं होती । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बड़े प्रेम से, जैसा कि हम छत्तीसगढ़ में बोलते है मिठलबरा, ऐसा बनकर आप पर इतना गहरा टॉट किया है । उसको आपको समझने की जरूरत है कि उन्होंने क्या टॉट किया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि रींवा के मामले में उन्हें सफेद शेर कहा जाता था, आपको भी जांजगीर जिले तक सीमित तो नहीं कर दिया गया है । हमने सुना है, दिग्विजय सिंह जी ऐसा बोलत थे । ऐसा तो नही है ।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा नहीं है, आप चिंता न करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज आपने जो कहा है बहुत से नये सदस्य उसको नहीं समझ रहे हैं (हंसी) । इसलिए हम चाहते हैं कि आप ज़रा स्पष्ट कर दें कि आपने अध्यक्ष जी की किस प्रकार की तारीफ की है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये बोल रहे हैं कि आप थोड़ा बता दीजिए कि आपके और अध्यक्ष जी के बीच कैसा प्रेम है । महंत जी और चौबे जी वाला प्रेम है या श्रीनिवास तिवारी और चौबे जी वाला प्रेम है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मध्यप्रदेश की विधान सभा में हमारे बहुत सारे मित्र और हम सब लोग बैठे थे, हमने देखा है कि उनका कितना सम्मान था । जब हमने पहली बार पूछा कि आप पहली बार विधायक कब बने थे तो डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्म दिवस के पहले ही वे विधायक बन गये थे । इतना सम्मान । वे 1952 के पहले विधायक थे । इसलिए अध्यक्ष जी मैंने आपको वह दर्जा दिया । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, अभी एक दिन चर्चा हो रही थी कि श्रीनिवास तिवारी जी की इसी सत्र में चर्चा हो रही थी। शायद अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि श्रीनिवास तिवारी जी के कितने घंटे भाषण देने का रिकार्ड है। 14 घंटे का है। अध्यक्ष जी से बोलना है कि मैं 17 घंटा भाषण देने को तयार हूं और वह रिकार्ड तोड़ना चाहता हूं पर अब 17 घंटे का सत्र कैसे होगा ? इस पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह सम्मान की बात थी।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री रविन्द्र चौबे :- और आपने अवसर दिया तो हम लोगों को अवसर मिलता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा सम्मान आप कभी स्वीकार मत कीजिए। (हंसी)
सम्मान है तो सीधे-सीधे व्यक्त करें। आपका खुद का अपना व्यक्तित्व है। यह सफेद शेर कहां से आ गया? यहां तो आप शेर का शिकार कर ही रहे हो। यह और भी गंभीर बात है। वह अवैध शिकार के दायरे में तो नहीं आ गये हैं। सरकार द्वारा हंटिंग तो नहीं हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, शुरू करिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमारे दोनों सदस्य आदरणीय रेणु भाभी जी ने महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण उठाया है और शैलेश जी ने सपोर्ट किया। इस ध्यानाकर्षण पर जब सरकार नयी बनी थी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के रूप में महाराज साहब उधर बैठते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके बगल में बैठते थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, बगल में नहीं बैठते थे।

श्री रविन्द्र चौबे :- उस पक्ष में बैठते थे। तो इसी ध्यानाकर्षण पर और इसी एनीकट पर और जिस तारीख को वह डैमेज हुआ उस पर काफी लंबी चर्चा हुई थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- महाराज साहब और उसके बगल में बैठते थे, वे भी महाराज साहब की तरह उपेक्षित थे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- बृजमोहन जी ने उत्तर दिया था। लगभग वही एनीकट है। वही निर्माण है। अब दो प्रश्न अलग-अलग हो गये। भाभी जी ने कहा कि सबसे खराब और गलत जगह में बना है। अरपा भैंसाझार का जो बैक वाटर है, वह वहां तक पहुंचता है। केवल 4 या 5 किलोमीटर ऊपर है। शैलेश जी ने कहा कि बहुत खुबसूरत जगह में बना है। पर खुबसूरत और गलत जगह का मतलब नहीं है। उसका उपयोग और सदुपयोग क्या हो सकता था? सिंचाई के लिए क्या हो सकता था? मैं पुराने समय की कोई बात नहीं कहूंगा। अजय जी आपत्ति करते हैं। कितने एनीकट बने ? कितने एनीकट बह गये? कितने रह गये? कितना करोड़ खर्च हुआ? लेकिन बने। डाउन स्ट्रीम में अरपा भैंसाझार है, वह अभी 10 हजार हेक्टेयर में सिंचाई कर रहा है। इस साल हमारी कोशिश है कि 5 हजार हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई हो तो अरपा में जो पानी का फ्लो है और जो पानी है, उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। जहां तक सवाल है कि जब दूसरी बार उसके लिए 3 करोड़ 55 लाख की मांग की गई थी और 7 करोड़ का एनीकट बह गया तो उसकी राशि तब भी स्वीकृत नहीं हुई थी और अब भी नहीं हुई है। आपने कहा कि विकलांग का बहुत देखभाल किया जाता है। यह तो लगभग इतना डैमेज हो गया कि अब देखभाल करने की भी स्थिति नहीं है। दो-तीन बाते हैं। तीन-तीन बार मरम्मत के बाद भी यह क्यों बह गया? दूसरी बात, भाभी जी ने कहा कि निर्माण में, गुणवत्ता में कमी पायी गयी। तो निश्चित रूप से अगर विभाग का या सरकार का 7-7 करोड़ रूपया खर्च हुआ है तो उसमें डाय फ्रॉम वाल किस तरीके से लगना था और नहीं लग पाया, उसमें क्या यूज किया गया? भाभी जी, आपने मांग की तो मैं अपने इंजीनियर-इन-चीफ को भेजकर उसकी पूरी जांच कराउंगा, उसके बाद जो तथ्य आयेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- मैं यह कहना चाहती हूं कि जैसा आपने आश्वासन दिया है कि आप ईमानदारी से जांच करायेंगे और उस समय के जो दोषी ठेकेदार हैं या अधिकारी हैं, उन पर कुछ कार्रवाई भी करेंगे। जैसे कल मोहम्मद अकबर जी ने तत्परता से धर्मजीत जी के प्रश्न के संबंध में की है। आप भी बहुत सक्षम मंत्री है..।

श्री रविन्द्र चौबे :- भाभी जी, मसला दोनों अलग-अलग है। वहां जो अचानकमार पर धर्मजीत भैय्या ने जो प्रश्न उठाया था, वह बिल्कुल दूसरा मामला है। ये निर्माण, एजेंसी, गुणवत्ता, ठेकेदार, इंजीनियर इस प्रकार की बाते हैं। मैंने कहा न कि हमारे इंजीनियर-इन-चीफ वहां जाकर जांच करेंगे और जो भी उसकी रिपोर्ट आयेगी, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बृजमोहन जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, माननीय चौबे जी, आप जिस एनीकट की बात कर रहे हैं कि गुणवत्ता की बात आयेगी। हम लोग अभी भी मामला उठायेंगे और आप भी उठाते रहेंगे, लेकिन मुझे उसका लाभ देखने को मिला है। मेरा विधान सभा का क्षेत्र वृष्टिछाया का क्षेत्र है। मतलब पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई की बात छोड़ दीजिए । एनीकट बनने से यह लाभ हुआ कि सारे प्रदेश में वाटर लेवल रिचार्ज हुए और दूसरी बात कुछ समय पहले हमारे प्रदेश की नदियां सूख गई थीं, सीरीज में एनीकट बनने के बाद में गर्मी के समय में आप जाएंगे तो पूरे नदियों में आपको पानी दिखाई देगा । वह केवल एनीकट का परिणाम है और आज लोग एनीकट की मांग

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

क्यों कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने एनीकट को देखा है तो उसकी गुणवत्ता, उसके लाभ क्या हैं, आने वाले समय में उसका क्या लाभ मिलेगा ? यह सही बात है कि वह टेक्निकल है, उसमें टूट-फूट भी होगी । गुणवत्ता की कमी भी होगी, उसकी जांच भी होगी, लेकिन जो एनीकट की शुरूआत हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी यह बंद होने वाली नहीं है, आपसे लगातार मांग करते रहेंगे और आप गुणवत्ता के साथ बनाईए और लोगों की मांग को पूरा कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद । बृजमोहन अग्रवाल जी, आप दूसरा ध्यानाकर्षण पढ़िए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, सरफेस वाटर का उपयोग ज्यादा हो, इसमें काम चल रहा है । एनीकट से सरफस वाटर का उपयोग बढ़ा है, बहुत सारी पेयजल योजनाएं बनी हैं । आप हमारी आलोचना कर लीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरफेस वाटर का उपयोग बढ़े, उसका उपयोग हो, इसके लिए आप कोई दूसरी वैकल्पिक योजना ले आएं, कोई समस्या नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आलोचना नहीं की, लेकिन आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही । निश्चित रूप से खारून नदी, शिवनाथ नदी, मनियारी नदी पूरी भरी रहती है, लेकिन अप स्ट्रीम में जब-जब भी पानी की कमी होगी तो हम लोगों को वाटर सोर्स बनाना पड़ेगा, ताकि नदियों में अगर एनीकट बना है तो भरा रहता है तो वाटर रिचार्ज भी होगा और वाटर सप्लाई के लिए आप जो कह रहे हैं, उसके लिए भी और मिशन अमृत, जल जीवन, जल शक्ति योजना पता नहीं केन्द्र सरकार की सारी योजनाएं हैं, हम सारे प्रस्ताव भेज रहे हैं और निश्चित रूप से जहां अच्छा एनीकट बना है, उसकी प्रशंसा है, लेकिन यह तो किसी पर्टिक्यूलर एनीकट के बारे में दोनों का ध्यानाकर्षण है इसलिए मैंने कहा कि उसमें जांच करवाएंगे ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से निवेदन करना चाह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय पांडे जी, आज अंतिम कार्यदिवस है, डिस्टर्ब न करें, प्लीज़ । काम करने दीजिए, आज की कार्यसूची बहुत लंबी है, समय बहुत ज्यादा लगेगा । बृजमोहन अग्रवाल जी अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे ।

(2) प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन होना

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण), (श्री नारायण चंदेल) (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:- 20 जून, 2020 को रेत माफिया ने धमतरी के जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव को दिन दहाड़े जोरा तराई रेत खदान पर कपड़े उतरवाकर मुर्गा बनाया तथा बेल्ट, राड एवं डंडों से बेरहमी से 3 घंटे तक पिटाई की और जान लेने की कोशिश की । धमकी देने वाले एवं मारपीट करने वाले ज्यादातर गुंडे उत्तरप्रदेश निवासी हैं । खूबलाल ध्रुव का दोष इतना था कि वह जोरा तराई वे अवैध रेत खनन के खिलाफ आवाजउठा रहा था । प्रदेश में रेत माफिया ने यही गुंडा गर्दी कर रखी है। रेत के दाम दो-गुने से चार गुने कर दिये हैं । सब कुछ राज्य शासन के संरक्षण में हो रहा है । राज्य शासन ने रेत उत्खनन की नीति में परिवर्तन कर अवैध कारोबार को फलने-फूलने का अवसर दिया है । रेत माफिया के चलते गांवों एवं शहरों में प्रधानमंत्री आवास के योजना के तहत होने वाले निर्माण कार्यों की लागत बढ़ गई है। गांव-गांव में शासकीय एवं निजी निर्माण कार्य बंद

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

हो गए हैं, ठेकेदारों ने रेत के दाम को देखकर सरकारी निर्माण कार्य भी रोक दिया है । इस नीति से सीधे-सीधे गरीब जनता की पाकिट पर बोझ बढ़ रहा है । 04 मई, 2020 को रानी तराई, खारून नदी का एनीकट को खोलकर रेत माफियाओं द्वारा पानी बहाकर रेत का उत्खनन चालू किया गया । पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर नदियों से मशीन के माध्यम से रात-दिन रेत की अवैध निकासी की जा रही है । वहीं पैरी नदी से रेत उत्खनन, मानपुर एवं कुथरेल जिला दुर्ग, कोरबा के बरमपुरम, खुज्जी, राजनांदगांव, महानदी पर राजिम, आरंग, महासमुन्द, अरपाघाट, हंसदेव नदी इत्यादि जगहों पर प्रशासन के संरक्षण में अवैध रेत खदान का खुलेआम संचालन किया जा रहा है । 19 मई, 2020 को राजनांदगांव जिले के खदानों से अवैध उत्खनन की जानकारी ग्रामीणों द्वारा किये जाने के बाद भी खनिज विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की । इस तरह प्रदेश के हर नदी, नाले पर रेत माफिया ने कब्जा कर रखा है और शासन/प्रशासन मौन है । इससे प्रदेश की जनता में राज्य शासन के खिलाफ आक्रोश एवं रोष व्याप्त है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 18 जून, 2020 को धमतरी के जिला पंचायत सदस्य श्री खूबलाल ध्रुव एवं उनके साथियों के द्वारा ग्राम जोरातराई रेत खदान में रात्रि 11.00 बजे निरीक्षण किया जा रहा था। उस दौरान रेत खदान में कार्यरत ठेकेदार के व्यक्तियों द्वारा मारपीट की घटना की गई। मारपीट करने वाले दोषियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा दिनांक 19.06.2020 को 14.10 बजे धारा- 392, 395, 294, 323, 506, 147, 148, 149, 342 भा.द.वि. एवं धारा 3(1)(ड), 3(1)(द), 3(1)(घ), 3(2)(व्ही) एस.सी./एस.टी एक्ट के अपराध पंजीबद्ध कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा प्रकरण पुलिस विवेचना में लंबित है। खनिज विभाग द्वारा भी धमतरी जिले के जोरातराई रेत खदान से दिनांक 19.06.2020 को अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर 2 चैन माउण्टेन मशीन एवं 12 हाईवा जब्त किया जाकर रेत उत्खनन पट्टाधारी को अनुबंध शर्तों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर विधिवत खनिज नियमों के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में रेत माफिया सक्रिया है तथा रेत के दाम दोगुने से चार गुने कर दिए हैं। वस्तुस्थिति यह है क नवीन रेत नीति की घोषणा अगस्त 2019 में किए जाने के उपरांत दिनांक 10.06.2020 तक प्रदेश के 27 जिलों में रेत खदान प्राप्त करने हेतु जिलास्तर पर संयुक्त जांच कमेटी द्वारा सीलिंग प्राइज खदानवार निर्धारित किया जाकर नीलामी (रिवर्स बीडिंग) के माध्यम से खदान आवंटन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई। अब तक कुल 297 रेत खदानों हेतु एन.आई.टी. जारी किया जाकर समस्त 297 निविदाएं खोली जा चुकी है। जिसमें से 213 रेत खदानों में पर्यावरण सम्मति प्राप्त हो चुकी है। जिसमें से 208 खदानों में अनुबंध निष्पादन किया जाकर 171 खदानों में अभिवहन पास जारी किया जा चुका है। वर्तमान में 55 खदानों में पर्यावरण सम्मति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है। वर्षा ऋतु में रेत के भण्डारण हेतु राज्य में कुल 107 भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत किए गए हैं। जहां से नियमानुसार रेत का परिवहन किया जा रहा है तथा रेत के मूल्यों में नियंत्रण किया जा सका है।

यह कहना सही नहीं है कि दिनांक 04 मई, 2020 को रानीतराई खारून नदी के एनीकट को खोलकर रेत माफियाओं द्वारा पानी बहाकर रेत का उत्खनन चालू किया गया। वास्तविकता यह है कि दिनांक 04 मई, 2020 को खनिज निरीक्षक द्वारा वाहन क्रमांक सी.जी.07-बी.ई.-7483 को 14 घन मीटर रेत अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने पर जब्त कर थाना रानीतराई जिला दुर्ग में अभिरक्षा में रखा गया था। रेत कांकेर जिले के साधूनवागांव से लाई जा रही थी। प्रकरण में रूपये 14,00/- शास्ति आरोपित कर जमा कराई गई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

यह कहना सही नहीं है कि जिला गरियाबंद, दुर्ग, कोरबा, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुन्द, बिलासपुर आदि जिलो में प्रशासन के संरक्षण में अवैध रेत खदानें खुलेआम चल रही है तथा यह भी कहना सही नहीं है कि अवैध उत्खनन की शिकायतें प्राप्त होने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तथा पर्यावरण नियमों को अनदेखी कर नदियों से मशीन के माध्यम से रात-दिन रेत की अवैध निकासी की जा रही है। वस्तुस्थिति यह है कि रेत खनन में एन.जी.टी. तथा पर्यावरण विभाग द्वारा जारी समस्त शर्तो का पालन कराया जा रहा है तथा विभाग द्वारा लगातार रेत खदानों की जांच की जा रही है तथा अवैध उत्खनन, परिवहन पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदेश में 01 जनवरी, 2020 से 31 जुलाई 2020 तक रेत के अवैध उत्खनन के 47 प्रकरण दर्ज कर रूपये 28 लाख 50 हजार तथा अवैध परिवहन के 2320 प्रकरण दर्ज कर रूपये 02 करोड़ 62 लाख 90 हजार समझौता राशि वसूल किया जा चुका है। अत: यह कहना सही नहीं है कि प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तथा खनिज विभाग जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग की सांठगांठ से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है।

प्रदेश में रेत उत्खनन/परिवहन का कार्य पूरे प्रशासनिक नियंत्रण में किया जा रहा है। अत: यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश की जनता में राज्य शासन के खिलाफ रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अभी तक सुना था कि प्रदेश में और देश में शराब माफिया काम करता है। परन्तु छत्तीसगढ में रेत माफिया काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने इसी सदन में आपसे कहा था कि मुख्यमंत्री जी, आपके जिस प्रकार के टेण्डर हो रहे हैं, उसमें शराब के ठेकेदार आकर रेत के टेण्डर डाल रहे हैं। जैसे शराब में सौ-सौ, दो-दो सौ, पांच-पांच सौ टेण्डर डाले जाते थे, वैसे ही शराब के ठेकेदार बेरोजगार हो गय है, इसलिए वे आकर रेत के टेण्डर डाल रहे हैं, उसमें शराब के ठेकेदार आकर रेत के टेंडर डाल रहे हैं। जैसे शराब में 100,200, 500 टेंडर डाले जाते थे वैसे ही शराब के ठेकेदार आकर क्योंकि वह बेरोजगार हो गये हैं वह रेत के टेंडर डाल रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ में रेत माफिया पैदा होगा। आज हमारे धमतरी जिले में वहां के आदिवासी जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत के सदस्य खूबलाल ध्रुव को पीटा जाता है। और इतना पीटा जाता है कि निर्वस्त्र करके उनकी फोटो खींची जाती है। उनको लेटाया जाता है और यह समझकर कि वह मर गये उनको छोड़कर चले जाते हैं। अभी 03 दिन पहले जांजगीर जिले में एस.डी.एम. की गाड़ी को हाईवा के माध्यम से ठोंका गया। प्रदेश में यह क्या हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के लिए बाकी चीजें चलेंगी लेकिन जो रेत है इसे गरीब आदमी भी उपयोग करता है। प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, प्रधानमंत्री अवास के लिए जिस रेत को गांव का आदमी 500 रूपये ट्रेक्टर ट्राली में खरीद लेता था, वह उसे आज 5000 रूपये में नहीं मिल रही है। यदि आज छत्तीसगढ़ में निर्माण के काम अच्छे चलते हैं तो हमको कई प्रकार के टैक्स मिलते हैं और पूरा बाजार जीवित होता है। आज ऐसी हालत हो रही है कि पूरे प्रदेश में आज बलरामपुर जिले में, माननीय श्री टी.एस.सिंहदेव जी कहते हैं कि रेत के अवैध उत्खनन यदि हो रहा है, यदि रेत के दाम बढ़ रहे हैं तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। श्री टी.एस.सिंहदेव बोले कि रेत खनन करने वाले अफसरों पर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरे प्रदेश के विधायक कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे मालूम है आप बोल रहे हैं कि प्रश्न पूछें। परंतु मैं छत्तीसगढ़ की जनता के दर्द को बताना चाहता हूं। आज रायपुर शहर में पहले महंगी से महंगी रेत 5 हजार रूपये में मिलती थी, आज वह रेत 25 हजार रूपये में मिल रही है। रेत जैसे क्षेत्र में गांव-गांव क्षेत्र के लोगों को जब जरूरत होती थी तो अपने झऊंआ

भरकर, ट्राली भरकर रेत ले आते थे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने कभी सुना है कि रेत के लिए लोगों के साथ मारपीट हो? बरसात में रेत की खुदाई पर प्रतिबंध कब से लग जाता है, बरसात कब से शुरू हो जाती है? अभी भी रेत की खुदाई क्यों हो रही है?

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको भाषण का रूप मत दीजिए न, प्रश्न के रूप में पूछिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि कहीं पर खुदाई नहीं हो रही है, लेकिन मेरे पास तीन दिन पहले के, चार दिन पहले के, पांच दिन पहले के चित्र हैं कि 100 ट्रैक्टर खुदाई कर रहे हैं, 50 हाईवा खुदाई कर रहे हैं। जगह-जगह लोगों से लूटमार किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम इस प्रदेश के हित के लिए क्योंकि रेत के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में तो हमने सुना है परंतु छत्तीसगढ़ में रेत माफिया तैयार हो जाएं इससे हमें छत्तीसगढ़ को बचाना होगा। क्या रेत की खुदाई भी छत्तीसगढ़ के नौजवान नहीं कर सकते? क्या छत्तीसगढ़ के नौजवानों को रेत का ठेका नहीं मिल सकता? क्या छत्तीसगढ़ के नौजवान इस लायक नहीं कि वह रेत का ठेका ले सकें? अगर शराब ठेकेदार रेत के ठेके में आयेंगे तो छत्तीसगढ़ का नौजवान कैसे रेत का ठेका लेगा। हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जोरातराई कि घटना में किसके-किसके ऊपर में कार्रवाई की गई, कौन-कौन पकड़े गये और वह लोग किस राज्य के हैं? अगर वह छत्तीसगढ़ के नहीं हैं तो वह यहां पर आकर क्या कर रहे थे?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने लंबा-चौंड़ा भाषण दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि धमतरी जिले के राजपुर समूह-बी जिसमें तीन खदानें, राजपुर, ढाबा, जोरातराई खदानें हैं वह आशीष डहरिया, निवासी- जोरा, रायपुर को आबंटित की गई है। जिनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं:- रमनदीप सिंह, गुरूदीप सिंह, राजेश तिवारी, अवधेश सिंह, करण जोशी, श्याम कुमार गुप्ता, जसवीर सिंह, गुरूवचन सिंह, प्रहलाद कुंजाम, नागेन्द्र ऊर्फ नागू चन्द्राकर, तुलसीराम यादव। इन सबके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसमें जो धारा लगी है लूट, डकैती, अश्लील गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, बंधक बनाना, बलवा और एस.सी.-एस.टी. एक्ट यह सारी धारायें उन पर लगी हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये लोग कौन से राज्य के रहने वाले हैं? मैंने यह पूछा था कि यह कौन से राज्य के रहने वाले हैं?

श्री भूपेश बघेल :- आपने जो ध्यानाकर्षण लगाया था उसमें उत्तर में यह लिखा था कि एक भी आदमी उत्तरप्रदेश के नहीं हैं। ये सब मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरा बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में मध्यप्रदेश के लोग यहां पर हैं। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता जो छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं उन्होंने अपने आदमियों को भेजकर यहां पर रेत की खदानें दी हैं। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- ये तो भाषण दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ये तो गलत बात है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- नाम मत ले लेकिन इस प्रकार से भाषण नहीं होगा। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, नियम प्रक्रिया जानते हैं..।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने कांग्रेस के नेता का जिक्र किया।

श्री भूपेश बघेल :- एक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, आप तो भाषण दे रहे हैं, वरिष्ठता के हिसाब से आपने भाषण दे दिया ठीक है। एक बार दे दिया, उसके बाद फिर दूसरी बार भाषण देना शुरू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में बरसात में क्या रेत की खदानों को खोदने के लिये परमिशन दिया गया है ? सरकार रेत के नियंत्रण करने के लिये क्या कर रही है, क्या सरकार इस काम को करेगी कि जिनको स्टाप का परमिशन दिया है, वह रेत को सीमित रेट पर बेचें, क्या सरकार इसकी कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एन.जी.टी. की नियमों का पूरा पालन हो रहा है, 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक रेत खदान बंद रहता है और जो यह कहा रहा है कि कार्यवाही नहीं की गई तो हमने 2300 से अधिक प्रकरण दर्ज किये हैं। इनके शासनकाल में तो मेरे पास आंकड़े हैं, 1800 से ज्यादा प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं। इस 6 महीने में हमने 2300 प्रकरण दर्ज करके कार्यवाही किये हैं। आपके समय में 1800 है। आप बता दीजिए, आपने वर्ष 2018-19 में साल भर में 1800 प्रकरण दर्ज किये। हमारे शासनकाल में 6 महीने के भीतर में 2300 प्रकरण दर्ज किये हैं और कार्यवाही की है। जिसके बारे में मैंने लिखित में उत्तर दे दिया है। दूसरी बात, रेत की दर की बात है। अध्यक्ष महोदय, अभी जितने भी रेत खदान हैं, उसमें 107 रेत खदान हैं, उसके लिए अनुज्ञा जारी की गयी है, जिससे वे बरसात में भी रेत संग्रहित कर सकते हैं। मैं आपको रेट बता देता हूं। रायपुर में प्रति हाईवा 10-12 हजार रूपये, महासमुंद में 10 हजार रूपया, बलौदाबाजार में 6-7 हजार रूपया प्रति हाईवा मिल रहा है। धमतरी में 7500-8000 रूपये है, कांकेर में 7 हजार रूपये है, जांजगीर-चांपा में 6-10 हजार रूपये प्रति हाईवा है। बिलासपुर में 10-12 हजार रूपये है, रायगढ़ में 5-7 हजार रूपये है, कोरबा में 8 हजार रूपये है, बलरामपुर में प्रति ट्रैक्टर 1500 है, सूरजपुर में 2 हजार रूपये प्रति ट्रैक्टर है, दंतेवाड़ा में 5 हजार रूपये है, सूरजपुर में 12-15 हजार रूपये प्रति हाईवा के हिसाब से पूर्ति की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री नारायण चंदेल।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरी तरह असत्य जानकारी है, मैं रायपुर में रहता हूं। रायपुर में कम से कम 20 हजार रूपये और ज्यादा से ज्यादा 30 हजार रूपये तक में रेत मिल रही है। आप रायपुर में 10-11 हजार रूपये रेट बोल रहे हैं, रायपुर में नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास के काम बंद हैं। कम से कम गांव के लोगों को अपने उपयोग के लिये अगर रेत निकालनी है तब भी ठेकेदार अपने उपयोग के लिये रेत निकालने नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, आपको छत्तीसगढ़ के मामले में इसमें निर्णय लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की नदियों की रेतें छत्तीसगढ़ में निर्माण के काम होंगे, तो सरकार को टैक्स मिलेगा और ये माफियागिरी बंद होकर हमारे छत्तीसगढ़ के लोग ही रेत को निकालें। आज सूरजपुर में 10-12 हजार रूपये क्यों हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- श्री नारायण चंदेल, नहीं पूछना चाहते हो।

श्री नारायण चंदेल :- पूछ रहा हूं ना।

अध्यक्ष महोदय :- क्यों नहीं पूछ रहे हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्योंकि सूरजपुर की रेत उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश जा रही है और एक-एक लाख रूपये में बिक रही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपकी संवेदनशीलता को जागृत करने के लिये..।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि रेत की माफियागिरी छत्तीसगढ़ में बंद होनी चाहिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही...।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार कह रहे हैं कि इतने साल तक रेत खदान कहां से चल रहा था ?

श्री धरमलाल कौशिक :- पंचायत से।

श्री भूपेश बघेल :- वे कौन चला रहे थे..।

श्री धरमलाल कौशिक :- पंचायत वाले।

श्री भूपेश बघेल :- पंचायत चला रहे थे, तब परिवहन नहीं होता था। किसकी-किसी हुई जांच करवा लें ? कौन करा रहा था ? ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उस समय अव्यवस्था बहुत थी, रायल्टी बिल्कुल नहीं मिल रहा था, आपको 13 करोड़ रूपये रायल्टी मिलती थी। अभी तो केवल हमने निविदा बुलाई है, उसी में 18 करोड़ रूपये मिला है और साल भर में हमको 50-60 करोड़ रूपये राजस्व प्राप्ति होगी और पंचायतों को जो पहले मिलता था उसमें 25 प्रतिशत बढ़ाकर देंगे। (मेजों की थपथपाहट) पूरा एन.जी.टी. के नियमों का पालन हो रहा है। रेत खदान की स्वीकृत उसी हिसाब से हो रही है। एक-एक प्रकरण भेजा जा रहा है। जहां तक ग्राम पंचायत निर्माण की बात है, आप सदन को गुमराह मत करिये। पंचायतों को उसकी छूट है, उसमें उससे पैसा नहीं लिया जा रहा है, पंचायतों के निर्माण कार्य के लिये छूट है।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी अंतिम बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ...।

अध्यक्ष महोदय :- और कितना प्रश्न पूछेंगे ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एक नंबर में पूरी रेत निकलने लगी तो पूरे 200 करोड़ की रायल्टी मिलेगी। एक पिट पास में सौ-सौ ट्रकें निकल रही है, पहले कम से कम पंचायतों को पैसा जाता था, अब माफिया पैसा खा रहे हैं, 200 करोड़ की रायल्टी ..।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी, आप प्रश्न पूछिये नहीं तो धरमलाल कौशिक जी प्रश्न पूछेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय बृजमोहन जी, मैं जो कह रहा हूँ उसको स्वीकार कर लीजिए। इनके शासन काल में जो अभी तक रायल्टी है मैक्सिमम् 13 करोड़ रूपये थी। आप खुद कह रहे हैं कि 200 करोड़ रूपये, हम अब 50-60 करोड़ रूपये कहें, व्यवस्था है, उसमें लगे हुए हैं लगातार सुधार हो रहा है, नई व्यवस्था है सुधार करने में समय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भी लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने खुद स्वीकार किया है कि 200 करोड़ रूपये तक भी बढ़ सकता है इसका मतलब आप 15 सालों तक राज्य के राजस्व की हानि करते रहे। पंचायत को क्यों 13 करोड़ रूपये मिला? सरकार को थोड़ी मिलता था। आपने 13 करोड़ रूपये ही पंचायत को दिया है बचत सब चोरी होती थी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए हो गया।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आप 15 सालों तक बाजू में डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनको बता दिये रहते तो राजस्व बढ़ जाता।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- यह महत्वपूर्ण विषय था इसलिये हमने स्वीकृत किया है। उसको आप सीमित करिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। बहुत सीमित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा प्रश्न पूछना चाहूंगा, बाकी विषय माननीय सदस्य ने रख दिये हैं। जांजगीर-चांपा जिले के हंसदेव नदी में, पिछले दिनों जांजगीर की एस.डी.एम. मेनका प्रधान और वहां का तहसीलदार प्रकाश साहू उसके ऊपर में रात को दहीदा घाट में अमोदा गांव के पास, जब वह अवैध परिवहन को रोकने के लिए
रेत पकड़ने के लिए गये थे, गाड़ी पकड़ने गये थे, उनके ऊपर रेत माफिया, हाईवा वाले ने हाईवा को चढ़ाने का प्रयास किया। इसकी विधिवत् रूप से जानकारी वहां के जिला प्रशासन को दिया, उन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज कराया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो देच नई हे, लिखित में कुछ आएच नई हे, ओ जबरदस्ती बीच-बीच के कहां ले पूछत जावत हे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.डी.एम. और तहसीलदार के ऊपर हाईवा चढ़ाने वाले के ऊपर क्या शासन, प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई ? माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां उस प्रकार से घटना घटी है तो उसमें जरूर कार्यवाही की जायेगी। किसी को भी छत्तीसगढ़ में गुण्डागर्दी करने का अधिकार नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना ताकतवर हो (मेजों की थपथपाहट) उन सब के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी और यदि अधिकारियों के खिलाफ किया जा रहा है यदि शासकीय कार्य में बाधा डालने कोशिश कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रेत माफियों के हौंसले इतने बुलंद हो गये, जो प्रशासन का अधिकारी जा रहा हैउ नके ऊपर गाड़ी चढ़ायी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 15 जून से रेत का परिवहन बंद है उसके बाद रात को यह घटना हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में अभी जैसा उन्होंने बताया कि 12 हजार यहां के हाईवा का रेट है, 14 हजार यहां का है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में हाईवा, ट्रेक्टर का, रेत का इतना रेट रहेगा, ऐसा कोई निर्धारण पूरे प्रदेश में करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी, अपना प्रश्न करिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आपके प्रश्न का जवाब आएगा। कौशिक जी, अपना प्रश्न करिये। ध्यानाकर्षण में जिसका नाम है उसको एक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद भी मैं दो-दो प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक):- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी लोगों को नाम ध्यानाकर्षण में है।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें नाम नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका नाम है। वह एक-एक प्रश्न कर लेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पहली बार मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण आया है सब लोगों को ठीक से बात कर लेने दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं। पूरे सत्र नहीं, पिछले सत्र में भी पहली बार मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय बृजमोहन जी पता नहीं, आपको क्या हो गया है ? पिछले सत्रों में निकालकर देख लीजिए। पूरा ध्यानाकर्षण भी आया है, स्थगन भी आया है और प्रश्न भी आया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं। पिछले सत्र में भी, ये आपका पहला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पिछले सत्र में बजट सत्र में एक भी बार प्रश्नकाल में ..।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अजय जी, मैं बृजमोहन जी की बात कर रहा हूँ और उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप बीच में कहां से कूद गये ? वह सक्षम हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सक्षम तो सबसे ज्यादा आप हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सक्षम जनता ने बनाया है। (मेजों की थपथपाहट),

श्री अरूण वोरा:- वे इसीलिये मुख्यमंत्री हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न भी लगते हैं, ध्यानाकर्षण भी लगते हैं और स्थगन भी लगते हैं और सबका जवाब भी देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक प्रश्न कर लेंगे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सबका जवाब भी दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग मुख्यमंत्री जी का मूड खराब कर देते हैं । फिर जवाब मांगते हैं। आप उनको हंसाते रहिए और जवाब लेते रहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मुख्यमंत्री जी का मूड बहुत अच्छा है इसलिये अभी सबका जवाब देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी बहुत जल्दी मेज थपथपा देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करूंगा तो उन्होंने मेज थपथपा दिया। पहले ये तो विचार कर लेते कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं एन.जी.टी. के नियम का पालन हो रहा है और यदि पालन हो रहा है तो रेत की खुदाई क्यों हो रही है ? और उसके बाद अधिकारी मना करने के लिए गए तब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे है । इस प्रदेश में वास्तविक में जैसे कहा जाता है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जिनको जो काम करना चाहिए, उनको दूसरे काम में लगा दिये हैं। रेत का

अवैध परिवहन, अवैध खुदाई हो रही है, कलेक्टर को काम करना चाहिए। कमिश्नर ने आदेश निकाल दिया कि कहां-कहां पर खाली जगह है, कलेक्टर आ करके उसकी रिपोर्ट बतायें। कलेक्टर तो खाली जमीन खोजने में लगे हुए हैं। क्योंकि सरकार को पैसे की आवश्यकता है, जमीन बेचने की आवश्यकता है। न वहां पर नामांतरण होगा, न वहां पर बंटवारे का केस होगा, न वहां पर सुनवाई होगी। मैं इसीलिए इस बात को बोल रहा हूं, लिखित में आदेश जारी हुआ है कि कि खाली जमीन कहां पर है यह कलेक्टर आ करके बतायें। यह कलेक्टर का काम है। कलेक्टर का काम वहां के प्रशासन को संभालना है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष हैं, सजग विधायक हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मुख्यमंत्री जी, मैं प्रश्न कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- पूर्व अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व अध्यक्ष हैं, मैं यही तो कह रहा हूं। ध्यानाकर्षण में प्रश्न पूछना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि समय बचाना है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं कि कलेक्टर को कहां काम पर लगाना चाहिए और आज कहां काम पर लगाये हुए हैं। वह खाली जमीन खोज रहे है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बचाना है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी प्रश्न कर लें, मैं उत्तर दूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कितना बचाना है, आज आखिरी दिन है, आप बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। आपको भी जल्दबाजी नहीं है, हमको भी जल्दबाजी नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एन.जी.टी. के नियम का पालन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी मैं आपको बता रहा हूं तखतपुर में घुटकू 100 हाईवा प्रतिदिन, शक्तिपारा, कोनी और उसके अलावा आसपास के गांव में प्रतिदिन इतनी गाड़ियां निकल रहीं हैं। मैंने कलेक्टर को, माइनिंग अधिकारी को फोन किया। आप पूरे प्रदेश में देखेंगे कि जब इनके अधिकारी पकड़ने के लिए जाते हैं तो 5 गाड़ी पकड़कर के लेकर आते हैं। आप जो 5 गाड़ी की संख्या बता रहे हैं, उनको बहुत फोर्स करोगे कि यहां पर अवैध कृत्य हो रहे हैं तो 5 गाड़ी पकड करके लेकर आते हैं। वहां पर रेत की मशीन के द्वारा अवैध खुदाई हो रही है और अवैध परिवहन हो रहा है। अवैध खुदाई और अवैध परिवहन, जबकि अभी पूरी खदानें बंद हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वहां जो जनप्रतिनिधि और बाकी लोग जो शिकायत कर रहे हैं तो यह जो आपका 15 अक्टूबर तक रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, क्या नदी में जितनी गाड़ियां वहां पर मिलेंगी और उसकी सूचना दी जायेगी तो आपके अधिकारी वहां पर जायेंगे और उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल। 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक रेत खुदाई में रोक लगी है और इस बीच में यदि कोई भी खुदाई करते हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। अध्यक्ष महोदय मैंने पहले ही बताया कि हमने 2300 से अधिक प्रकरण दर्ज किये। यदि अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन हो रहा है, तभी तो हम कार्यवाही कर रहे हैं। यदि कार्यवाही नहीं करते तो इतना प्रकरण कैसे बनता? इस मामले में कोई

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भी माननीय सदस्य, जनप्रतिनिधि यदि जानकारी देते हैं तो उसके आधार पर उसकी जांच भी की जायेगी और पकड़ें जाते हैं तो कार्यवाही भी की जायेगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसमें राजसात भी जोड़ दीजिये कि राजसात की जायेगी।

श्री भूपेश बघेल :- जो नियम है उसके हिसाब से कार्यवाही होगी।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (25) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसको ध्यानाकर्षण में लिया गया है। माननीय जितने सदस्यों के नाम स्थगन में थे। उन सबको आप प्रश्न पूछने का मौका दे दें।

अध्यक्ष महोदय :- कोई जरूरी नहीं है। श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री बृजमोहन अग्रवाल।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं और जवाब देने के लिए बैठे हैं, आप उनका जवाब आने दीजिए न।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये न। आप भाषण देते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप बोल रहे थे कि गाईडलाईन और नियम है कि पंचायत में जो कार्य चल रहे हैं, उनसे वसूली नहीं की जायेगी, उनसे पैसा नहीं लिया जायेगा। आप पूरे प्रदेश में यही हालत है। पंचायत क्या, यदि उनको अपने घर के लिए भी बैलगाड़ी में रेत चाहिए तो उनको ठेकेदार को पैसा देना पड़ेगा। अभी आपने जो नाली का सेंक्शन किया है, नाली बनानी है, उससे पैसा वसूली की जा रही है। क्या इस प्रकार से जो वसूली की जा रही है और जो आप 200 करोड़, 13 करोड़ और बाकी करोड़ की बात कर रहे हैं तो क्या प्रदेश सरकार की माली हालत इतनी खराब हो गई है कि रेत के पैसे पर सरकार चलेगी ? रेत तो यहां गरीबों की पूंजी है और यदि गरीब को अपने मकान के लिए रेत न मिले तो आपका पैसा भी कोई काम का नहीं है। जो प्रदेश में हालत हो गई है कि सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का ? यह जो स्थिति चल रही है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जो पंचायत के काम हैं, गरीब लोग जो अपनी गाड़ी में ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों को जिन्हें तंग किया जा रहा है तो कृपया करके वहां पर यह आदेश जारी करें कि उनको अपने काम के लिये और प्रदेश में पंचायत के जो आपके काम हैं उसके लिये उनसे कोई वसूली न की जाये और उसके ऊपर कोई कार्यवाही न करे इतना सुनिश्चित करा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप जवाब देंगे क्या ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले ही जवाब दे चुका हूं कि पंचायत को छूट है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- छूट नहीं है न, मैं वही तो बोल रहा हूं कि वसूली हो रही है तो इसको आप सुनिश्चित करा दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं भी एक शिकायत आ जाये बता दें तो मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- बस यही तो हम चाह रहे हैं तो आप यह निर्देश जारी करवा दीजिए ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जिस चीज की छूट है तो उसमें क्या निर्देश जारी करवाएं, छूट तो पहले से ही है । उसमें तो निर्देश है ही, उसमें और निर्देश जारी करने की क्या जरूरत है और आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन प्रस्ताव से यदि यह परिवर्तित हुआ होता तो मैं स्थगन प्रस्ताव में दिये हुए लोगों के नाम लेता । स्थगन प्रस्ताव आपका आज ही आया है मैं इसलिए देना उचित नहीं समझता ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे प्रदेश का मामला है । सभा विधायक पूछना चाहते हैं, कुरूद का मामला है, धमतरी का मामला है, सभी क्षेत्रों का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (25) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुये माने जायेंगे :-

03. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
04. सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री अजय चंद्राकर, सदस्य
05. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
06. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य
07. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, श्री नारायण चंदेल, सदस्य
08. श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
09. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, श्री नारायण चंदेल, सदस्य
10. श्री संतराम नेताम, सदस्य
11. श्री संतराम नेताम, सदस्य
12. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
13. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
14. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
15. सर्वश्री सौरभ सिंह, श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
16. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
17. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य
18. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
19. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
20. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
21. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

22. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य
23. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
24. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य

समय :
1:17 बजे

<u>नियम 267 (क) के अंतर्गत विषय</u>

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 28 अगस्त, 2020 को मैंने सदन में 10 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है । निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

01. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
02. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
03. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
04. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
06. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
07. डॉ. रमन सिंह, सदस्य
08. श्री संतराम नेताम, सदस्य
09. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
10. श्री मोहित राम, सदस्य

समय :
1:17 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

01. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
02. श्रीमती इंदू बंजारे

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मोहम्मद अकबर जी चर्चा शुरू करें ।

समय :
1.18 बजे

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>

<u>(1) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 17 सन् 2020)</u>

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) पर विचार किया जाए ।

समय :

1:18 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाड़ा नियंत्रण विधेयक में यह बदला जा रहा है कि किन्हीं कारणों से अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्य शासन सदस्यों को किसी सदस्य के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिटायर्ड जज को इसका अध्यक्ष होना है और रिटायर्ड जज यदि किन्हीं कारणों के कारण नहीं है तो उस समयावधि के लिये किसी अन्य व्यक्ति को राज्य सरकार नियुक्त करेगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण पद है इसीलिये रिटायर्ड जज को दिया गया है । निष्पक्षता होगी इसीलिये रिटायर्ड जज का प्रावधान रखा गया है । अगर सरकार किसी व्यक्ति को वहां पर अपने द्वारा अध्यक्ष बनाती है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाती है तो निष्पक्षता भंग होगी एक । नंबर दो- जिस व्यक्ति को सरकार बनाती है उस व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी । पहले क्वालिफिकेशन रिटायर्ड जज का है लेकिन जो नया व्यक्ति बन रहा है उस व्यक्ति का रिटायर्ड जज का क्वालिफिकेशन रहेगा या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा यह कहीं पर उत्तीर्ण नहीं होता कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगा । नंबर तीन- जो सरकार का व्यक्ति होगा, वह कहीं न कहीं सरकार के हिसाब से चलेगा चाहे सरकार किसी की भी हो । नम्बर तीन - जो सरकार का व्यक्ति होगा, वह कहीं न कहीं सरकार के हिसाब से चलेगा चाहे सरकार किसी की भी हो । नम्बर चार - अगर सरकार का व्यक्ति बन गया तो कितनी आवधि के लिए बनेगा यह होना चाहिए कि सरकार का कोई व्यक्ति बनता है तो वह कितनी अवधि के लिए बनेगा । ऐसा न हो कि जज नहीं मिल रहा है, जज नहीं मिल रहा है ऐसा कहकर अवधि का एक्सटेंशन किया जाता रहेगा और सरकार अपने व्यक्ति को वहां बैठाई हुई है । ये चार बिंदु हैं, इसका निराकरण करेंगे।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो योग्यता वाली बात है तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज रहेंगे । दूसरे जो जिला न्यायाधीश रिटायर होते हैं वह हैं । उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में केवल यही कहना चाहूंगा कि वे सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर होने के बाद आए हैं इसलिए उसमें बहुत ज्यादा प्रश्न करने वाली बात नहीं है । दूसरी बात अवधि की है तो रिटायरमेंट के बाद जितने पीरियड तक वह शासकीय सेवा के नियमानुसार वे काम कर सकते हैं, शासकीय सेवा में एक्सटेंशन का जो प्रावधान है उसके तहत् जितनी बार भी चाहें, उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है । नियुक्ति के लिए राज्य शासन से केवल तीन शब्दों का संशोधन है । वर्तमान में स्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से, अब राज्य सरकार स्वयं करना चाहती है, यह केवल तीन शब्दों का संशोधन है । इसके अलावा पुरानी बातें सब यथावत रहेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 17, सन् 2020) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

श्री मोहम्मद अकबर :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 17, सन् 2020) पारित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 17, सन् 2020) पारित किया जाय ।

प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 17, सन् 2020) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(मेजो की थपथपाहट)

(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18, सन् 2020) पर विचार किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री अजय चन्द्राकर ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अब मेरे बोलने से मुख्यमंत्री जी खुश हो, मैं ऐसी आवाज में बोलूंगा। आसंदी का निर्देश है कि मुख्यमंत्री जी को खुश करना है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है। (हंसी) मैं तो हमेशा आपसे प्रसन्न रहता हूं। मेरा कहना केवल यह है कि आप अपनी ऊर्जा बचाकर रखें। आप ऊर्जावान हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक लाइन में इस बात को बोलूंगा। यह छोटा सा विधेयक है, लेकिन यह विधेयक विधायिका की शक्ति को कमजोर करने का विधेयक है। आप विधायिका की ताकत को राज्य सरकार को प्रत्यारोपित कर रहे हैं। इसकी उपधारा के परंतुक में 2 हजार रूपये मूल्य तक की इसे छूट दी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गई है। इससे जो आगे है। वर्तमान में इस प्रावधान के अंतर्गत नगरीय निकाय को 100 करोड़ रूपये अनुदान प्रतिवर्ष लगभग उपधारा 3 के माध्यम दिया जाता है, लेकिन यह जो मैंने 2 हजार रूपये वाला पढ़ा कि अधिसूचना के माध्यम से छूट प्रदान करने की जो शक्ति है, अब वह विधायिका के माध्यम में राज्य शासन को चली जायेगी। राज्य शासन क्यों नहीं कर सकता? आज विधेयक आया है। कल भी ला सकते हैं और परसो भी ला सकते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- इनका प्रस्ताव है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यस-यस। संसदीय कार्य मंत्री जी, अभी मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं कि पिछली बार भी हमारे विरोध के बाद आपने 3 दिन का सत्र बुलाकर गिलोटीन में विधेयक पारित करवाया। मैंने अपनी असफलता स्वीकार की कि मैं इसमें संशोधन दिया होता, क्योंकि मुझे संशोधन देने का टाइम नहीं मिला। वह कोई भी विधेयक..।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, असल में आजकल आप पढ़ना-लिखना कम कर दिये हो। यह बिल परसो से introduce हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने अपनी असफलता स्वीकार कर लिया है तो आप क्यों बोल रहे हो?

श्री रविन्द्र चौबे :- तो आप दे देते। अगर संशोधन नहीं भी दिये हो तो अभी कुछ बता दो कि वह संशोधन किसमें देने वाले थे?

श्री अजय चन्द्राकर :- सवाल 202 करोड़ मिले तो भी अधिसूचना जारी हो।

उपाध्यक्ष महोदय :- 15 मिनट का समय है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो भी विधेयक विधायिका की शक्ति को कमजोर करके राज्य सरकार में निहित हो, उसका हम विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- देवेन्द्र यादव जी।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ नगर-पालिक अधिनियम में प्रावधानित 1 प्रतिशत देय स्टाम्प शुल्क को छूट देने हेतु संशोधन विधेयक लाया गया है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में निश्चित रूप से पिछले वर्ष भी बहुत सारे बड़े कदम प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी के नेतृत्व में किये हैं, जिससे लोगों को और आमजनों को फायदा हुआ है। शासकीय दरों और बाजार मूल्य पर भिन्नता समाप्त करने हेतु भूमि खरीदी-बिक्री शासकीय गाइडलाइन की दरों को 30 प्रतिशत कम किया गया, जिससे प्रदेश में बेहतर परिणाम भी इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। राजस्व में भी वृद्धि हुई है। उसी प्रकार पट्टा को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या और डिमांड पिछले सालों से छत्तीसगढ़ के आमजनों को थी। हर चुनाव में पट्टा का विषय चुनावी विषय बनता था, लेकिन उस पर निराकरण नहीं होता था। निश्चित रूप से मैं माननीय मंत्री जी को शुभकामनाएं दूंगा कि उनके नेतृत्व में पट्टा देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ को पूरे देश का सबसे स्वच्छ प्रदेश का अवार्ड केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा दिया गया है।

समय :

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

1:29 बजे

सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- आज की कार्य सूची के पद क्रमांक 5 (2) का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि किया जाये। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में स्वच्छता महोत्सव देश की सरकार द्वारा मनाया गया। यह खुशी का पल स्वच्छता महोत्सव में पूरे प्रदेश की जनता के लिए रहा और हम सबके लिए रहा कि जब देश में सबसे साफ-सुथरा प्रदेश तय करने की योजना बनायी जा रही थी तो पूरे देश में सबसे साफ-सुथरा प्रदेश छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया। मैं इसके लिए इस प्रदेश की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। हमारा हर शहर ने रैंकिंग में हिस्सा लिया। हमारे भिलाई को भी self sufficient का अवार्ड मिला। पहले भी भिलाई को अवार्ड मिला था। गोबर पर बात हो रही थी । हमारे विपक्ष के बहुत सारे सदस्य कह रहे थे कि आप जो गोबर की योजना चला रहे हैं, इससे कोई भला नहीं होगा । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ही की पार्टी के सम्मानीत केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने इस योजना के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का आभार किया, उनको शुभकामनाएं दीं । उन्होंने कहा कि आप इसे जिस तरीके से आगे ले जा रहे हैं, उससे पूरे देश के और राज्यों को भी गोबर की योजना सीखने की जरूरत है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं, हमारे प्रदेश में एक प्रतिशत की छूट देने की बात की जा रही है, जबकि हम मध्यप्रदेश में देखें तो वहां पर निगम के द्वारा तीन प्रतिशत टैक्स लिया जाता है । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इस कोरोना संक्रमण के दौर में कभी 7 लाख करोड़, कभी 20 लाख करोड़ की घोषणाएं हुई हैं, जनता को क्या मिलता है, ये जनता भी पूछती है, लेकिन इससे लोगों को फायदा भी होगा । चूंकि मैं विधायक के रूप में भी कार्य कर रहा हूं और महापौर के रूप में जनता ने मुझे कार्य करने का अवसर दिया है । इस विषय पर मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह रहेगा और माननीय मंत्री जी ने इसको स्वीकार भी किया है कि हम लोगों को इससे राजस्व में जो क्षति होगी, उसको अधोसंरचना मद में अपनी तरफ से हम लोगों को, नगरीय निकायों को क्षतिपूर्ति देंगे, ताकि हम लोग काम कर पाएंगे । मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो पूरे प्रदेश में 68 सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार ने काम करना शुरू किया । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन मंत्री जी भी पूरे प्रदेश में दौरा करते हुए जितने भी नगरीय निकाय हैं, नगर निगम हैं, नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, उन्होंने वहां के लोगों के लिए बहुत काम किया और वहां की जनता का बहुत ध्यान दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि जब नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव के परिणाम आये तो कांग्रेस को तीनों निकाय में भारी बहुमत से जीत मिली । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, लेकिन इस जीत से जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हुई हैं कि उनको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती रहती है चाहे वह नगर निगम हो, नगर पंचायत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हो, नगर पालिकाएं हों और मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार, जिनको हम पट्टा देते हैं, जिनके लिए हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं । माननीय मंत्री जी ने कई योजनाएं बनाई हैं जिसमें सबसे पहले मोर जमीन, मोर मकान, गरीबों को पट्टा देने की योजना है । इसके अलावा जो जरूरतमंद हैं, जो किसान हैं, उनकी ओर समर्पित होकर उनका विभाग, उनकी सरकार काम कर रही है । यहां तक कि माननीय मंत्री जी ने दिव्यांग लोगों के लिए भी उनको प्रतिनिधित्व मिले, उन्हें एल्डरमेन बनाने के लिए उन्होंने विधेयक लाया था, हमारी सरकार विधेयक लायी थी और इस विधेयक का बहुत स्वागत किया गया था । मैं समझता हूं कि हमारे विपक्ष के साथियों ने भी उसका बहुत स्वागत किया था । मैं समझता हूं कि माननीय चन्द्राकर जी ने जो बातें रखीं हैं, आज गरीबों का भला हो रहा है, सरकार उनके लिए काम कर रही है, मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है कि इसके बाद उनको एक प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी और यह शासन के पास रहेगा । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इस विधेयक को जरूर पास किया जाये। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) पर विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

उपाध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरीय क्षेत्रों के स्थावर सम्पत्तियों के अन्तरण पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन लगने वाले सामान्य स्टाम्प शुल्क के अलावा 1 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 161 में प्रावधानित है। यह अतिरिक्त 1 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क नगरीय निकाय के आय मद के अन्तर्गत जाता है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक- 37 सन् 1961) की धारा 161 की उपधारा 1 के परन्तुक के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना है। परन्तु यह कि राज्य शासन समय-समय पर शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के माध्यम से कुछ या सभी स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण को आंशिक या पूरी तरह से स्थाई या अस्थाई रूप से ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, इस उपधारा में अन्तर्विष्ट प्रावधान से छूट दे सकेगा। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में उपरोक्तानुसार संशोधन प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाने से समय-समय पर नगर पालिका अधिनियम में प्रावधानित 1 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को स्थावर सम्पत्ति अन्तरण में छूट दिया जा सकेगा।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) पारित किया जाय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, अब उनको तो पारित कराना है। वह भाषण दे रहे हैं। वह बोल दे कि पारित किया जाये। आप उसको पारित करवा दें।

डा. शिवकुमार डहरिया :- आपके पीछे वाले साथी ने कहा था कि इसलिए उनको बता रहा हूं। थोड़ा समझा करो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण बात है कि जिन उदेद्श्यों के साथ लाये हैं, उसको भी देखकर पढ़ रहे हैं। यह सबसे आश्चर्यजनक है। जो विधेयक लाये हैं, उसको स्टेम्पोर पढ़ रहे हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आपकी जय हो। पहले सरकार की जय हो, फिर आपकी जय हो।

डा. शिवकुमार डहरिया :- सुन तो लिया करो। उसके बाद कुछ टीका-टिप्पणी किया करो। आपने जो 2 हजार का उदाहरण दिया था, मैं उसके सम्बन्ध में बता रहा था। इसमें सम्पत्ति अन्तरण की दशा में सम्पत्ति का मूल्य दो हजार होना चाहिए, वह आजकल अप्रसांगिक हो गया है। आजकल किसी सम्पत्ति का विक्रय दो हजार में नहीं होता है। अब चल बैठ तोर काम नइ हे, मोर काम हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- दे दो, मैं पढ़ लूंगा। मुझे दे दो, मैं पढ़ लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) पारित किया जाय।

उपाध्यक्ष महादय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आज सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

(अपराह्न 1.40 से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय :
3:00 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(3) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमेशा से सदन में यह परंपरा रही है कि ऐसे विषय पर यदि कोई विधेयक प्रस्तुत होता है तो सदन में सामान्यत: चर्चा नहीं कराई जाती, नहीं होती उसके बावजूद भी बहुत छोटा तीन बिन्दु है जिसमें संशोधन किया गया है। एम.एल.ए. और एक्स. एम.एल.ए. की जो यात्रा पात्रता राशि है उसमें वृद्धि की गई है, दूसरा पेंशन में थोड़ी वृद्धि की गई है और तीसरा पारिवारिक पेंशन जो थी उसमें एक संशोधन किया गया है। तीन ही संशोधन हैं। मैं चाहूंगा कि सदन इसको पारित करे।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, ये जो संशोधन माननीय मंत्री जी ने लाया है उसको तो हम सर्वसम्मति से पारित करते हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं दो चर्चा और हुई थी कि विधायकों को जो मिलने वाला स्वेच्छानुदान है उसको 10 लाख रूपये करने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी ने सहमति दी थी। उसका आदेश जारी नहीं हुआ है। दूसरा- हमको जो स्वेच्छानुदान मिलता है उस स्वेच्छानुदान के नियम भी जैसे मंत्रियों के स्वेच्छानुदान के नियम हैं वैसे ही नियम कर दें। क्योंकि हम वर्तमान में किसी को व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, केवल संस्थाओं को कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आदेश भी विधानसभा खत्म होने के बाद ये आदेश जारी हो जायेंगे। इस बात का आश्वासन चाहता हूं और बाकी इसमें किसी को कोई सहमति नहीं है। सामान्य नियम हैं आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आना है। तो उसके माध्यम से बाकी लोगों को सहायता जैसे फीस का पैसा चाहिए, इलाज का पैसा चाहिए तो विधायक लोग भी उपलब्ध करवा पायेंगे। उससे आप लोगों का ही बर्डन कम होगा। तो ये दो चीजें थीं। उसका इसमें संशोधन से मतलब नहीं है परंतु विधायकों की सुविधा से मतलब है तो उसका आप आदेश जारी कर दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, जो संशोधन विधेयक है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हम लोग बहुत सारे विधेयकों को सर्वसम्मत करते हैं। चाहे किसी भी दल के हों, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा यदि किसी भी विषय में, किसी समय में हो तो वह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। यदि खासतौर से विधायकों से जुड़ा हुआ विषय है तो उसमें तो इससे आगे मुझे नहीं कहना चाहिए कि इसका उत्तर देते हुए सर्वसम्मति की परंपरा है यह कह दें, अवधि बता दें क्योंकि आप इस विषय को डेढ़ साल से ज्यादा समय कर दिये हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, डेढ़ साल नहीं हुआ है। सारा डिस्कसन जो हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दे दी है। और इसमें भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है। यहां माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उनकी उपस्थिति में ही कह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंपर्क राशि को 10 लाख रूपये करने की सहमति दी है लेकिन अभी की परिस्थितियां आप समझ रहे हैं। लेकिन बहुत शीघ्र इस पर हम लोग निर्णय लेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति जी, चलिए, आप उसको जब कर रहे हैं लेकिन यदि आप चार लाख रूपये दे रहे हैं तो चार लाख को स्वेच्छानुदान के नियम बनाने के लिए, जिसमें कई बार चर्चा हुई उसको भी आप नहीं करवा रहे हैं, यह दुर्भाग्यजनक है। इसको आप तुरंत करवा दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, ये दोनों अलग मसला है। आपसे चर्चा तो हो गई है ना। इसको तो करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, माननीय रविन्द्र चौबे जी ने जो कहा, हम परिस्थिति समझ रहे हैं कि करोना काल है पर सिर्फ 3 करोड़ रूपये अतिरिक्त लगना है और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगना है। सिर्फ 3 करोड़ रूपये लगना है। और आपने जो संशोधन लाया है इसके लिए पूरे समवेत सदन की ओर से मुख्यमंत्री जी, आपको और शासन को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने विधायकों और पूर्व विधायकों की सुविधा का ख्याल रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय अजय जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को सुन रहे हैं। उन्होंने मुझे अभी ही निर्देश कर दिया कि आप सदन में कह दीजिए कि आपकी बातों को तत्काल करने के संदर्भ में हम निर्देश जारी कर देंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- धन्यवाद।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खंडो पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता, तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) पारित किया जाय।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- माननीय डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ।

(4) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020)

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- कुछ बोलना चाहेंगे।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020) पर विचार किया जाये। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति जी..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी पहली बोल दीही ना ता सब ला समझ मा आ जही, विधेयक मा का होथे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तु मन हा तो ज्यादा होशियार हो ता तु मन ला समझाय के जरूरत भी नई हे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सब विद्वान साथी हैं, उसको सब ने पढ़ लिया होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हमने तो आपको कहा था, उसका भी लिखित था, मंत्रिगण उद्देश्यों पर प्रकाश न डालें और आप legislation करवा रहे हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सत्तू भैया तो ओला पूरा समझा दिस। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डाला है। उसका अभी लिखित नहीं आया है, इसलिए नहीं डाला है।

सभापति महोदय :- माननीय सत्यनारायण जी, माननीय अजय चंद्राकर जी पहले अपनी बात कहेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2020, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 क्रमांक 17 सन् 1961 को और सुसंगत और सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्री जी ने विधेयक पेश किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम मंत्री जी के श्री मुख से सुनना चाह रहे हैं कि इस विधेयक में क्या है ? वे क्या...(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- संसदीय कार्य मंत्री जी, यदि ऐसे पारित करना है तो कोई आपत्ति नहीं है। आप क्यों लाये हैं इसको नहीं बताना चाहते तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अभी बतायेंगे ना।

श्री अजय चंद्राकर :- आप कहां बताये हो वह तो भाषण शुरू हो गया।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मैंने सर्कुलेट करके चालू कर दिया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- एक मिनट। इसमें ज्यादा बहस का मुद्दा नहीं है। दोनों बातें हैं। माननीय मंत्री जी जब इन्ट्रोड्यूस करते हैं तब भी अपनी बात रख सकते हैं। इन केस जब माननीय सदस्य लोग अपनी बात कहते हैं तो दोनों बातों को माननीय मंत्री जी एक साथ आपकी बातों को भी और ...।

श्री अजय चंद्राकर :- आप बहुत विद्वान हैं, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं। उद्देश्य के बाद आखिरी में जब पारित के समय बोलते हैं, तब हम लोगों के उत्तर के बाद बोलते हैं कि इस स्वरूप में हो। लेकिन प्रस्तुतीकरण में उद्देश्य ...।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं सहमत हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- यदि उसको भी नहीं बताओगे । आपकी सरकार में इतनी नैतिकता ...।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप जो समझ रहे हैं, उससे ज्यादा नैतिक ताकत है। आप उसमें क्यों परेशान हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को कहिये।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी..। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप बताईये ना, पीछे क्यों ले जा रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप पीछे क्यों ले जा रहे हैं, बोलवाईये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात कहिये। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप जो भी परंपरा डाल दिये हैं। अब आप प्रोसेडिंग को पीछे ले जायेंगे, व्यवस्था दे रहे हैं। मंत्री जी आप बोलिये करके। आपने अभी कहा कि मंत्री जी आप बोलिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी की अनुमति से..।

सभापति महोदय :- नहीं। मैंने कहा। माननीय मंत्री जी अपनी बात रखें।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- बिना आसंदी की अनुमति के हम लोग नहीं बोलते।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब प्रोसिडिंग आगे बढ़ गई। सदस्य बोलना शुरू कर दिये। अब प्रोसिडिंग पीछे नहीं जाएगी। संसदीय कार्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी अगर कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय सभापति महोदय, सहकारी आंदोलन को चलाने के लिए, सहकारी नियमों में है, अधिनियम में है उसको सरलीकरण किया गया है और कई लोगों से चर्चा करने के उपरांत ये इसमें संशोधन लाया गया है कि सहकारी आंदोलन को चलाने के लिए, सहकारी, कॉपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इसमें जो सरलीकरण किया गया है ये इसलिए यहां पर प्रस्तुत किया गया है। उसमें बहुत से ऐसे होंगे

जो पंजीकृत होते हैं उसमें काफी विलंब होता है और पंजीकरण होता है उसमें कई 20 परिवारों को लेकर एक समिति बनती है तो उसको हम लोग कम कर रहे हैं, उसको 10 कर रहे हैं। जो लम्बा समय होता है, पहले 90 दिन का था उसको 45 दिन कर रहे हैं जो आपकी सुनवाई होती है, अपीलीय जो होता है केवल रजिस्ट्रार को होता है, आपके जिला, संभाग स्तर पर हो। यह पूरे सरलीकरण करने के उद्देश्य से इस विधेयक कोलाया गया है।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि -

माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 लाया है। यह छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम लाया है ये सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए लाया है और उसमें कई जटिलताएं थीं। आप जानते हैं कि समय-समय पर संशोधन करना आवश्यक भी हो जाता है। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को और सुसंगत, सरलीकरण और सुविधाजनक बनाने के लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा यह विधेयक पेश किया गया है। इसमें जो प्रावधान है मैं उसके बारे में संक्षेप में बताता हूँ जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया मूल अधिनियम की धारा 6 में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, इसमें और प्रक्रिया को सरल करने के लिए सदस्यों की संख्या "बीस" के स्थान पर, शब्द "दस" प्रतिस्थापित की गई है ताकि पंजीयन करने में आसानी हो और विलंब मत हो। इसमें यह भी प्रावधानित है कि कोई एक परिवार के कई सदस्य नहीं होने चाहिए, एक परिवार का एक ही सदस्य हो, इसके अलावा मूल अधिनियम की धारा 9 में पंजीयन की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, इसको जल्दी पंजीयन हो, विलंब न हो, इसके लिए धारा 9 में संशोधन किया गया है। ये मूल अधिनियम की धारा 10 में नवीन संशोधन है। सेवा क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर मिले और इसलिये इसमें "सेवा क्षेत्र सोसाइटी" शब्द जोड़ा गया है। मैं समझता हूँ कि इसमें आपको कोई असुविधा, आपत्ति, दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

मूल अधिनियम की धारा 11 में सोसाइटी के बायलाज हैं उसमें संशोधन करने के लिए जो रजिस्ट्रार की शक्तियां हैं उसमें संशोधन इसलिये लाया गया है

मूल अधिनियम की धारा 11 (1) में नियमानुसार परन्तुक जोड़ा गया है ये भी मैं समझता हूँ कि सर्वाधिक उचित है। मूल अधिनियम की धारा 11 में उपधारा (3) में 45 दिन के भीतर, उक्त संशोधन के अनुपालन में उप-विधियों में संशोधन हेतु प्रस्ताव चार प्रतियों में विहित रीति में रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगी। बायलाज में संशोधन त्वरित हो, इसके लिए पैंतालीस दिन के स्थान पर शब्द "तीस दिन" प्रतिस्थापित किया गया है कि 30 दिन के अंदर-अंदर यह किया जाए। दूसरा मूल अधिनियम की धारा 12 में अधिनियम में संशोधन होने के फलस्वरूप रजिस्ट्रार द्वारा बायलाज में संशोधन करने के लिए यह प्रावधान किया गया है। मूल अधिनियम की धारा 19 में जो व्यक्ति सदस्य हो सकेंगे। मान लीजिए कि कोई सरकारी अधिकारी या पदाधिकारी है, वह सोसायटी से डिवार हो जाता है तो कम कम वह लोन, कर्ज ले सके। अपना लोन, खाद, बीज ले सके और इसके लिए कम से कम सदस्य बना रहे। इसलिये यह संशोधन किया गया है और इसमें समय भी निर्धारित कर दिया गया है। इसमें सोसायटी को 30 दिन के अंदर-अंदर उसके आवेदन पर विचार करना होगा, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। मूल अधिनियम की धारा 19-क में जो सदस्य की निहर्ताएं हैं उसके संबंध में संशोधन है सहकारी संस्थाओं की सदस्यता उसके मौलिक अधिकार के अंतर्गत होने का

इसमें प्रावधान रखा गया है। धारा- 45 में सोसायटियों को राज्य की सहायता मंजूर किया जाना। जैसे शेयर केपिटल आदि देना है, सहकारी बैंकों में सरकार की अंशपूंजी देने का इसमें प्रोविजन है। मैं समझता हूं कि यह भी प्रावधान बहुत उचित है। धारा-48 सोसायटी में अन्तिम अंधिकार, इसमें न्यूनतम स्तर पर सेवायें लेने का रजिस्ट्रार को किया गया था। आप जानते हैं कि सहकारी मूवमेंट एक उनकी एटानामी है, उसकी स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, स्वच्छ प्रशासन करना, उनकी स्वतंत्रता है। इसलिए इसमें ये प्रोविजन किया गया है, न्यूनतम सेवायें स्तर जैसा कि संबंधित सोसायटी द्वारा उसकी उप-विधियों में विहित हो, वह उसका उपभोग कर हो। न्यूनतम सेवाओं के संबंध में इसका उल्लेख है। धारा 48-ग में बोर्ड की शक्तियों के बारे में दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव होता था, प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं हो पाता था, प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो सके, इसलिए प्रावधान आवश्यक हो गया था। यह अधिनियम के अनुरूप है इसलिए यह भी बहुत ही सुसंगत है।

माननीय सभापति महोदय, धारा 54 में प्रबंधकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में है। अपेक्स बैंक के द्वारा जो उसका केडर होता है, कोआपरेटिव बैंक में उस केडर को चीफ एक्जीक्यूटिव अफसर बनाया जाता है। अपेक्स बैंक अगर 15 दिन के अंदर अपना सी.ई.ओ. नहीं बना पायेगी जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों से सी.ई.ओ. बना सकेगा। लेकिन माननीय मंत्री जी मेरा इसमें एक कथन है कि नान बैंकिंग का आदमी कोआपरेटिव बैंक में नहीं बैठना चाहिए। जो बैकिंग का काम जानता हो, वही अधिकारी इसमें सी.ई.ओ. बने, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसमें कोई गफलत न हो कि नान बैंकिंग का आदमी कोऑपरेटिव बैंक में सी.ई.ओ. बनकर बैठ जाये। इसमें आपका नुकसान होगा। इस बात को भी माननीय मंत्री आप जरूर देख लें कि इसमें इस तरह की गलतियां न होने पायें।

माननीय सभापति जी, धारा 58 में सहकारी संस्थाओं में आम सभा में ऑडिटर नियुक्ति करने का जो नियम है, उसमें अगर ऑडिटर नियुक्ति ए जी एम में नहीं हो पाती है जो फिर रजिस्ट्रार उसको लंबित अक्सेशन पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार उसमें ऑडिटर नियुक्त कर सकेगा। यह इसमें नियम है। धारा 58-ख में किसी सोसायटी को नुकसान हुए नुकसान को पूरा करने के लिए प्रक्रिया का प्रावधान है। इसलिए मैं समझता हूं कि सोसायटी को नुकसान करने के बाद वसूली के लिए आदेश पारित करने की निरर्हता संबंधी प्रावधान है। इसमें भी किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए और न आपको किसी प्रकार की आपत्ति करनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमको आपत्ति करनी चाहिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इसमें क्या आपत्ति करेंगे, इसमें आपत्ति करने लायक कुछ होगा, तब तो आपत्ति करेंगे। आपने कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो अमेंडमेंट किया, सत्यानाश करके रख दिया, लोगों का काम करना मुश्किल हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अपनी बात कहिये न। हम कहें या न कहें वह हमारा विषय है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप करेंगे तो फायदा भी क्या होगा ? धारा 77 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के संबंध में है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सत्तू भैया, मुंह की खुजली मिट जायेगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- वह मैं अभी बोल नहीं सकता। धारा 77 क, ख में पुनरीक्षण करने का प्रावधान रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह पहले प्रावधान नहीं था। धारा-78 में अपील करने का प्रोविजन पहले नहीं था, इसमें बनाया गया है, इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें भी कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। यह संशोधन आवश्यक हो गया था। सहकारिता के आंदोलन में काम करने वाले लोग सुगमता के साथ काम कर सकें, इसलिए आवश्यकतानुसार संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बारे में आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, 97वॉ संविधान संशोधन मैंने आपको पढ़ने के लिये भी दिया था । किया गया फिर वैद्यनाथन कमेटी बनायी गयी, छत्तीसगढ़ सरकार ने उसकी अनुशंसाओं को स्वीकार किया कि अधिक से अधिक हम उनको स्वायत्ता देंगे, उसकी निर्वाचन प्रणाली, उसकी कार्यप्रणाली में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो । हस्तक्षेप तो होगा ही, वह प्रथम वक्ता की भाषा से झलक रही है । विलेखों में चर्चा होती है तो किस तरह का चैलेंज है, यदि आप विरोध भी करेंगे तो क्या होगा, क्या कर लेंगे ? यह संसदीय भाषा नहीं है, यह एक तरह का दर्प है और मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 लोगों का जनादेश है लेकिन फर्क तो विद्वता का क्या पड़ा है वह श्री सत्यनारायण जी की हालत बता रही है । इतने वरिष्ठ नेता की क्या हालत है यह हम लोगों को सदन में दिख रहा है, जिनको इधर होना था वे बेचारे इधर हैं । खैर । माननीय सभापति महोदय, कॉपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र या गुजरात की भांति छत्तीसगढ़ में, तत्कालीन मध्यप्रदेश में या छत्तीसगढ़ में सफल क्यों नहीं हो सका और जिस दिन वह सफल हुआ, जिस लोगों ने सफल बनाने की एक शुरूआत की । यदि वर्ष 1913 में छत्तीसगढ़ में पहला बैंक खोला तो वह सरकार की कृपा पर नहीं था । बैंक की कार्यप्रणाली पर सुधार की जब बात यानी हमने कार्यप्रणाली भंग कर दी या बर्बाद कर दी, जो लोग बात करते हैं रायगढ़ बैंक कब लूटा गया ? अंबिकापुर बैंक कब लूटा गया ? वह किसके कार्यकाल में लूटा गया फिर यह लंबी कहानी जाएगी ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप इस पर बात करिए न, आप कहां की बात कर रहे हैं ? उसके बाद तो आपकी सरकार आयी थी तो फिर आपने उसे क्यों ठीक नहीं किया ?

श्री अजय चंद्राकर :- महाराज, आप लाख चिल्ला लें लेकिन उधर नहीं जाएंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप अपनी बात करिए । आपने क्या किया ?

श्री अजय चंद्राकर :- सब बात होती है । आप जो बोल लें, मैं बोलूं तो नहीं बोलना है । मैंने बर्बाद कर दिया, यह अच्छा शब्द है । क्या बात है, क्या बात है चलिए । माननीय सभापति महोदय, मैंने उस समय एक संशोधन में बोलते हुए कहा था कि 03 दिन के सत्र में कितने विधेयक पारित करवाये गये और जितने बिजनेस हम लोगों ने किये तो मैंने अपनी असफलता स्वीकार की थी कि मुझे संशोधन देने का अवसर नहीं मिला । सरकार बनने के बाद स्वायत्ता कॉपरेटिव आंदोलन क्या स्थिति है, नई सरकार बनने के बाद उसमें कभी बात हो जाएगी लेकिन जैसे मूल अधिनियम की धारा-09 उपधारा-3 के शब्द 90 के स्थान पर 45 दिन किया जाये । मैं यह नहीं समझता कि 45 दिन और 90 दिन में कार्यप्रणाली में क्या तेजी आयेगी? और इसका क्या औचित्य है ? इसे क्यों किया गया ? जब हम विधेयकों पर बहस करते हैं तो इन्हीं बिंदुओं पर उत्तर आना चाहिए कि इन-इन बैंकों में, इन संस्थाओं में अधिनियम में यह लागू होगा और यह उसके प्रभाव होंगे । आप 45 दिन कर दीजिये क्योंकि श्री सत्यनारायण शर्मा

जी ने कह दिया है कि मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा ? दूसरा जो मूल अधिनियम की धारा-19 (क) की उपधारा खण्ड-01 में जो जोड़ा गया है - सरकार सोसायटी बैंकों अंशपूंजी उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा । मैं पूरा पढ़ूंगा तो समय लगेगा । जो सदस्यता है, सदस्य प्रत्यायुक्त प्रतिनिधि आर्हरित ऐसे सहकारी सोसायटी के प्रत्यायुक्त प्रतिनिधि को बोर्ड के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होगा । आप यह पूरा पैरा पढ़ लीजिए । माननीय सत्यनारायण शर्मा जी आवास संघ का चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने कभी पूरा कॉपरेटिव का चुनाव नहीं लड़ा । हम पूरा कॉपरेटिव का चुनाव शुरू से लड़ते हैं, उन्होंने कुरूद में कॉपरेटिव चुनाव को देखा है । जितने आपके अपात्र हैं, कॉपरेटिव आंदोलन में आपके दल के लोग इन सालों में अपात्र हैं उनको पीछे दरवाजे से पात्र बनाने के लिये यह संशोधन है । इसके अतिरिक्त कॉपरेटिव मूवमेंट को मजबूत बनाने का आपका कोई भी उद्देश्य इसमें नहीं है नहीं तो आप मुझे आज इसके उद्देश्य बता दीजिए कि इस अर्हरता को बदलने से, जोड़ने से कॉपरेटिव मूवमेंट को क्या फायदा होगा ? ऑलरेडी लोग सदस्य हैं । निर्वाचित लोग हैं, सदस्य लोग हैं, अपने बीच से चुनते हैं तो उसमें अर्हता में चेंज करने की क्या जरूरत है ? माननीय सभापति महोदय, मूल अधिनियम नियम-49 की धारा 8 की धारा परंतुक में रजिस्ट्रार किसी अपीलीय व्यक्तियों को उपधारा के अधीन निहित बोर्ड में..ये पूरा है । आप अधिनियम को पढ़ेंगे तो, मैं जानबूझकर उसको नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि उसमें समय लगेगा । मूल अधिनियम में 6 माह में चुनाव कराने का प्रावधान है । अब आपने रजिस्ट्रार को यह अधिकार दे दिया कि वह चाहे तो इसे लंबित रख सकता है और इससे पहले अधिकार नहीं था । जब मूल अधिनियम में 6 महीने का समय था तो यह अधिकार देने को को-ऑपरेटिव आंदोलन किस तरह से मजबूत होगा, ये मुझे बताइए ? केवल आपको अपनी सुविधा के अनुसार उसको परिभाषित करना है कि यह मेरा आदमी है तो अभी चुनाव मत करवाओ, यह मेरी सोसायटी है तो अभी इसको टाल दो और यह दूसरे की सोसायटी है तो इसको तुरंत कर दो । सभापति महोदय, उपधारा 2 में निम्नलिखित जोड़ा जाए । संवर्ग बनाएगा, सत्यनारायण जी बोल रहे थे कि वह अधिकारी को नियुक्त करेगा । उसमें मैं एक लाईन आपको बता दूं कि जो सत्यनारायण जी की आशंका थी । जो वे बोल रहे थे कि प्रशासक बिठाना है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त करना है । माननीय बोल रहे थे कि बैंकिंग जानने वाला आदमी बैठे । अब आप आर.बी.आई. की प्रतिबद्धता हटा रहे हैं यानी अब आप समझ लीजिए कि अभी जो 2-3 बैंक फायदे में थे वे भी गए, बंटा ढार । आपको जरूरत क्या है ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- चन्द्राकर जी, उसमें यह प्रोवीजन है कि अपेक्स बैंक को यह अधिकार है कि वह कैडर से किसी आदमी को सी.ई.ओ. बनाए । अगर वह बनाने में 15 दिन में असफल होता है तो फिर रजिस्ट्रार को अधिकार है कि किसी को भी सी.ई.ओ. बना सकता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आर.बी.आई. वाले क्लॉज को हटा क्यों रहे हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- कोई क्लॉज नहीं हटा रहे हैं । कहां हटा रहे हैं, देखिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिये, जो मैंने पढ़ा है । सहकारी केन्द्रीय बैंक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति ऐसे पद रिक्त होने के 15 दिवस के भीतर नियुक्त कर सकेगा । पहले आर.बी.आई. की अनुमति थी, अब कौन नियुक्त करेगा, आप फिर से पढ़ लीजिए । माननीय सभापति महोदय, मूल अधिनियम की धारा 58 ख की उपधारा 2 पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए । इसके अधीन कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी सोसायटी के नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया हो, 6 वर्षों के लिए सोसायटी के प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा । इस अवधि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में वह अपना पद धारित करने से विरत हो जाएगा । किसी वेतनभोगी अधिकारी के सोसायटी को नुकसान पहुंचाने हेतु उत्तरदायी ठहराने की दशा में कोई भी अन्य कार्रवाई उसके विरूद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे अधिकारी पर लागू सेवा नियम के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी । अब यह बताइए कि इसको पहले कौन लोग सुनते थे ? अब इसमें कार्रवाई कौन करेगा ? ये ए.आर., जे.आर., डी.आर., पंजीयक ये लोग सुनते थे । सीधी से बात है कि उस व्यवस्था को आप इसमें हटा रहे हैं । आप मूल अधिनियम और इस संशोधन को एक साथ पढ़ लीजिए ।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- इसमें जो पहला अपीलीय था वह रजिस्ट्रार था । वह अधिकार अब हम संभाग में दे रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मूल अधिनियम निकालिए कि उसमें कार्रवाई करने का अधिकार किसको है और ए.आर., जे.आर., डी.आर., की भूमिका अब क्या होगी । इस राजस्व न्यायालय की भूमिका अब क्या होगी । संशोधन की मूल धारा को पढ़िये फिर मुझे बताइए । सभापति महोदय, मैं पूरे को नहीं पढ़ता लेकिन आपको बता दूं कि 77(क) में आपने सहकारी अधिकरण का अधिकार छीनकर न्यायालय को दे दिया, यह न्यायालय का अपमान है यानी आपने 77 का अधिकार छीन लिया । धारा 77 में सहकारी अधिकरण का । ये जो कोऑपरेटिव के 97 संविधान संशोधन है, माननीय मंत्री जी उसके खिलाफ आप जा रहे हैं और यह सही नहीं कर रहे हैं । उसके बाद धारा 78 हैं, जिसमें मैं बोलना चाह रहा हूं। धारा 78 में आपने जो संशोधन दिया है उसमें इस संशोधन के माध्यम से आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं, वह स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं न। कुल मिलाकर आप जितने संशोधन लाये हैं, वे को-ऑपरेटिव की मूल भावना के खिलाफ है। न्यायालय के खिलाफ है। संविधान संशोधन की मूल भावना के खिलाफ है। स्वात्तता की मूल भावना के खिलाफ है और आपने जो अपात्र लोगों को पात्र करने के लिए एक रास्ता खोला है, उससे को-ऑपरेटिव आंदोलन बर्बाद होगा। आर.बी.आई. के प्रतिबंध को हटाया है, उससे को-ऑपरेटिव आंदोलन बर्बाद होगा। किसी समय में आपके कार्यकाल में जो घटना हुई थी, मैं उसका नाम नहीं लेता, उस कार्यकाल में जो रायगढ़ और अंबिकापुर जैसे बैंकों की स्थिति हुई है, छत्तीसगढ़ उस दिशा में बढ़ेगा। मुझे संशोधन का तो अवसर नहीं मिला, पर मैं निश्चित रूप से इस बात से चिंतित हूं कि सहकारी आंदोलन को भी सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो अपात्र हैं, उन्हें नियोजित करने का एक रास्ता इस विधेयक के माध्यम से बना नही है। सहकारी आंदोलन की मजबूती से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

सभापति महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक, 2020 भार-साधक मंत्री माननीय डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। राज्य के सहकारी सोसाइटी के संपरीक्षिका करने तथा सोसाइटियों को हानि पहुंचाने के लिए उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्तियों को दंडित करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने की दृष्टि से इस संशोधन विधेयक में सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा- 2, 6, 9, 10, 11, 12, 19 ,19क, 45, 48, 48 (ग), 49, 54, 58, 58 (ख), 77, 78 एवं 87 में आवश्यक संशोधन तथा प्रकरणों के पुनरीक्षण के प्रायोजन से छत्तीसगढ़ सहकारी संशोधन विधेयक, 2020 लाया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति सहकारी सोसाइटियों को नियुक्त करने का अधिकार रजिस्ट्रार को दिया गया है, वह सोसाइटियों को नुकसान पहुंचाने हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने सहकारी सोसाइटी के ऐसे अधिकारी या पदाधिकारी के विरूद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो या आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा अन्य जांच या कार्रवाई संस्थित किये जाने के लिए राज्य सरकार को सक्षम प्राधिकारी बनाये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तुत विधेयक के माध्यम से सहकारी समितियों को प्रशासनिक ढांचे में कसावट लाने के उद्देश्य से लाये गये छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 का मैं समर्थन करता हूं और हमारे विधायक पूर्ण मंत्री आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी ने सभी के बारे में विस्तार से बताया है। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मंत्री जी इसमें जवाब देंगे ? अजय जी ने प्रश्न उठाये हैं, उस पर मंत्री जी कोई जवाब देंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- तैयार नहीं है तो कहां से खड़े होंगे ? आप तारीफ कर दीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- चन्द्राकर साहब, हमारे मंत्री जी एक घंटा बोलेंगे, आप सुनिए तो वे बोलेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- हो तो गया कार्यवाही आगे बढ़ गई। क्या बात है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम (सहकारिता मंत्री) :- माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन लाया गया है, यह आपकी शंका है। जो जैसा करता है, वह वैसा सोचता है।

श्री मोहन मरकाम :- सही बात।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- क्या आपके समय में कोई घटना नहीं हुई थी? प्रियदर्शिनी इंदिरा बैंक में कौन-कौन, क्या-क्या लिया था, कहां कितना घपला हुआ था ? ये क्या मेरे समय में हुआ था ? माननीय सभापति महोदय, यह सहकारी आन्दोलन छत्तीसगढ़ को मजबूत करने के लिए अधिनियम में जो बाधाएं थीं, जो कठिनाइयां थी, उसको सरलीकरण किया गया है । उसमें बहुत सी जटिलता थीं । उनको सरलीकरण करने के लिए यहां सहकारी क्षेत्र में जो जानकार हैं, उनसे सलाह ली गई । हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, मोहम्मद अकबर जी और तमाम जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबकी सलाह से यह विधेयक लाया गया है । अब जो सहकारी सोसायटी है, उसमें पंजीयन का होगा । मान लीजिए कि 20 परिवारों का पंजीयन बन रहा था, अगर हम लोग उसको 10 परिवार का कर रहे हैं तो इसमें और बनेगा या कम होगा, इसमें क्या दिक्कतें हो सकती है । पंजीयन में 90 दिन का समय लगता था, अगर हम उसको 45 दिन में कर रहे हैं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है ? इसको जल्दी करने की हमारी नीयत है, इसलिए हम लोगों ने इस विधेयक को लाया है । रोजगार के कई ऐसे अवसर हैं, अभी प्रश्नकाल में सहकारी आन्दोलन नहीं बन पा रहा था, अगर इस विधेयक के पास होने के बाद कम समय में बनेगा, कम संख्या में बनेगी तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिसका पंजीयन होगा, समितियां बनेगी और उसका लाभ उसको मिलेगा । चाहे वह इंजीनियर को हो, चाहे प्लंबर का हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का हो, इन सबकी समितियां बनेगी । कई समितियां ऐसी हैं, जो काम करना चाहती हैं, लेकिन उसमें पूंजी लगाना पड़ेगा । अगर कोई प्राईवेट व्यक्ति पूंजी लगाना चाहता है तो उसमें लगा सकता है । हमारे प्रदेश में कई शक्कर कारखाने हैं, अगर शासन से अनुदान नहीं

अप्राधिकृत/प्रकाशन के लिये नहीं

मिलता है तो उनको इससे अनुदान प्राप्त हो सकता है इसलिए हमने इस विधेयक को लाया है । कई अधिनियम बनते हैं, फिर उसके उपनियम बनते हैं । उसके उपनियम बनने में बहुत समय लगता है, उसको हम लोग कम कर रहे हैं । पहले वह अधिनियम 45 दिन में बनता था तो उसको हम 30 दिन कर रहे हैं तो इससे जो हमारे सहकारी आन्दोलन है और जो सहकारी नियम हैं, उसमें सहायता होगी ।

माननीय सभापति महोदय, आपने उसमें कई बातें रखी हैं कि उपविधि जो समय पर होना चाहिए, हम लोग उसको जल्दी से कर सकते हैं । सेवा के क्षेत्र में कई ऐसे संस्थाएं हैं, जिनको हम लोग सहकारी समिति से हटा दिये । उसमें वह सदस्य भी नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग उसमें सदस्य रखेंगे । अगर किसान है तो खाद-बीज मिलेगा । वह प्रावधान नहीं था, हम लोग उसको इस अधिनियम में ला रहे हैं । सभापति महोदय, आपने जो प्राधिकृत अधिकारी कहा, बैंक का जो काम है, वह अलग टाईप का है और चूंकि वहां विशिष्ट कार्य होता है । जैसे सत्यनारायण शर्मा जी ने बात रखी है कि एक्सिस बैंक के माध्यम से सी.ई.ओ. को जिलों में भेजेंगे तो बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं को उस क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है। कई बार हमारे सोसाईटियों में आडिट नहीं हो पाती तो आडिट समय पर हो, उसके लिए इसमें व्यवस्था की जा रही है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉ. साहब, आप कतको समझा लौ, ओकर समझ में नहीं आना हे । (हंसी)

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त करेंगे ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सभापति महोदय, आपने कहा कि जो न्यायालयीन प्रकरण हैं, आर.बी.आई. के तहत काम कर रहे हैं । आर.बी.आई. की जो गाइड लाईन है, उसमें किसी प्रकार का अधिकार हम कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अधिनियम है, उस रजिस्ट्रार को फिर से पुनरीक्षित करने का अधिकार हम लोग दे रहे हैं । उसमें भविष्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी ।

सभापति महोदय, प्रदेश के जितने अपीलें होती हैं सहकारी समिति के या अन्य कोई, वह केवल रजिस्ट्रार के यहां होता है । तो प्रथम अपील रजिस्ट्रार के यहां होता है, उसको हम कम करके अगर हम संभाग में दे रहे हैं और जी.आर. को दे रहे हैं तो उससे यहां जो अपीलें आती थी, उनकी सुनवाई वहां पर हो जाएगी । उसका उनको लाभ होगा । इन तमाम चीजों को हमने सरलीकरण करने का प्रयास किया है और सरलीकरण करने के बाद सहकारी आन्दोलन, इसके जो मूवमेंट हो, उसमें आगे बढ़ेगी और जो शंका है, उसे हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे । सहकारी आंदोलन के बारे में जैसा कि आपने कहा कि महाराष्ट्र और बाकी जगह है। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही बहुत सी सहकारी समितियां हैं, जिनका पंजीयन नहीं होने के कारण नहीं हो पाता है। हम लोग इसको तीन साल आगे बढ़ायेंगे और छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें कोई पिछले दरवाजे से नहीं आयेगा। जैसे आपके समय में आप लोग सोचते थे। हम चुनाव पद्धति से आयेंगे और यहां पर मजबूती से सहकारी आंदोलन को खड़ा करेंगे।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक-20 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

Uncorrected and unedited/Not for Publication Friday, August 28, 2020

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 20 इस विधेयक का अंगे बने।

खण्ड 2 से 20 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विाधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक-20 सन् 2020) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक-20 सन् 2020) पारित किया जाय।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक-20 सन् 2020) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) **छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020)**

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, आप सब इस बात को जानते हैं कि कई संगठन और अभिभावक समय-समय पर इस बात का ध्यान आकर्षण करते हैं कि अशासकीय विद्यालयों में फीस अधिक ली जाती है, उसमें कई प्रकार की फीस ली जाती है और उनको दिक्कत होती है। तो हम लोग उन्हीं लोगों की एक समिति अभिभावकों की समिति बनायेंगे। उसमें उनके प्रतिनिधि रहेंगे, यह हम लोग उनको जिम्मेदारी दे देना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम लोगों के चुनाव घोषणा-पत्र में, जन घोषणा पत्र में भी इस बात को भी कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम इस तरह के नियम बनायेंगे, कानून बनायेंगे जिससे अशासकीय विद्यालयों में जो अधिक फीस ली जाती है, पालको की जो शिकायत रहती है, उनको दूर किया जाय। इसलिए हम लोग इस विधेयक को ला रहे हैं ताकि उनको नियंत्रित किया जाय। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि फील के मामले में कई लोग हाईकोर्ट में गये। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं। उसके बाद भी लगातार शिकायतें आ रही हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए स्कूल स्तर पर एक-एक समिति बनायेंगे, ताकि फीस का निर्धारण होगा। इस उदेद्श्य से लाया गया है।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक को लाने का उद्देश्य तो अच्छा है परंतु इस विधेयक के माध्यम से निजी स्कूलों को नियंत्रित करने की, अपने अंडर में रखने की जो कोशिश है वह कोशिश अच्छी नहीं है। तो जो निजी विद्यालय हैं, निजी विद्यालय भी छत्तीसगढ़ और देश के विकास में, प्रदेश के विकास में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे शासकीय स्कूलों की हालत हमको मालूम है कि आज शासकीय स्कूलों में एडमीशन कम हो रहा है, निजी विद्यालयों में एडमीशन ज्यादा हो रहा है। बहुत से निजी विद्यालय हैं जहां एडमीशन के लिए हम लोगों को कहना पड़ता है।

(स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) में कुछ वार्तालाप होने पर)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बात कर लें। आप उधर नहीं देख रहे हैं, मेरी तरफ ही देख रहे हैं। दोनों मंत्री जी की बात हो जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, हालत यह है कि अब जैसे चाहे वैसे विधानसभा चल सकती है। विधि विधायी कार्य में तो गंभीरता होती है, सरकार में कितनी गंभीरता है वह दिख रही है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- विधानसभा तो जो नियम कानून है उसी के तहत चलेगी। सरकार पूरी गंभीर है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय,कितनी गंभीरता है वह दिख रही है। आप तो बातचीत में मशगूल थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इसकी भावना अच्छी होने के बाद भी मैं पूछना चाहता हूं कि आपको तीन समितियां बनाने की क्या जरूरत है? एक स्कूल के स्तर पर समिति होगी, एक कलेक्टर के स्तर पर समिति होगी, एक राज्य के स्तर पर समिति होगी। मुझे जरा बताएं कि कलेक्टर वहां के बच्चों के पालकों की नियुक्ति किस आधार पर करेगा? उसके पास कहां से जानकारी आयेगी? कौन जानकारी देगा? जरा निजी स्कूलों की स्वायत्तता को, आप फीस पर नियंत्रण करें परंतु उनकी स्वायत्तता पर नियंत्रण नहीं करें। छत्तीसगढ़ में बड़ी-बड़ी निजी स्कूलों को हम लाना चाहते हैं कि वह स्कूलें यहां आयें। हमारे टी.एस.सिंहदेव साहब बैठे हैं, राजकुमार कालेज देखते हैं। कल कलेक्टर दो-तीन विघ्नसंतोषी लोगों को आपकी समिति में नियुक्त कर देगा और जो विघ्न संतोषी लोग जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वह आपके स्कूल के संचालन को दुरूह कर देंगे। आपको काम नहीं करने देंगे और बाहर की अच्छी-अच्छी संस्थाओं को बुलाकर हम जिन संस्थाओं का स्कूल खुलवाना चाहते हैं वह स्कूल खुलना बंद हो जायेंगी। राज्य स्तर पर कोई समिति बने तो वह एक अच्छी बात है, उसकी कोई प्रक्रिया तय हो तो वह एक अच्छी बात है परंतु ये कोई संशोधन कानून नहीं है बल्कि हम नया कानून ला रहे हैं। यदि नये कानून में हम अशासकीय विद्यालयों को जिस प्रकार अशासकीय महाविद्यालयों की फीस के नियंत्रण के लिए एक समिति बनी हुई है परंतु यदि विद्यालयों की फीस के लिए यदि आपने इस प्रकार की समिति बना दी और स्कूल स्तर पर बना दी तो छत्तीसगढ़ में कितने निजी स्कूल हैं? जरा आप अपने उद्देश्य और कारणों में बताते कि छत्तीसगढ़ में इतने हजार निजी स्कूल हैं और इतने हजार निजी स्कूलों के नियंत्रण के लिए कितनी हजार कमेटियां बनेंगी? उन कमेटियों में कितने हजार लोग नियुक्त होंगे? उन नियुक्तियों के लिए आपने बोल दिया कि पालक होना चाहिए। आज हमारे समय में बहुत से

लोग ऐसे हैं जो करोड़पति, अरबपति भी हैं परंतु वह स्कूल की फीस नहीं पटाना चाहते। वह चाहते हैं कि सरकारी योजना में उनकी भर्ती हो जाए। हम लोगों के पास भी लोग आते हैं। तो इस प्रकार से विघ्न संतोषी लोगों को हम नियुक्त करके हम पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देंगे। इसलिए स्कूल के स्तर पर समिति नहीं बननी चाहिए। और आप इसके बाद राज्य के स्तर पर जो समिति बना रहे हैं वह राज्य स्तर की समिति में आप कोई पालकों को नहीं रख रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि को नहीं रख रहे हैं। राज्य स्तर की समिति में कम से कम जनप्रतिनिधि तो होना चाहिए। यहां से हम कानून पास कर रहे हैं पर राज्य स्तर की समिति में हम किसी जनप्रतिनिधि को नियुक्त नहीं कर रहे हैं। आप कलेक्टर स्तर की समिति बना रहे हैं। कलेक्टर की समिति में भी कलेक्टर द्वारा नामांकित अशासकीय विद्यालय के दो प्रबंधन को रखा जायेगा एक अच्छी बात है परंतु उसमें जो पालकों के प्रतिनिधि को रखा जायेगा वह किस आधार पर रखा जायेगा, कैसे रखा जायेगा, आप कहां से लाओगे? अब उसको क्या करेंगे विधायक जी बोलेंगे मैं आपको दो नाम देता हूं आप उसको नियुक्त कर दीजिये। प्रभारी मंत्री बोलेंगे उसको नियुक्त कर दीजिए। प्राईवेट स्कूलों का नियंत्रण राजनीतिक लोगों के हाथ में आ जायेगा। अगर राजनीतिक लोगों के हाथ में प्राईवेट स्कूलों का नियंत्रण आ जायेगा तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ में अच्छी स्कूलें खुलना बंद हो जायेगी। अच्छी संस्थाएं खुलना बंद हो जायेगी। जब हमारी सरकार थी तब भी मैं इस बात का हिमायती था। अगर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कूल आती है, अच्छी स्टैंडर्ड की स्कूलें आती हैं, तो उन स्कूलों को सरकार को अनुदान देना चाहिए। हम जितना पैसा शासकीय स्कूलों के उपर खर्चा करते हैं, उसका 25 प्रतिशत पैसा खर्च करकर हम अच्छे स्टैंडर्ड की निजी स्कूलों को यहां पर खुलवा सकते हैं। उनको बल्कि सहायता देना चाहिए, जैसे अभी आप गरीब बच्चों के पैरेंट्स के लिये देते हैं, वैसी अच्छी स्कूलों में, जैसे आप हमारी अनूसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को अच्छी स्कूलों में प्रवेश दिलाते हैं तो उनके लिये आपने तय किया हुआ है। उसी प्रकार से अगर सरकार के द्वारा रिकमनडेट अगर जनप्रतिनिधि द्वारा रिकमनडेट बच्चों को अच्छी स्कूलों में एडमिशन मिलता है तो सरकार उसके लिए उसकी फीस देगी। आपको ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी सरकारी स्कूलों पर नियंत्रण करने की। फीस पर नियंत्रण करना अच्छी बात है। बहुत से लोग ऐसी ऐसी स्कूलें हैं, जो ए.सी क्लास रूम है, ए.सी. बस है, वहां पर बच्चों को दोपहर में खाना देते हैं, स्कूलों को आप कैसे सेग्रीगेड करेंगे कि कौन कौन सी स्कूल क्या-क्या सुविधा देती है ? अगर आपने ये कर दिया तो आने वाले समय पर स्कूलें शिक्षकों की तनख्वाह कम कर देगी। वैसी भी निजी स्कूलों में शिक्षकों की तनख्वाह बहुत कम है। अभी कोरोना काल में आधी-आधी तनख्वाह दे रहे हैं, पिछले 6 महीने से फीस नहीं आ रही है। जब ऐसा हो जायेगा तो देश में छत्तीसगढ़ में हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जायेंगे बेरोजगार। लोग उनको निकाल देंगे। क्योंकि जब स्कूलों की इनकम नहीं होगी तो वे कहां से करेंगे। हमारा उद्देश्य अच्छा है, पर उस उद्देश्य को जिस तरीके से हम यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम तीन-तीन समितियां बना रहे हैं, ये तीनों समितियां बनाकर हम स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी शिक्षण संस्थाएं छत्तीसगढ़ से चली जायेंगी, भाग जायेंगी, बंद कर देंगी। हम लोग सरकार में बैठे हैं, आप और हम लोग देश की नामी संस्थाओं को बुलाना चाहते हैं कि आप यहां पर आईये। हम आपको एक रूपये में जमीन देंगे। हम आपको अनुदान देंगे। नई राजधानी में हम अच्छी संस्थाओं को सुविधाएं दे रहे हैं, परंतु अगर ये कानून हमने पास कर दिया तो आने वाला समय मैं तो चाहूंगा आप अभी इस विधेयक को रोक दीजिए। इसके उपर में और चर्चा कर लीजिए और बातचीत कर लीजिए। कम से कम अगर आप इस विधेयक को

Uncorrected and unedited/Not for Publication

पारित करते हैं तो इसमें जो विद्यालय की फीस समिति है, उस फीस समिति में कलेक्टर के द्वारा जो नामिनेट किये जाने वाले प्रतिनिधि हैं, आप उनको उसमें से हटा दीजिए। जो राज्य स्तर की समिति है, उस राज्य स्तर की समिति में आप जनप्रतिनिधियों को रखिये। जिसके माध्यम से इसका ठीक तरीके से समाधान हो सके नहीं तो हमारा उद्देश्य अच्छा होने के बाद भी ये छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने की बजाय छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने वाला विधेयक होगा। क्योंकि आप एक नई नींव रख रहे हैं, ये संशोधन विधेयक नहीं है, ये नया विधेयक है और इस नया विधेयक में आज हमारे यहां के हजारों बच्चें, पिछले दिनों जब कोरोनाकाल हुआ, जब छत्तीसगढ़ के पांच हजार से ज्यादा बच्चे कोटा में प्रशिक्षण ले थे। छत्तीसगढ़ के लाखों बच्चे राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, वे अपने बच्चों को बाहर क्यों पढ़ने भेजते हैं, क्योंकि उनमें पैसा देने की ताकत है। वे अपनी बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाना चाहते हैं, अगर हम इस प्रकार का नियंत्रण, आप फीस नियंत्रण करिये, पर उसके लिये खाली ये तीन समिति बनाने से नियंत्रण नहीं होगा। सुविधाओं के बारे में कौन तय करेगा कि किसका हास्टल अच्छा है ? कौन ए.सी. दे रहा है, कौन पंखे दे रहा है, कौन भोजन दे रहा है, कौन स्कूल ड्रेस दे रहा है, कौन सी स्पोर्टस की व्यवस्था है। ऐसी-ऐसी स्कूलें भी है। जो 2 कमरें में लगती हैं जहां खेल का मैदान नहीं है जिनको परमिशन दिया हुआ है। ऐसी स्कूलें भी है और ऐसी स्कूलें भी हैं जो सब प्रकार की सुविधाएं देते हैं। आप अगर सबको एक तरीके से हाकेंगे तो इससे इस पर नियंत्रण नहीं होगा। निश्चित रूप से पालको की भी चिंता है, हमारी भी चिंता है, पालकों की लूट नहीं होनी चाहिए। जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिये भी पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर नियंत्रण होना चाहिए। परंतु नियंत्रण ऐसा नहीं हो कि ये विधेयक हमारे छत्तीसगढ़ के लिये काला अध्याय न बन जाये। हमारे यहां से जो निजी स्कूल हैं वह बंद हो कर चली जाएं।

संसदीय सचिव, वन मंत्री से संबद्ध (श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय) :- माननीय अग्रवाल जी 15 सालों से जो स्कूल की व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं उसी को सुधारने के लिए अधिनियम लाया जा रहा है। आप प्राईवेट स्कूलों की स्थिति को देख लीजिए, उसमें सरकार का कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। चाहे फीस या शिक्षा को लेकर देखिए। आज छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल के बच्चों की स्थिति देखिए। हमारी सरकार 40 इंग्लिश मीडिय स्कूलें खोल रही हैं। इससे शिक्षा स्तर बेहतर होगी। अभी आप इसको सर्वसम्मति से पारित कर दीजिए।

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपनी बात रखिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय संसदीय सचिव जी, मैं भी यहीं हूँ और आप भी यहीं हो। अगर आपके 5 सालों के कार्यकाल में 40 इंग्लिश स्कूलों की व्यवस्था ठीक कर लेंगे तो मैं आपको इसी सदन में बधाई दूंगा। ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है। जो चीजें स्थापित हैं हम उनको बर्बाद नहीं करें। वह हमारी छत्तीसगढ़ की संपत्ति है वह हमारी छत्तीसगढ़ की ख्याति है। माननीय टी.एस.सिंहदेव साहब बैठे हैं । राजकुमार कॉलेज में कौन अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता है । आज छत्तीसगढ़, रायपुर का हर परिवार चाहता है कि राजकुमार कॉलेज में मेरा बच्चा पढ़े। कल वहां की प्रबंधन समिति में 4 गड़बड़ लोग चले गये। रोज विवाद पैदा करने लगे, वहां हड़ताल होने लगी वहां की पढ़ाई व्यवस्था ठप्प हो जाएगी। तो मैंने कहा कि विधेयक का जो उद्देश्य खराब नहीं है। विधेयक का उद्देश्य बहुत अच्छा है। आपने कोशिश की मैं इसकी भी तारीफ करता हूँ। परंतु जिस प्रकार से यह लाया जा रहा है कहीं इसके उद्देश्य अच्छे होने के बाद भी ये छत्तीसगढ़ को, प्रगति की तरफ ले जाने के बजाए शिक्षा व्यवस्था को प्रगति की

तरफ ले जाने के बजाए ये पीछे न ढकेल दे। इसके बारे में बहुत मंथन करने की जरूरत है। इसमें बहुत विचार करने की जरूरत है कि इसके बाद में मुझे मालूम है कि इसके नियम जारी होंगे। यहां पर वह नियम भी प्रस्तुत होंगे। उन नियमों के माध्यम से इसका संचालन होगा। कई बार नियम ऐसे बना देते हैं कई बार मेरे मन में भी होता है कोई एक स्कूल है, वह मेरी बात नहीं सुनती है इस स्कूल को ठीक करना है हो सकता है कि मैं आपको भी फोन करके बोलू कि यह स्कूल वाला बदमाश है। मेरे व्यक्तिगत कारणों से हो सकता है। परंतु वास्तव में वहां के सब पालक नाराज हैं ऐसी बात नहीं है कई बार हम अपने व्यक्तिगत कारणों से उनको सबक सीखाना चाहते हैं। तो व्यक्तिगत कारणों से किसी को सबक सीखाने की बात नहीं हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो निजी शिक्षण संस्थाओं का जो योगदान है, हम उस योगदान को नकार नहीं सकते। ये भी सही है कि कुछ निजी स्कूलों के द्वारा, इसको ये माना जाता है कि जो शिक्षा का काम है वह बिना लाभ हानि के होना चाहिए। ये लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। परंतु कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया है। जिन्होंने व्यवसाय बनाया है उसको हमको रोकने की जरूरत है परंतु सेवा के उद्देश्य से जो लोग काम कर रहे हैं उनको अगर हम रोक देंगे, अच्छी शिक्षण संस्थाएं बंद हो जाएगी। यहां अच्छी शिक्षण संस्थाएं आना बंद हो जाएगी तो हमारे छत्तीसगढ़ का कितना नुकसान होगा। क्योंकि आज के समय में सरकार के बस की बात नहीं है। अभी तो नई शिक्षा नीति आयी है उस शिक्षा नीति में तो शिक्षा को ग्लोबली बनाने की सोच हो रही है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री(श्री रूद्रकुमार गुरू):- माननीय बृजमोहन जी, अभी मैं अध्यक्ष जी के चैम्बर में बैठा था तो एक जानकारी मिली है। हमारे साथी विधायक ...।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, आप अपनी बात कहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर कोई बात है तो अध्यक्ष जी उनके कान में बता देंगे या सभापति बता देंगे। इसमें सार्वजनिक रूप से नाम घोषित नहीं करना है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिये मुझे इस बात की चिंता है कि हम लोगों ने पिछले 20 सालों में मेहनत करके, कोशिश करकर, देश की बड़ी-बड़ी संस्थाओं को यहां पर बुलाकर, अच्छे शिक्षण संस्थान खुले हैं जो छत्तीसगढ़ का इंरोलमेंट रेश्यो 2 प्रतिशत होता था आज वह बढ़कर 17-20 प्रतिशत हुआ है और कहीं हमारे इस विधेयक के कारण अच्छी शिक्षण संस्थाएं यहा बंद नहीं हो जाए, यहां से चली न जाएं और इसलिए हमको इस विधयेक को लाने के पहले बहुत ज्यादा कसरत करने की जरूरत है क्योंकि सरकार ने इसको लाया है इसके पॉजिटिव इंपेक्ट के लिए लाया है परंतु वास्तव में पॉजिटिव इंपैक्ट तो कम पड़ेगा इसका निगेटिव इंपेक्ट ज्यादा पड़ेगा। निगेटिव इंपैक्ट ज्यादा पड़ने के कारण छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय मंत्री जी से और आसंदी से भी मेरा आग्रह है, पूरे सदन से आग्रह है कि इस विधेयक को पारित करने की बजाय यह सरकार अभी वापिस ले ले।

समय :
4:00 बजे

इसके ऊपर में गहन मंथन हो, विचार हो। छत्तीसगढ़ की प्रायमरी, मिडिल, हाईस्कूल की शिक्षा पर कहीं इसका विपरित प्रभाव न पड़े। हम पालकों के, बच्चों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, परंतु उस रक्षा के पीछे कहीं

इसका दुष्प्रभाव नहीं हो, इसलिए इसके ऊपर में गहन अध्ययन करने के बाद, विचार करने के बाद विचार करना चाहिए। मेरा इस बात आग्रह है कि आप या तो इसको प्रवर समिति को सौंप दें या आप इसको वापिस ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

संसदीय सचिव, वन मंत्री से संबंद्ध (श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय) :- माननीय अग्रवाल जी, मुझे लगता कि आप निजी विद्यालयों को लेकर काफी चिंतित हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप राजकुमार कॉलेज का उदाहरण देकर अपने परिवारों के स्कूलो के बारे में ज्यादा चिंता कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जी नये-नये हैं। हम सामान्यत: इस सदन में किसी के परिवार की बात नहीं करते हैं। और मैं यह आपको बता दूं, शायद लोग जानते हैं, टी.एस.सिंहदेव साहब भी बैठे हैं कि मैं कितने बच्चों के लिए चिट्ठी लिखता हूं। मेरा ट्रस्ट चलता है, उसके माध्यम से मैं कितने बच्चों की फीस पटाता हूं, मैं कभी इसको बताता नहीं हूं, न इसको सार्वजनिक करता हूं और न प्रेस में देता हूं। आप यह रायपुर के लोगों से पूछ सकते हैं कि मेरा इस मामले में कितना योगदान होता है। इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा परिवार कोई काम करता है, कोई धंधा करता है तो यह उसका अधिकार है। वह उसको कर सकता है। उसके ऊपर में आप कोई आपत्ति नहीं कर सकते। अगर वह कोई गलत काम करते हैं तो आप उनके ऊपर में कार्यवाही करिये। कम से कम नये सदस्यों को इस प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

सभापति महोदय :- चलिये माननीय शैलेश पांडे जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह संसदीय सचिव हो गये हैं। आपसे वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, कम से कम बाकी सदस्य नहीं है, पर अकबर जी बैठे हैं।

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में सुनहरा दिन, ऐतिहासिक दिन इस विधानसभा के माध्यम से आने वाला है। हमारे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग जनसंख्या की बाहुल्यता है, इसके अलावा मध्यमवर्गीय परिवार से बी.पी.एल. केटेगरी के जो लोग हैं, हर व्यक्ति अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। माननीय बड़े भाई बृजमोहन अग्रवाल जी की बातें बहुत अच्छी थीं, उन्होंने अपनी बातें रखीं। लेकिन मैं अपना अनुभव भी बताना चाहता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पास उस क्षेत्र का विशाल अनुभव है।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी चीज यह है कि आज हर गरीब आदमी यह चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। उसके लिए यहां जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, हर जनप्रतिनिधि के पास पालक जाते हैं और कहते हैं कि फीस में रियायत करवा दीजिए, नि:शुल्क एडमीशन करवा दीजिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश मिल जाये, यह सब जनता चाहती है। मैं आपको बिलासपुर की बात बताता हूं। जैसे ही मैं विधायक बना, मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च के माह में कम से कम हजार पालक आये और वह सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। क्यों? क्योकि वह अपने बच्चों को प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। छत्तीसगढ़ में हर माता-पिता का अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना होता है। हर माता-पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़कर लिखकर एक अच्छा इंसान बने, अच्छी

तरक्की करे और एक अच्छे नागरिक की तरह हमारे समाज की, देश की, प्रदेश की सेवा करे। क्या उसको अधिकार नहीं है? लेकिन वह वहां पर अपने बच्चों को प्रवेश नहीं करा पाते हैं, यदि विधायक, सांसद या जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर उसको रिकमंड न करे कि इसको फीस को रियायत की जाये, यह शासन की योजना के अंतर्गत होता है, मैं मानता हूं। लेकिन ज्यादा संख्या किसकी है, ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो वाकई में अपने बच्चों को सीरियसली पढ़ाना चाहते हैं और एक अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं और उसके लिये वह विश्वास करते हैं कि अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाया जाये । अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाने के लिये उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है । अगर कोई गरीब है, मध्यमवर्गीय है तो वह कैसे ज्यादा फीस वाले स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ा पायेगा, अगर उसका हम सब लोग सहयोग न करें तो वह नहीं पढ़ा सकता है ।

माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ में लगभग-लगभग 7000 के आसपास अशासकीय स्कूल हैं । माननीय मंत्री जी जो आज काम करने जा रहे हैं वह गरीब लोगों के ऊपर जो उद्धार करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज का दिन सुनहरे दिन के रूप में जाना जाएगा । माननीय सभापति महोदय, लगभग 7000 प्राईवेट स्कूल्स हैं और इसमें लगभग 15 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं । यदि हम उन 15 लाख बच्चों के भविष्य को देखें । मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं । मैं अपने बच्चे की फीस के लिये वहां जाकर कोई रियायत नहीं लेता हूं, मेरा बच्चा डी.पी.एस. में पढ़ता है, मैं उसको पढ़ा देता हूं । जब मैं प्राईवेट नौकरी करता था तब भी मैं उस स्कूल में उसे पढ़ा देता था । आज मैं यह स्वीकार करता हूं कि उस स्कूल की फीस ज्यादा थी । मैं सदन में अपना अनुभव एक पिता के नाते बताता हूं कि मुझे वह फीस ज्यादा पड़ती थी लेकिन मैं पढ़ाता था क्यों, क्योंकि मेरे पिता जी ने मुझे पढ़ाया है, मुझे चाहे रास्ते में जाकर भीख मांगनी पड़े, चाहे मुझे कटोरा पकड़ना पड़े, चाहे मुझे पेपर बेचना पड़े लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाउंगा । मैंने अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, यह मेरी भावना थी, यह एक पिता की भावना थी । ऐसी ही भावनाएं अपने बच्चों को लेकर हर माता-पिता की होती हैं । मैं सक्षम था, मैंने अपनी बच्ची को पढ़ा लिया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, सब लोग पढ़ा सकते हैं, श्री देवेन्द्र भाई पढ़ा सकता है लेकिन हर व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता । हमें उनकी सोचनी चाहिए, उन लोगों की हमें सोचना चाहिए । आज शासन यहां पर जो कानून लाने जा रहा है, जो विधायक आज लाया गया है । जो कानून बनने वाला है इस कानून का उद्देश्य यह नहीं है कि निजी स्कूलों में मनमानी की जाये, वहां पर गुण्डागर्दी हो सके, वहां पर किसी प्रकार की राजनीतिक दबाव हो, वहां पर किसी प्रकार का कोई एक शासन का आधिपत्य हो जाए ऐसा कहीं नहीं होता है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी अभी यहां बैठे हुए थे । प्राईवेट कॉलेज, प्राईवेट यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रोफेशनल कॉलेज हैं उनके लिये आपकी ही सरकार ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं आपकी ही सरकार ने उनकी फीस को रेगुलेट करने के लिए छत्तीसगढ़ में फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी बनायी थी । माननीय चंद्राकर साहब आप तो शिक्षा मंत्री भी थे और वह कमेटी कॉलेजेस में जाती है, यूनिविर्सिटीज और प्राईवेट कॉलेजेस में जाती है और वहां पर जाकर उनका ब्यौरा लेती है, उनका ऑडिट रिपोर्ट चेक करती है, उनका लैब देखती है, उनकी लाईब्रेरी देखती है, चूंकि मैं भी एक प्राईवेट नौकरी करता था, मैं इसलिए अपने अनुभव को बता रहा हूं और फिर उसके बाद हमारी सुनती है और फिर उसके बाद होता है । हमने छत्तीसगढ़ सरकार से कभी इस बात की शिकायत

नहीं की कि हमें फीस कम दी या ज्यादा दी । कभी भी सरकार गलत फीस निर्धारित करती ही नहीं है । हॉयर एजुकेशन में इसका फायदा क्या होता है, इसका यह फायदा होता है कि कोई भी कॉलेज जो है वह अच्छी से अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा सामान्य व्यक्ति की पहुंच में हो यह उसका उद्देश्य होता है । आज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं, आज यदि छत्तीसगढ़ में 15 लाख बच्चे प्राईवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो उन 15 लाख बच्चों के भविष्य की बात है और अगर उन माता-पिता को थोड़ा सहयोग मिल जायेगा उस फीस में कि एक स्कूल स्तरीय चूंकि हम उनकी भी सुन रहे हैं, सरकार की मंशा अधिनियम में है कि उनकी भी सुनी जाये, स्कूल की भी सुनी जाये, पेरेंट्स की भी सुन ली जाये यह उद्देश्य है । इसको लेकर विभिन्न समितियां बनायी गयी हैं, हमारी सरकार के घोषणा पत्र में भी आपको याद होगा कि बाबा साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि हमने छत्तीसगढ़ में जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार आयेगी तो हम फीस को लेकर कुछ न कुछ नियंत्रण करेंगे । आम आदमी की सुलभता में अच्छी से अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा हो सके । माननीय सभापति महोदय, आज जो इसके लिये पहल की गई है इसका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और माननीय शिक्षामंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आज इतना बेहतरीन विधेयक यहां पर लाया गया है । मैं तो यह चाहूंगा कि इसको सर्वसम्मति से अवश्य पास करना चाहिए क्योंकि इसकी भावना बहुत अच्छी है । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ का क्या होगा, यह समझ में नहीं आ रहा है । आज 97वां संशोधन मुझे पढ़ना था । जितना लम्बा था, मैंने आपको दे दिया कि अंग्रेजी में और मेरी अंग्रेजी कमजोर है, आप ही मुझे पढ़कर बताइए । ये बड़ा ढोल पीटते हैं कि हमने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया और आप लोग नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन और क्या-क्या अंग्रेजी में माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे । हमने शिक्षा को अधिकार बनाया, रोजगार को अधिकार बनाया । शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद भी निजी स्कूलों में बच्चों को प्रवेश देना एक बात है और दूसरी बात यह है कि 21 वीं शताब्दी का यह युग ज्ञान का युग माना जा रहा है । इस युग में पूरी दुनिया में उदारीकरण के पहले और उदारीकरण के बाद भी, उच्च शिक्षा के संस्थान हों या स्कूल शिक्षा के अच्छे संस्थान हों, वे निजी क्षेत्रों के ही रहे । आपका सौभाग्य है कि आप आई.सी.एस.ई बोर्ड से पढ़े। मैं उस बोर्ड से नहीं पढ़ सका, मुझे पढ़ना था लेकिन मै हिंदी में पढ़ा । अब आई.सी.एस.ई. बोर्ड के अतिरिक्त डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक संस्था को नई राजधानी में जमीन दी कि आई.बी. बोर्ड बनाना है । फीस नियंत्रण कानून लाने के बजाय, आई.बी. बोर्ड, आई.सी.एस.ई. बोर्ड की स्कूलों को यहां लाइए । भवन्स हमने लाया । इस तरह के स्कूल आएं और उनको आप अनुदान कि ये बी.पी.एल. के लड़के हैं, जैसे उड़ान या प्रयास जैसी संस्थाएं गरीब बच्चों के लिए बनाई गईं । जब हम उच्च शिक्षा में थे तो एक विधेयक हम लाए थे, कहां हैं उमेश बाबू ? बहुत घूम रहे हैं आज । जब हमारी उच्च शिक्षा का प्रतिशत कम है तो अनुसूचित क्षेत्र जहां कॉलेज कम हैं, वहां हम जमीन भी देंगे, पांच साल तक वेतन का पैसा भी देंगे और इतना अनुदान देंगे । अब स्कूल शिक्षा के बजट में क्या है, यह मैं नहीं जानता लेकिन हमारे संवैधानिक दायित्वों को वेलफेयर की जो मुख्य अवधारणा है उसको निजी क्षेत्र के स्कूल पूरा करते हैं, उसके कारण हम बजट से उसको अनुदान देते थे । 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख अधिकतम् नहीं होता था कि हम कितना पैसा देंगे । लेकिन हम इसलिए उसको देते थे कि सरकार का जो मुख्य दायित्व है उसको नागरिक क्षेत्र की

संस्थाएं पूरा करती थीं । अब इस मूल भावना में क्या आया, नियंत्रण । यह मूल विधेयक है, इससे पहले यह हिंदुस्तान में कहीं लागू था या नहीं था । यह जानने की जरूरत है हमें । सभापति महोदय, ये मूल विधेयक है, आप यह देखिये कि माननीय बृजमोहन जी ने कहा कि इसको वापस लेना चाहिए या प्रवर समिति को सौंपना चाहिए । जो पी.एस. साहब आए हैं, तीन साल के लिए जिनको संविदा दी गई है, छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र हैं, सपूत हैं । मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन प्रवर समिति को देने की मांग इसलिए करता हूं कि यह जो कानून है राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में लागू है । आप अपने विधायकों की समिति बनाकर भेज दीजिए वे अध्ययन करके देख लेंगे कि ये कानून वहां सफल हुए या असफल हुए । निजी क्षेत्र को बढाने की दशा में नियंत्रण और जहां आप असफल हैं । असफल इसलिए हैं कि व्यवसायिक शिक्षा मंडल में उच्च श्रेणी के शिक्षक, लेक्चरर, सहायक शिक्षक इनमें कितने की भर्ती रूकी हुई है । आपने अभी को-ऑपरेटिव में कहा कि घोषणा पत्र में हमारा विषय था सुधार । तो शिक्षा में सुधार भी तो आपके घोषणा पत्र में था । विद्या मितानिन, इसको उसको आप बंद करेंगे, आउटसोर्सिंग बंद करेंगे । आउटसोर्सिंग तो आप अभी भी कर रहे हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सभापति महोदय, जो हमारे घोषणा पत्र में था उसको हम पूरा कर रहे हैं और यह भी हमारे घोषणा पत्र में था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं जो बोल रहा हूं वह आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यह मैं नहीं जानता । क्योंकि मैंने आपके पहले विधेयकों की प्रस्तुति देखा है इसलिए मुझे आप विषय मत समझाएं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हमारा जो उद्देश्य था वह आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कैसे विधेयक प्रस्तुत किया है, उसको मैंने देखा है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपके बृजमोहन जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य ठीक है । हमारा उद्देश्य बढ़िया है ।

श्री मोहन मरकाम :- हमारे मंत्री जी ज्ञानवान हैं आपको क्या बात करना है, पूरा बता देंगे आप क्या जानना चाहते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी-जी, तो आज के दौर में जो अपना मूल दायित्व है कि हम अपनी शिक्षा ऐसे मजबूत करें कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में मत जायें। साहब, हमने जोगी जी को श्रद्धांजलि दी। जोगी जी ने कहा। हमने कहा कि जल्दबाजी में कर दिये, पर उन्होंने कहा हर ब्लॉक में एक सी.बी.एस.ई. स्कूल होगा। जो सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है, मैं अभी थोड़ी देर बोलने वाला हूं, यदि समय रहा और स्वीकृत हुआ तो। छत्तीसगढ़ में उसमें प्रयोग शुरू हो गया। अब हम जिसको भी नॉमिनित करेंगे तो कलेक्टर के द्वारा नॉमिनित करेंगे। आप बोल दो न कि शिक्षाविद। आपके अभी 3 विधेयक आ रहे हैं। विशेषज्ञों की परिभाषाएं आ रही हैं। आपने टी.आर.आई. में मुझे जो उत्तर दिया था न तो आपके पास कितने विशेषज्ञ हैं, उसमें मैं बात करूंगा। हम कौन से शिक्षाविद हैं? एस.सी.ई.आर.टी. में मैं एक दिन बहस लगा देता हूं। एस.सी.ई.आर.टी. की क्या दशा है, अभी हम उस पर बात करेंगे कि कौन से शिक्षा विशेषज्ञ हैं ? आप यह कहिए कि बृजमोहन जी की जो आशंका थी कि ऐसे लोगों को नॉमिनित करें जो शिक्षा की व्यवस्था में खलल डालते रहें और नेतागिरी करते रहें और धंधा करें कि मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, आप मुझे 500, 1000, 2000 दो। यह धंधा होगा। दूसरी बात, मान लो विधेयक में मुझे बात करने के लिए

कहा गया। विधेयक में फीस नियंत्रण है, यह बहुत कहने की जरूरत नहीं है। यह जो चिंता है, वह इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता है। इस बात की चिंता नहीं है कि कौन कितना फीस देता या लेता। इसमें अब एक बात है कि उसे 8 प्रतिशत का अधिकार होगा। मान लीजिए कि मैं दो प्रतिशत बढ़ाना चाहता हूं तो। 8 प्रतिशत तक का अधिकार है तो सब 8 प्रतिशत बढ़ा देंगे। जब समिति ही बढ़ाएगी तो फिर उस नियंत्रण का औचित्य क्या हो गया ? यदि जरूरत 2 प्रतिशत की है तो भी लोग 8 प्रतिशत बढ़ाएंगे, क्योंकि विधेयक ने उन्हें अनुमति दे दी। दूसरा, राज्य स्तर में मंत्री जी उसके अध्यक्ष होंगे। जय हो। नियामक आयोग और भी बहुत सारे नियामक आयोग हैं। निजी विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय नियामक आयोग हैं । बिजली के नियामक आयोग हैं। मैं नहीं जानता कि कोई मंत्री अध्यक्ष होगा। इसकी क्या आवश्यकता है ? मंत्री क्यों अध्यक्ष रहना चाहते हैं ? उसमें क्या पारदर्शिता रहेगी ? कुल मिलाकर यहां की आज की जो डिमांड है, उसके विपरीत है। यह प्रयोग हिन्दुस्तान में किया जा चुका है। गरीब बच्चों की चिंता सबको है, लेकिन मनमानी के लिए, अधिकता के लिए 10 बार कार्यवाही हुई है। इसी छत्तीसगढ़ में हुई है और बिना विधेयक के हुई है, लेकिन आप वही करेंगे कि बेक डोर से एक असामाजिक आदमी किसी के कोटे से मनोनित होगा, मंत्री के कहने से और 5 लोगों को अनुमति दो, मैं बैठा हूं 50 हजार उसे दो और 25 हजार मुझे दो और मंत्री जी के पास सुनवाएं। आज मैं मंत्री जी के ऊपर आरोप नहीं लगाउंगा। मैं उनका प्रशंसक हूं। वे सीधे-सादे सरल आदमी हैं। उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। साहब, यहां तो एक सूत्र वाक्य हो गया है कि लक्ष्मी को यहां आने दो। यह हमारा सूत्र वाक्य है। अभी तो रेत से आने दो। अभी तो हम लहर गिन रहे हैं। दारू से आने दो। कोयला से आने दो। जहां से मिलता है, वहां से आने दो।

श्री मोहन मरकाम :- आप 15 साल जो किये हो, आप उसी का उदाहरण दे रहे हो न। जो आप लोगों ने 15 साल किया, उसी को सदन में बताना चाह रहे हो। (व्यवधान) 15 साल में जो हुआ है, इसी कारण से है। जो आप बता रहे हो।

संसदीय सचिव, श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध) :- आपके समय में पूरे छत्तीसगढ़ में मॉडल स्कूल खुले थे तो डी.ए.वी. को क्यों दे दिया गया। आपके समय में आपने मॉडल स्कूल को डी.ए.वी. को चलाने के लिए दिये और आप पहले की फीस पता कर लीजिए और डी.ए.वी. की फीस पता कर लीजिए।

सभापति महोदय :- चलिए, आप टोका-टाकी मत करिए। माननीय चन्द्राकर जी, आप बोलिए।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

सभापति महोदय :- विधेयक में बहुत कम समय है। बहुत सारे विधेयक हैं। कम समय बचा हुआ है।

डॉ. विनय जायसवाल :- इसी पर बोलना चाहूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- मूल विधेयक में तो थोड़ा समय लगेगा। संशोधन विधेयक में थोड़ा सा बोल लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि शिक्षा मंत्री जी को भी कोटा मिला होगा। आपकी तरफ से आ रहा है तो आपकी तरफ से नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है। किसी दल के सदस्य के कार्यकर्ताओं को नियोजित कर दें कि उन्हें रोजगार मिल जाये। 4 लोगों का एडमिशन कराओ और 2-4 लाख रूपये ल लो। शिक्षा के सुधार से, गुणवत्ता के नियंत्रण से इस विधेयक का कोई संबंध नहीं है। साहब, आज उदारीकरण का दौर है। गरीब बच्चों के लिए एडमिशन की व्यवस्था बनाइए। उसे सख्ती से लागू कीजिए। ऐसे नियम-कानून प्रावधान हमारे पास मौजूद हैं कि कलेक्टर या संबंधित लोग

कार्रवाई कर सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ वही भाव है। वही चिंता है। इसलिए मैं विरोध तो नहीं करता। मैं यह चाहता हूं कि जो लाइन बृजमोहन जी ने कही या तो वापस ले ले या प्रवर समिति को सौंप दें या उत्तरप्रदेश राजस्थान जैसे राज्य के बारे में मैंने बताया, गुजरात जहां लागू हुआ है, वहां असफल हुआ, वहां का एक बार अध्ययन करवा लें।

समय:

4:19 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी सरकार तो साढ़े 3 साल तो निश्चित चलेगी, उसके बाद धोखे से नहीं चलेगी। आप उस अवधि में कर लेंगे। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में आपने स्कूलों की फीस को नियंत्रण करने के लिए या फीस तय करने के लिए कमेटी बनाई है, मैं इसका स्वागत करता हूं । क्योंकि पालक लोग बार-बार कई अवसरों पर हम सबके बीच में पहुंचे हैं और मैं समझता हूं कि इस विधान सभा में बैठे हुए सभी विधायकों के समक्ष वे लोग आकर प्राईवेट स्कूल की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और उनकी आवाज बिल्कुल जायज है और उस पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन यह नियंत्रण करने का तरीका आप बना रहे हैं, उसमें कैसे नियंत्रण होगा, आप नियंत्रण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर जरूर विचार करने की जरूरत है । कई स्कूल बहुत बेहतरीन हैं और कई एकदम कमजोर हालत के स्कूल हैं, जो सुविधाविहीन हैं । अगर इन दोनों को आप एक तरीके से आंकेंगे, आपके कलेक्टर के नजरिये में आपके दो और दो चार प्रतिनिधि जो नामजद होंगे, वह सरकार की तरफ से ही होंगे । कलेक्टर जो दो प्राईवेट आदमी बनाएगा, वह निश्चित रूप से बिना आपकी अनुमति के नहीं बना सकता । कलेक्टर को छींकने-खांसने की अनुमति भी आप लोगों से लेनी पड़ती है तो वह दो आदमी की नियुक्ति तो आपसे ही पूछकर करेगा और जो दो पालक भी आएंगे, वह आपकी च्वाईस से आएंगे तो आपके चार आदमी आएंगे । अगर किसी स्कूल को चाहे सुविधा न हो, उसको कुछ परसेंट फीस बढ़ाने की भी बात आप कर सकते हैं और जो बेहतरीन स्कूल हैं, जिनकी साख है, जहां सुविधा है, जहां पर बच्चों के स्टडी करने का, रिसर्च करने का, एक्सपीरिएंस करने का, स्पोर्ट्स की जहां सब फैसिलिटीज है, उसको आप चाहेंगे तो प्री ज्यूडिस होकर आप उसको कम भी कर देंगे । ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से स्कूलों का संचालन खतरे में पड़ेगा । इसलिए फीस निर्धारित करने के पहले शिक्षा विभाग को हर उस प्राईवेट स्कूल का मूल्यांकन करना चाहिए । इसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि जो स्कूल हैं, उसको कैटेगिरीवाईस बांटकर रखना चाहिए, उसको वर्गीकृत करिए । आप एक डंडे से सबको हांकने की कोशिश करेंगे तो इस समिति के समक्ष अधिनायकवादी प्रवृत्ति हाथ में आ जायेगी । इसलिए जिस स्कूल का जितना दर्जा है, उसको उतना ही फीस कम करने या उसी हिसाब से उसको फीस बढ़ाने की अनुमति दीजिए, लेकिन जो सर्वसुविधायुक्त स्कूल है, वहां कम से कम कितना कम कर सकते हैं, उतनी ही दूर तक आप रहिए क्योंकि इस कमेटी का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए । डी.ए.वी. स्कूल पहले मॉडल स्कूल के नाम से खुला था, जो कि पिछले कार्यकाल से मुख्यमंत्री डी.ए.वी. स्कूल के नाम से अब जाना जाता है। इस स्कूल के लिए सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी जमीन है, लेकिन इनके जो संचालक हैं, वे बहुत तानाशाह प्रवृत्ति के हैं। वे कुछ भी चाहते हैं, वैसा करो, उनके कहने से करो और वे किसी के

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, किसी के खिलाफ भी शिकायत करते हैं । अगर उन्हीं के किनारे स्कूल है तो सरकारी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर को बोलते हैं कि ये ग्राउण्ड हमारा है, आप यहां पर खेलकूद नहीं कर सकते । हमारी कृपा से, सरकार की कृपा से टुकड़े में पलने वाले मुख्यमंत्री डी.ए.वी. स्कूल के संचालकों, तुम सरकारी स्कूल के बच्चों को अपने स्कूल में खेलने से रोकोगे । क्यों ? वह बिल्डिंग हमारी है, जमीन हमारा है, तुमको कोई एग्रीमेंट के तहत दे दिया गया तो आप सरकार के मालिकाना हक आपको नहीं मिला है । पूरे छत्तीसगढ़ का डी.ए.वी. स्कूल इनके संचालन में बहुत बड़ी संख्या में है, जो किसी के नियंत्रण में नहीं है। इसमें दर्ज होना चाहिए कि डी.ए.वी. स्कूल को भी इसमें अधिनियम में लाना चाहिए क्योंकि यह सरकार का नहीं है और आप कहीं उसको सरकारी एग्रीमेंट के तहत हुआ है करके सरकार मानेंगे तो बहुत बड़ा वर्ग वंचित होगा । मैं चाहता हूं कि डी.ए.वी. स्कूल के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि डी.ए.व्ही. स्कूल के लोगों की हरकत बहुत आपत्तिजनक रहती है। उनके जो लोग हैं, वे तानाशाही प्रवृति से ग्रस्त हैं और सरकार की गर्मी का नशा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपको जरा यह नशा उतारने की कोशिश करनी चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, कहीं ऐसा न हो कि आपकी जोर-जबदस्ती में फीस कम कर दे तो पता चला कि बच्चों को बैठने के लिए ठीक से स्टूल नहीं मिल रहा है, कमरे में पंखा नहीं चल रहा हो, उनको जो टी.व्ही. उपलब्ध कराते हैं, वह न मिले, उनको जो कम्प्यूटर में सिखाते हैं, उसका न बंद कर दे। उनको जो खेल-कूद का सामान उपलब्ध होता है, वह बंद मत कर दे। कुल मिलाकर फीस कम हो रहा है। अगर फीस कम करने की आपकी मंशा अच्छी है तो कम जरूर करिये। क्योंकि यह आम जन भावना है। आम आदमी बच्चों की फीस नहीं पटा सकता है। हम लोग मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वे अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाये। लेकिन वह फीस वहन नहीं कर पाता है। लेकिन कम करने के चक्कर में बच्चें कहीं सुविधाओं से वंचित न हो, इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार योजना है, यह योजना बहुत अच्छी है। कलेक्टर उसके लिए अधिकृत होते हैं। परन्तु मैं यह देखता हूं कि कई बार कलेक्टरों के कहने के बाद भी प्रायवेट स्कूलों में उन बच्चों को जो गरीबी रेखा के नीचे या गरीब परिवार के हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो आप यह प्रस्ताव पास करा लीजिये। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर साहब, आप कभी-कभार एडमिशन के पहले हर शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले आपको रिव्यू करना चाहिए कि आपके कौन-कौन जिले के कलेक्टरों को कितना-कितना टारगेट मिला है, कहां-कहां किस स्कूल में कितने बच्चों को संख्या है और कितने प्रतिशत बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ेंगे। वह एडमिशन फुलफील हुआ या नहीं हुआ ? आप इसको देखिये। आप डी.ए.व्ही. स्कूल को भी इस कन्ट्रोल में रखिये। क्योंकि डी.ए.व्ही. स्कूल की जमीन उसके मकान सरकार का है। लेकिन संचालन प्रायवेट हो रहा है। लेकिन जब उसको संचालन करना होता है तब प्रायवेट बोलते हैं। जब किसी को धौंस देना होता है, सुविधा लेना होता है तो मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. योजना, कहकर सरकारी बनने की कोशिश करते हैं। तो यह विभाजन रेखा होना चाहिए। आप अच्छे लोगों को रखिये, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बच्चों की फीस कम लगे, यह हम सबका उदेद्श्य है। लेकिन उन स्कूलों की सुविधाएं भी कम न हो, आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे। खासकर जो डी.ए.व्ही. स्कूल के लोग, किनारे में जो स्कूल है, पहले एक ही स्कूल बनता था। हाईस्कूल के किनारे में ही डी.ए.व्ही. मॉडल स्कूल बन गया और वह किसी मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. स्कूल के किसी संस्था को, वह हमारे स्कूल के बच्चों, वहां के टीचरों और वहां के प्रबंधन के ऊपर नजायज दबाव न डाले, इस बात को सुनिश्चित करिये। वहां की

बहुत सी शिकायत है। मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं उन शिकायतों को उदाहरण और प्रमाण सहित आपके समक्ष पेश करूंगा। इस प्रकार से सरकारी संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए लोग उसे उद्योग समझकर काम न करे। उसको छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए काम करे। इसी उदेद्श्य से उनको दिया भी गया है। यही उद्देश्य उनको पालन करना होगा। तो आप कृपा करके ऐसे छोटे-मोटे सुधारों की तरफ भी मीटिंग ले लिया करें। आप आते हैं, आपको कोई पता नहीं रहता है। कभी जिला अधिकारी, कलेक्टर के यहां की बैठक में वहां के जनप्रतिनिधियों को ले लो, उसमें एक भी विधायक नहीं है। अगर इसमें विधायक लिख देते तो इधर 20 विधायक ही तो रहते, 68 तो आपके लोग रहते। तो उसमें विधायक जोड़ने में क्या तकलीफ है ? जनप्रतिनिधि का कोई स्थान नहीं है। विधायक से तकलीफ है तो उसको मत रखिये। जनपद अध्यक्ष लिख दीजिये। उसमें भी तकलीफ है तो जिला अध्यक्ष को लिख दीजिये, उसमें भी तकलीफ है तो जनपद सदस्य लिख दीजिये, उसमें भी तकलीफ है तो नगर पंचायत अध्यक्ष लिख दीजिये। जनप्रतिनिधियों का कुछ तो करिये। वहां इसी में उनको सम्मान दे दीजिये, वे लोग कम से कम बैठेंगे तो उनको भी लगेगा कि कलेक्टर ने मीटिंग बुलाया है और हम लोग अपने क्षेत्र का जानते हैं। जब जिले में ही फैसला हो जाना है तो प्रदेश का निर्णय करने की जरूरत क्या है ? आप एक आदमी बैठकर क्या कर लेंगे ? पूरे प्रदेश में कहां क्या समस्या है, आ रही है कहकर। यह आपकी प्रदेश की कोई अपील कमेटी तो है नहीं। इसलिए माननीय मंत्री जी, आपका प्रयास इसलिए अच्छा है बोल रहा हूं क्योंकि आम आदमी यह चाहता है कि उसके बच्चों की फीस कम हो। सब लोग इस वित्तीय भार को सहन नहीं कर पायेंगे। लेकिन आप उसको वहीं के वहीं, क्षेत्रीय स्तर पर जो ज्यादा समझेगा। सरगुजा की बात मैं क्या बताऊंगा, सुकमा की बात आप क्या बतायेंगे, लखमा जी बतायेंगे। अम्बिकापुर की आप बतायेंगे ? सुकमा की बात लखमा बतायेंगे। अंबिकापुर की आप बतायेंगे। बलौदाबाजार की और कोई बतायेगा। मुंगेली का हम लोग बतायेंगे। कवर्धा का और कोई बतायेगा। दुर्ग का कोई बतायेगा। तो वहां के जनप्रतिनिधियों को इसमें आप, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो दो कलेक्टर नॉमिनेट करेंगे वह जो दो पालक नॉमिनेट होंगे वह और एक उस संबंधित क्षेत्र का विधायक या जिला पंचायत अध्यक्ष जो आपको अच्छा लगे, च्वाईस आपके सामने है। आप विधायक को मत करिये, कम से कम स्थानीय प्रतिनिधियों को, पंचायत प्रतिनिधियों को करिये ताकि वह गांव के लोगों की बात समझेंगे और उसमें सरकार को सहयोग करेंगे। उद्देश्य अच्छा है, पहल अच्छी है लेकिन इसका क्रियान्वयन भी प्रभावी ढंग से हो, यही आपसे प्रार्थना है। मैंने आपके विधेयक का समर्थन किया है, मैं कर रहा हूं लेकिन इन सब चीजों पर आपको विचार करना होगा।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिए जो कदम आज छत्तीसगढ़ का यह सदन माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में उठा रहा है निश्चित रूप से इस प्रपाजल को पढ़ने के बाद मुझे आज से लगभग 11 वर्ष पहले का एक किस्सा याद आया। मैं एन.एस.यू.आई. का जिलाध्यक्ष बना, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे फोन किया और बोला कि हम लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। मैंने बोला कि अध्यक्ष जी किस विषय में करने जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि देवेन्द्र हम लोग शिक्षा का जो व्यावसायीकरण हो रहा है उसके लिए हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। मैं बोला कि भैय्या ये विषय बहुत बढ़िया है। हम लोग भी अपने स्तर पर ब्लाक-ब्लाक में इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं अपने साथियों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बैठकें ली। इसके बार हजारों की संख्या में अपनी मोटरसाइकिलों में, बाईक में, बस में चाहे जैसा भी करके हम लोग शंकर नगर चौक के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पास पहुंचे। वहां बहुत भीड़ हुई। हम लोगों ने वहां खूब नारे लगाये कि शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं चलेगा। यह हमारा अधिकार है, आप इसे हमें दीजिए। ये जो फीस इस तरीके से ली जा रही हैं इसको बंद कीजिए। लाठीचार्ज हुआ, आंसूगैस के गोले छोंड़े गये, पानी की बौछार छोंड़ी गई। पर कुछ हुआ नहीं। फिर मैं एन.एस.यू.आई. का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। प्रदेश अध्यक्ष बना तो बोला कि फिर इस मोर्चे पर आगे बढ़ते हैं। फिर ब्लाक-ब्लाक में आंदोलन कराये, पूरे प्रदेश भर में जिलों में आंदोलन हुए और फिर उस समय दाऊ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बन गये थे। फिर हम लोग भीड़ लिए और भीड़ लेकर फिर एक दिन सी.एम. हाऊस का घेराव करने निकले।

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन दाऊ जी प्रदेश अध्यक्ष बन गये थे?

श्री देवेन्द्र यादव :- अभी जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं वह।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, अच्छा, अच्छा।

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं उनकी बात कर रहा था। आप भी दाऊ जी हैं, आप हमारे दल में नहीं हैं इसलिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा था।

श्री कवासी लखमा :- दाऊ एक ही होता है, दो नहीं होता।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तब हम तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने पदयात्रा करते हुए गये। फिर एक बार राज्यपाल का ध्यान आकर्षण करने के लिए जब मैं राष्ट्रीय सचिव बन गया था तब भी पदयात्रा की। उसमें भी लाठीचार्ज हुआ और तीन दिन जेल में भी रहे। मैं उस समय का एक किस्सा आपको बताता हूं। उस समय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां पर सभा को संबोधित करने आये। उन्होंने छात्रों से कहा कि -

रख हौसला वह मंजर भी आयेगा,
प्यासे के पास चलकर समंदर भी आयेगा,
थककर मत बैठ मेरे कांग्रेस के सिपाही,
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आयेगी
और छत्तीसगढ़ के लोगों को मजा भी आयेगा।

ये बात, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश और आज आप लोगों की परिस्थिति देखकर मैं स्वामी विवेकानंद जी की दो लाईनें आपको कहूंगा कि खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। आप लोगों ने अपने आपको कमजोर समझा। 15 साल तक पालक गिड़गिड़ाते रहे, छात्र आंदोलन करते रहे, लोगों के साथ शिक्षा का व्यापारीकरण किया गया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह बड़े लज्जा की बात है कि स्कूलों में किन-किन चीजों के लिए फीस ली जाती है। गेम्स ट्रेनर, स्कूल बैच, फोटोग्राफी, पेंटिंग कांपीटीशन, टूर, आनंद मेला के कूपन तक के लिए स्कूलों में पालकों से पैसे लिये जाते हैं। आज कोई मध्यमवर्गीय परिवार का आदमी 8, 10 और 12 हजार रूपये कमाता है लेकिन वह शिक्षा में अपने बच्चे के लिए 5 हजार रूपये लगा देता है। यह परिस्थिति है। मैं कहना चाहूंगा कि आज ये जो काम हो रहा है, यह जो संकल्प हमारी सरकार ने लिया है, ये पूरा प्रदेश पूरे छत्तीसगढ़ का हर पालक आज इस डिसीजन को निहार रहा है, मैं आप लोगों का कहना चाहता हूं, हो सकता है कि आपका कुछ सुझाव हो, आपका भी कुछ experience हो, मुझे तो एक बात याद आती है, नाम नहीं लेना चाहिए, हमारे पूर्व कार्यकाल में जो शिक्षा मंत्री थे,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

एक बार हम लोगों ने आंदोलन किया तो उसके बाद एक नई नीति बनायी गयी है। नो प्राफिट, नो लॉस। लेकिन उसमें क्या हुआ ? लॉस जनता का, पालकों का, प्राफिट संचालकों का और नेताओं का। इसलिए आप मानिए समर्थन कीजिए। यह समय है कि हम लोग, हमारे बीच में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो तकलीफें हैं उसको सुधारें, कोविड का समय है, लोग मजबूर हैं, वे अपने बच्चों को इंग्लिस मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जितने अच्छे तरीके से अभी इंग्लिस मीडियम स्कूल को हर जिले बनाया जा रहा है और उसके लिये प्रापर फंड भी available कराये जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में मैं महापौर रहते हुए मैंने निवेदन किया कि मेरे महापौर क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र में 8 स्कूलों को दे दीजिए, हम इंग्लिस मीडियम स्कूल बनायेंगे। एक में भी स्वीकृति नहीं मिली। हम पैसा भी देने के लिये तैयार थे। लेकिन उस प्रपोजल को देखकर पूरे प्रदेश में स्वीकृत दे दी गयी, लेकिन एक भी स्कूल की ना बिल्डिंग बनी, ना बच्चों के लिये अच्छी व्यवस्था हुई और केवल चुनावी घोषणा के रूप में उन स्कूलों को इंग्लिस मीडियम का नाम दे दिया गया। अब असली इंग्लिस मीडियम बन रहे हैं। एक बार जाकर देखिये, हमारे बनाये हुए इंग्लिस मीडियम स्कूलों में लोगों की भीड़ लगी हुई है, पालक चाहते हैं कि अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ायें। प्रापर व्यवस्था हो रही है। टीचर्स की अच्छी व्यवस्था हो रही है, पूरी प्लानिंग से काम किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक लाने का जो फैसला माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में किया गया है, यह आज की नहीं यह प्रदेश के हर परिजन के अर्सों की पुरानी मांग है जिससे प्रदेश के नीजि स्कूलों के फीस विसंगतियों को दूर करने की राह आसान होगी। बेईमानी फीस बढोत्तरी रूकेगी, शिक्षा का व्यापारीकरण रूकेगा। मैं इस विधेयक के लिये माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सोच, प्रदेश की जनता के प्रति उनकी निष्ठा, अपने छात्र-छात्रों के प्रति उनका स्नेह, अपने कार्यकर्ताओं की हर लड़ाई का सम्मान के लिये मैं उनका दिल से बधाई देता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं कि आज इतना बड़ा फैसला हम लोग करने जा रहे हैं और ये मेरे लिये भी खुशी की बात है कि जब मैंने छात्र राजनीति से शुरूआत की थी, जिस मुद्दे को उठाकर पहली बार मैं ज्ञापन देने गया था, आज उस मुद्दे पर विधेयक पास हो रहा है और उसमें मेरा भी दस्तखत होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- देवेन्द्र यादव जी, आज आप बहुत बढ़िया बोले। आप बोलते कम हो, थोड़ा बोला करो ना। अच्छा तो बोले हो।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020) में अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। ये फीस विनियमन जो विधेयक आया है इसका उद्देश्य जैसा कि हमारे वरिष्ठ वक्तओं ने कहा कि बहुत अच्छा है और एक बार अभी पिछले दिसंबर मानसून सत्र में मैंने एक प्रश्न भी लगाया था, उस प्रश्न मे मैंने स्वयं ये बात रखी थी कि अशासकीय स्कूलों में फीस बहुत ज्यादा लिया जा रहा है कई जगह से शिकायत आ रही है, उसमें एक विधेयक लाया जाये। लेकिन जब विधेयक प्रस्तुत हुआ है और इसकी कुछ धारों को देखकर हमारे नेताओं ने बात कही, हम फीस को नियंत्रण नहीं करके स्कूल को नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहे है। अभी माननीय देवेन्द्र यादव जी जब बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ के सारे बच्चे डी.पी.एस., डी.ए.वी. में यहीं पढ़ने लगेंगे। ऐसा फीस हो जायेगा तो लोग वहीं के छात्र हो जायेंगे। अध्याय 3(10) बिंदु 6 में समिति को न्यायिक अधिकार दिये जाने का प्रावधान है।

यह फीस विनियमन आयोग को न्यायिक अधिकार देने का औचित्य क्या है ? जबकि हम सबको ऐसा अधिकार है कि कोर्ट का द्वारा हमेशा सब के लिये खुला रहता है, लेकिन इसकी मंशा पर यहीं पर सवाल होता है कि न्यायिक अधिकार दिये जा रहे हैं। जैसा कि 3 अलग-अलग कमेटी बनायी गयी है। इसमें प्रदेश की कमेटी में सभी जो सदस्य है वह शासकीय अधिकारी हैं किसी भी अशासकीय विद्यालय के समूह के प्रतिनिधि या पालक को या किसी जनप्रतिनिधि को नहीं रखा गया, सिर्फ विभागीय माननीय मंत्री जी इसके अध्यक्ष रहेंगे तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, बाकी विषय आ गये हैं। मैं इन बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए, अभी हमको लगता है कि इसमें और अधिक विचार की आवश्यकता है इसलिए इसको अभी वापस लिया जाए और इसमें व्यापक विचार विमर्श करके, इसमें समिति जरूर बनायी जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां माननीय मंत्री जी हैं। मैं एक विषय पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 15 अगस्त तक सभी जो शासकीय स्कूल हैं वहां के विद्यालय के छात्र-छात्राओं को पुस्तक का विरण हो गया है। जबकि किसी भी अशासकीय स्कूल में ये पुस्तक वितरण नहीं हुआ है। आर.टी.ई. के तहत लगभग पिछले दो-तीन सालों से 24 करोड़ रूपये या उससे भी अधिक की राशि कई स्कूलों को थोड़ा मिला है किसी को ज्यादा मिला है किसी को कुछ नहीं मिला है। तो आर.टी.ई. की राशि को भी करें। हमारे सभी जो कांग्रेस के वक्ता थे वह चिंतित थे कि अशासकीय स्कूलों को किया जाए। कोविड की बड़ी दिक्कत है तो स्कूलों के साथ भी दिक्कत है। उनको भी अपने शिक्षक, वहां के स्टाफ को तनख्वाह देने और अपनी बसों की किश्त पटाने में दिक्कत आ रही है तो उनका आर.टी.ई. का पैसा दिया जाये और छात्रवृत्ति जिन सभी वर्गों को मिलता है वह शासकीय स्कूलों को छोड़कर, बाकी अशासकीय स्कूलों को किसी को भी अभी नहीं मिला है तो इन तीन चीजों में भी माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय शिक्षा मंत्री, भार साधक मंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के लाखों पालकों, अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई है कि वे भी अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ ऐसे विधेयक लाकर लाखों लोग जो हमारे अभिभावक हैं उनके सपनों को पूरा करने का काम हमारी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार करने जा रही है। जब-जब चाहे केन्द्र में हो या छत्तीसगढ़ में हो कांग्रेस की सरकार रही है जो ऐसे कानून बने जो वंचित, गरीब लोगों को उसका लाभ मिले। शिक्षा का अधिकार, हमारी तत्कालीन केन्द्र की डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार लायी। उसी की तरह भोजन का अधिकार, काम का अधिकार कानून लाया गया। देश में ऐसे कानून बने कि जो आम जनता से लेकर गरीब से गरीब व्यक्तियों को लाभ मिले। आज आर.टी.ई. के तहत जो शिक्षा का अधिकार गरीब बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है। हमारी जब केन्द्र में सरकार थी मॉडल स्कूल बनाये ताकि हर 85 आदिवासी विकासखण्डों में गरीब से गरीब और होनहार बच्चे पढ़ सकें। मगर तात्कालीन छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की डॉ. रमन सिंह जी की सरकार मॉडल स्कूलों को भी

डी.ए.वी.स्कूलों में दिया गया। ताकि इस कारण हमारे गरीब तबके के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। डी.ए.वी. कौन थे जो आर.एस.एस. द्वारा संचालित उस विचार धारा से प्रभावित लोग उसका संचालन करते हैं। वे चाह रहे थे कि पूरे छत्तीसगढ़ में आर.एस.एस. की विचारधारा उन अंतिम गरीब बच्चों को भी पहुंचे। मगर उनके मनसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। आज करोड़ों रूपये का जो मॉडल स्कूल है जो बिल्डिंग है आज उनकी मनमानी चल रही है। आदरणीय वरिष्ठ विधायक ने जो बातें, चिंता जाहिर की। सचमुच में हम लोग बस्तर से आते हैं। आज डी.ए.वी. स्कूलों की मनमानी आज भी चल रही है। मैं माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारी सरकार की मंशा थी तात्कालीन केन्द्र सरकार की मंशा थी, जो गरीब, होनहार बच्चे पढ़ने वाले थे उनको न देकर, तात्कलीन सरकार ने जो अमीर बच्चों को वहां पढ़ाने का निर्णय लिया। वह गलत था तो अति पिछड़े क्षेत्रों में जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय बनाये । कहीं न कहीं हमारी सरकार की जो सोच थी शिक्षा के अधिकार के तहत हर व्यक्ति को, होनहार बच्चों को कैसे लाभ मिले, उसके लिए काम करने का प्रयास कर रही है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चन्द्राकर जी मैं पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का क्या होगा? आपने 15 सालों में छत्तीसगढ़ का हाल कहां से कहां पहुंचा दिया। आठवीं के बच्चे इंग्लिश की बात तो दूर, हिन्दी नहीं पढ़ पाते हैं। यदि सचमुच में आप लोगों ने गरीब बच्चों की चिंता की होती तो आप लोगों ने मॉडल स्कूलों को डी.ए.व्ही स्कूल को नहीं दिया होता। हमारी सरकार लगातार चिंता कर रही है प्राइमरी से लेकर हायर सेकेण्डरी तक इंग्लिश मीडियम स्कूल मॉडल स्कूल में संचालित करने का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। हमारे गरीब तबके के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। इस विनियमन विधेयक के माध्यम से राज्य में संचालित अशासकीय शालाओं की फीस विनियमन के लिए शिक्षकों, शिक्षाविद, पालक संघ और निजी स्कूल प्रबंधन के 1288 सुझावों के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक का निर्माण पर प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक के पारित होने पर अशासकीय शालाओं के अब मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने में अंकुश लगेगा। कहीं न कहीं जो पालकों की चिंता है, उसमें सरकार गंभीर है। इस मुद्दे को लेकर कई पालकों को हाईकोर्ट की भी शरण लेनी पड़ी थी। वह चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में फीस नियंत्रण हों और कोई भी पालक अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ा सकें। विनियमन विधेयक में तीन प्रकार की समितियों का गठन किया गया है, विद्यालय फीस समिति, जिला फीस समिति, राज्य फीस समिति। राज्य फीस समिति अन्य समितियों के लिये सामान्य निर्देश जारी करेगी जो इन समितियों के लिए बंधनकारी होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक में दंड का भी प्रावधान किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्य, वैयक्तिक तथा संयुक्त रूप से, इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर प्रबंधन उल्लंघन पर 50,000 रुपये या इस अधिनियम के अधीन सक्षम समिति द्वारा निर्धारित फीस के आधिक्य में ली गई रकम का दोगुना, जो भी अधिक हो के जुर्मान के लिये दायी होंगे।

प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए 1,00,000 रुपये या इस अधिनियम के अधीन सक्षम समिति द्वारा निर्धारित फीस के आधिक्य में ली गई रकम का चार गुना, जो भी अधिक हो, के जुर्माने के लिये दायी होगा। इस

धारा के अंतर्गत प्रकरणों का विचारण, सक्षम न्यायलय द्वारा किया जायेगा। कहीं न कहीं जो विधेयक आया है, उन लाखों अभिभावकों के लिए राहत देने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य शासन द्वारा अशासकीय विद्यालयों में फीस निर्धारण की प्रक्रिया को अधिनियमित किए जाने के उददेश्य से लाया गया यह विधेयक स्वागत योग्य है। इसलिए मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के गरीब तबके के लिए जो सचमुच में उनके सपने हैं, उन सपनों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा करने का सरकार ने निर्णय लिया है। यह हमारे घोषणा पत्र में था। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से इस विधेयक का पारित किया जाये।

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियम विधेयक पर ..।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय मंत्री जी, जैसा सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा है, हम बोले या न बोलें पारित हो जायेगा। लेकिन स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में कई बार ऐसे हुए हैं, आपके भी संशोधन हमने स्वीकार किये हैं। मैं नहीं जानता कि दुनिया में या किसी प्रदेश में नियामक आयोग का अध्यक्ष मंत्री हो, उसमें निष्पक्षता की संभावना नहीं रहती। आप यदि प्रवर समिति को नहीं सौंपना चाहते, वापस नहीं लेना चाहते तो इतनी ट्रांसपेरेंसी तो रख लें कि अपनी जगह उसमें कोई शिक्षाविद को बैठा दें लेकिन मंत्री नियामक आयोग का अध्यक्ष हो और फिर उससे शिकायत हो तो फिर मंत्री कहां जायेगा, यह बताईए । शासन में नियामक आयोग तो रहेगा । शासन का काम नियामक करना है, उसको मंत्री नियामक करेगा, मंत्री का काम शासन करना है । फीस का नियामक करना किसी चूंकि विदयुत नियामक आयोग है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय, आप बोल चुके हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह कर रहा हूं । मानना नहीं मानना उनका काम है तो यदि वे नहीं कर सकते तो आपसे शिकायत हो तो फिर लोग कहां जायेंगे, बाकी आपकी मर्जी है ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर हमारे पूर्व शिक्षामंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, शिक्षाविद् विधायक आदरणीय शैलेश पाण्डे जी, श्री अजय चंद्राकर जी, विद्वान साथी भाई धर्मजीत सिंह जी, श्री देवेन्द्र यादव जी, श्री रजनीश कुमार जी और हमारे श्री मोहन मरकाम जी ने भाग लिया और इसमें अच्छे सुझाव आए ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वे चाहे निर्वाचित हुए हों, सभी लोगों के सामने अशासकीय विद्यालय में फीस को लेकर शिकायत बराबर आती रही है, कई बार हम लोग उस बात को देखते भी हैं । माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पालकों की लूट नहीं होनी चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि किताबों के नाम पर, बस्ते के नाम पर, कहीं जूते के नाम पर, कहीं पिकनिक के नाम पर, कहीं और कोई कार्यक्रम होने के नाम पर इतनी फीस ली जाती है जितना कि पालक दे नहीं पाता है तो उसकी शिकायत हमेशा रहती है । श्री धर्मजीत जी ने कहा कि इसका उद्देश्य बड़ा अच्छा है और इसी उद्देश्य से हम लोग इसे लाये हैं ताकि जो शिकायतें हैं वह न हो और जो आपसी परामर्श किसकी शिकायत होती है, पालक भी बोलता है कि भई अधिक फीस लिया जा रहा है । जो विद्यालय प्रबंधक बोलते हैं कि हमको तन्ख्वाह भी देनी है, इतनी सारी सुविधाएं भी देनी हैं

तो इसलिये यह जो फीस का लाया गया है इसको हम लोग आपस में परामर्श करके इसको एक वैधानिक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से इसे लाया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अशासकीय विद्यालय होंगे, इसमें कौन-कौन से अशासकीय विद्यालय हो सकते हैं ? अशासकीय विद्यालयों से यह अभिप्रेत है कि ऐसा विद्यालय जिसकी फीस का निर्धारण छत्तीसगढ़ सरकार अथवा भारत सरकार की किसी संस्था के द्वारा न किया जाता हो परंतु इसमें हम लोगों ने जो भारत के संविधान के अनुच्छेद की जो धारा-29 और 30 है उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के जो सकूल हैं उसको हम लोगों ने इसको छूट दिया है कि वहां पर हमारा यह अधिनियम लागू नहीं होगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कमेटी होगी । आप लोगों ने कहा कि उसमें त्रिस्तरीय कमेटी होगी ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप यह जो अल्पसंख्यक समुदाय कह रहे हैं उसकी परिभाषा क्या होगी ? छत्तीसगढ़ सरकार ने, आपके विभाग ने छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक की क्या परिभाषा निर्धारित की है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जो संविधान की धारा-29 और 30 में प्रावधान किया गया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- छत्तीसगढ़ में अलग-अलग क्षेत्रों में संविधान में अल्पसंख्यक अलग-अलग लोग हैं । जम्मूकश्मीर में अलग लोग हैं, नागालैंड में अलग लोग हैं, केरल में अलग लोग अल्पसंख्यक हैं, नार्थईस्ट के कई राज्यों में अलग-अलग लोग अल्पसंख्यक हैं तो छत्तीसगढ़ में आपने अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या तय की है ? मूल विधेयक पर चर्चा हो रही है, यदि संशोधन विधेयक पर चर्चा होती तो मैं यह बात नहीं पूछता लेकिन मूल विधेयक के बाद इसमें संशोधन ही आयेंगे । चूंकि हम मूल विधेयक में चर्चा कर रहे हैं इसलिए आपको यह जरूर बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों की क्या परिभाषा निर्धारित की है, कौन-कौन अल्पसंख्यक में आयेंगे एक ? दूसरा - यदि अल्संख्यकों में उनका उल्लेख आपने कर दिया तो प्रबंधन में जो लोग अल्पसंख्यक हैं वो या जो विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं वो, दोनों में से कौन अल्पसंख्यक माने जाएंगे । माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2-4 साल में एकाध बार मूल विधेयक आता है । बाकी मूलत: हम संशोधन विधेयकों में ही चर्चा करते हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उपाध्यक्ष महोदय, जो संविधान में वर्णित है वैसा ही रहेगा । अलग से इसमें किसी परिभाषा की आवश्यकता इसमें नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, जो समितियां बनेंगी, वह तीन प्रकार की समिति बनेगी । धारा 3 कहती है कि फीस विद्यालय स्तर की समिति रहेगी । विद्यालय स्तर की समिति में विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख उसका अध्यक्ष होगा, उसमें प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी के दो सदस्य उसमें रहेंगे । एक कलेक्टर द्वारा नियुक्त रहेगा, कलेक्टर द्वारा नामांकित एक नोडल अधिकारी रहेगा। कलेक्टर द्वारा नामांकित प्राथमिक विद्वालय से एक, माध्यमिक विद्यालय से एक, हाईसकूल से एक और हायर सेकेण्डरी से एक अभिभावक उसमें रहेगा और प्राथमिक और माध्यमिक हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल से स्कूल प्रबंधन से जो नामांकित होंगे, वे उसके मेम्बर होंगे । इस प्रकार से वहां व्यवस्थित करेंगे ।

श्री मोहन मरकाम :- हमारे मंत्री जी शिक्षाविद् भी हैं और डॉक्टर भी हैं साहब।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जिला फीस समिति में कलेक्टर उसका अध्यक्ष होगा । कलेक्टर द्वारा नामांकित एक लेखाधिकारी, कोषालय अधिकारी हो सकता है । कलेक्टर द्वारा नामांकित एक शिक्षाविद् होगा । जिसका उल्लेख आप कर रहे थे । कलेक्टर द्वारा नामांकित एक कानूनविद् भी होगा, जो कानूनी सलाह दे सकता है । कलेक्टर द्वारा नामांकित अशासकीय विद्यालय के दो अभिभावक उसके सदस्य होंगे और कलेक्टर द्वारा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नामांकित अशासकीय विद्यालय के दो प्रबंधक होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी इसका सचिव होगा । जो राज्य के लिए आप बोल रहे थे उसमें जो नीति निर्धारण करने की बात कही गई है, उसमें सारे अधिकारी रहेंगे केवल उसमें नीति निर्धारण करने की व्यवस्था रहेगी । इसमें जो सदस्य बनेंगे इनका कार्यकाल 2 साल रहेगा लेकिन इसमें किसी प्रकार का भत्ता या सुविधा इसमें नहीं रहेगी । जो फीस का संचालन होगा विद्यालय की समिति रहेगी क्योंकि इसमें विद्यालय प्रबंधन के लोग हैं, उसमें पालक भी हैं, इन्हीं की शिकायत ज्यादा रहती है । पालक ही शिकायत करते हैं कि फीस अधिक ली जा रही है । दोनों वहां पर रहेंगे और दोनों की सहमति से फीस निर्धारित होगी इसलिए उसमें रखा गया है । जो विद्यालय पहले से ही संचालित हैं वे एक माह के भीतर इसकी बैठक करके तय करेंगे कि उनकी फीस कितनी रहेगी । विद्यालय स्तर की समिति को पूरा अधिकार रहेगा कि वहां क्या-क्या सुविधाएं हैं, क्या-क्या वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था है, कम्प्यूटर की व्यवस्था है, खेल का मैदान है या नहीं । अगर हम इस कमेटी को एक साथ रखेंगे तो किसी विद्यालय की फीस 10 हजार है, किसी विद्यालय की फीस 50 हजार है, एक रूपता नहीं आएगी इसीलिए सुविधाओं के हिसाब से अलग अलग विद्यालय तय करेंगे । जैसा कि आपने उल्लेख किया है हमारी उपसमिति बनी हुई थी । हमने कई राज्यों से जानकारी मंगवाई उसके बाद बनाया गया है । सभी राज्यों में इसी प्रकार का स्ट्रक्चर है । सबसे कम फीस 8 परसेंट पंजाब की है, हमने उसी को यहां पर रखा है । ताकि एक अच्छी व्यवस्था हो जाए और किसी प्रकार की दिक्कत न आए। बाद में स्कूलें खुलेंगी वे तीन माह के भीतर अशासकीय विद्यालयों द्वारा ली जा रही फीस का प्रपोजल कमेटी के पास भेजेंगे और कमेटी एक माह माह के भीतर उसका निर्णय लेगी कि उसमें कितनी फीस लेनी है?

समय :
5:00 बजे

अगर उसके बाद अगर किसी को फीस बढ़ानी है तो वह जिला समिति में जायेगा और अपनी पूरी व्यवस्था के साथ कि हमारी क्या-क्या सुविधाएं हैं? वहां किस प्रकार की पढ़ाई होती है? तो वहां पर आगे बढ़ाने की जो कार्यवाही होगी, वह वहां पर करेंगे। विद्यालय के जितने भी लोग वहां रहेंगे, सभी इसके पालन के लिए जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन अगर कोई इसका पालन नहीं करता है या कोई इसका उल्लंघन करता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कोरोना काल में उन लोगों को कहा था कि अभी फीस कम लिया जाये या उसे अभी स्थगित रखा जाये तो प्राइवेट प्रबंधन हाईकोर्ट चले गये और हाईकोर्ट ने कहा कि आप केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर लिया जा रहा है तो पालक भी हाईकोर्ट चले गये। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, उसे कम करने के लिए और ठीक करने के लिए हम लोगों ने यह विधेयक रखा है। कोई प्रबंधन अगर फीस स्ट्रक्चर जो दिया गया है, उसका कोई उल्लंघन करता है या अधिक फीस लेता है तो उसके लिए हम लोगों ने शासकीय प्रावधान किया है। अगर प्रथम उल्लंघन करता है तो उसके लिए 50 हजार रूपया है या जो जितना फीस लिया है, उसका दोगुना उससे वसूल की जायेगी और उसके बाद वह अगर दूसरा उल्लंघन करता है तो उसके लिए एक लाख रूपया और जितना फीस लिया है, उसका 4 गुना वसूला जायेगा। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था की गई है और जहां पर इस प्रकार की शिकायतें हों तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमारे डी.ई.ओ. के माध्यम से जो सक्षम न्यायालय होगा, वहां पर जायेगा। इस प्रकार 30 दिन के भीतर इसकी व्यवस्था की जायेगी। इस प्रकार से लोगों की जो शिकायतें आ रही हैं, आपके पास भी आती हैं, मेरे पास भी आती हैं तो इसका एक सॉल्यूशन के रूप में एक समन्वय के रूप में हम लोग भी इसे करना चाहते हैं, जिससे कि पालकों को भी कोई शिकायत न हो और स्कूल प्रबंधन को भी कोई शिकायत न हो। दोनों के सहयोग से चलेगा तो इसमें अच्छा रहेगा। ये सब हमारे उद्देश्य हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप और हम लोग कोई भी निर्णय लेते हैं तो न्यायालय में हमें as a सरकार पार्टी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नियामक आयोग के अध्यक्ष अगर माननीय मंत्री जी होंगे तो उनके निर्णय पर उन्हें भी नोटिस आयेगी और यह उचित नहीं होगा। किसी भी नियामक आयोग का अध्यक्ष कोई मंत्री नहीं होता है। कोई न कोई एक्सपर्ट होता है। इसके लिए आज आप हैं। कल कोई दूसरे होंगे। परसो तीसरे होंगे। इसलिए नियामक आयोग का अध्यक्ष किसी मंत्री को बनाना, क्योंकि मंत्री कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। इसलिए यह उचित नहीं है। दूसरा यह कि निजी स्कूल के प्रबंधन में बाकी लोगों का हस्तक्षेप नहीं हो, इसके कलेक्टर के द्वारा नामांकित जो अभिभावक हैं। स्कूल के द्वारा नामांकित अभिभावक तो होना चाहिए, यह सही है। कलेक्टर के द्वारा नामांकित अभिभावक नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा और अच्छे इंस्टीट्यूशन्स को नुकसान होगा। इन दो-तीन बातों पर अगर आप विचार कर लें तो ठीक रहेगा। इसका उद्देश्य अच्छा है और कारण अच्छा है। हमने इसकी तारीफ की है, परंतु इसके जो प्रकार हैं, उसके कारण बहुत से जो अच्छे इंस्टीट्यूशन्स जो हैं, वे हमारे आने से बचेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि यह छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है। इसके ऊपर आप विचार करें, इस बात का आपसे आग्रह है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्यों ने इस मूल विधेयक पर अपने-अपने विचार रखे। सबसे पहली बात तो यह है कि आयोग नहीं है। यह एक समिति है। समिति में फीस के बारे में कोई फैसला नहीं होगा। वहां यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसके निपटारे के लिए समिति नहीं बनाया गया है। नीति विषयक निर्णय लेंगे और यही बात माननीय मंत्री जी जब वे अपना भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने यह बात स्पष्ट की। इसमें मैं यह नहीं समझता कि किसी प्रकार की कोई आपत्ति होनी चाहिए। दूसरा, माननीय अजय जी अल्पसंख्यक की बात कह रहे थे। अल्पसंख्यक राज्य सरकार तय नहीं करती। भारत के संविधान में जो व्यवस्था है और जो अल्पसंख्यक के निर्देश हैं, जो आप समझ रहे हैं, हमें वही समझना चाहिए, जिसे भारत के संविधान ने अल्पसंख्यक घोषित किया है। वही हमारे प्रदेश में लागू हुआ है, इससे इतर नहीं। तो यह दोनों बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय:- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) पर विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 16 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 16 इस विधेयक का अंग बने ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) पारित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय:- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) पारित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि अभी कार्यसूची में पांच विधेयक बचे हुए हैं तो नामों में कुछ कटौती करके ही इसको निपटा लीजिए क्योंकि मैं समझता हूं कि इधर से भी कोई एक सदस्य बोल लेंगे, उधर से भी एक सदस्य बोल लेंगे ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय धर्मजीत भैया का प्रस्ताव अच्छा है । आने वाले जो चार विधेयक हैं, उसमें मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बहस का विषय नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मान लो बहस का विषय है भी तो एक सदस्य इधर से और एक सदस्य उधर से बोल लेंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- चारों विधेयकों का स्वरूप एक है और आप इधर कह रहे हैं तो हम लोग प्रस्ताव मान रहे हैं, लेकिन उधर भी समझा दीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने उनसे भी आग्रह किया है । एक-एक सदस्य बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है । वे अकेले पर्याप्त हैं, वे ही बोल लेंगे । उधर से आप बोल लीजिए और इसको जितना जल्दी हो, बढ़ाईए क्योंकि अभी बहुत सी बिजनेश बाकी है ।

समय :
5:09 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(6) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020)

आदिमजाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) पर विचार किया जाये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्ग की संख्या काफी है और करीब 95 समूह पिछड़ा वर्ग में आते हैं । इतना बड़ा कार्यक्षेत्र है और इसमें केवल एक अध्यक्ष हैं । हम चाहते हैं कि इसमें अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे । अभी इसका कार्यकाल तीन साल का है, हम चाहते हैं कि इसके कार्यकाल को सरकार के प्रसाद पर्यन्त चाहे वह चार साल का भी होता है, पांच साल का भी हो सकता है, यह हम करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) पर विचार किया जाये । चन्द्राकर जी, आप कितने संक्षिप्त में चर्चा कर सकते हैं, उतना कर लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- मैं आपको बोलूंगा, आप एक सेकेण्ड में बोलेंगे तो एक सेकेण्ड बोलूंगा। मुझे ज्यादा बोलने का शौक नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है, जिसे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बहुमत में क्या करती है, वैधानिक स्थिति क्या है। तीनों आयोग संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था में क्या हो रहा है और पहले सरकार ने क्या किया हुआ है, उसको आप थोड़ा सुन लीजिये। उसके बाद आप बोलेंगे कि नहीं बोलना है, बाकी को ऐसे करना है, तो मैं उसमें तैयार हो जाऊंगा। लेकिन यह विधानसभा है। प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि यह सरकार क्या करने जा रही है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कोई बात नहीं, आप एक घंटा बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोला समझ मा नइ आय। तै बैठ।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, जब मैं आसंदी में आता हूं तभी आप तेवर बदलते हो क्या ? (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपके साथ उनकी दोस्ती है न।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौबे जी और माननीय अकबर जी, आप दोनों को समर्पित करता हूं और आप दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर दीजियेगा। ए.जी. की नियुक्ति के बारे में संविधान में क्या है, मैं आयोग के बारे में उसको पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें ए.जी. है क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सुन लीजिये। उसकी जो पृष्ठभूमि है।

डा. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछड़ा वर्ग के संशोधन में ए.जी. कहां से आ गया ?

अध्यक्ष महोदय :- वही तो मैं पूछ रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है। जब मैं बोलूंगा तो आप सहमत होंगे।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, इसमें ए.जी. नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- The Advocat General shall hold office during the pleasure of the Governor and shall receive such remuneration as the governor may be determine. गवर्नर के प्रसाद पर्यन्त. जब तक गर्वनर चाहे तब तक प्रसाद पर्यन्त. इस सरकार ने क्या कहा, माननीय अकबर जी ने कहा ।

अध्यक्ष महोदय :- ए.जी. का कहां है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरी बात तो सुन लीजिये सर। आप बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बैठने की बात नहीं कह रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन जो मेरी भूमिका है, उसको तो सुन लीजिये। संवैधानिक संस्थाओं के साथ क्या घटा ? यदि पारित करना है तो मैं बैठ जाता हूं। आप पारित कर लीजिये। यदि एक-एक लाईन में हां-नहीं, हां-नहीं में पारित करना है, कुछ नहीं सुनना है तो सब कर लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- एक तो कोविड-19 चल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोविड-19 का विषय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- दूसरा, इतना पानी गिरा है कि सब लोग परेशान हैं। रोज फोन कर रहे हैं कि कलेक्टर आओ, पानी लाओ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय,..।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसमें ऐसी भूमिका बांध रहे हैं कि ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं तो काम बंद कर देते हैं, सबको हा-हां में कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये न, कर दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां-हां, नहीं-नहीं, बिलकुल। सब वैसे ही कर देते हैं। हम तैयार हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो आपके आने वाले 4 विधेयक हैं, उन चारों विधेयकों का स्वाभाव एक ही है। आप उस बात को सुन लेंगे तो चारों विधेयकों पर लागू होगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन ए.जी. से शुरू कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- चारों विधेयकों की प्रकृति लगभग एक ही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- सदन में विधेयक के सम्बन्ध में चर्चा कम होती है। अगर कोई चर्चा हो रही है तो उसको सुन लें। हम लोग नहीं बोलेंगे। वे अकेले बोलेंगे। आप उनको सुन लें।

अध्यक्ष महोदय :- लेकिन वह 10 के बराबर बोलते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चन्द्राकर जी का घरमें झगड़ा हो गया है, ये जाना नहीं चाहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अकबर जी, मैंने आपको समर्पित किया। ए.जी. गर्वनर के कृपा पर्यन्त तक है। उसके बारे में इस सरकार ने कहा। एक ने कहा कि वह काम नहीं करना चाहते हैं। एक ने कहा कि इस्तीफा दे दिया। ए.जी. ने कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। संविधान में लिखा है कि वह गवर्नर के प्रसाद पर्यन्त तक पद में रहेंगे। अब माननीय मंत्री जी कहते हैं कि साहब, इतने प्रतिशत पिछड़ा वर्ग हैं। आप आयोग के उदेद्श्यों को देखेंगे तो वह पिछड़े

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वर्ग की संख्या के लिए आयोग नहीं बनाया गया है। आयोग इसलिए बनाया गया है कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कितनी योजनाएं हैं, कितना बजट है, उसकी समीक्षा करें। उस वर्ग के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो उसकी देखरेख करें। यहां पर मुख्य विषय है, मैंने कल भाषण में कहा था कि माननीय भूपेश बघेल जी राज्य की संकल्पना करे, राज्य का नेतृत्व करे। संवैधानिक संस्थायें स्वतन्त्रतापूर्वक काम कर। लोकतान्त्रिक संस्थायें स्वतन्त्रतापूर्वक काम करें। यदि हम आयोग को संवैधानिक संस्था मानते हैं और यदि इसमें लिखते हैं कि राज्य सरकार के कृपा पर्यन्त काम करती है तो मैं आपसे पूछंगा कि आप यह बात आज नहीं तो कल जरूर कहें कि क्या उसकी निष्पक्षता रहेगी जो राज्य सरकार के कृपा पर्यन्त काम करेगा ? इसलिए मेरा एक छोटा सा आग्रह है कि राज्य सरकार के कृपा पर्यन्त के बजाय आयोग कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, इनके साथ अत्यचार हुआ है उनके साथ अत्याचार हुआ है। यदि वह आयोग राज्य सरकार के कृपा पर्यन्त है तो कांग्रेस, भा.ज.पा., ब.स.पा. स.पा. जो राजनीतिक दल हैं, उसके हिसाब से निर्णय होगा। आयोग का जो उदेद्श्य है, उनके ऊपर अत्याचार रोके जायें, उसकी स्कीम को देखा जाय, उसके बजट को देखा जाये तो इसको यदि मैं पूछूंगा कि पिछड़े वर्ग के लिए आप कितनी योजनाएं चलाते हैं तो शायद वह उत्तर नहीं दे पायेंगे लेकिन इस बात को वह जरूर जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग के इतने प्रतिशत लोग हैं जिसको कृपापर्यंत हम तीन साल या पांच साल के लिए नियुक्त करना चाहते हैं। साफ बोलिए। आपके दिमाग में पिछड़ों के अधिकारों के संरक्षण का विषय नहीं है, ये राजनीतिक विषय है कि आप तुरंत सियाराम साहू को हटायें और जब तक हैं दूसरे को बिठाएं। अमूमन भारतीय राजनीति में यह नैतिकता का विषय रहा है कि सरकार बदली और हम इस्तीफा दे दें यह नैतिकता का विषय रहा है और इसलिए ये तीनों विधेयक जो इस तरीके से आये हैं जो कि राज्य सरकार के कृपापर्यन्त काम करेंगे इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितों का संरक्षण नहीं होगा, उनकी योजनाओं का संरक्षण नहीं होगा। दूसरी बात जो विधायकों का वेतन, भत्ता आप लाये हैं उसमें भी वित्त सचिव का पत्रक लगा है कि उसमें 18 करोड़ के करीब खर्च आयेगा। माननीय मंत्री जी जब खुद यह कह रहे हैं कि उसमें उपाध्यक्ष होगा, इतने सदस्य होंगे तो उनके वेतन, भत्ते, वाहन, साधन लगेगा या नहीं लगेगा? इन तीनों विधेयकों में कहीं पर भी वित्त पत्रक नहीं लगा है। या बिना पैसे के वह काम करेंगे यह स्पष्ट कर दें। इस प्रकार से ऐसे विधेयक लाने की जल्दी क्या है? सिर्फ सियाराम साहू को हटाना है इसलिए या रामजी भारती को हटाना है इसलिए। क्या वित्त पत्रक की जरूरत नहीं है कि इतने लोगों के पद बढ़ायेंगे और उनके वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, बिजली बिल या किसी भी चीज में खर्च नहीं होगा? आप चाहें तो इसे तीनों विधेयक की एक साथ चर्चा मान लें, यदि सत्तापक्ष तैयार है तो लेकिन मुख्य बात यही है और मैं आपको आखिरी बात बता दूं, लोकतांत्रिक संस्थाएं जब ऐसा निर्णय लेती हैं, निष्पक्षता से काम नहीं करती हैं तो मैं कल रात को एक लेख पढ़ रहा था कि दुनिया में सैनिक शासन और तानाशाही शासन पसंद करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका में वह संख्या बढ़ रही है। लोगों ने कहा है कि यह चिन्ताजनक विषय है। ईराक ने कहा है कि यहां लोकतांत्रिक शासन आना चाहिए। यदि हम आपके संरक्षण में यहां बैठकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर सके ना, लोगों के हितों के लिए अत्याचारों को रोक नहीं सके और यदि उसके लिए हम राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हैं कि भाजपा वाला अत्याचार करता है, कांग्रेस वाला नहीं करता, सपा वाला करता है, बसपा वाला नहीं करता तो यह संवैधानिक संस्थाएं अपना मूल्य खो देंगी। इसलिए

आप वित्त पत्रक भी लगाईये, यदि नहीं लगा है तो इसे वापस लीजिए और जिस दिन भी लायेंगे उसको गवर्नर के कृपापर्यन्त, प्रसादपर्यन्त रखिए, तब निष्पक्षता होगी।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- इनकी मंशा साफ झलक रही है, प्रजातंत्र के खिलाफ बात कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसी चीजें मैं दो लोगों को समर्पित किया हूं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अजय जी बोल रहे हैं कि दो लोगों को समर्पित किये हैं यह आप बोल रहे हैं, उनको तो समझ में आ ही नहीं रहा है ना कि दो लोगों को समर्पित किए हैं। तकलीफ की बात यह है।

श्री अमरजीत भगत :- इतना हम समझ रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है। उनका दर्द हमको समझ में आ रहा है और उनकी कुंठा भी समझ में आ रही है। यह किसलिए परेशान हैं? और जो व्यक्ति इस सदन में आने के बाद डेमोक्रेसी के खिलाफ भी बात कर सकता है उनकी कुंठा साफ झलकती है।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- केन्द्र की सरकार बनने के बाद केंद्र की संवैधानिक संस्थाएं हों, चाहे मनोरंजन की संवैधानिक संस्थाएं हों, स्वास्थ्यगत संवैधानिक संस्थाएं हों, चुन-चुन कर उनके स्पेशलिस्ट को हटाकर आर.एस.एस. के लोगों को भरने का काम किए हैं। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। बोलें तो मैं पूरा एक-एक बात बताता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। अध्यक्ष महोदय, यदि लोकतांत्रिक आर.एस.एस. बोलेंगे तो फिर मुझे दूसरी बात करनी पड़ेगी। वह जिस विषय को मैंने उठाया है उस मुद्दे पर बात करें ना। मैंने तो आपको, मुख्यमंत्री जी को अपना भाव समर्पित कर दिया।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोकतंत्र को ठुकराने वाली बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे थे।

श्री अजय चंद्राकर :- तोला समझ में नई आए, तैं बईठ।

श्री अमरजीत भगत :- क्यों समझ में नहीं आयेगा। आप बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को पसंद करने वालों की संख्या कम हो रही है और सैनिक शासन को पसंद करने वालों की संख्या बढ़ रही है। क्या आप डेमोक्रेसी को साफ करना चाहते हैं क्या? किताब पढ़ने से कोई होशियार नहीं हो जाता।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय जी ने अपनी बात भी कही और कुछ व्यवस्था के प्रश्न जैसी तकनीकी, कानूनी बात भी कही। वित्तीय ज्ञापन के संदर्भ में उन्होंने अपनी बात कही। नियुक्तियों में कृपापर्यन्त शासन का है उसमें उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि गवर्नर के द्वारा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक नियुक्ति के लिये सारी बातें की जा रही है। आपने मूल रूप से तीन बातें कही। आपका आशय वही था।

श्री अजय चंद्राकर :- आप बोलिये ना फिर बोलूंगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, क्या पूर्ववर्ती सरकार ने तीन आयोगों में नियुक्ति की थी, वह राजनीति नियुक्ति नहीं थी। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- यदि राजनीतिक नियुक्ति थी, मान लो मैं आपकी बातों से सहमत होता हूं तो फिर इस संशोधन की जरूरत क्यों ? यदि आप करना चाहते हैं तो इसकी संशोधन की जरूरत क्यों ?

श्री रविन्द्र चौबे :- उसको भी बताते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष जी, पुनिया जी को भी दिल्ली में आयोग अध्यक्ष बनाया गया था उसको हटाया नहीं गया है। उन्होंने पूरा कार्यकाल काम किया है। उसको हटाने के लिये कुछ प्रयास नहीं हुए हैं।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- लेकिन शोभा ओझा को तत्काल हटा दिया गया था।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार की बात कही, आपने कब का हटाया गया, नहीं हटाया गया। लेकिन अभी जब मध्यप्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, हुकूमत परिवर्तन हुआ, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आदरणीया ने एक नाम लिया, सारी राजनीतिक नियुक्तियों पर..।

श्री अजय चंद्राकर :- उन्होंने इस्तीफा दिया था, वह नैतिकता का विषय था। आपके दल की है तो भी मैं शोभा ओझा की प्रशंसा कर देता हूं । आप ऐसा करवा लीजिए। ये नैतिकता का विषय है। मैं तो उसकी प्रशंसा करता हूं।

श्री कवासी लखमा :- आप लोग तो इस्तीफा देने वाले को मंत्री बना देते हो, ये कौन से कारण में बनता है। एम.एल.ए. इस्तीफा देंगे उसको मंत्री बना दोगे। ये कौन सा कानून है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, ये और अच्छी बात हुई। आपने मध्यप्रदेश में शोभा जी की प्रशंसा की और उसकी नैतिकता की प्रशंसा की। क्या यहां की हुकूमत बदलने के बाद जनता का आशीर्वाद बदलने के बाद ऐसी नैतिकता की उम्मीद हम नहीं करते थे ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप नहीं करते थे या उनके पास नैतिकता नहीं है तो आप इसलिए इस कानून को ला रहे हैं, ऐसा स्वीकार कर लीजिए, बात खत्म।

श्री रविन्द्र चौबे :- ये तो आप समझ रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, आप कहिये ना, आप खड़े हुए हैं, नैतिकता की बात आपने कही है।

श्री रविन्द्र चौबे :- ये विधेयक की भाषा को आप समझ रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, आप जो कहना चाह रहे हैं उसको सीधा बोलिये ना। घूमा के क्यों बोल रहे हो।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं जो बोल रहा हूं, वह आप समझ रहे हैं ना। यही तो नैतिकता है।

श्री अजय चंद्राकर :- यही तो नैतिकता नहीं है। आप जो करना चाह रहे हैं। उसमें निरपेक्षता उन पीड़ितों के लिये रखिये, समझ रहे हो ना, आयोग को आयोग जैसा बनाईये।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, इसका मतलब नैतिकता हमें सीखायेंगे और ये नैतिकता का पालन ना करें। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, हम नहीं सीखायेंगे। आप ये विषय घुमाओ मत। अब आपके ये वाक जाल में मैं नहीं फंसने वाला। (व्यवधान) आपकी संवैधानिकता को मैंने ए.जी. के मामले में देखा है। इन सबने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, जिस दिन ए.जी. की नियुक्ति के संदर्भ में भी बातें आयेंगे इस सदन में हम सारी बातें स्पष्ट कर देंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- हमने दिया था, आप चर्चा से भाग गये।

श्री रविन्द्र चौबे :- कोई भागने वाला नहीं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- हमने निंदा प्रस्ताव दिया था।

श्री रविन्द्र चौबे :- उस दिन विधि मंत्री जी ने भी उत्तर दिया था।

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं-नहीं, ये गलत बात है, कोई नहीं भागा। आप अभी बोलो, अभी लेवा देता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- हमने स्वीकृति के लिये आग्रह करना था। आपको स्वीकृति के लिये आग्रह करना था (हंसी)

श्री मोहम्मद अकबर :- ऐसी कोई बात नहीं है। मैं स्वीकृति के लिये क्यों आग्रह करूंगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- अंतिम बात वित्तीय ...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय भैया, ये तो महाराष्ट्र से कोई [XX][6] को लेकर आये थे। (हंसी) हम लोग तो छत्तीसगढ़िया लोगों को बना रहे हैं, कम से कम छत्तीसगढ़िया लोगों को तो सपोर्ट करो।

श्री रविन्द्र चौबे :- आखिरी बात, आपने वित्तीय ज्ञापन की आपने कही है। आलरेडी बजट में ये मद संख्या खुआ हुआ है।

श्री अजय चंद्राकर :- तो जो मद संख्या में खर्चे हैं, ये अतिरिक्त बोझ आयेंगे .....। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डहरिया जी ने जो नाम लिया, उसको आप कार्यवाही से हटा दें। इसकी चर्चा यहां नहीं हो सकती।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसलिए मैं ऐसा समझता हूं आप ज्ञानी हैं, वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- बिल्कुल है। अभी आप...।

श्री रविन्द्र चौबे :- ये मद संख्या खुला हुआ है। आलरेडी बजटेड है। आयोग के लिये राशि वितरित है।

श्री अजय चंद्राकर :- जो बजट हैं वे पर्याप्त हैं कि अतिरिक्त इतना लगेगा। (व्यवधान) आप विधानसभा में नहीं बताना चाहते।

श्री रविन्द्र चौबे :- ये पर्याप्त है या नहीं है ये आप तय करेंगे ? ये पर्याप्त है या नहीं है, ये हम तय करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- ये विषय विधानसभा में आया है। ये विधानसभा का विषय है। आप मत जाये बोलें।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, लेकिन नये वित्तीय ज्ञापन की जरूरत नहीं है।

श्री मोहम्मद अकबर :- एक मिनट, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि डॉ. सियाराम साहू की जो नियुक्ति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपने किये थे, उस समय आपको ध्यान नहीं था। उसमें आपने आदेश में, आगामी आदेश तक लिखा है। प्रसाद पर्यन्त उसी समय कर देना था तो ये नौबत ही नहीं आती। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- आखिर आपने मेरी बात कह दी। पिछड़ा वर्ग के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। इसका आशय राजनीतिक है, ये है करिये फिर।

श्री रविन्द्र चौबे :- वे चूंकि कवर्धा से थे इसलिए उसका मतलब आजीवन...।(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, जिस बात को माननीय अकबर जी ने कहा है, जो आदेश आगामी आदेश तक लिखा था, आप उसको निकाल करके पढ़ लीजिए, बाकी जो नियुक्तियां हुई है, जो आयोग की नियुक्ति है। यदि उनका कार्यकाल तीन साल का है तो वह कार्यकाल तीन साल ही गिना जाएगा। बाकी जो त्यागपत्र सभी

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

लोग दिये, आपको मालूम है जैसे ही सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद में जो चौबे जी नैतिकता की बात कर रहे हैं। हमारे सारे लोगों ने त्यागपत्र दिया। लेकिन यहां पर आयोग की बात है। तो आयोग में एक ऐसी संवैधानिक संस्था है न आपको अपेक्षा करनी चाहिए कि सरकार आने के बाद में उसको डिजाल करें और न उनको कोई नैतिकता दिखाने की आवश्यकता है। वास्तव में आयोग पार्टी से हटकर निष्पक्ष होकर, उनके हित में काम करने के लिए आयोग, निगम, मण्डल, इन तीनों में अंतर है तो इनकी जो भावना है पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए नहीं है बल्कि उनको कैसे हटाये इसलिये केवल लाया गया है। इस बात को चौबे जी को स्पष्ट बोलना चाहिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय नेता जी, आप वर्ष 2004 के रिकॉर्ड को निकालकर देखिए। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के समय जो आयोग के अध्यक्ष थे, उनको आप लोगों ने हटाया था या नहीं हटाया था? यदि मेरी बात सही है तो आपको पुनर्विचार करने की जरूरत है कि आप जो बोल रहे हैं वह सही है या नहीं है? आप वर्ष 2004 में देखिए, कांग्रेस की सरकार हटते ही सारे लोगों को आपने हटा दिया था।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही। मैं डॉ. सियाराम वाले आदेश को पढ़ा हूँ। उसमें पहला जो उनका आदेश है तीन साल के लिए है, यह स्पष्ट लिखा हुआ है और उसके बाद जो दूसरा आदेश हुआ है उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है चूंकि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और वह तीन साल की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए आगामी आदेश तक आदेशित किया जाता है माने 3 सालों का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। सरकार के द्वारा एक्सटेंशन दिया गया, आगामी आदेश तक मतलब एक घण्टा भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है। दूसरा दिन भी हो सकता है सरकार जिस दिन भी चाहे कर सकती है।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जगदलपुर भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष था। सरकार बदलने के बाद मैं सुकमा से रायपुर नहीं पहुंचा, मुझे हटा दिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हो गया। तीनों को एक साथ पारित कर दीजिये।

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय जोगी जी ने मुझे भी एक संवैधानिक संस्था का अध्यक्ष मनोनित किया था। नैतिकता की बात आयी तो सरकार बदली, उसी समय इस्तीफा हो गया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीनों को एक साथ पारित कर दीजिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इन लोगों का कहना है कि सब जगह नैतिकता होनी चाहिए। आयोग में नहीं होनी चाहिए।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ.(श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- मध्यप्रदेश के मंत्रियों में भी नहीं होनी चाहिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नियुक्ति कौन करते हैं। यदि इसको सरकार ही करती है तो उसका राजनीतिक स्वरूप कहां नहीं होता। मुझे किसने नियुक्त किया। मैं तो चुनाव होकर नहीं आया था। मुझे किसने नियुक्त किया। सरकार ने नियुक्त किया। जब वह सरकार नहीं है तो उसका कार्यकाल नैतिक हो या वास्तविक हो, उसी के साथ समाप्त नहीं होना चाहिए।

<u>सदन को सूचना</u>

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियम 23 के अंतर्गत शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घण्टे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य संपादन के लिए निर्धारित है। आज की कार्यसूची में शामिल कार्यों के पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है तथा तदनुसार अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्यों के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

ममता चन्द्राकर जी।

श्रीमती ममता चन्द्राकर (पंडरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 के समर्थन के लिए खड़ी हुई हूँ। छत्तीसगढ़ चूंकि किसानों का राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग आधी आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय की है । राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से 95 समूहों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री जी से प्रस्तुत करवाईये। पारित करने का प्रस्ताव करिये और पारित कर दें। इसमें हम न भाषण देते हैं और न वे भाषण देंगे। तीनों का विषय एक ही है। अजय जी ने बोल दिया आप तीनों को पारित करवा दें।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में निवासरत पिछड़े वर्ग की जनसंख्या की बाहुल्यता तथा पिछड़े वर्ग के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गए संरक्षण के लिए हितप्रहरी के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित है। आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग के कल्याण के बने कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में सुधार हेतु सुझाव दिया जाता है। आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग के संपन्न वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह के प्रवर्ग सुनिश्चित करने हेतु अनुशंसा की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को पिछडे के रूप में सम्मिलित करने के आवेदनों का परीक्षण, तत्संबंधी शिकायतों की सुनवाई और उनका यथासंभव निवारण एवं इससे संबंधित मामलों तथा नीतिगत विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श दिया जाता है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्यों की वृद्धि को लेकर पूरा राज्य माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता है। इससे सदस्यों के बढ़ने से पिछड़ा वर्ग के समुदायों के प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ेगा। मैं पिछ़ड़ा वर्ग समुदाय की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे मंत्रिमंडल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(7) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 23 सन् 2020)

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जैन, पारसी, सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध अल्संख्यक निवासरत हैं। इनका भी जो आयोग बना हुआ है, इसमें भी बाकी आयोग की तरह एक अध्यक्ष और दो मेम्बर हैं। इसमें भी मेम्बर की संख्या बढ़ाने का इस विधेयक में प्रस्ताव है ताकि सभी लोगों के कल्याण के लिए काम कर सकें और पूरे संभाग में इस समुदाय के बहुत लोग हैं। इसमें भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अभी तीन हैं, उसकी संख्या 6 करने का प्रस्ताव विधेयक में है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(8) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 24 सन् 2020)

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) पर विचार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ बताईये कि क्यों विचार किया जाये ? थोड़ा सा बता दीजिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जो संख्या है वह लगभग 12.81 परसेंट है और इसमें करीब 44 समूह हैं और इसमें अभी केवल आयोगों के जो अध्यक्ष और 03 सदस्य हैं । चूंकि इसमें बहुत काम रहता है, उसके कल्याण के लिए इसमें बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है तो हम लोग इसकी संख्या में भी वृद्धि करना चाहते हैं । 03 की जगह इसको 06 करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) पर विचार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) पारित किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(9) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 25 सन् 2020)

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 25 सन् 2020) पर विचार किया जाए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ हमारा आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप कितने किस्म का विधेयक ला रहे हैं, आप इतना काम क्यों पेंडिंग रखते हैं ? पहले ही कर लेना चाहिए, अभी कर रहे हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, काम पेंडिंग है । आयोग में काम करने की आवश्यकता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, पेंडिंग नहीं रखना चाहिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिये इसे बढ़ाया जा रहा है इसमें अध्यक्ष भी रहेंगे, उपाध्यक्ष भी रहेंगे और बाकी मैम्बर भी रहेंगे तो काम में गति आएगी । जो भी आयोग में काम करने के लिये आते हैं उसमें गति आएगी इसलिये हम सदस्य को बढ़ा रहे हैं और जो कार्यकाल है प्रसादपर्यंत रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री मरकाम जी आपको कुछ कहना है ।अच्छा नहीं कहना है ।

श्री अजय चंद्राकर :- श्री मरकाम जी स्वयं सरकार में प्रसादपर्यंत हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नहीं थे । मैंने स्वयं हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि एक-एक बोलेंगे । आप तो 4 लोगों के बराबर अकेले मोहन मरकाम जी को बोलने के लिये बोल रहे हैं । श्री मरकाम जी आप मत बोलिएगा । चलने दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 25 सन् 2020) पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 25 सन् 2020) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक 2020 (क्रमांक 25, सन् 2020) पारित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक 2020 (क्रमांक 25, सन् 2020) पारित किया जाय ।

प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक 2020 (क्रमांक 25, सन् 2020) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(10) छत्तीसगढ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020

वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 26, सन् 2020) पर विचार किया जाए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जीएसटी अधिनियम लागू होने के बाद समय समय अनेक संशोधनों की आवश्यकता महसूस हुई 700, 800, 1000 संशोधन आए और वे पारित भी हुए हैं । व्यवसायियों और कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह महसूस हुआ कि और संशोधनों की आवश्यकता है तो यह संशोधन विधेयक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(क्रमांक 26, सन् 2020) के माध्यम से प्रस्तुत किया है । प्रारंभ प्रस्तावना के अतिरिक्त 13 बिंदु हैं । एक बिंदु छत्तीसगढ़ के लिए लागू नहीं होता क्योंकि यह दादरा और नगर हवेली, दमन दीव और लद्दाख से संदर्भ रखता है और शेष 12 प्रावधान छत्तीसगढ़ के व्यवसायियों के बेहतर वातावरण में, बेहतर सुविधाओं से काम करने के लिए सहयोगी होंगे और इन कारणों से इन्हें पेश किया जा रहा है । ये कॉम्पोजिशन टैक्स के संदर्भ में भी है, पहले माल को ही लिया गया था, अब सेवा को भी सम्मिलित कर लिया गया है । अन्य प्रावधान हैं, मैं समझता हूं कि सदस्यों ने पढ़ भी लिया होगा । सुविधाएं, सुविधाएं, सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं उनके संबंध में है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अजय चन्द्राकर जी संक्षिप्त में अपनी बात रख दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, सुबह फर्स्ट हाफ में रविन्द्र चौबे जी के ऊपर कृपा थी, सेकेण्ड हाफ में प्रेमसाय टेकाम और मेरे ऊपर कृपा लगती है । अध्यक्ष महोदय, हमने जब कोविड का स्थगन लाया था । तो इन्होंने मोदी जी की और केन्द्र सरकार की भारी आलोचना की । यह एक्ट लागू कर दिया है, वह एक्ट लागू कर दिया है इसके कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमारा उस दिन का वक्तव्य इस बात पर था कि राज्य सरकार की भूमिका कहां-कहां पर क्या-क्या हो सकती है । केवल उसमें ही वक्तव्य नहीं हुआ । आज जो जीएसटी संशोधन आया है उसको इस संदर्भ में बोल रहा हूं । 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू हुआ और कोविड महामारी की दृष्टि से असामान्य स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2020 तथा टैकसेशन एण्ड द ऑर्डर लॉज़ रिलेक्सेशन ऑफ द सर्टिन प्रोवीजन ऑर्डिनेन्स 2020 के माध्यम से संशोधन किये हैं । 12 संशोधन है जो छत्तीसगढ़ में भी अधिनियमित किये जाने हैं जिनके बारे में आपने बताया । कम्पोजिशन स्कीम सुसंगत होगी और डेबिट नोट जारी होने के तिथि से जो इनपुट रिबेट हैं, उसके लिए मान्य होगा तथा इनोवाइस जैसे प्रावधान होने हैं । इस सबसे व्यापार और कर प्रणाली दोनों सुगम होगा और कोविड के दौरान व्यापारियों को, पटाने वालों को और लेने वालों को इससे सुविधा होगी । इसलिए आप सिर्फ सरकार की आलोचना मत करिये । दिल्ली भी इस बात को लेकर चिंतित है, काम कर रही है । आपके इस संशोधन का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मोहन मरकाम जी की भावना से सदन अवगत है और सौरभ सिंह जी की भावना से सदन अवगत है, देवव्रत जी की भावनाओं से सदन अवगत है, प्रमोद कुमार शर्मा जी की भावनाओं से भी सदन और मैं दोनों अवगत हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 26, सन् 2020) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा ।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 14 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड 2 से 14 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 26 सन् 2020) सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

साथ ही यह भी छोटा सा निवेदन है कि 5 महीने का जी.एस.टी., जो सेस नहीं आया, आप लोगों का भी उसमें सहयोग हो जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप क्या सहयोग चाहते हैं? बस पैसा मांगने लिए लिए सहयोग चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 26 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(11) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- और कुछ बोल दीजिए कि क्यों किया जाये।

श्री उमेश पटेल :- यह एक छोटा सा संशोधन है। बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण नहीं हुआ था और बस्तर विश्वविद्यलाय का नामकरण शहीद महेन्द्र कर्मा जी के नाम पर किया जा रहा है तो मैं पूरे सदन से निवेदन करूंगा कि इसे भी सर्वसम्मति से पास किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे ख्याल से अजय चन्द्राकर जी को इससे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, साहब मुझे आपत्ति है। मैं थोड़ा सा संक्षेप में बोल देता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मुझे भी बोलना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी ओर मुखातिब हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सामान्य प्रशासन के मंत्री भी हैं। मैंने अति विद्वान संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी भावना से अवगत करवाया था। जो नक्सल घटना हुई, वह दुखद हुई। नंदकुमार पटेल, महेन्द्र कर्मा जी, विद्याचरण जी, इन सभी लोगों की दुखद स्थिति बनी। मैंने सामान्य प्रशासन विभाग को एक प्रश्न लगाया, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अर्थात् हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हमेशा बोलते हैं कि शहीद महेन्द्र कर्मा जी, शहीद महेन्द्र कर्मा जी, शहीद महेन्द्र कर्मा जी। मुझे शहीद बोलने में आपत्ति नहीं है, लेकिन आप विधान सभा में उत्तर देते हैं कि किसी को शहीद दर्जा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की कोई नीति और नियम नहीं है। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो अपने उत्तर में स्वीकार करता है कि शहीद का दर्जा देने का नियम नहीं है

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

और एक विधेयक लाता है, उसमें महेन्द्र कर्मा लिखता है। महेन्द्र कर्मा जी का लोक जीवन अच्छा है। मुझे नामकरण में कोई आपत्ति नहीं है। हम संवैधानिक संस्था में बैठे हैं। आप जितने भी शहीद हैं, उसके लिए आप एक परिभाषा बना दीजिए कि छत्तीसगढ़ में कौन-कौन शहीद हैं और उसके बाद शहीद जोड़ दीजिए और नाम कर दीजिए। तब तक वह प्रक्रिया होने तक आप उसका नाम महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय रखिए, यह नियम सम्मत होगा। और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वे उत्तर दे दें यदि मैं गलत कह रहा हूं तो। एक मिनट भाई साहब दूसरी बात कह लेता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- अजय चन्द्राकर जी, कम से कम महेन्द्र कर्मा जी के नाम पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो वह चीज बोल ही नहीं रहा हूं, जो आप बोल रहे हैं। ये सुन ही नहीं रहे जो मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्हें बोलने दीजिए जो उन्हें बोलना है। मैं स्पष्ट कर देता हूं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- सरकार का विरोध कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप ऐसे विषय का विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- लेकिन आप ऐसी दृष्टिकोण तो मत रखिए (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- प्रदेश की जनता (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप तो एक पर एक सीख दिया कीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप सभी लोग बैठिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सुनूंगा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा विषय है। मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अब दूसरे प्वाइंट में आइए।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं। यह एक संवैधानिक स्थिति है। संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति..।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो हो गया। दूसरी बात कहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने अपनी बात कह दी एक। दूसरा, आपको समर्पित है। पिछली बार भी उस नौजवान मंत्री को अपनी सद्भावना व्यक्त किया था। विश्वविद्यालय की दूसरी सूची में भाग 2 पुनरीक्षित 17 देखिए। उसमें विश्वविद्यालयों का कार्यक्षेत्र निर्धारित किया है। आपने पिछली बार आश्वस्त किया था कि मैं कार्यक्षेत्र सुधार दूंगा। फिर से जो छपा है। आपका जांजगीर जिला कौन से यूनिवर्सिटी के कार्यक्षेत्र में आता है , आप विधेयक देख लीजिए। इसमें लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी बिलासपुर, बिलासपुर एवं कोरबा राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट होगा । अब उसके बाद बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं बीजापुर राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट होगा । इसमें सुकमा जिला छूट गया । आखिर यह जो चीजें हैं, वह बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए । किसी समय ए.सी.एस. स्तर के अधिकारी उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में होते थे । इस तरह की त्रुटियां नहीं होती थीं । जब हम शिक्षा में काम कर रहे हैं तो बार-बार वही काम क्यों कर रहे हैं, इसमें

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गंभीरता दिखनी चाहिए, हड़बड़ी नहीं दिखनी चाहिए । कानून बनाने वाली संस्था नियम सम्मत्, कानून सम्मत् काम करे, यह मेरी अपेक्षा है । ये लोग खड़े हो रहे थे न, शहीद महेन्द्र कर्मा जी मेरे नेता थे, मैं हमेशा बोलता था । यहां वे बैठकर पढ़ते रहते थे तो मैं उनकी किताबें देखता था । माननीय भूपेश बघेल जी उपनेता हुआ करते थे और उस नेता के साथ माननीय रविन्द्र चौबे जी क्या व्यवहार करते थे, मैं वह भी देखता था । उनसे बिना पूछे बहिर्गमन कर देते थे, उनसे बिना पूछे इधर कर देते थे, एक गुट इधर जा रहा है तो एक गुट उधर जा रहा है और आज वे सबके प्रिय हो गए । उनको आप लोगों ने कितना सम्मान दिया है, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप अपने नेता के विरूद्ध ऐसा नहीं करते क्या ? खुद बहिर्गमन कर देते हो, जाने के पहले पूछते नहीं हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाये और इस क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया जाये ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय शहीद महेन्द कर्मा जी के नाम से विश्वविद्यालय का नामकरण हो रहा है, यह हम सबके लिए बहुत ही गौरव का क्षण है क्योंकि उनके नेता प्रतिपक्ष के रहते हम सब उनके विधायक दल के विधायक के रूप में उनके साथ हमने काम किया है और छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता, ऐसे महान नेता, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन सबकी याद को अक्षुण बनाए रखने का काम भी हो रहा है तो उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है । मैं तो यह भी चाहता हूं कि न केवल उनका नामकरण हो, बल्कि जैसे हम लोग तमिलनाडू, तेलंगाना या गुजरात या अन्य प्रदेश जाते हैं तो हर चौक पर वहां के स्थानीय नेताओं के बड़े-बड़े आदमकद मूर्तियां लगाई गई हैं और उनकी देख-रेख भी नगर निगम की ओर से होती है और उसमें साफ-सफाई, लाईट की भी व्यवस्था वहां की सरकारें करती हैं । वह इसलिए की जाती हैं, ताकि अगर अन्नादुरई की मूर्ति चेन्नई में लगी है तो वे लोग उसको प्रेरणा के रूप में लेते हैं । यही तो हमारे प्रेरणा के स्त्रोत हैं चाहे वे किसी भी दल के हों, चाहे वे विपक्षी दल के हों, चाहे सत्ता दल के हों ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सिर्फ एक विनम्र निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं उनका तो समर्थन करता हूं । स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल के नाम से अभी तक कोई भी संस्थान का नामकरण नहीं हुआ है और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अपनी जानकारी में विद्याचरण शुक्ल जैसे बड़े कदकाठी का नेता मैंने नहीं देखा है और वे बहुत बड़े नेता थे । उन्होंने भी झीरम घाटी में गोलियां अपने सीने में ली हैं, उनका निधन हुआ है । छत्तीसगढ़ में उनका बहुत योगदान भी रहा है और आप उनके प्रति सम्मान भी रखते हैं । मैं चाहता हूं कि अभी आपके बहुत से संस्थान्, संस्थान मतलब धरसींवा के कोई कॉलेज का नामकरण विद्याचरण जी के नाम से न हो, मेडिकल कॉलेज या कोई बड़ा संस्थान्, जो उनके कद और प्रतिष्ठा के अनुरूप हो, उनके नाम पर भी जरूर विचार करिएगा और उनके नाम का भी ख्याल रखिएगा । कर्मा जी को तो हम श्रद्धासुमन भी अर्पित करते हैं, उनके नाम को तो आपने लाया, वे बस्तर के टाईगर थे, बस्तर में उनके नाम को आप स्थायी रख रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई भी देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) पर विचार किया जाये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शहीद की व्यवस्था पर जो विषय उठाये थे, उस पर आपकी कोई व्यवस्था नहीं आई ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी हर बार खड़े हो जाते हैं । ये असंवैधानिक बोलते हैं । असंवैधानिक रहता है, उसको संवैधानिक करने के लिए यहां लाया जाता है । हर बार खड़े हो जाते हैं, बात करते रहते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, जैसे चन्द्राकर जी ने कहा है, वह ठीक है । शहीद के बारे में आपको क्या करना है, नहीं करना है, वह तो आप बताएंगे। सुकमा जिला उसके कार्यक्षेत्र में छूट गया है, कम से कम उसको जोड़ने की घोषणा करके आप प्रस्ताव पास कराईए । कम से कम उसको तो जोड़ दीजिए । आखिर सुकमा कहां जाएगा ? तेलंगाना में थोड़ी जाएगा, रहेगा तो बस्तर में ही न। तो कम से कम सुकमा छूट गया है तो उस प्रस्ताव को सुधारकर विधेयक पास करा लीजिए न । इतना तो कर दीजिए, उस प्रस्ताव को सुधार दीजिए

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने शहीद के बारे में बात कही। शहीद शब्द परिभाषित नहीं हुआ है। हमने संविधान को भी देखा है। लेकिन शहीद सामान्तया सेना के जवानों के लिए ही उपयोग होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे जाते हैं या देश के लिए आम नागरिक भी लड़ते हुए मृत्यु होती है, तो हम लोग उनको शहीद कहते हैं। आपने शहीद वीर नारायण स्टेडियम बनाया। उसकी जो कल्पना थी, शुरूआत तो हमारे शासनकाल में हुआ, साकार आपने किया। शहीद वीर नारायण सिंह नामकरण हुआ। नाम तो आपने लिखा है न ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा उदाहरण जैसे हम लोग राजीव जी की पुण्यतिथि मनाते हैं तो हम लोग पुण्यतिथि नहीं कहते। हम लोग राजीव जी की शहादत दिवस कहते हैं। क्योंकि आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। इस देश में सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा गांधी जी का है। उस दिन 30 जनवरी को जिस दिन हत्या हुई थी, उसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन कहीं भी महात्मा गांधी जी को शहीद का दर्जा दिया गया हो, ऐसा उल्लेख नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। तो यह जो शहादत शब्द उपयोग में आता है, वह आम जनता के द्वारा लाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वह नाम के रूप में उपयोग किया गया है। जैसे हम लोग किसी को पंडित कहते हैं। अभी जैसे धर्मजीत जी बोल रहे थे- विद्याचरण जी शुक्ल, पंडित विद्याचरण शुक्ल भी बोलते हैं, पंडित श्यामाचरण शुक्ल भी कहते हैं, पंडित रविशंकर बोलते हैं, पंडित जवाहर लाल नेहरू भी बोलते हैं। तो यह तो नाम से जुड़ा हुआ है। बोल-चाल मे संबोधित कर देते हैं। किसी ब्राम्हण या ज्ञानी व्यक्ति को पंडित बोलते हैं, शास्त्री बोलते हैं। तो यह तो नाम के रूप में उपयोग में आ रहा है। इसलिए यदि इसमें आपको परिभाषित करवाना है तो अरन निश्चित रूप से संविधान में करवाईये। यदि ऐसा होता है तो कौन होगा, कौन नहीं होगा, यह हो जायेगा। केन्द्र में आपकी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सरकार है, आप उसको परिभाषित करवा लीजिये। हम उसको मानेंगे। लेकिन आज हम सब मानते हैं कि महेन्द्र कर्मा शहीद हुए थे, नंदकुमार पटेल शहीद हुए थे, विद्याचरण शुक्ल जी शहीद हुए थे, उदय मुदलियार जी शहीद हुए थे। तो यह हम लोगों की भावना है तो उस हिसाब से उनका नाम जुड़ गया है। मैं नहीं समझता कि उसमें आपको आपत्ति होनी चाहिए। यदि आपत्ति है तो विद्वान व्यक्ति हैं, आपकी पहुंच भी है, इसको भारत के संविधान में परिभाषित करवा दीजिये, तो फिर उसके अनुरूप कार्य भी होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप उस संशोधन को प्रस्तुत करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- विद्याचरण के नाम से, जो हमारे छत्तीसगढ़ और रायपुर के ..।

श्री भूपेश बघेल :- बिलकुल होगा। बिलकुल सही बात है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- उनके नाम से भी कोई संस्थान होना चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- मैं उनकी भावनओं से सहमत हूं। जैसे ही हमको मौका मिलेगा, और भी शहीद हुए हैं। विद्या भैय्या के साथ-साथ और भी लोग शहीद हुए हैं, उनके कद के अनुरूप, उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप उन संस्थानों का नामकरण किया जायेगा। ताकि जब तक वह संस्थान चले, उनका नाम भी जीवित रहेगा। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, क्या सुकमा छूट गया है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सुकमा जुड़ा नहीं है। जब यह यूनिवर्सिटी बना था, तब सुकमा जिला नहीं बना था। तो हम लोग उसको जोड़ देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- जोड़ दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- अभी जोड़ दीजिये। हम लोग सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए तो बोल रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- जोड़ लेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- जांजगीर को बिलासपुर में रख दो।

श्री उमेश पटेल :- जांजगीर के लिए अभी गवर्नर महोदय का कन्सेन्ट आयेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- यह मुंगेली किसमें जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- अभी कहां से बता पायेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- देखिए, ये विश्वविद्यालय जब बने थे उस समय आपका जिला बना नहीं था। जब उस समय ये परिवर्तन लाये जायेंगे, उस समय उसके अनुसार उसको बदला जायेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले:- मतलब बिलासपुर में बनायेंगे ना?

श्री उमेश पटेल :- हॉ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उमेश पटेल जी, पारित करने का निवेदन कीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे कि इसमें सुकमा जिले को भी जोड़े जाने का प्रस्ताव आप शामिल कर लें। ये प्रस्ताव रखेंगे और दूसरा प्रस्ताव कि इसको पारित किया जाए। वह दो प्रस्ताव रख दें तो मुझे लगता है कि हमारी जो कानून बनाने की प्रक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय :- जो नए जिले बने हैं, उनका नाम छूटा हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, नहीं। आपके इस विधेयक में क्योंकि मंत्री जी की तरफ से एक संशोधन, उसे वह मौखिक बोल दें, हमारा सदन जोड़ देगा। क्योंकि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें कहीं त्रुटि न रह जाए, हम कानून ठीक से बनायें, उसको जरा देख लें।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोल दीजिए कि पारित किया जाए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जोड़ने की बात हो रही है। जोड़ने का, संशोधन का भी आग्रह मंत्री जी करेंगे ना, हम थोड़ी करेंगे? उसको स्वीकृति वह देंगे।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) संशोधन के साथ जिसमें की सुकमा जिला का जोड़ा जाए के साथ पारित करने का आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि -छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

समय :
6:02 बजे

<u>शासकीय संकल्प</u>

<u>"यह सदन, केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351 से सहपठित आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।"</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन, केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351 से सहपठित आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मोला ये बात के सौभाग्य प्राप्त हे कि सन् 2007 में अशासकीय संकल्प लाये के मौका मिले रहिस। ओखर पहिली वर्ष 2006 में भी मैं अशासकीय संकल्प लाये रहेंव। माननीय अजय चंद्राकर जी जवाब देते हुए अस्वीकृत करा दे रहिस। साल भर बाद लगातार कभू बिलासपुर में, कभू धमतरी में, कभू रायपुर में,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कभू भिलाई में, कभू राजनांदगांव में सब साहित्यकार मन के, कवि मन के संगोष्ठी भी करत रहेन, वातावरण बनाये के कोशि करत रहेन अऊ सालभर के इंतजार के बाद काबर की एक बार अशासकीय संकल्प गिरे के बाद दूसरा बार लाना हे तो सालभर इंतजार करेल पड़थे। सालभर इंतजार करेन और वर्ष 2007 में फिर अशासकीय संकल्प लाये रहेन अऊ पूरा सदन समवेत स्वर से ओला पारित करे रहिस। पिछले सरकार भी अनुसूची 8 में चूंकि अब राजभाषा बनाना हे तो पिछले समय भी अशासकीय संकल्प भेजे गे रहिसे, भारत सरकार के पास लेकिन कोनो प्रकार से आठवीं अनुसूची में अभी जुड़ नहीं पाये हे। बहुत सारे जेन क्षेत्रीय भाषा हे ओमन जुड़ चुके हे लेकिन हमर छत्तीसगढ़ी आठवीं अनुसूची में जुड़ नहीं पाये हे। राज्य सरकार से जरूर राजभाषा के दर्जा मिले हे लेकिन आठवीं अनुसूची में नहीं जुड़े से बहुत अकन जौन भाषा के विकास में, मान्यता में जेन असुविधा होवथे तेखर बर जरूरी हे कि जुड़य। जईसे दू झन उड़िया मिलिही त ओमन उड़िया में बात करथे, तेलगूमन मिलथे त तेलगू में बात करथे, मराठी मन मिलथे त मराठी में बात करथे। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बने के 20 साल हो गे लेकिन हमर मन के सरकार आये के पहिली ये स्थिति रहिस कि कोनो छत्तीसगढ़ी में बात नहीं कर पात रहिस। लेकिन हमर सरकार बने के बाद अब मंत्रालय में भी छत्तीसगढ़ी में बहुत गर्व से बात करथे। अब त अधिकारी मनतक छत्तीसगढ़ी सीख-सीख के चाहे वह स्वागत भाषण होय चाहे आभार व्यक्त करय उही काम ल करय शुरू कर देहे। हमन जब खान, पान, रहन-सहन, तीज-त्यौहार सबो ल हमन ह बढ़ावा देत हन त अईसन समय में ये ह आठवीं अनुसूची में जुड़य येखर बर केन्द्र सरकार से पुन: निवेदन करय बर ये प्रस्ताव ला लाय हंव। मैं सदन से चाहत हंव कि येमा चर्चा करय के बाद येला पारित कराय। अऊ फिर से भारत सरकार के पास भेजन। अध्यक्ष महोदय, मैं अतका बात कही के अपन स्थान ग्रहण कर हंव। (मेजों की थपथपाहट) (माननीय सदस्य श्री अजय चंद्राकर द्वारा खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप संक्षिप्त में भाषण दे सकते हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरे बोलने का शौक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- वो तो हम...।

श्री रामकुमार यादव :- अजय जी, छत्तीसगढ़ी में बोल देवव ना।

अजय चंद्राकर :- मोला नाटक पसंद नई हे।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ी बोलना नाटक नो हे भई।

श्री रविन्द्र चौबे :- अजय भाई, छत्तीसगढ़ी बोलना नाटक एय।

श्री अजय चंद्राकर :- चल में बोलत हंव।

श्री रविन्द्र चौबे :- भाई, ये कतेक दुर्भाग्य हे। छत्तीसगढ़ी बोलना नाटक एय, तैं कतेक गलत बात करेस।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं बोलहूं ना कैसे बोलहूं ओला देख।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ठीक से बोलेल नई आय ता बोल ही कैसे ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महादेय, ये बात सही है कि भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज हैं, उन्होंनें ये संकल्प लाया था, लेकिन ओखर ले पहली डोमेन्द्र भेड़िया जी ये संक्लप ला अऊ ला चुके हे, ऐखर सेती में पहला श्रेय तो डोमेन्द्र भेड़िया जी ला देहूं। जैसे गोपाल परमार जी हा छत्तीसगढ़ बने बर संकल्प लाय रिहिस, मुख्यमंत्री जी सब ला याद करहूं ऐसे कथे ना ता गोपाल परमार के भी मूर्ति छत्तीसगढ़ में

लगना चाहिए। जेखर एक ठन संकल्प के सेती ये छत्तीसगढ़ बन गे। बड़े-बड़े आदमी मन अपन नाखून नई कटाय हे, शहीद बनथे। लेकिन गोपाल परमार बेचारा ला हमन सुरता नई करन। डोमेन्द्र भेड़िया जी ला ऐ विषय में याद करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा दिन संस्कृति विभाग में काम करेंव। छत्तीसगढ़ में मोर पहुंच दिल्ली मे हे, अभी कहात रिहिस, संशोधन करवा ले, मोर पहुंच हे नई हे अलग विषय हे। 2007 में तोर पहुंच जरूर रिहिस हे। आपके पहुंच दिल्ली में जरूर रिहिस हे। ये बात के लिये कमेटी बनना चाहिए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया, ये आपके प्रिय विषय रिहिस। एक कमेटी बननी चाहिए कि आठवीं अनुसूची में कोई भाषा ला जोड़े बर या कोई बोली ला जोड़े बर राजभाषा के यदि दर्जा दे, ओला प्रशासनिक भाषा बनाय बर।

समय :
06:07 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

ओला संवैधानिक भाषा बनाय बर, ओला लोक भाषा बनाय बर, अऊ ये भाषा पूरा छत्तीसगढ़ के बार करय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, ओमे काम करना हे। अऊ ओमे कार करके एक नोडल अफसर हा दिल्ली में गृह मंत्रालय में जा के निरंतर ओ कमी ला पूरा करे कि साहब का-का कमी हे। अभी तक ऐखर इस्तेमाल सिर्फ अऊ सिर्फ राजनीतिक तौर पर होय हे। (संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) खड़े होने पर) सुनना भैया, कहिथे तेला।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति जी, ते जब सुझाव अऊ सलाह देथस ना ता अच्छा लगथे। 15 साल उही ला तै काबर नई करेस।

श्री अजय चंद्राकर :- सुन ता ददा में ओमे बोलत हंव मे हा। राजनीतिक विषय एखर सेती बोलेव, जब हमर कर कोई एजेंडा नई रहाय, जेब खाली हे, जनता ला व्यस्त रखना हे..।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- सभापति जी, का हे सबसे सस्ता काम सलाह देना हे। ऐला वैसे कल लेतेस, ओला वैसे कर लेतेस, करे के टाईम रिहिस हे ते काबर नई करेस।

श्री अजय चंद्राकर :- सबसे देव ते हंस ना ध्यान रखे रहा, ते हां तीन झन पले हस। हव नई कर सकेन भई मे मान लेव। माननीय ताम्रध्वज साहू जी, मेरा पहला भाषण आपने सुना था तो मैंने कहा था ना कि कई असफलताएं मैं स्वीकार करता हूं। मैंने कहा था कि नहीं कहा था। ये संकल्प के पूरा समर्थन हे। लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी ला, भाषा बनाय बर, जे भाषाविद मन हे, ऐ सेती बोलथे, एक सेता बोलथे, एक ओला सोती बोलथे। छत्तीसगढ़ का सबसे पहले मानकीकरण बस्तर से लेकर सरगुजा तक छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण करना जरूरी हे। कोई भी छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग बनिस या अऊ कहीं ला बनायिन ता ओखर व्याकरण होगे, लेकिन ओखर मानकीकरण के काम ऐको कन नई होईस, न मानकीकरण करके हमन भेजेन। मैं समर्थन करते हुए ये बोलत हंव, कि प्रशासनिक भाषा बनाय बर जे जे मापदंड हे, लोक भाषा बनाय बर जे जे मापदंड हे, सरगुजा में भी सेती कथे, जांजगीर में भी हमर नखीराम जी बोले, ओ आ तेखर सेता कहाय। ओ तरफ ओला सेता कथे। ऐसा मानकीकरण जिसमें ये कह सकें कि बोली नहीं है भाषा है, पूरे छत्तीसगढ़ में एक तरह से बोले जाथे, एक बात। दूसरा ये भाषा में पर्याप्त लेखन हे नहीं, पर्याप्त साहित्य हे नही, पर्याप्त का चीज हे। एखर बर हमन कदम उठायेन । छत्तीसगढ़ के पहला अकादमी हिंदी ग्रंथ अकादमी बनिस। जेम लिखे रेहेन कि छत्तीसगढ़ के जतका उद्देश्य पढ़ लेबे, जतका अन बोली भाषा हे, ओखर प्रकाशन, ओखर पांडुलिपि, ओखर प्रोत्साहन के काम ओ करही। अलग अलग बर अलग अलग, सरगुजिया बर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जशपुरिया बर, अउ जतका कन बोली हे, संथाली वंथाली भी हमन थोड़ा से बोलथन, छोटा नागपुर से आथन तेखर सेती, सब के बर अलग अलग अकादमी नई बनान, ईही अकादमी सब काम करही। उमेश बाबू नइ हे। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अभी छत्तीसगढ़ियापन के ध्वज वाहक हे। अउ ओकर संग-संग तहान सबो झन बोलथे, हमन ला विरोधी ठहरा देथे। ते बात ला सुन। सुनत थस नइ। अब ओ अकादमी में ताला खुलथे या नइ खुले। झाड़ू लगथे या नइ लगे। उहां के आदमी ला तनख्वाह मिलथे या नइ मिले। बहुत संवेदनशील हस। एला चेक करवा ले। अभी छत्तीसगढ़ के व्याकरण अप्रकाशित हे, मने जे प्रकाशित रिहिसे वो सिरा गे। आज के तारीख में बाजार में ओकर कॉपी उपलब्ध नइ हे। में माननीय अध्यक्ष महोदय जी से आग्रह करेंव। संसदीय कार्यमंत्री, 2-4 झन विधायक के संग में बात करके। छत्तीसगढ़ी बोली के कोन-कोन से भाषा असंसदीय हे, कोन-कोन से भाषा संसदीय हे। हम कम से कम ओला विधान सभा में शुरू करन। अभी में चलना लंद फंद बात बोलत हों, कुछ भी। ओला असंसदीय मानबे का या संसदीय मानबे। कोई मानक तय होए हे का। सवाल यही मानकीकरण के हे, इही पाण्डुलिपि के हे, उही प्रकाशन के हे, उही राजभाषा के हे। भाषा बनाए के हे अउ ओला व्यवहार में लाये के हे। अउ ओकरी सतत् प्रशिक्षण भावनात्मक रूप से ते बोल देस कि छत्तीसगढ़ी में दू झन लाईन लिखकर बोलथे। में एक ठन भाषण सुने रेहेंव। राज्य प्रशासनिक अकादमी में सब राज्य प्रशासनिक अधिकारी अउ आई.ए.एस. माने यू.पी.एस. वाला मन ला हम सीखाबो। ओकर एक सेटअप मोला बता दो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कि रविशंकर यूनिवर्सिटी से छत्तीसगढ़ी में एम.ए. हे अउ ओमे पी.एच.डी. भी होए हे सुनत हस न ओमे से पास आउट एको झन लइका के नियुक्ति अकादमी में हम करे हन। जे अधिकारी बहार से आथे ते मन ला छत्तीसगढ़ी सीखाथे। तो बाबा जी के ठूल्लू हे। ते जान ले रहा। सुनके नइ सुने । अइसने एकाध ठन छत्तीसगढ़ी बोलो का। तोर काम धाम बर अइसने कई ठन हाना में निकाल दूहूं। सुनत हस नइ। ओ दिन ट्विटर में लिखे रहेव चार आना के घाघर अउ बारा आना के पुदगऊनी।

श्री रविन्द्र चौबे :- जब संसदीय और असंसदीय शब्द के परिभाषित हो ही ते अभी जेन बोले हस ते तुरंत कट मट हो जही।

श्री अजय चन्द्राकर :- चार आना के घाघर अउ बारा आना के पुदगऊनी वाला तोर काम हे। गोबर अतका अकन खरीदत हस। अउ विज्ञापन अतका अकन देवत हस उही ला कथे "चार आना के घाघर अउ बारा आना के पुदगऊनी। "

श्री रविन्द्र चौबे :-ते तो हमार गोबर खरीदी ला जुमला बना डरे हस। रोज एक बार ओला जरूर बोल थस।

समय :
6:13 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- भईया जी में ये विषय में गंभीर हों। ये नारा नइ होना चाहिए। में मोर असफलता स्वीकार कर लेंव। मोर राज्य भाषा आयोग में में डाटेंव, फटकारेंव। में मांगेव नइ मिलिस । में तो पहली दिन के भाषण में ये बात ला कहेंव। लेकिन मोर ओ नारा नइ रिहिसे। में ओकर भावनात्मक इस्तेमाल नइ करों। में व्यवहारिक बात करथो। ते हिन्दी ग्रंथ एकादमी के ताला ला खुलवा दे, धुर्रा पोछवा दे न भईया। ओमन ला तनख्वाह दे दे, दीया जला दे । छत्तीसगढ़ के व्याकरण ला दलित साहित्य हे, सोनी जी के किताब ला छपवा दे। जशपुर के किताब ला छपवा दे। लाला जगदलपुरिहा के किताब ला छपवा दे। छत्तीसगढ़ के समकालीन साहित्य में ये योगदान हे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छायावाद इहचे से निकले हे। ये बता दे श्यमा स्वप्न ठाकुर जगमोहन के फैंटेसी के उपन्यास पहिली छत्तीसगढ़ से निकले हे। साहित्य अतका समृद्ध हे कि अउ बीस ठन उदाहरण दे दूंहू। अभी टाईम नइ हे मोला अध्यक्ष महोदय फेर बत्ती दे दीही ते भाषण संक्षिप्त में दे। बहुत समृद्ध साहित्य सिर्फ मानकीकरण अउ ओला जे-जे कागज मांगथो ओला दे बर एक ठन नोडल अफसर स्थायी नियुक्त कर। दिल्ली में बइठे । चाहे आर.सी. करे ओ काम ला दिल्ली के अउ दूसरा यदि छत्तीसगढ़ी ला जानना हे तो नारा मत लगाना। उहां के प्रशासनिक एकादमी दोनों में एम.ए.पास आउट लइका ओकर सेटअप ला सुधार। तीन झन आदमी राहय चाहे दू परेड ले। ओकर सिखाये बर व्याकरण ला प्रकाशित करवा जे अप्रकाशित हे व्याकरण हे। तोला मालूम हे में बता देथो। हिन्दी से पहली पुराना व्यापकरण हमर छत्तीसगढ़ी के वर्ष1889 के एशियाटिक सोसायटी के एक जनरल में छपे हे। वर्ष 1924 में भोषले राज के गजेटियर, सी.पी. एण्ड बरार के गजेटियर में छपे हे जे हिन्दी से पहली के हमन अतका समृद्ध हन। लेकिन हमर मन सन का हे। बताएव न कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ भवनात्मक बात। तो आज पारित करे के बजाए ए संकल्प लन कि नोडल अधिकारी एक झन बनही, उहा के दीया बत्ती जलही। उहां सेटअप सुधरही। हमर समकालीन साहित्य में हर दौर में छत्तीसगढ़ के योगदान हे। कोदूराम दलित कब के। छत्तीसगढ़ शब्द 14 वीं शताब्दी के शब्द हे। पहला दरबारी कवि खैरागढ राजा साहब बैठे हे। ओकर यहां से छत्तीसगढ़ी शब्द हा निकले हे। जे दिन कबे ओ दिन ओमे बहस कर देबो। तो आज कार्य करे के समय हे। सिर्फ नारा, खाली आदमी हे सब कोई ठेलहा हे, गोबर बिनत हे तोर नारा हे। तो छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी बोलन व्यस्त रखे बर। हम छत्तीसगढ़िया हन। अरे छत्तीसगढ़िया तो सबो हे। आज ये दौर आ गया है। ये अब बहुत बात हो गई छत्तीसगढ़ की सेवा। छत्तीसगढ़ क्या है। छत्तीसगढ़ी की सेवा क्या है कैसे होगी, यह संकल्प पारित हो। छत्तीसगढ़िया की परिभाषा बहुत जरूरी है। मैं इसलिए इस बात को बोलता हूं कि अरूण वोरा जी भी तीन पीढ़ी से सेवा कर रहे हैं और बृजमोहन जी भी तीन पीढ़ी सेवा कर रहे हैं। इसको परिभाषित किया जाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया के नाम से जो वर्ग विभाजन राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यदि इनको निपटाना होगा ना तो फिर आप डोमिसाइल नीति बना दोगे और 1905 कर दोगे। इनको गैर छत्तीसगढ़िया बना दोगे। यह 114वीं पीढ़ी के राजा हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- चार दिन की विधानसभा में इनको निपटाना है करके चार बार बोल दिये, आपकी मंशा क्या है?

श्री अजय चन्द्राकर :- निपटाने के लिए डोमिसाइल नीति में 105 को आधार वर्ष बनाकर उसको आप छोटा नागपुर भेज दोगे। इसलिए सबका योगदान है। इस भावना का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर न हो, शपथ हो कि हम ईमानदारी से वह सब कमियों को दूर करेंगे जो राजभाषा बनाने के लिए जरूरी है। इस आशय के साथ शासन संकल्प करे, काम शासन को करना है। मेरे तौर पर बात करेंगे तो मैं ईमानदारी से किसी भूमिका में अपनी असफलता को आपकी सरकार बनने के पहले दिन स्वीकार कर लिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली मैं अपन यशस्वी मुख्यमंत्री ला बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहत हौं जो छत्तीसगढ़ के अस्मिता ला, मान-सम्मान ला बढ़ाये बर हमर छत्तीसगढ़ी

भाषा ला आठवीं अनुसूची में शामिल करै बर जो संकल्प लाये हे, ओकर मैं समर्थन करथौं। हमर जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, वो तो सैकडों वर्ष पुरानी है। छत्तीसगढ़ी और हिन्दी मिक्स हो जात हे।

श्री रविन्द्र चौबे :- प्योर छत्तीसगढ़ी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अच्छा, प्योर छत्तीसगढी। हमर छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2000 में बने हे, आज हमर छत्तीसगढ़ राज्य ला बने 20 साल हो गये हे, लेकिन सही मायने में हमला बहुत पीड़ा होथे। आज भी हम उपेक्षित महसूस करथन। काबर कि कहीं भी हम जाथन तो छत्तीसगढ़ शब्द या छत्तीसगढ़ी में बात करे बर थोड़ा झिझक होथे। आप मन देखे हो जैसे तेलगू मन बात करथे तो तेलगू में बात करथे, वो मन जब आचार-व्यवहार के बात करथे तो तेलगू में ही बात करथे। हम बंगाल में जाथन तो बंगाली मन अपन भाषा में बात करथे। लेकिन हमर छत्तीसगढ़िया मन हमन हा मिलथन तो छत्तीसगढ़ी में बात करै मा बहुत संकोच होथे। जब से हमर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 में आये हें तब से लगथै कि हमन छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करथन, हमन छत्तीसगढिया हवन। काबर कि जब से हमर मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के पहचान कराईस, आप मन देखे होहू, हरेली त्यौहार ला हमन भूल चुके रहेन। हम सिर्फ गांव-गांव में मनायेन, गांव में नागर के पूजा करन, लेकिन हम शहर में जान तो कहीं भी नागर नई दिखै, कहीं भी कोई पता नई रहै कि आज हरेली तिहार हे। आज हमार मुख्यमंत्री बनिस तो हम ला एहसास होथे कि हम छत्तीसढ़िया हयन और घर-घर में गेड़ी बनथे। हम पहली बच्चा ला बतायन कि गेड़ी क्या होथे।

श्री रविन्द्र चौबे :- ए दरी हरेली के दिन हमन तो गेंड़ी बहुत चढ़े हन। कई आई.ए.एस., कलेक्टर मन ला जब इहां से आर्डर मिलिस ना तो कई जन गेंड़ी मे चढे से सिखत-सिखत झपावत रहिन। समझे न। कलेक्टर ला हमन बताइन, गेड़ी ला बरोबर गेड़ी नई बोल सकत रहिन हे, लेकिन गेढ़ी मा चढ़ के देखावत रहिन।

श्री नारायण चंदेल :- चौबे जी, एक झन आई.ए.एस. गेढ़ी चढ़त-चढ़त गिर गये, ओकर गोढ़-हाथ टूट गये।

श्री रविन्द्र चौबे:- अउ दूसर जेन दिन रोका-ठेका कहिस ना हमर मुख्यमंत्री हा, कई दिन ले लौड़ी धरे घूमत रहिन। अब हमार गोधन न्याय योजना आ गये हे, नोई-नोई ला जानथस नई, टोटा मा लटका के नई घूमही, देखबे ओला।

श्री अजय चन्द्राकर :- चौबे जी, भाभी जी, आत्मनिर्भर भारत कहथे, वह सही बोलथे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमर हर बच्चा मन ला गेंड़ी बताय के जरूरत महसूस नइ होए नइ तो बतान कि अइसे बांस के ओमा लगे रहिथे अऊ गेंड़ी चढ़थें । आज हमन भंवरा के बात करथन, हमर माननीय चंद्राकर जी भंवरा के बारे में बोले रहिस हे, ता बड़ा दुख होथे । यह हमार संस्कृति है।

अध्यक्ष महोदय :- भंवरा है कि भौंरा ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- भौंरा ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री चंद्राकर जी, भंवरा है कि भौंरा के बारे में बोले रहिस है। (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चलाथे तेला भौंरा कहिथें ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ता माननीय चंद्राकर जी ओ हा हमर संस्कृति हे । आज भौंरा, बांटी, फुगड़ी ये सब हमर संस्कृति के पहचान हे अऊ वही हमर संस्कृति अऊ पहचान बनात हे । इही चीज ला हम बोलना चाहत हन कि ए हा हमर संस्कृति के पहचान अब देश-विदेश में भी जाए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी हा अब ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बन गे हे । गिल्ली है, भंवरा है, बांटी है सबला अब ओलम्पिक में मान्यता दिलवाही। मैं हा अब ऐकरो बर अशासकीय संकल्प लाने वाला हंओं यदि ओलम्पिक में मान्यता दिलवा देहें ता छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठा पूरा 242 देश में पहुंचे ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- चिंता मत कर उहू काम ला करबो ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चंद्राकर जी, ऐ हा गिल्ली नइ होए इभ्भा होथे ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ला भौंरा अऊ गेड़ी मा वाईट बॉल पर वाईट चांस मिल जही सीधा परमिशन मिल जही ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली कोई भी शासकीय कार्यक्रम होए उंहां चाउमिन मिलय, पनीर चिल्ली मिलय, इडली-डोसा मिलय । जो हमर छत्तीसगढ़ के पहचान नइ हे । आज हमन कोई भी कार्यक्रम में जाथन ता ठेठरी, खुरमी, बबरा-चीला ये सब मिलथे ।(मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- डॉ. रमन सिंह जी ओला बनवाये रहिस हे । संस्था प्रकाशित करवाए रहेन । आई.टी.सी. होटल ला ओकर न्यूट्रीशन के प्रमाणीकरण बर हमन अधिकृत करे रहेन ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमन देखथन कि ए पहचान बन गे हे । जब खाथे ता लोग मन पूछथे कि ए काय हे, साऊथ इंडियन मन हमर बाजू में बइठे रहिथे ता ओमन फरा खाथे, ओमन ला पता नइ हे कि फरा हर हे, ओमन ला बबरा-चीला नइ पता हे लेकिन हमर छत्तीसगढ़ के हर चीज के पहचान हे । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत-बहुत धन्यवाद देत हंओं कि जो गढ़कलेवा के अंतर्गत हमर छत्तीसगढ़ के हर जगह व्यवस्था करे हे, जो छत्तीसगढ़ के पहचान हे ओकर बर बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए । एक चीज और यह जो छत्तीसगढ़ी भाषा चालू होही ओमे से हमर युवा साथी मन ला बहुत फायदा होही । काबर कि हमन बचपन से छत्तीसगढ़ी भाषा ला सुने रथन । बचपन से बड़ा होए रथन । जब इही भाषा के हमन कहीं भी एग्जाम दिलायेंगे तो बहुत इजी होथे तो पिछड़े के कारण एक यह भी है ता बहुत-बहुत धन्यवाद । हमर संस्कृति ला उजागर करे बर हमन इस संकल्प के समर्थन करथन । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ओ विधायक नोनी हा बने बोलिस हे ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत जी आप भी थोड़ा संक्षिप्त कर लीजिएगा ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस संकल्प का बहुत ही तहेदिल से समर्थन कर रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ का भाषा हम सबकी अस्मिता का प्रतीक है और दिल्ली में इसे जोड़ा जाये यह हम सब चाहते हैं । छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसके पहले भाषा का उद्‌भव और विकास जान लेते हैं । भाषा भाष धातु से बना है जिसका अर्थ कहना और बोलना है । भाषा वह है जो बोला जाये, विचार-विनिमय और भाव-विनिमय के साधन के लिखित रूप को ही हम वस्तुत: भाषा कहते हैं । मनुष्य युगों से भाषा बोलते आया है किंतु आजतक वह स्थिर नहीं हो पाया है कि वास्तव में भाषा का प्रारंभ कब हुआ है । भाषा के विकास को भाषाविदों ने इस रूप में व्यवस्थित करने की कोशिश की है कि सबसे पहले व्यक्ति बोली फिर स्थानीय बोली फिर उपबोली फिर बोली फिर उपभाषा फिर भाषा । भाषा का विकास किसी एक व्यक्ति से प्रारंभ होकर भाषा से भाषा तक पहुंचता है ।

यह माना जाता है कि पूरे विश्व में 7111 के आसपास जीवित भाषा है। भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षण 2010 के भाषा सर्वे के अनुसार भारत के लगभग 750 जीवित भाषा हैं । वर्तमान सरकारी आंकड़ा केवल 704 को मानता है । हम यदि भारतीय भाषा के भाषा -वर्ग की चर्चा करें तो ये पांच भाषा-वर्ग है । अष्टिक या आग्नेय परिवार, एकाक्षर अथवा तिब्बती-चीनी परिवार, द्रविड़ परिवार, आर्य भाषा परिवार और अनिश्चित भाषा परिवार । पूरे भाषा-वर्ग में आर्य भाषा परिवार के पूरे भारत में 73 प्रतिशत है, द्रविड़ वर्ग का 25 प्रतिशत है और शेष भाषा में से 2 प्रतिशत है जिसमें से अधिकांशत: आदिवासी भाषा है । भारतीय भाषा से तात्पर्य पूरे भारत की भाषा से है । हम हिन्दी या छत्तीसगढ़ी की बात करें, उससे पहले भारतीय आर्यभाषा से अथ् से इति तक के उद्भव और विकास को भी जानना चाहिए । अपभ्रंश बोलियां उससे निकलने वाले आधुनिक भारतीय भाषाएं - सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी, इस अपभ्रंश के नागर रूप में राजस्थानी, गुजराती और इस अपभ्रंश के पहाड़ी इलाकों में स्थित पहाड़ी, पैशाची या कैकय रूप, लहंदा, पंजाबी इस पर सौर सैनी प्रभाव है । ब्राचढ़-सिंधी लोग, महाराष्ट्री-मराठी, अर्ध मागदी-पूर्वी हिंदी इसी के अंतर्गत बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी आता है । मागधी एक वर्ग है उसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया है । पूरे भारत की 73 प्रतिशत बोलियों का विकास अपभ्रंश के 6 बोली रूप से हुआ है । छत्तीसगढ़ का विकास भाषाविद् अर्धमागधी से मानते हैं और माना जाता है कि अवधि बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आता है। भाषाविद् मानते हैं कि हिंदी भाषा के व्यापक क्षेत्र का यह नक्शा भी है । हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं । उसका वर्गीकरण इस प्रकार से है -

पूर्वी हिंदी - अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी.

पश्चिमी हिंदी - ब्रजभाषा, बांगड़, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली.

राजस्थानी - मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाड़ी, मालवी.

बिहारी बोली - भोजपुरी, मगही, मैथिली.

पहाड़ी - कुमाउनी और गढ़वाली.

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है । इस बोली की विकास यात्रा तब तय करती है, जब उसका उन्नत व्याकरण, भाषा कोष और सम्पन्न शब्द सम्पदा हो । हम यह भी जानते हैं कि वैदिक संस्कृत समृद्ध तब हुई जब उसे पाणिनी जैसा व्याकरणाचार्य मिला । छत्तीसगढ़ी भाषा समृद्ध है और सभी जानते हैं कि मातृ भाषा में ही व्यक्ति सहज होता है । हर मातृभाषा में उस अंचल की अस्मिता और संस्कृति होती है । लेकिन यह यक्ष प्रश्न भी है कि हम छत्तीसगढ़ी व्याकरण शब्दकोष शब्द सम्पदा समृद्धि करके आगे बढ़ें तो उत्तम होगा । साथ ही लिपि का प्रश्न भी विचारणीय होगा । यह गौरव की बात है कि हम अपने अंचल की भाषा के विकास की बात कर रहे हैं । लेकिन मेरी यह भी इच्छा है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी और राज्य भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हो, तभी हमारी परिकल्पना पूरी होगी । हम अपनी मातृभाषा को छत्तीसगढ़ी को संवैधानिक दर्जा देने का समर्थन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह भी करता हूं कि यहां से प्रस्ताव तो जाएगा लेकिन इसके पैरलल, इसके समानान्तर हम छत्तीसगढ़ के व्याकरण, उसके शब्दों और शब्द वृद्धि के लिए प्रयास करें । अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग बैठते हैं तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी के साथ अन्य भाषाओं का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे कि मैं जात हौं मोर फादर बुलाए हे, मोर फादर के कॉल आए हे, कॉल

यानी फोन कॉल । इस तरह की छत्तीसगढ़ी भी ना हो । हमारी माटी में जो भाषा है हम वही बोलेंगे, जब पेरिस में कोई छत्तीसगढ़ी मिल जाए तो बहुत खुशी होती है । छत्तीसगढ़िया यहां रहेगा तो बात नहीं होगी लेकिन बाहर उससे मिलने से बहुत प्रेम होता है कि यह हमारे छत्तीसगढ़ का है । हमारी भाषा समृद्ध हो और यह समृद्ध होती रहेगी तो दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वह कोई भी, हमारी इस भाषा को शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता । लेकिन हम प्रस्ताव भेज रहे हैं, केन्द्र सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार यह हुआ कि डॉ. रमन सिंह जी ने भे भेजा था, तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, अब आप भेज रहे हैं तो भाजपा की सरकार है । सरकारों के चश्में से अलग हटकर हमारे छत्तीसगढ़ के दो करोड़ 80 लाख लोगों के जन जीवन को जोड़ने, उनकी भाषा को व्यक्त करने का जो सशक्त माध्यम है, हमारी छत्तीसगढ़ी बोली, भाषा, उसको वहां पर मान्यता दी जाए ताकि वहां पर भी और अन्य अवसरों पर भी हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य, छत्तीसगढ़ी फिल्म को भी समर्थन देने का विचार जरूर करेंगे और छत्तीसगढ़ के साहित्य को मजबूती देने के लिए आप काम करेंगे । आपके इस प्रस्ताव की सराहना भी करता हूं और समर्थन भी करता हूं, धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- अध्यक्ष महोदय, आज मुख्यमंत्री जी हा छत्तीसगढ़ी ला 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करेके शासकीय संकल्प लाये हे। अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मेहा ये बात रखना चाहथव कि जब हमर सरकार 28 नवंबर, 2007 के विधेयक लाके छत्तीसगढ़ी भाषा ला राजभाषा के दर्जा दे रहिसे अउ एहा पहला बड़े कदम रहिसे, जेन पीडियों से मांग होवत रहिसे। पहली तो सबसे बड़े संघर्ष रहिसे कि छत्तीसगढ़ राज्य हमर बन जाये। अउ ए छत्तीसगढ़ राज्य बर निश्चित रूप से अलग-अलग तरफ से आंदोलन चलत रहिसे, अलग-अलग तरफ से मांग चलत रहिसे। अंत में अटल बिहारी वाजपेयी हा नवा राज्य बनाके दे दिसे। छत्तीसगढ़ ला एक राज्य एक रूप में सम्मान के रूप में, गौरव के रूप में हमला ओ स्थान मिलगे, जेखर प्रतीक्षा हमन करत रहेन और ओ प्रतीक्षा तो खतम होगे, ओखर साथ ही साथ 2007 के हमर ये राजभाषा छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा बनाये के काम भी पूरा होगे। सवाल तीन विषय ला लेकर हे कि आज जेन बात ला हमन चर्चा करथन, जेन बात के चर्चा होये, हमर जेन छत्तीसगढ़ी भाषा हे, ओ भाषा हिन्दुस्तान में सबसे गुरूतुर बोली हे। मीठा बोली यदि कोनो हे और सबले बढ़िया काम में जो बोली लगथे। छत्तीसगढ़ी के मुकाबला में दुनिया के कोई भाषा नहीं हे। कहूं चल दो। उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, लोक सभा में बैइठ के बात करो कि छत्तीसगढ़ी बोलइया मन ला आदमी मन आके सुनथे कि तुमन काय बोलथो, काय गोठियोथो ? छत्तीसगढ़ी में अइसन अइसन हाना हे कि जेखर कोई सीमा नहीं हे। जइसे आज अजय चन्द्राकर जी बहुत शानदार कई प्रकार के हाना बोलत रहिसे। तो जेन ज्यादा लंबा चौड़ा बोलथे तो कहिथे कि मूड़ ले बड़े आंखी होगे गा। ये छत्तीसगढ़ी के बोली में कतका ताकत हे कि एक लाइन में अभिव्यक्ति ला कतका ऊपर कर सकथे। हमर व्याकरण हे। हमर पास साहित्य हे। हमर पास सतत चलने वाला रचना हे। ये एक समृद्ध भाषा के रूप में पीढियों से विकसित होये हे। बहुत कुछ लिखे गेहे। अउ एमा ढाई करोड़ छत्तीसगढिया मन के सम्मान के विषय हे अउ सम्मान के विषय दोनों हे। हम गौरव भी करथन अउ छत्तीसगढ़ी के नाम से पहचान भी बने हे छत्तीसगढ़िया मन के। छत्तीसगढ़ी भाषा में न जाने कतका कविता, नाटक, निबंध, शोध लिखे गेहे। सबसे पुराना संस्मरण 1885 में छत्तीसगढ़ व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखे रहिसे, जेखर अंग्रेजी में अनुवाद प्रतिष्ठित जनरल ऑफ

एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1890 में जेखर ट्रांसलेशन होये रहिसे। अब बताओ कि ओ जमाना के हीरालाल द्वारा लिखे हुए व्याकरण और कोने भी भाषा के, कोनो भी बोली के ताकत जेन सबसे बड़े होथे, ओखर व्याकरण के अंदर होथे। व्याकरण हे तो आगे बढ़ सकथे। बोली भाषा के रूप में बाद में 8वीं अनुसूची तक जाये के ताकत हे तो हमर व्याकरण बहुत समृद्ध हे अउ एखर प्रकाशन भी पहली होगेहे । आज जो सबसे जरूरी काम जेन हे कि हमला अपन छत्तीसगढ़ में रहिके जेन राजभाषा आयोग बने हे ओला और मजबूत करेके काम हम कइसे कम सकथन। अलग-अलग साहित्य ला प्रकाशित करेके काम कइसी कर सकथन। जो हमर छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग जेन काम करे रहिसे अंग्रेजी से छत्तीसगढ़ी, हिन्दी से छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्दकोष प्रकाशित होये रहिसे, ओखर ज्यादा से ज्यादा उपयोग होये। ओखर ज्यादा से ज्यादा कोर्ट से लेकर कचहरी तक, स्कूल तक हम कइसे ओखर उपयोग करें, प्रशासनिक शब्दकोष के अउ राजकाज में कतका ज्यादा ओखर उपयोग हो सकथे। जतका ज्यादा हमन एखर राजकाज में उपयोग करबो, जतका एखर उपयोग होही, ओतके एखर क्षेत्रफल अनुसार बढ़ी। काबर हमर ले कम संख्या वाले जेन भाषा रहिसे, ओहा 8वीं अनुसूची में शामिल होगे। केरल के मलियालम, गोवा के कोकणी, मणिपुर के मणिपुरी भाषा, जब ए मन सारा हो सकथे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी के भी एखर लिए प्रयास होना चाहिए अउ ए प्रयास हमन करे रहन। छत्तीसगढ़ में जब 2007 में यह प्रयास होइसे। जब केन्द्र में हमन ए प्रस्ताव ला बनाके भेजे हन 8वीं अनुसूची में शामिल किये जाये करके और एखर लिये न केवल हमन प्रयास करेहन, यहां से प्रस्ताव भेजे हन। विधान सभा में सबे सदस्य मन सर्वसम्मति से ए प्रस्ताव के पक्ष में बात रखे रिहीन हे । एकर साथ लोकसभा में भी घलो ये विषय ला गंभीरता से उठाए गे हे चाहे वह सुश्री सरोज पाण्डेय उठाए हे, छाया वर्मा हो, अभिषेक सिंह हो अउ हमर सदस्य मन ए विषय ला पूरा गंभीरता से लोकसभा में भी गुंजाए हें । ये बात ला रखे हें और हमर मन के ये प्रयास लगातार जारी रहिही । जैसे छत्तीसगढ़ के निर्माण होगे, हमर छत्तीसगढ़ बन गे । ये प्रस्ताव भेजे के जरूरत ये वजह से नहीं ए कि वह प्रस्ताव आलरेडी केन्द्र सरकार के पास लंबित हवय तो ये वजह से मैं ये कहहूं कि ये पत्र देना चहिए कि 2007 में जोन प्रस्ताव 8वीं अनुसूची में जोड़े के शामिल करे हे, ओला फिर से पुर्नविचार के लिए एक पत्र भेज दे जाये तो हमर काम हो जाही अउ ये निश्चित रूप से यह पूरा छत्तीसगढ़ के जनता के मांग हे, हम सबके विचार हे, सोच हे, ये बात ला निश्चित रूप से हमन भी बात करबो कि सब मिलाके एला 8वीं अनुसूची में कईसे जोड़े जा सकय । बहुत अच्छा विषय में चर्चा के लिए आप अवसर देव, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351 से सहपठित आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

(मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सबको भी बहुत-बहुत धन्यवाद । आज डॉ. साहब छत्तीसगढ़ी में बोलिए, बहुत अच्छा लागिस हे । बहुत दिन में छत्तीसगढ़ी सुने ला मिलिस ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- हर 50 किलोमीटर में बोली, भाषा सब बदल जाता है। दुर्ग पार के बोली अलग हे, रायगढ़ के बोली अलग हे और बिलासपुर के बोली अलग हे, मुंगेली के बोली अलग हे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉ. साहब के गोठ ह गुरतुर हे अउ ओकर गोठ ह टेरराहा हे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- इही खुशी म हमन माननीय मुख्यमंत्री ला बधाई देवत हन । रेहचुर अउ ढेलवा के काम करहूं । रेहचुर घलो झूलबे और ढेलवा घलो झुलाबे।

श्री रामकुमार यादव :- 15 कोस में बोली बदलथे, 15 कोस में ।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- डॉ. साहब, लोकसभा में मैंने भी प्रस्तुत किया है, आपने मेरे नाम का उल्लेख ही नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- मोरो नाम ला भूला गे रिहीसे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम लोग सांसद थे तो भी हम लोगों ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था ।

अध्यक्ष महोदय :- नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर जो चर्चा होनी थी, उसे अगले सत्र के लिए मैं बढ़ा रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, वह मामला अभी रिलीवेंट है, अगले सत्र में क्या स्थिति बनेगी, मैं नहीं जानता । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा, दोनों में भयावह स्थिति है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, वे अकेले बोल लेंगे । वे अकेले बोल लेंगे, उनकी बात सुन लें तो सरकार कुछ कर पाएगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी जैसी मर्जी ।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सभा को यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के नवीन भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम कल दिनांक 29 अगस्त, 2020 को नवा रायपुर, अटल नगर में दोपहर 12.00 बजे रखा गया है । आप सभी माननीय सदस्य एवं पत्रकारगण और पत्रकार साथियों से इस कार्यक्रम में पहुंचने हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूं । आप सभी माननीय सदस्यों को पृथक रूप से कार्ड भी वितरित किये जा रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपसे एक जानकारी चाहिए थी । मुझे ऐसा याद आता है कि जब प्रेम प्रकाश पाण्डेय जी अध्यक्ष थे, तब विधान सभा भवन और विधायक विश्राम गृह, दोनों भवनों का शिलान्यास अब्दुल कलाम साहब ने किया था तो जरा उसको एक बार देख लें, कहीं ऐसी त्रुटि नहीं हो कि दोबारा हो जाये।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे जो जानकारी मिली है, वह सिर्फ एम.एल.ए. रेस्ट हाऊस का हुआ था ।

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

<u>संसदीय सचिवों की स्थिति के सम्बन्ध में</u>

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- दिनांक 26 अगस्त, 2020 को माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने व्यवस्था के प्रश्नके माध्यम से संसदीय सचिवों को प्रदत्त अधिकारों, कर्तव्यों एवं सभा में परिचय आदि के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तथा श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं नेता प्रतिपक्ष जी ने भी अपने विचार व्यक्त किये थे। तत्समय मैंने अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी। व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में विधि मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, संसदीय कार्यमंत्री श्री रविन्द्र चौबे एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की थी। इस सम्बन्धमें मेरी व्यवस्था इस प्रकार है :-

"पूर्व में भी संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई है और कभी भी संसदीय सचिवों का सभा से परिचय नहीं करया गया है। जहां तक उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आने के पूर्व तक संसदीय सचिव, मंत्री की अनुपस्थिति में या मंत्री की ओर से सदन में उत्तर देते थे। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश आने के बाद से चूंकि वे मंत्री नहीं हैं, इसलिए संसदीय सचिव द्वारा सदन में मंत्री की ओर से उत्तर नहीं दिये जा रहे हैं और वही स्थिति वर्तमान में भी लागू है। शासन स्तर पर संसदीय सचिव के क्या अधिकार और कर्तव्य है, इस सम्बन्ध में राज्य शासन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यथा समय स्थिति स्पष्ट करें।"

समय :
6:42 बजे

<u>प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज, लोक लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति के लिए 2020-21 की शेष अवधि हेतु रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु निर्विरोध निर्वाचन</u>

अध्यक्ष महोदय :- प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज, लोक लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति के लिए 2020-21 की शेष अवधि हेतु रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, वह इस प्रकार है :-

प्राक्कलन समिति

1. डॉ. विनय जायसवाल
2. श्री विनय कुमार भगत

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

1. श्री शैलेष पाण्डेय
2. श्रीमती छन्नीचंदू साहू

स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

1. श्री देवेन्द्र यादव
2. श्री राजमन बेंजाम

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति

1. श्रीमती संगीता सिन्हा
2. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
3. श्री राजमन बेंजाम

अध्यक्ष महोदय :- वर्ष 2020-21 के लिए गठित निम्नलिखित समितियों में रिक्त हुए..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा कि वे मंत्री नहीं हैं। अगर वे मंत्री नहीं हैं तो वे समितियों का सदस्य रह सकते हैं। आप बतायें कि कौन से नियम में हैं ? आप जरा नियम बता दें?

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी शासन के दिशा-निर्देश जारी नहीं हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- आप जरा नियम बता दें। मेरे पास आपके नियम प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियम है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आसंदी ने व्यवस्था दे दी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- हमारे पास संसदीय कार्य प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप नियम निर्देश जारी कहा है और आपके नियम निर्देश नहीं आये हैं, जब मंत्री नहीं हैं तब तक वे विधायक हैं। दिशा निर्देश जारी होते तक जब मंत्री नहीं हैं तो विधायक हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। क्योंकि यह सदन आपके संरक्षण में चलता है। सब विधायक आपके संरक्षण में होते हैं। इस विधानसभा के नियम एवं कार्य प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम बने हुए हैं। मंत्री समितियों के सदस्य नहीं हो सकते। परन्तु यदि वे मंत्री नहीं हैं, तो समितियों के सदस्य हो सकते हैं। मैंने इस बारे में देखा है कि कार्यप्रक्रिया संचालन संबंधी नियम, कौल एण्ड शकधर कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि वे समितियों के सदस्य नहीं हो सकते। तो आखिर वे सदस्य क्यों हटे, उनको क्यों हटाया गया ? उनकी जगह पर नये सदस्यों को क्यों लिया गया ? तो आखिर इसके कौन से नियम हैं ? आपने सबसे पहले कहा कि वह दिशा-निर्देश जारी करेंगे। उनके द्वारा दिशा निर्देश जारी कर देने चाहिए थे कि वे ऐसा माने जायेंगे, उनको यह अधिकार नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। जब तक शासन द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, मुझे लगता है कि तब तक यह जो निर्वाचन हुआ है, यह पूरी तरह अवैधानिक होगा, नियम-प्रकियाओं के विरूद्ध होगा। आपके द्वारा ही प्रकाशित कार्य प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम के भी विरूद्ध होगा। मुझे लगता है कि यह गंभीर मामला है और आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, एक मिनट मेरा भी सुन लीजिये। मैं थोड़ा सा बोलूंगा। मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने दो बजट सत्र में देखा। विपक्ष में भी मेरे दल के 5

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सदस्य थे और 4 बचे हैं। तो जब भी कमेटिया बनती हैं उसमें आप हमारे एक भी मेम्बर नहीं लेते। विपक्ष से लेना रहता है तो जो भी रेशियो है, उसमें एकाध मेम्बर हम लोगों को भी ले लेना चाहिए। आप लोगों ने कोई भी कमेटी में हम लोगों को नहीं लिया है तो यह हमारे साथ अन्याय है। हम लोग चार और कम से कम दो विपक्षी दल के और हैं, छः लोग हैं उनके छः में से किसी एक को ले लीजिए। आप लोगों से हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी किया था लेकिन दो बजट सत्र के बाद जो भी कमेटियां बनीं उसमें हम लोग कहीं नहीं रखे गये हैं। इसलिए आज मैं सदन में सार्वजनिक रूप से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जब भी इस प्रकार की कोई बात हो तो संसदीय कार्य मंत्री जी उसको जरूर देखें और हमारे भी दल के लोगों को किसी कमेटी में एकाध जगह दी जा सकती है। दो-चार कमेटी यदि होंगी तो एकाध कमेटी में जगह दे दीजिए। तो आप कृपा करके इस पर भी विचार करियेगा। मैंने आपसे भी आग्रह किया था।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। आपने जो कहा मैं सुन रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- जिस बात को माननीय सदस्य ने आग्रह किया है मुझे लगता है कि माननीय अध्यक्ष को विवेकाधीन अधिकार भी है और उस अधिकार का वह उपयोग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- पूर्व में दिया जा चुका है।

श्री धर्मजीत सिंह :-जो विभाजन की प्रक्रिया होती है उसमें हमको दो पद दिया जाता है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर विषय है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये गंभीर विषय है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव असेंबली यदि नियम के विरूद्ध, कानून के विरूद्ध जाकर काम करेगी।

अजय चंद्राकर :- कोई रिफरेंश तो दे दें ना कि किन कारणों से वह हट सकते हैं, कौन सी प्रक्रिया, कौन सी चीजों में हट सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उसमें कहा है, शायद आपने सुना नहीं है। इस संबंध में राज्य शासन ने उच्च न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में यथासंभव स्थिति स्पष्ट करें।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, अभी स्पष्ट नहीं है न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश जारी किया है।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो कल सबेरे भी कर सकते हैं, उसमें आप क्यों परेशान हो?

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, तब तक स्थगित किया जाए, जब तक स्पष्ट न हो जाए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप निर्णय जो भी करें हमें मान्य होगा, पर आप हमारी पूरी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, सब विधायकों ने मुझे निवेदन किया है कि उनके क्षेत्र में सब गांव डूब रहे हैं, उनको जाना है। आप शहर वाले हैं इसलिए आपको कोई चिंता नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कोई बहुत लंबी बात नहीं है। क्योंकि ये कानून से संबंधित, विधि विधायी से संबंधित, लेजिस्लेटिव असेंबली से संबंधित और माननीय इस सदन के सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्यों से संबंधित है। हमारे सदस्यों को समिति की सदस्यता से हटा दिया गया। उनके कोई अधिकार परिभाषित नहीं हैं। वह आपके अंतर्गत हैं। दिशा निर्देश जारी नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री नहीं बने हैं, विधायक हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपको इतनी चिंता है यह जानकर मुझे खुशी हो रही है।

वर्ष 2020-21 के लिए गठिन निम्नांकित समितियों में रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति हेतु विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार वर्ष 2020-21 की शेष अवधि में सेवा करने के लिए निम्नांकित माननीय सदस्यों को नियुक्त करता हूं :-

1. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति

1. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
2. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
3. श्री संतराम नेताम

2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री बृहस्पत सिंह
2. श्री विक्रम मंडावी

3. याचिका समिति

1. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल

4. प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
2. श्री संतराम नेताम

5. शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री देवेंद्र बहादुर सिंह
2. श्री शैलेष पाण्डेय

6. विशेषाधिकार समिति

1. श्री आशीष कुमार छाबड़ा

7. सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री देवेन्द्र यादव
2. श्रीमती देवती कर्मा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

8. पुस्तकालय समिति

1. श्रीमती ममता चंद्राकर

9. पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री विक्रम मंडावी

10. प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री अनूप नाग
2. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा

11. आचरण समिति

1. श्रीमती छन्नी चंदू साहू

श्री अजय चंद्राकर :- जब आप व्यवस्था देते हैं वह उदाहरण बन जाता है। यह पहली बार हो रहा है कि बिना किसी नियम को बताये, परंपरा को बताये आप आगे बढ़ रहे हैं। आपसे आग्रह है कि व्यवस्था के प्रश्न पर तत्काल निर्णय दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जरा आपने कहा है तो आप निर्देश शासन को दे दें, आपने यथासंभव कहा है। आप बोलें कि वह आदेश जारी करें।

श्री अजय चंद्राकर :- कल जारी कर देंगे तो कल समिति कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारी सहमति है कि आप कल जारी कर दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, इस बात को मंत्री जी को कहना था। पहले आप लोगों ने संसदीय सचिव बनाये थे तब उन लोगों को समितियों से हटा दिया गया था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पहले की बात छोड़िए ना।

अध्यक्ष महोदय :- पहले और आज में क्या अंतर है?

श्री अजय चंद्राकर :- पहले की बात अलग थी। पहले हाईकोर्ट के डायरेक्शन की स्थिति नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, आप इस तरह चिल्लाईये मत। समापन का समय है शांतिपूर्वक बोलिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, समापन का समय है। हम चाहते हैं कि आप मुस्कुराते हुए विदाई दें।

श्री अजय चंद्राकर :- हम आपके समापन में भागीदार बनना चाहते...।(व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- परंतु आप इतना विचलित ना हो, इतना गुस्सा न हो।

अध्यक्ष महोदय :- मैं विचलित नहीं हो रहा हूं। मैं दुखी हो रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम आपसे आग्रह करते हैं, क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं। नियम, प्रक्रिया, कानून से संबंधित बातें उठाने का हमको अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उठाईये ना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इस बात को प्रेम से कह देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- बिना कोई रिफरेंस के लिये...।(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- थोड़ा मुस्कुरा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बहुत प्रेम से निवेदन कर रहा हूं, मतलब सत्र का आखिरी समय है, आप लोग हंसते खेलते हुए जाईये, ताली बजाते हुए। कोरोना किसी को मत लग जाये। आप लोग...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, ये आपका अधिकार क्षेत्र है, आप समितियों में सदस्य कल, परसो भी बना सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। सदन में घोषणा की जाती है, बनाने का अधिकार आपको है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें तो आपत्ति तब लगाना था, जब मैंने चुनाव की घोषणा की थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी हम लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चुनाव में चुने जा चुके हैं, उसके बाद आप आपत्ति लगा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने आज व्यवस्था दी है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने आज संसदीय सचिवों के बारे में व्यवस्था दी है। आपने उस दिन व्यवस्था नहीं दी थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज भी आपकी व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। शासन जो है, सर्कुलर जारी करे, निर्देश जारी करे। उनके क्या अधिकार, कर्तव्य होंगे। (व्यवस्था)

अध्यक्ष महोदय :- करेगा ना, शासन को समय तो दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- जिस दिन आप व्यवस्था देंगे उसी दिन प्रतिक्रिया देंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अच्छा आप लोग किये थे तब ठीक था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां ठीक था।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तो अब भी ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष मैंने आपको दो प्रीविलेज दिये थे, उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं आयी है। आपने स्वीकार किया कि निरस्त किया, चर्चा के लिये क्या किया, समिति की बैठक में....।

अध्यक्ष महोदय :- वह भी मैं बता देता हूं। आप बिल्कुल शांति से सुनिये।

समय :
06:52

नियम-169 के अंतर्गत सदन को सूचना

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैंने, माननीय सदस्य, श्री धर्मजीत सिंह द्वारा श्री ए.पी. त्रिपाठी, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 08/2019 दिनांक 28 नवंबर, 2019 को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया है।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी, आपको कुछ नहीं बोलना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- प्रतिक्रिया तो हो गयी है।

समय :
06:52

नियम-239 के अंतर्गत सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य श्री अजय चंद्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020 दिनांक 19.08.2020 मेरे समक्ष विचाराधीन है।

समय :
06:53

नियम-167(1) के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना।

अध्यक्ष महोदय :-

(1) माननीय सदस्य सर्व श्री अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल एवं शिवरतन शर्मा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 13/2020 दिनांक 02 मार्च, 2020.

(2) माननीय सदस्य, सर्व श्री सत्यनारायण शर्मा एवं अन्य 18 सदस्यों द्वारा माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं श्री अजय चंद्राकर के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 14/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020.

(3) माननीय सदस्य श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय एवं अन्य 07 माननीय सदस्यों द्वारा नेशनल हाइवे टोल प्लाजा (लखौली आरंग) के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 15/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020.

(4) माननीय सदस्य, श्री कुलदीप जुनेजा एवं श्री मोहित राम द्वारा माननीय श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री डमरूधर पुजारी के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 16/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020.

(5) माननीय सदस्य, श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक एवं अन्य 11 माननीय सदस्यों के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 17/2020 दिनांक 18 मार्च, 2020

(6) माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री सौरभ सिंह द्वारा माननीय सदस्य, श्री सत्यनारायण शर्मा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 18/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020

अप्राधिकृत/प्रकाशन के लिये नहीं

(7) माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री धरमलाल कौशिक द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन्स, रायपुर के विरूद्घ प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 20/2020 दिनांक 23 अगस्त, 2020

(8) माननीय श्री अजय चंद्राकर एवं अन्य दो माननीय सदस्यों द्वारा माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 21/2020, दिनांक 25 अगस्त, 2020

(8) माननीय सदस्य, श्री धर्मजीत सिंह द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन्स रायपुर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 22/2020 दिनांक 25 अगस्त, 2020

को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

सत्र समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

पंचम विधानसभा के सप्तम सत्र का आज अंतिम दिवस है। सत्र के संचालन में सहयोग के लिये मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, एवं आप सभी माननीय मंत्रिगण, माननीय उपाध्यक्ष सभापति तालिका के माननीय सदस्य सहित पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

यह सत्र कई मायनों में कुछ अलग अनुभव देने वाला रहा, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी (कोविड-19) के संक्रमण के प्रभाव से गुजर रहा है। हम सबके लिए यह गर्व का विषय है कि हमारी छत्तीसगढ़ विधान सभा ने राज्य में कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट की घड़ी में पूर्ण सजगता और समर्पण के साथ योगदान दिया है। कोरोना महामारी लॉकडाऊन की अवधि में छत्तीसगढ़ विधान सभा में कोविड कंट्रोल रूप की स्थापना की गयी और इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के सात हजार एक सौ अट्ठासी व्यक्तियों को जो दूसरे राज्यों में फंसे थे और अन्य राज्यों के छत्तीसगढ़ राज्य में फंसे तीन सौ उन्चास पीड़ित जरूरतमंदों की समस्याओं के समाधान हेतु समन्वय किया गया।

इस विषम परिस्थिति में सत्र के आहूत होने से हम एक सकारात्मक संदेश दे पाने में सफल रहे कि किसी भी चुनौती और संकट का मुकाबला करने के लिए मनोबल का बने रहना अत्यंत आवश्यक है और इन विपरित परिस्थितियों में सत्र आहूत कर और उसे सफलतापूर्वक सम्पन्न कर पाने में आप सबने जिस कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया है, इससे कोविड-19 के विरूद्ध संघर्ष करने वाले प्रत्येक व्यक्ति संस्था, समूह और संगठनों को एक नई ऊर्जा मिली है, उनका मनोबल बढ़ा है, जो कि कोरोना महामारी से संघर्ष के लिए आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है।

विधान सभा की कार्यवाही जनता तक पहुंच सके इसलिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के लिए विशेष रूप से ऑडियोटोरियम में कार्यवाही के प्रसारण की व्यवस्था की गयी। सभा भवन में प्रवेश के पूर्व माननीय सदस्यों के ऑक्सीजन लेवल एवं टेम्प्रेचर की जांच की गयी। सभा भवन को संक्रमण से मुक्त बनाने के लिए एंटीबैक्टीरियल सरफेस कोटिंग करायी गयी। सत्र काल में शासकीय और सुरक्षा कार्य में संलग्न अधिकारियों और

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कर्मचारियों की उपस्थिति कम से कम हो यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ विधान सभा ने सीमित समय में कोरोना (कोविड-19) से सुरक्षा के उपायों को अपनाते हुए, सुव्यवस्थित सत्र संचालन की व्यवस्थाओं को मूर्त स्वरूप दिया है।

सत्र समापन के अवसर पर मैं अपनी ओर से और समवेत सदन की ओर से हमारे कोरोना वारियर्स डॉक्टर, नर्स, कम्पाउंडर, अन्य चिकित्सा स्टॉफ पुलिस प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, राजनैतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं शासन-प्रशासन के अधिकारीगण और वे सभी जन जिन्होंने कोविड-19 के संक्रमण के संकट काल में पीड़ित और जरूरतमंदों की सेवा की है, उन सबके प्रति साधुवाद प्रेषित करता हूँ, यह सदन उनके इस योगदान के प्रति कृतज्ञ है।

कोरोना महामारी के संक्रमण से अपने छत्तीसगढ़ राज्य को हम और अधिक कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, इस मानसून सत्र में प्रतिपक्ष द्वारा लाये गये स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर 5 घंटे चर्चा हुई, चर्चा से यह निष्कर्ष स्थापित हुआ कि राजनैतिक प्रतिबद्धताओं के चलते पक्ष-प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की प्रतिक्रियाओं में भले ही विभिन्नता हो परन्तु सभी की भावना छत्तीसगढ़ राज्य को सुरक्षित खुशहाल बनाये रखने की है और आप सभी इसके लिए संकल्पित है। लोकहित और सर्वकल्याण की आपकी इस सामूहिक भावना को इस सदन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि इस सत्र में इस विपदा के अलावा प्रत्येक उस विषय पर चर्चा हुई, जो छत्तीसगढ़ राज्य की बेहतरी के लिए आवश्यक है।

अब मैं आपको इस सत्र में संपादित कार्यों के बारे में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र की कुल 4 बैठकों में लगभग 24 घण्टे 30 मिनट चर्चा हुई। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 304 एवं अतारांकित प्रश्नों की 275 इस प्रकार कुल 579 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई जिसमें से 42 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। ध्यानाकर्षण की कुल 221 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 57 सूचनाएं ग्राह्य हुई और 33 सूचनायें शून्यकाल में परिवर्तित की गई। स्थगन की कुल 101 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से एक विषय से संबंधित 17 सूचनाओं को ग्राह्य कर चर्चा करायी गयी एवं एक विषय से संबंधित 14 सूचनाओं पर सदन में ग्राह्यता की चर्चा उपरांत अग्राह्य किया गया तथा एक विषय से संबंधित 15 सूचनाओं को सदन में पढ़ने एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात अग्राह्य किया गया। शून्यकाल की 41 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से 34 सूचनाएं ग्राह्य और 7 सूचनाएं अग्राह्य रही। माननीय सदस्यों द्वारा 58 याचिकायें प्रस्तुत की गई, जिनमें से से 21 ग्राह्य रही।

इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 12 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और सभी चर्चा उपरांत पारित हुए। वित्तीय कार्यों के अंतर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 3 घंटे 33 मिनट चर्चा हुई।

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की लोक-संस्कृति, लोक-संस्कार और लोक-भाषा के सम्मान, संवर्धन हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। इसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजभाषा छत्तीसगढ़ी को संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351 से सहपठित आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु संकल्प रखा जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। आप सभी माननीय सदस्यों की राजभाषा छत्तीसगढ़ी के प्रति यह सम्मान की यह भावना ही छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होगी।

आज सदन को मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्न्ता का अनुभव हो रहा है कि कल शनिवार, दिनांक 29 अगस्त 2020 को हमारी छततीसगढ़ विधानसभा के नये विधानसभा भवन का शिलान्यास नवा रायपुर, अटल नगर में

होगा। इसके साथ ही आज मेरे कक्ष में विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिका " विधायन" का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति में किया गया। विधायन का यह अंक " पर्यावरण संरक्षण" पर केन्द्रित है। इसके अतिरिक्त आज ही छत्तीसगढ़ विधानसभा पर केन्द्रित एक लघु वृत्तचित्र की वीडियो सीडी भी जारी की गयी है।

इस अवसर पर मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में संपादित कार्यवाही से अवगत कराया।

इस पावस सत्र समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस पावस सत्र के दौरान कायम रखी। मैं विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन अवसर पर आगामी सत्र की तिथियों की घोषणा की परंपरा रही है तदनुसार पंचम विधानसभा का अष्ठम सत्र दिसंबर माह के तृतीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है। आईये हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र उन्नति के शीर्ष मार्ग पर पहुंचाने की पुनीत संकल्प लें। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधानसभा का यह सत्र कई मामले में अनूठा रहा है, चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके लिए मैं समझता हूं कि जब हम लोग सत्र आहूत करने की बात कह रहे थे तो फिर माननीय सदस्यों के, अधिकारियों के, कर्मचारियों के, पत्रकारों के सुरक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, यह सबसे बड़ी चिंता हम सबकी रही है। आपने अभिभावक के रूप में हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की। जो सैनिटाईजर, मास्क, ग्लास के पार्टिशन, इसकी डिजाईन करना, इसको बनाना और सुविधाजनक बनाना । आपने हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की इसके लिये विशेष रूप से आपको धन्यवाद और बधाई । (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी ने सबको कटघरे में खड़ा किया है । (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, इसका उपयोग तो हम लोग हाथ रखने के लिये भी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा उपयोग तो श्री अजय जी ने किया है । बढ़िया टिककर सहारा लेकर ताकि थकान न हो यानी इसका उपयोग श्री अजय जी ने सबसे ज्यादा किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद भी मन में यह आशंका थी कि हम लोग यह सत्र पूरा कर पायेंगे कि नहीं कर पायेंगे क्योंकि यह सत्र शुरू होने से पहले हमारे दो सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाये गये तो हम लोग जब एकत्रित होंगे तो पता नहीं क्या स्थिति होगी ? वह शंका कल तक बनी हुई थी लेकिन आज निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ, सब स्वस्थ हैं और जितनी भी जो पावस सत्र में कार्यवाही होती है वह सब चाहे इस सदन के माध्यम से स्थगन में भी चर्चा, ध्यानाकर्षण में तो विशेष रूप से आप छूट देते हुए 2 की जगह 3-3 ध्यानाकर्षण आपने लिया । शासकीय संकल्प भी आया, सप्लीमेंट्री बजट भी पारित हुआ है तो मैं यह समझता हूं कि यह केवल छत्तीसगढ़ के सदन में ही संभव हो पाया है, दूसरी जगह मैंने एक-दो मुख्यमंत्रियों से बात की तो केवल 1 या 2 दिनों का बुलाकर ही चूंकि यह हमारी संवैधानिक बाध्यता है और उसका निर्वहन उन लोगों ने किया लेकिन

आपने जो व्यवस्था दी और जिस प्रकार से पूरे माननीय सदस्यों ने कार्यवाही में भाग लिया । यह पूरा सत्र ऐसा नहीं लगा कि कोरोना के कारण से प्रभावित हुआ है बल्कि सुरक्षित रहते हुए हम सभी सदस्यों ने अपने संवैधानिक दायित्वों का, जो हमारे क्षेत्र के मतदाता हैं, हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको पुरजोर ढ़ंग से सभी साथियों ने उठाया और आज तो विशेष रूप से बधाई इसलिए कि आज पहली बार आपने 25 प्रश्न पूरे किये और रिपीट भी किया । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कोरोना काल में प्रश्न बनाना उसके बाद जमा कराना, ध्यानाकर्षण बनाना निश्चित रूप से कठिन है । जहां हम सामान्य जीवन व्यतीत करने में हमें कठिनाई हो रही है ऐसे समय में माननीय विधायकों ने वे चाहे सत्तापक्ष के हों चाहे विपक्ष के साथियों ने अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करते हुए सभी प्रकार के स्थगन, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल की सूचनाएं, याचिकाएं सब तरीके से अपने कार्य को संपादित किया इससे यह बात स्पष्ट होती है कि हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं प्रजातंत्र के प्रति कितना उनका गहरा लगाव है और अपने क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति, जनता के प्रति और छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति उनका कितना प्रेम है यह परिलक्षित होता है इसलिए सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने हमारा बहुत सहयोग किया । इस सत्र में एक-बार भी ऐसा अवसर नहीं आया कि इस सदन में बाधा पहुंची हो । विपक्ष का जो दायित्व है उसका उन्होंने निर्वहन किया लेकिन सभा संचालन करने में आपका भरपूर सहयोग किया इसलिये नेता प्रतिपक्ष जी का विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए, पूरी तैयारी के साथ हमारे माननीय बृजमोहन जी बहुतवरिष्ठ सदस्य हैं, डॉ. रमन सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने पूरा अपना जो संसदीय ज्ञान है उसका भरपूर उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के हित में अपनी बातें रखीं और बहुत आक्रामक तेवर के रूप में, आक्रामक बल्लेबाज के रूप में श्री अजय चंद्राकर जी ने आज तो पूरी बैटिंग की । जो 11-11 बिल है, ऐसा कोई बिल नहीं है जिसमें श्री अजय जी ने न अपनी बात रखी हो तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि उनकी तैयारी कितनी है । जो नये सदस्य हैं उनको उनसे सीखने की आवश्यकता है । दिन भर विधान में सक्रिय रहते हुए, दूसरे दिन फिर सुबह आना है और इस बीच रात में दूसरे दिन की तैयारी करना, इससे नये लोगों को सीखना चाहिए कि यदि विधान सभा में हमें अपनी बात रखना है तो किस प्रकार से रखें । धर्मजीत जी बहुत ही अनुभवी हैं वे दमदार ढंग से अपनी बात रखते हैं । अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, प्रदेश के किसानों, मजदूरों के हित में उन्होंने अपनी बात रखी । उसी प्रकार से हमारे सत्ता पक्ष के आदरणीय सत्यनारायण जी और हमारे मोहन मरकाम जी, नये विधायकों में शैलेश पाण्डे जी, यादव जी, महिलाओं में आज तो श्रीमती सिन्हा ने भी अपनी बात रखी है । मैं नये सदस्यों को भी बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आपकी सक्रियता रही है, उससे नहीं लगता कि आप नये सदस्य हैं । देवव्रत जी ने कल के भाषण में बहुत अच्छे सुझाव दिये । मैं सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद् देता हूं । ट्रेजरी बेंच से भी हमारी कोशिश हुई है कि माननीय सदस्यों के प्रश्नों, ध्यानाकर्षणों के जवाब दें और संतुष्ट करने का प्रयास करें । पूरे सदन के सदस्यों की इच्छा रही है कि इस प्रदेश की जनता के हित, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हो । आज आखिरी में राजभाषा के लिए शासकीय संकल्प पारित हुआ, पूरे सदन को मैं उसके लिए बधाई देता हूं । साथ ही इस विषय परिस्थिति में हमारे विधान सभा सचिवालय के जो अधिकारी हैं गंगराड़े जी और उनके सहयोगी, सब लोगों ने बहुत मेहनत की । एक बार भी ऐसा

अवसर नहीं आया जिसमें कोरोना के कारण हमारा कोई कार्य बाधित हो रहा है । बहुत अच्छे ढंग से सत्र का संचालन हुआ उसके लिए मैं सचिवालय को धन्यवाद् देता हूं । हमारे अधिकारीगण..अब यहां सब जगह क्रॉस-क्रॉस लगा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अधिकारी 139 की चर्चा के लिए आए हैं, आपके समापन के लिए एक भी नहीं हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं आपको बता दूं जब से सदन शुरू हुआ है, सदन की समाप्ति तक चीफ सेक्रेटरी यहीं बैठते हैं । सदन में भले ही न आएं, लेकिन कक्ष में बैठकर वे देख रहे हैं । यहां भी अधिकारी संक्रमित न हो, बचे रहें, आसंदी की व्यवस्था का पालन करते हुए, एक-एक अधिकारी, जब जिसकी आवश्यकता हो उस समय आते हैं और सहयोग करते हैं और चाहे आपके प्रश्न हों या ध्यानाकर्षण हों, स्थगन हो, जानकारी भेजना, उत्तर भेजना ये कठिन काम सम्पादित कर रहे हैं । मंत्रालय में स्थिति यह है कि 30 परसेंट कर्मचारियों के माध्यम से मंत्रालय संचालित हो रहा है । ऐसे में हमारे मुख्य सचिव, ए.सी.एस., प्रमुख सचिव, सचिवगण जो काम कर रहे हैं । यहां किसी प्रकार की कमी न होने दी जाए, चाहे मंत्रियों का सहयोग करने की बात हो या प्रश्न, ध्यानाकर्षण का जवाब देने के लिए जो उन्होंने मेहनत की मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, आपने पत्रकारों के लिए अलग से व्यवस्था की । छत्तीसगढ़ के 2 करोड़, 80 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व इस महापंचायत में की जाती है तो यहां की बात जनता तक पहुंचे, उसकी भी व्यवस्था आपने की और पत्रकारों ने भी सहयोग किया । हर-एक मुद्दे को उन्होंने चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सबने प्रयास किया । सभी बातें जनता तक पहुंची । इसलिए मैं पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद् देता हूं । एक बात अवश्य खली कि हमारी अध्यक्षीय दीर्घा खाली रही, दर्शक दीर्घा खाली रही, पत्रकार दीर्घा खाली रही । कोरोना के कारण यह व्यवस्था आपने की, आपने सबके स्वास्थ्य की चिंता की। यहां जब विधान सभा सत्र चलता है चाहे छोटा हो या बजट सत्र हो, पूरे प्रदेश भर के लोग यहां आते हैं लेकिन इस संकट के समय में सबका प्रवेश आपने निषेध किया, उसका कड़ाई से पालन करने में पुलिस प्रशासन और यहां के प्रशासन ने जो व्यवस्था की निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में विशेष रूप से आपको पुन: बधाई देते हुए कि आपने बहुत बढ़िया व्यवस्था की और इस 4 दिनों के सत्र में एक भी माननीय सदस्य, एक भी हमारे अधिकारी-कर्मचारी, हमारे विधान सभा सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारी कोई भी कोरोना कोविड से प्रभावित नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हमारे विधायक आये और दूसरे दिन प्रभावित हो गये। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। जबकि बड़ी संख्या में हम लोग 90 विधायक हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- डमरूधर।

श्री भूपेश बघेल :- आज हो गया क्या ? अच्छा।

श्री धर्मजीत सिंह :- छोडिए न नाम-वाम।

श्री भूपेश बघेल :- यदि डमरूधर पुजारी जी की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आये, ऐसी हम कामना करते हैं। रिपोर्ट जांच के लिए गया है। हम उम्मीद करते है कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां जो भी कोरोना पॉजिटिव आयेगा या निगेटिव आयेगा, वह बिना अध्यक्ष के अनुमति के नहीं आ सकता। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- मैं सबको बहुत बधाई देता हूं और इस दौरान जब से सत्र शुरू हुआ है, तब से ऊपर वाले खूब बरस रहे हैं। पानी की जरूरत तो थी। फसल भी अच्छी है, लेकिन अभी जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और इस कारण से सभी नदी, नालों में बाढ़ की स्थिति है। बहुत सारी बस्तियों के डूबने की खबरें भी आ रही हैं। हमने पूरे प्रशासन को एलर्ट कर दिया है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उन्हें सहयोग करना है। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वे अपने-अपने क्षेत्र की जो भी जानकारी हो, उसे निश्चित रूप से जिला प्रशासन को दें, हम लोगों को दें। अभी सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में लौटेंगे तो समस्या का सामना हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पानी लगातार गिर रहा है और मौसम विभाग से सूचना आयी है कि कल तक बारिश होगी तो अभी यह संभावना बनी हुई है और हम सबको इसके लिए तैयार रहना है। मैं बहुत और न कहते हुए आपको और आपके माध्यम से पूरे सदन को और पूरे प्रदेश को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से विधान सभा का सत्र आहूत होने के पहले बहुत सारी शंकाएं रहीं कि इस बार हमारी विधान सभा सत्र होगी या नहीं होगी, उसके बाद जब आपने घोषित किया तो सत्र घोषित करने के बाद भी लोगों के मन में और सदस्यों के मन में भी यह शंका थी कि व्यवस्था कैसे बनेगी ? जिस प्रकार से आपको अनुभव है और उस अनुभव को आज हम सब देख रहे हैं कि सत्र आहूत होने के पहले आपने जो व्यवस्था बनायी और व्यवस्था बनाने के बाद भगवान की कृपा रही कि 4 दिन के इस विधान सभा सत्र निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। उसमें आपकी कारगर व्यवस्था भी है। जिसमें पार्टिशन कराना, गेट से लेकर अंदर तक जांच की व्यवस्था करना। जो सदस्य जांच कराकर आ रहे हैं और जांच कराकर निश्चिंत होकर बिना किसी प्रकार के मानसिक तनाव के, बिना मानसिक दबाव के अपने विषय को लेकर इस विधान सभा में आकर चर्चा करने के लिए वे स्वतंत्र रूप से काम किये। यह बड़ी व्यवस्था है, छोटी व्यवस्था नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में ऐसी कई विधान सभाएं हैं जो सोच रहे हैं कि विधान सभा सत्र बुलाएं या न बुनाएं और यदि बुलाएंगे तो उसकी कैसे व्यवस्था होगी ? बाकी लोग तो सोचते रहे और आपने 4 दिन का विधान सभा सत्र निर्विघ्न रूप से सम्पन्न किया है, मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि अन्य अन्य प्रदेश की विधान सभाएं इसे देखकर आने वाले समय में सत्र आहूत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग मांग कर रहे थे कि विधान सभा सत्र बहुत कम दिन का है। इस 4 दिन के विधान सभा सत्र में 1 दिन तो श्रद्धांजलि में चला गया, लेकिन जो 3 दिन के सत्र की यदि हम बात करेंगे तो 3 दिन में आपने बताया कि 24 घंटे और यदि कार्यों का आंकलन करेंगे तो शायद इस 3 दिन की विधान सभा सत्र के कार्यवाही का विषय नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि 5 दिन में जो कार्य करते हैं, वह आपने 3 दिन में इस विधान सभा में इतने अवसर दिये हैं कि उस दौरान सभी सदस्यों ने बिना व्यवधान के चर्चा की । हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक मिनट का भी समय खराब हो । यदि संकट के समय में आपने सत्र आहूत किया है तो छत्तीसगढ़ के दो करोड़, 70 लाख लोगों के हित में जितनी बातें उठायी जा सकती हैं, जनहित के जितने मुद्दे लाये जा सकते हैं और हम उसका पूरा उपयोग करेंगे, इस मानसिकता के साथ में हम लोग विधानसभा में बैठे थे । आज सारे सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रश्न आया, आपने उनके प्रश्नों का उत्तर दिलवाने का प्रयास किया, आज सारे 25 प्रश्न आये और आपने रिपीट भी किया । इसके साथ में महत्वपूर्ण होता है कि ऐसे सत्रों में हम लोगों का, प्रतिपक्ष का मुख्य हथियार है-स्थगन । स्थगन को लेकर हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो । कोरोना के वैश्विक बीमारी में महत्वपूर्ण विषय था कि कोविड 19 के ऊपर चर्चा हो । आपने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसको ग्राह्य किया और ग्राह्य करने के बाद में चर्चा कराई । दोनों पक्षों के सदस्यों ने उसमें भाग लिया । उसमें लगभग साढ़े चार घंटा चर्चा हुई और मंत्री जी का जवाब भी आया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कोरोना की विकराल स्थिति है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि 1000 के ऊपर पार कर रहे हैं और खासकर राजधानी की बात करें तो 500 से ज्यादा कोरोना पॉजीटिव है । उसमें भविष्य में क्या स्थिति बनेगी, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई, उस चर्चा के साथ में हमको लग रहा था कि हमारे स्थगन का क्या होगा, लेकिन आपने ग्राहता के ऊपर चर्चा कराई और तीसरे दिन इस स्थगन को हमारी ओर से सदन में उठाया गया, उनकी तरफ से पढ़ा गया और उसमें सरकार की ओर से मंत्री जी जवाब भी आया। हालांकि उस जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन तीन दिन में स्थगन। मुझे लगता है कि नया विधान सभा गठित होने के बाद में पहला अवसर होगा कि तीन दिन में तीन स्थगन पर किसी न किसी रूप में चर्चा हुई हो, मैं इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं ।

मानसनीय अध्यक्ष महोदय, इस अल्प समय में आज जिस प्रकार से 11 विधेयक पारित किये गए और 11 विधेयक पारित करने के बाद में मुख्यमंत्री जी का शासकीय संकल्प आया, उसको भी सर्वसम्मति से यहां पर पारित किया गया और हम काम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दे और ऐसे बहुत सारे मामलों को इस अल्प समय में उठाने का जो प्रयास हुआ और माननीय सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया तो मैं कह सकता हूं कि समय कम रहा, लेकिन उसकी उपयोगिता ज्यादा रही और उसी का परिणाम है कि हम सब लोग चर्चा करने में यहां पर सफल हुए । मैं इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सारे विषयों को लेने में और जवाब देने में मंत्रिगणों ने भी पूरा प्रयास किया । मैं संसदीय कार्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि संसदीय कार्यमंत्री की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन उनके द्वारा कहीं पर कोताही नहीं बरती गई, बल्कि हम लोगों ने जो प्रयास किया तो उसमें उनकी हामी रही है और सारे विषयों पर उनका यह दृष्टिकोण रहा है कि प्रदेश के सम सामयिक विषय में जितना विषय ला सकते हैं, उस पर चर्चा हो और बाकी मंत्रियों ने भी उसका जवाब दिया । स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कोरोना को लेकर पूरा जवाब दिया । उसके साथ ही साथ डॉ. रमन सिंह जी ने महत्वपूर्ण चर्चा में भागीदारी की, उन्होंने सुझाव दिए । माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और अजय चनद्राकर जी की बैटिंग तो आपने देखी है, वे चौका नहीं, छक्का ही मारे हैं । ऐसा कोई दिन नहीं रहा है कि अजय जी की शुरूआत 11 बजे से लेकर शाम को 7 और 8 बजे तक पूरी उपस्थिति के साथ में उन सारे विषयों को लेकर उन्होंने यहां पर बल्लेबाजी की है । यदि हम मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अजय जी को दे सकते हैं । इस प्रकार से हमारे जो बाकी सदस्य हैं, नारायण भाई और हमारे बाकी सदस्यों ने भाग लिया । उसके साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सदस्य धर्मजीत सिंह जी का मध्यप्रदेश विधान सभा से लेकर छत्तीसगढ़ विधान सभा तक का अनुभव है, सारे महत्वपूर्ण विषयों में उनकी भागीदारी रही है । हमारे केशव चन्द्रा जी की भी भागीदारी रही है। उसके साथ ही साथ नये विधायकों की भी भागीदारी रही है। विषयों में भाग लेना और भाग लेकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराई है। मैं, उनको इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव के साथ ही उनके सभी अधिकारीगण, हम सब को मालूम है कि जब तक उनकी सहभागिता नहीं रहेगी, उनकी सक्रियता नहीं रहेगी, तब तक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विधानसभा को संचालित करना संभव नहीं है। उस दिशा में, इस संकटकाल में भी, कोरोना के समय में भी अथक परिश्रम किए हैं। सचिवालय के कारण एक भी दिन कार्यवाही बाधित नहीं हुई। उनकी इतनी सक्रियता रही है। मैं उसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव, साथ ही डी.जी. हमारे बाकी अधिकारी विधानसभा के संचालन में सरकार की ओर से जवाब आने में सहयोग करते रहे हैं, मैं उनकी सक्रियता के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य संकट का विषय था कि सभी विषयों को चलायेंगे। सदन में चलाने के बाद इन विषयों को जनता तक कौन पहुंचायेगी ? क्योंकि यहां पर देखने के लिए साक्षी के रूप में कोई नहीं हैं। हमारे 90 सदस्य और अधिकारी बैठे हुए हैं। हमारे सारे दीर्घा खाली हैं। इसके बाद भी हमारे मीडिया के साथ, चाहे प्रिंट मीडिया के हों चाहे इलेक्ट्रानिक मीडिया के हो, उन्होंने बराब कवरेज किया है। जो महत्वपूर्ण विषय उठे हैं, उसको जनता तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया है। विषयों को जनता तक पहुंचाने के लिए मैं हमारे मीडिया के साथियों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सुरक्षा व्यवस्था मे लगे हुए अधिकारी-कर्मचारी, इस चार दिन की बैठक में वे अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाने में कायम रहे। लगातार चार दिन से बारिश हो रही है। खासकर बाहर बैठे हुए मंत्री विधायकों के सहयोगी साथी, पी.एस.ओ. हो, जो सहयोगी हों, पुलिस के अधिकारी सुरक्षा में लगे रहे हो। वहां चांदनी लगा दिया गया था, लेकिन छावनी नहीं थी। वे लोग बारिश की स्थिति में भींगते हुए भी काम किया, इसके लिए मैं उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानसभा की जो गरिमा है, उसे आने वाले समय में और आगे बढ़ाने में सब सदस्यों और आपका विशेष रूप से योगदान रहेगा। आपने दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में सत्र आहुत किए जाने की घोषणा की है, जो यहां की परम्परा भी रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि तब तक यह ग्लास जारी रहेगा। हो सकता है कि उस समय भी कोविड का समय हो और हो सकता है कि ना भी हो, यह परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन सत्र के लिए समय को लेकर सत्ता पक्ष कंजूसी करते हैं। पांच दिन का जो सप्ताह है, उसको 4 दिन कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। देखिये हम लोग 4 दिन बैठे हैं, हम लोग 8 बजे, 9 बजे तक चर्चा हुई है। कोई भी सदस्य नहीं गये। मतलब आपकी जनता के प्रति प्रतिबद्धता है, अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रतिबद्धता है। तो मुझे लगता है कि और भी समय को बढ़ायेंगे तो और भी विषय आयेंगे। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आपके अनुभव, आपका अध्यक्षीय कार्यकाल में इस विधानसभा की गरिमा बढ़े, यह हम सबका प्रयास हो। इस सफल संचालन के लिए और यह जो 4 दिन विधानसभा निर्विघन्न संचालन हुआ है, मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले बोल देता हूं। मैं अपने उद्बोधन में जनता (कांग्रेस) के छत्तीसगढ (जे) के नेता श्री धर्मजीत सिंह एवं बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री केशव चन्द्र के प्रति आभार व्यक्त नहीं कर पाया। मैं अपनी ओर से श्री धर्मजीत सिंह एवं श्री केशव चन्द्रा जी के सहयोग के लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिये जो बाहर बैठे थे, जिन्होंने टेस्ट किया है, जिन्होंने पूरी व्यवस्था की है, उनके प्रति आपका धन्यवाद नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपके कहने से सबकी ओर से स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जांच में भी पूरा सहयोग दिया और यहां की व्यवस्था बनाये रखने में और विशेष रूप से एक किट प्रदाय की है जो हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपमें हिम्मत थी कि करोना महामारी के इस दौर में जबकि बड़ी-बड़ी विधानसभाओं में, लोकसभा एवं राज्य सभा में संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए विचार-विमर्श हो रहा है, आपने हिम्मत करके, छत्तीसगढ़ की विधानसभा आहूत करके पूरे देश में आपने एक रास्ता दिखाया। मैं समझता हूं कि शायद यहां के फोटोग्राफ्स, वीडियो मंगाये जायेंगे और उन विधानसभाओं में कैसे होना है यह यहां से निश्चित रूप से सबक भी लेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे क्योंकि जितने भयमुक्त वातावरण में सत्तापक्ष, विपक्ष और अन्य साथियों ने खुलकर अपनी बातें कीं ऐसा वातावरण देखकर लग ही नहीं रहा था कि बहुत करोना के चक्कर में डरे हुए हों। सभी निर्भीक रूप से यहां पर आये और पूरी निर्भीकता से भागीदारी की और सब एक दूसरे के पास गये। किसी ने कोई परहेज नहीं किया, कोई दूरी बनाने का प्रयास नहीं किया और आज बहुत ही आनंदपूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अध्यक्ष जी, आप तो इसके पहले भी कई कीर्तिमान बना चुके हैं। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती भी पूरे देश में इसी विधानसभा में सबसे पहले मनाई गई। इस विधानसभा में बिलासपुर से हवाई जहाज शुरू करने का एक अशासकीय संकल्प पेश होता है, मैंने इतिहास में कहीं नहीं देखा है कि अशासकीय संकल्प में मुख्यमंत्री जी जवाब देकर के 27 करोड़ रूपये दे दिये। उसके लिए 10 करोड़ रूपये मांगे थे, 27 करोड़ रूपये मिला और परिणाम देखिए कि रायपुर से भोपाल की सर्विस मिलने का भी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी नहीं देखा कि अनुपूरक बजट में कोई सदस्य अपनी पीड़ा व्यक्त करे तो उसमें सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट में अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, वह भी कल हुआ। ये सब इस बात का द्योतक है कि आपके संरक्षण में, मार्गदर्शन में सरकार भी हमारी बातों को सुनने का प्रयास करती है। विपक्ष के लोगों ने बाढ़ के मामले को, बीज के मामले को, खाद के मामले को, अत्याचार और गांव वालों को जो तकलीफ हो रही है उनके मामले को, गाय के मामले को, गाय की मौत के मामले को, किसानों से संबंधित बीज, खाद, पानी की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया और आपने कृपापूर्वक समय दिया। सत्तापक्ष ने भी उसमें कहीं पर व्यवधान नहीं किया और उस पर खुलकर चर्चा की और अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण में यही चर्चा तो हमें दिशा और दशा देने का काम करती है। हम राजनीतिक प्रतिबद्धता से चाहे जहां कहीं भी बंधे हों लेकिन प्रदेश के विकास के प्रति हम सब एकजुट और एक साथ एकमत से प्रतिबद्धित हैं और जब सदन में कोई चर्चा होती है तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। ये अलग बात है कि हमारे मीडिया के साथी हमें कवरेज करते थे, उन्हें थोड़ा दूर रख दिया गया। अगर अगली बार भी यहीं कांच और यही व्यवस्था हो तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि उनको सेंट्रल हॉल में ही बैठा दें क्योंकि कोई भी मंत्री जाकर वहां पर बयान भी नहीं दिया। आज चौबे जी गये थे और नेता प्रतिपक्ष जरूर गये। एक

से एक भाषण सुनने को मिला। मुख्यमंत्री जी के भी भाषण का अंदाज बहुत जोरदार था। जबरदस्त अंदाज में आपने भाषण दिया। वहीं डॉ. रमन सिंह साहब ने भी अपने बहुत ही विद्वतापूर्ण आलेख और अपने आंकड़ों से सरकार को संबोधित किया। भाई अजय चंद्राकर जी तो बेहद विद्वान हैं। मैं तो जब वह बोलते हैं तो मेरा मुंह उधर हो जाता है क्योंकि मैं उनको सुनना चाहता हूं। उनके पास ज्ञान का अकूत भंडार है। बृजमोहन जी से मैंने परसों ही कहा कि डेढ़ साल बाद आपको बहुत पुराने तेवर में देख रहा हूं। उधर से भी एक से एक लोग बोले। श्री देवेन्द्र यादव को मैं देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। अध्यक्ष महोदय, एक समय में कभी हम भी पहली बार बनकर आये थे। हमारे गुरू जी रविन्द्र चौबे जी हम लोगों को बताते, बोलते और सीखाते थे। मैं वहां गुरू जी बनकर तो नहीं लेकिन मैं आपके साथी के रूप में चाहता हूं कि प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा में सिर्फ मंत्री ही ना बोलें, सिर्फ वरिष्ठ नेता ही ना बोलें, बल्कि आप सब भी हिम्मत करके उठिये, क्योंकि आने वाला कल आप लोग बड़े बनेंगे। आप वहां से आते हैं तो यहां समस्याओं से अवगत कराईये या हम अगर गलत बोल रहे हैं तो हमारा भी घनघोर विरोध करिये। ताकि आपकी प्रतिभा उभर करके आ सके। हमारे पक्ष में भी सभी लोगों ने बोला, मेरे दल के सभी लोगों ने भाग लिया। देवव्रत सिंह जी, रेणु जोगी जी, प्रमोद जी ने, हमने भी और करीब-करीब भाजपा के भी सभी लोगों ने भाग लिया। एक स्वस्थ चर्चा हुई, स्वस्थ निर्णय हुए और स्वस्थ दिशा और दशा बढ़ने की ओर हम लोग काम किये। इस काम में पूरे विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव से सभी अधिकारी, वे सभी कर्मचारी, हमारे वे सब संदेश वाहक जो खड़े हैं, इन सभी ने अपना सहयोग दिया। नेता प्रतिपक्ष जी ने अपने पूरे तेवर के साथ स्थगन प्रस्ताव ला करके प्रदेश की जन समस्याओं को यहां पर मुस्तैदी से रखने का काम किया। इन सब के बावजूद भी कोई कटुता नहीं आयी। आप ही इसके सबसे मुख्य कारण और वाहक हैं। क्योंकि आपने अपनी सहृदयता, सभी पक्षों को दिखाई, समय-समय पर आपने सभी को संदेश भी दिया। अपनी आज्ञा भी दी और उसे हम सबने माना। आसंदी का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, प्राथमिकता थी और प्राथमिकता रहेगी। हमारे अधिकारियों में भी थोड़ा खौफ ज्यादा था, क्योंकि मैं थोड़ा देख रहा हूं कि नेताओं की तुलना में अधिकारियों में कोरोना का खौफ ज्यादा था। एक महीने पहले के समय में लोग कागज को छूने से भी डरते थे, लेकिन विधानसभा का सत्र ऐसा लाया कि वह डर उनका भी खत्म किया, हमारा भी खत्म किया और सब एक दूसरे से ऐसा बात कर रहे हैं जैसे कुछ है भी नहीं। लेकिन ये कोरोना चेतावनी है, कोरोना खतरनाक बीमारी है। सरकार प्रयास कर रही है और हम सरकार के हर प्रयास में उनके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि एक कोरोना महामारी की न कोई जात होती है, न कोई धर्म होता है, न कोई मजहब है, इसको खत्म करना जरूरी है। छत्तीसगढ़ को इससे जीतना जरूरी है और उसके लिये हम सरकार का साथ देंगे। हमारे वे बेचारे सहयोगी जो हमारा हाथ सेनेटाईज किये, हमारा टेंपरेचर लिये, हमको चेतावनी दिये, हमको सुरक्षित रखने के लिये, वे पुलिस के जवान जो पानी में खड़े हैं। हमारे मीडिया के वे साथी जो गिरते पानी में एक किलोमीटर दूर से बुलाने आते थे और जाते थे। ये इन सभी के सहयोग से इस सदन में की गयी चर्चाएं, इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री के लिये गये निर्णय, इस सदन में हमारी द्वारा बोली गयी बात, प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचा। इसलिए हम सब बहुत आभारी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा बस एक छोटा सा निवेदन है। सदन आज तो विषम परिस्थिति है, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर परिस्थितियां सामान्य हो, आप सदन की कार्यवाही को थोड़ा लंबा करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर कहियेगा। मैं और हमारे सभी विपक्ष के साथी इसी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे। आप बड़ा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सत्र कराईये। आप तो इस सत्र में बोलकर कहां-कहां तक अपनी बात पहुंचा दिय। सत्र बड़ा होने दीजिए ना। चर्चा होगी, जो कमीवेशी होगी उसको दूर कर लीजिएगा। हम अगर कुछ गलत बोल रहे होंगे तो आप हमको कह लीजिएगा। लेकिन सत्र की अवधि लंबा होने से एक तरफ जहां कीर्तिमान बनेगा, अध्यक्ष महोदय आपके नेतृत्व में, वहीं दूसरों को हमारे छत्तीसगढ़ के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से प्रेरणा मिलेगी। अगली बार के लिये सोचियेगा। हमें कोई शिकवा नहीं, आपसे कोई शिकायत नहीं हैं, आपने भरपूर सहयोग दिया। हम आपके संरक्षण में ही बोल पाये और विपक्ष को सरंक्षण देने का काम तो आपका ही है। इस पूरे दौरान पूरे इस सदन की कार्यवाही के दौरान अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी तो वह माननीय संसदीय कार्य मंत्री थे। आपका अनुभव, आपके प्रति लोगों का सम्मान और आपके तकनीक से पूरा छत्तीसगढ़ का सदन संचालन बहुत ही सुगमता, सरलता, सहृदयता, मधुरता से निपटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी इसकी प्रकार से स्नेह प्रेम बना रहेगा। सभी मंत्रियों ने बहुत बेहतर जवाब दिया। खास करके मैं कवासी लखमा जी की तारीफ करना चाहता हूं। पहली बार बीच में पार्टिसन है, पहले ये हो जाता था कि भई मोहम्मद अकबर जी सहयोग कर रहे हैं अब तो कांच में वह क्या बोलेंगे, न आप समझोगे, वह कागज देंगे तो कोई मतलब नहीं है लेकिन आपने जो कुछ भी कहा। बहुत बढ़िया बोला। आपका आत्म विश्वास वैसे भी बहुत ऊंचा है, लेकिन आज मैं आपको ये प्रमाणपत्र दे सकता हूँ कि अगले सत्र में भी आप हिम्मत करके ऐसा ही बोलते रहिए। तो आप किसी भी मंत्री से बेहतर ही बोल रहे हैं और बेहतर ही बोलेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं आपके प्रति इस हौंसले अफजायी जो आपने अपना किया है उसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ। सभी शासकीय अधिकारियों का, विधान सभा सचिवालय का, पुलिस के अधिकारियों का जो हमारे डॉक्टर अन्य स्टाफ के लोग हैं सभी का स्वागत करते हुए, सहयोग के लिए धन्यवाद् देते हुए अध्यक्ष महोदय आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हम लोगों को भी आभार व्यक्त करने का मौका दिया, उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने हृदय में थोड़ी सी जगह हम लोगों के लिए भी देंगे। हम क्षेत्रीय दल के लोग हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन फिर भी हैं तो राजा भूटान के ही। चार लोगों का दल है पर हम राजा भूटान के हैं। इसलिए जरा आपकी कृपा मिलती रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपने जिस प्रकार से कहा उसी प्रकार से मैं भी बहुजन समाज पार्टी के नेता चन्द्रा जी के नाम का उल्लेख नहीं कर पाया था। विशेष रूप से संसदीय सचिव, इधर से जितनी भी फास्ट बॉलिंग हुई, लेकिन हमारे संसदीय कार्यमंत्री, इन्होंने जो प्लेड किया है सदन में कैसे भी उत्तेजना के क्षण रहें, संचालन करने में पूरा उनका सहयोग रहा है। अंत में जो बात नेता प्रतिपक्ष जी और धर्मजीत जी ने कही है कि सत्र थोड़ा लम्बा होना चाहिए था। हम तो 4 दिन चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, यही डर रहे थे। हमारी चौबे जी से लगातार बात होती रही, माननीय अध्यक्ष जी से बात होती रही कि कैसे होगा? क्या होगा? लेकिन इन 4 दिनों के बितने के बाद भगवान न करें कि यह कोरोना दिसम्बर तक चले। अगला सत्र जब आये तो यह ग्लास वगैरह हट जाये, हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन यदि वह स्थिति बनी तो जैसे विंटर सेशन होता रहा है उसी प्रकार से विंटर सेशन होगा। पूरे सत्र किया जायेगा उसमें कोई कटौती नहीं होगी।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- यदि कोई पॉजिटिव आ गया तो उसके लिए ऊपर की जगह आरक्षित हो जाएगी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा यह है कि सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जागरूक विधायक हैं अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और अपने क्षेत्र के लोगों का भी ध्यान रखिए और इस महामारी से हम सबको लड़ना है। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी कामना के साथ, आपने मुझे पुन: बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्। (मेजों की थपथपाहट)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समापन बेला है । हम लोग पहले दिन आये तो जब आपने ये कांच के बाड़े में बंद किया था तो लगा था कि ये अपने-अपने क्षेत्र के सारे शेर हैं। आपने ये बाड़े में बंद कर दिया। हमको अब महाराज से भी बात करना है तो कैसे बात करें। जब अगली बार आएंगे तो छोटा-छोटा होल करवा दीजिए। (हंसी) अध्यक्ष जी इतने सफल विधान सभा सत्र के लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बधाई देता हूँ। मुख्य किरदार तो आप हैं। पूरे हिन्दुस्तान में जब कोरोना की चर्चा हो रही है तो पता नहीं, देश कितना भयाक्रांत है केन्द्र से लेकर छोटी-छोटी जगहों तक, लेकिन आपने हिम्मत की। यहां विधान सभा सत्र होगा। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा की कि 6 महीने की अवधि भी पूरी हो रही है अनुपूरक बजट भी लाना है तो आप मुख्य किरदार हैं, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। जब 4 दिन का सत्र हुआ तो हमने बृजमोहन जी का अजय जी, धर्मजीत भईया का और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी का जब कई बार अखबारों में छोटा सत्र के बारे में जब चर्चा हुई तो छोटा सत्र क्यों किया जा रहा है, यह प्रश्न होता था तो हमें लगा कि 4 दिन भी ज्यादा है। मध्यप्रदेश की 230 की संख्या का विधानसभा हमारी प्रतिक्षा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का विधान सभा का सत्र होगा। एक दिन हमारे यहां भी माननीय अजीत जोगी जी को स्मरण करने में निकल गया। वहां भी एक दिन निकल जाएगा। केवल दो दिन का विधान सभा सत्र है। उनका मुख्य बजट उसमें पारित होना है और दो दिन का विधान सभा सत्र है । लेकिन आपने सत्र आहूत किया। यह माननीय मुख्यंमत्री जी की हिम्मत और हौसला है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से सत्र संपादित होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने उतना ही सहयोग दिया। जब 04 दिन के सत्र की बात हुई तो 04 दिन में ही उन्होंने जैसा आज कहा कि अगर 07 दिन का भी विधानसभा सत्र होता तो जितना कार्य 07 दिन में संपन्न होता, वह कार्य ये 04 दिन के सत्र में संपन्न हुए। मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना वैश्विक महामारी है। इस संक्रमण से छत्तीसगढ़ अभी भी सुरक्षित है। अब इसके कारणों में बहुत सारी चर्चा स्थगन के माध्यम से हो गई, लेकिन अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबसे आग्रह किया। हम सब लोगों ने पिछले 26 मार्च को जब विधानसभा सत्र का सत्रावसान हुआ था, उस दिन से सब लोग अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में गये हैं। हमने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से श्रमिकों को चप्पल पहना रहे हैं। हमने देखा है कि स्वास्थ्य मंत्री जी 18 घंटे बैठकर मानीटरिंग कर रहे हैं। हमने देखा है कि बस्तर से सुकमा और कोंटा ही मुख्य रास्ता है, साउथ से आने वाले प्रवासियों को कोंटा की सड़क में खड़े हो करके आदरणीय कवासी लखमा जी उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमने देखा है कवर्धा में डॉक्टर रमन सिंह जी खुद अपने हाथों से चावल बांट रहे हैं। शैलेश पांडे जी के घर में तो इतनी भीड़ लग गई कि उनके खिलाफ एफ.आई.आर. हो गया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

था। हमारे आदरणीय विकास भाई, देवेन्द्र यादव जी, सभी माननीय सदस्यों ने इस महामारी से निपटने के लिए जिनके द्वारा जिस प्रकार से भी कार्य किया जा सकता था, किसी माननीय सदस्य ने, जनप्रतिनिधि ने अपनी परवाह नहीं की, हम लोगों ने उससे निपटने के लिए जो कार्य किया, छत्तीसगढ़ में हर जनप्रतिनिधियों की जितनी भी प्रशंसा की जाये, वह कम है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा। हम लोगों को आने वाले समय में ईश्वर न करे कि यह ज्यादा लंबा चले, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो हमको स्वयं को भी सुरक्षित रखना है, अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी जनता के बीच जाकर के उनको भी मानीटर करना है और छततीसगढ़ प्रदेश को बचाने के लिए हम सब लोगों को इस दिशा में पहल करनी होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा न कि आपने 3 दिन के सत्र में 3 स्थगन प्रस्ताव लिये। आज अशासकीय कार्य दिवस था। मैं लगातार माननीय विधानसभा के प्रमुख सचिव जी से कह रहा था कि अशासकीय कार्य दिवस में आप स्थगन प्रस्ताव क्यों ले रहे हैं? लेकिन आपने लिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि चर्चा जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब किसानों की बात हो रही है तो ये चर्चा सदन में आनी ही चाहिए। अभी सारे रिकार्डों की बात धर्मजीत भैया कह रहे थे। आपने सचमुच रिकार्ड कर दिया, 03 दिन के सत्र में 03 स्थगन प्रस्ताव पर विधानसभा में चर्चा हुई। प्रतिदिन 03 ध्यानाकर्षण पर विधानसभा में चर्चा हुई। विधानसभा में इतने सारे विधेयक में चर्चा हुई। जो मुद्दे गूंज रहे थे कि पिछले सत्रावसान के बाद कम दिवस की विधानसभा में इन मुद्दों पर चर्चा हो पायेगी या नहीं हो पायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी समय दिया, सबको अवसर दिया और सारी चर्चायें हो गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल विधानसभा के नये भवन का भूमिपूजन होने जा रहा है। आज आपने हम सबको आमंत्रित किया। इस विधानसभा की भी हमारी स्मृतियां हैं। हम लोग तो मध्यप्रदेश की विधानसभा में मिन्टो हॉल में भी बैठे हैं, मध्यप्रदेश की विधानसभा में नये भवन में भी बैठे हैं। यहां की विधानसभा की शुरूआत में जशपुर हॉल में भी बैठे हैं। इस विधानसभा में भी बैठे हैं। आप इतना सुंदर काम करने जा रहे हैं, लगभग वह छठवीं विधानसभा होगी, जिसमें हम लोग वहां बैठेंगे। आपको बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चाहूंगा कि उसको जल्दी शुरू करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के प्रश्नों के बारे में बात हुई कि पूरे 25 प्रश्न हुए। यह तो सभी माननीय सदस्यों की जागरूकता है। आपने कहा कि 1 प्रश्न, 2 प्रश्न भर करेंगे। सभी माननीय सदस्यों ने और आदत से मजबूर अजय चन्द्राकर जी भी लगातार जो लंबा प्रश्न करते थे, उन्होंने भी आज आसंदी को सहयोग दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे कभी प्रश्न ही नहीं आते, मैं तो शिवरतन शर्मा जी का प्रश्न पूछ रहा था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आज अगर 02 घंटे पहले छुट्टी हो रही है तो उसके लिए आज अजय चन्द्राकर जी को धन्यवाद दीजिए। उनकी 139 की चर्चा और उनके संकल्प पर चर्चा नहीं हो रही है, उन्होंने सहमति दे दी, इसके लिए मुझे लगता है कि पूरे सदन को ताली बजाकर, टेबल ठोंककर उनको धन्यवाद देना चाहिए कि 2 घंटे पहले छुट्टी हो रही है और अध्यक्ष जी आपको तो विशेष रूप से देना चाहिए कि आपकी नाराजगी के बाद भी वे शांत हो गये ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, नाराजगी नहीं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी सदन में माननीय टी.एस. बाबा साहब के बारे में एक बात बोली थी, कोरोना की चर्चा में और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कि आप चाय नहीं पीते हैं । हम लोगों को शंका थी उस शंका का भी आपने निवारण करवा दिया, दोनों तरफ से यह बात आयी कि मीठी चाय पीते हैं । इधर से भी बोले कि मीठी चाय पीते हैं, बहुत अच्छा हो गया, थोड़ा भ्रम की स्थिति भी आपने दूर की यह रिकॉर्ड भी आपके ही नाम है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने श्री अजय जी का नाम लिया तो श्री अजय जी की विद्वता के हम सब लोग कायल हैं । आज भी छत्तीसगढ़ी भाषा के लिये उन्होंने जो बातें कही । मैं समझता हूं कि मेरे लिये भी और हमारे बहुत सारे नये सदस्यों के लिये कई बातें नई होती हैं, हम लोगों को भी ज्ञान नहीं रहता है कि आखिर आपने जो बात कही कि हिंदी से अन्य भाषाओं से भी पुराना हमारी छत्तीसगढ़ी की भाषा और व्याकरण तो मेरे लिये भी ज्ञानवर्धक बातें थीं तो उनकी विद्वता में कोई शंका नहीं लेकिन बेटिंग करते हैं, कभी-कभी वीरेंद्र सहवाग जैसे तब हम सब लोग उनके छक्के से बचने और बचाने के लिये दौड़ते हैं तो यह सारी बातें हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे हर बॉल पर छक्का मारना चाहते हैं, वे युवराज सिंह बन रहे हैं । मान लो 6 छक्का नहीं मार पाये तब भी वे छक्का मारने की कोशिश तो करते हैं, उनकी कोशिश की तो सराहना करिए । वे बहुत कोशिश करते हैं, वे हर बात पर छक्का देते हैं और युवराज सरीखे उन्होंने करीब-करीब रिकॉर्ड भी बना लिया है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- नहीं बनाते, वे हर बार बोल्ड हो जाते हैं । (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र है । जनता ने हमको और आपको अपनी-अपनी भूमिकाओं के लिये तय किया हुआ है इसलिये कौन कब खड़ा होता है और कब अपनी बात कहता है, हम सबका उद्देश्य केवल एक है छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना । हम और आप तो एक ही विधानसभा में थे जब मध्यप्रदेश की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के संकल्प पर चर्चा कर रहे थे । तब भी हम लोग कहा करते थे कि हमारा छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा, सबसे उन्नत राज्य बनेगा । हरियाणा और गुजरात से भी हम आगे जाने वाले हैं, हम उस दिशा में जा रहे हैं लेकिन हमको और आपको जनता ने जिस जगह में बैठाया है, हमको और आपको उस भूमिका को तय करना पड़ेगा इसलिये आप जो कहते हैं उसे हम लोग स्वीकार करते हैं और हम जो कहते हैं उसे आपको स्वीकार करना होता है । कभी-कभी उलझनों की बातें हो जाती हैं तो आसंदी से आपका विवेक, आपका ज्ञान और आपका अनुभव हम सबको रास्ते में रखता है । बहुत सारी बातें होती हैं, संवैधानिक बातें होती हैं । संसदीय मर्यादाओं की बातें होती हैं, कुछ चीजें लिखित में होती हैं, कुछ चीजें अलिखित होती हैं, कुछ परंपराओं से चलती हैं । यह विधानसभा है । बड़ी-बड़ी विधानसभाओं में परंपराएं बनती हैं और बिगड़ती हैं इसलिए आसंदी से जो फैसला आ गया वह हम सबको मान्य है लेकिन आज मैं आपकी प्रशंसा सबसे ज्यादा इसलिये कर रहा हूं कि पूरे देश में सत्र करने से भी लोग डर रहे थे और आपने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप सबने मिल-जुलकर यह 04 दिनों का सत्र रखा, हम सबको बहुत अच्छा लगा और सबने प्रस्ताव दिया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा है कि सत्रावधि के बारे में कि ईश्वर करे यह कोरोना से हम मुक्त हो जाएं तो हमारा जो शीतकालीन सत्र होगा वह पूर्ण अवधि के लिये होना चाहिए । हम सब लोग चाहते

हैं, जब अच्छी चर्चाएं होती हैं, हम सरकार में हैं, ट्रेजरी बेंच में बैठे हैं । हमें खुद को कई बार मालूम नहीं हो पाता है, जब प्रश्न उठाते हैं, जब 25 दिन विभागों में घूमता है, विभाग के लोग जब उत्तर तैयार करते हैं तब हमें मालूम होता है कि कहां पर चूक हो गई है और उसको कैसे सुधारना है तो इसमें हम लोग कोई बात कहते हैं तो कोई एक-दूसरे की विरोध और आलोचना की बात नहीं होती है, यह सम्मान की बात होती है और हम सबकी प्रतिबद्धता यहां का विकास होता है इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय जी मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी कि वे कितने उदार हैं, कल माननीय धर्मजीत भैया अनुपूरक में अपनी बात कह रहे थे तो हमें लग रहा था कि ठीक है माननीय सदस्य कह रहे हैं तो कोई बात की कार्यवाही, जांच की बात अकबर भाई कह रहे थे लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं । लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परम्पराओं के चलते सदस्य का कितना सम्मान हो सकता है, इसके लिए उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य की भावनाओं के अनुरूप तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए । इस सदन में जितनी भी बातें आई हैं, अगर यहां रिप्लाई हुआ होगा, अगर रिप्लाई नहीं भी हुआ होगा तो बाद में उस पर कार्रवाइयां होती है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से धन्यवाद के शब्द कहना चाहता हूं ।

आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, सौभाग्य से आप भी हमारे विधान सभा अध्यक्ष रहे हैं और उस जमाने में सौभाग्य से उस कुर्सी पर हमें बैठने का सौभाग्य मिलता था। हमने देखा है सदन की मर्यादाओं की, यहां के विकास के लिए प्रतिबद्धता और आपने अपनी टीम के साथ पूरे 4 दिवस में सारे मुद्दे उठाने के प्रयास किये । मैं आपके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं । आदरणीय डॉक्टर साहब को तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद् देना चाहता हूं । कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे आदरणीय वोरा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे । उसके बाद प्रतिपक्ष में रहे आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी मुख्यमंत्री बने तो मध्यप्रदेश की विधान सभा में प्रतिपक्ष में बैठा करते थे उनको जब हम याचिकाएं पढ़ते हुए देखते थे, जब ध्यानाकर्षण पढ़ते हुए देखते थे तो लगता था कि इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति विधान सभा के छोटे-छोटे कार्यों में भाग लेते हैं । चार दिनों से आप विधान सभा की कार्यवाहियों में जिस तरह से भाग लेते हैं, हम लोगों के लिए वह मार्गदर्शन है, हमारे नये सदस्यों के लिए वह सीखने का अवसर है । मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । अध्यक्ष जी, मैं सभापति तालिका के सदस्यों के प्रति, माननीय उपाध्यक्ष जी के प्रति, उन्होंने आपकी अनुपस्थिति में सफल संचालन किया, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं । अभी आपने कहा कि रात को यहां से जाने के बाद दूसरे दिन साढ़े उस बजे प्रश्न के लिए तैयार होकर आना, यहां से 9 बजे जाने के बाद अधिकारियों के साथ प्रश्नों की ब्रीफिंग करना, यह बहुत कठिन काम है । सार्वजनिक जीवन में यह अवश्य लगता है कि इसका चार्म है लेकिन मेहनत कितनी करनी पड़ती है, 12 बजे रात तक हम ब्रीफिंग करते हैं और साढ़े सात बजे से अधिकारी नयी जानकारी लेकर उपस्थित हो जाते हैं और उस बजे हमें हाजिर होना पड़ता है और विपक्ष के वार और अजय जी के तीर चलते हैं तो उसका उत्तर भी देना पड़ता है । लेकिन जैसा कि धर्मजीत भइया ने कहा कि आज आदरणीय देवेन्द्र यादव जी से लेकर जितने नये सदस्यों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में मैडम संगीता ने भी कितनी अच्छी बातें कहीं । निश्चित रूप से हमारी विधान सभा मैच्योर होती जा रही है । सब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं । मैं अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों के प्रति, माननीय नवनामज़द संसदीय सचिवों के प्रति और हमारे पक्ष के सभी साथियों के

प्रति आभार व्यक्त करता हूं । आदरणीय बृजमोहन जी, आदरणीय अजय जी, भाई नारायण जी, देवव्रत जी, आप सबके प्रति और धर्मजीत भइया को विशेष रूप से कहना चाहता हूं जब इधर से कभी तनाव की बात आ जाए तो धर्मजीत भइया भाषण के रूप में भी कहते हैं, आलोचना के रूप में भी हो जाता है लेकिन आप भी दोनों के बीच संतुलन बनाने का काम करते हैं । आपके दल के सभी सदस्यों के प्रति, आदरणीय केशव भाई नहीं हैं, उनके प्रति और पक्ष विपक्ष के सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं । यहां तो आपने सभी सीटों पर क्रॉस लगा दिया तो कितने अधिकारी बैठते ? एकाध विभाग के अधिकारी बैठे तो वहां से यहां तक पर्ची भी नही आ पाई । उसक बावजूद भी माननीय मंत्रियों ने अच्छा उत्तर दिया । अपने-अपने कक्ष में बैठकर माननीय मख्य सचिव जी, आदरणयी डीजीपी जी, सभी अधिकारियों के सहयोग के लिए उनके प्रति आभार, आदरणीय विधान सभा के प्रमुख सचिव जी, सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, सभी यहां सुरक्षा व्यवस्था में लगे हमारे सारे मित्रों का, हमारे स्वास्थ्य की देखरेख करने वाले साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का आभार । 4 दिनों से वर्षा हो रही है और विधान सभा परिसर में आने से भी हमने मनाही की हुई है । हमारे सुरक्षा गार्ड बाहर खड़े हुए हैं । उनकी मुस्तैदी के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । संसदीय कार्यमंत्री के रूप में मेरी जो जवाबदारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय की है, सदन ने तय की है उस भूमिका को निभाने में मुझे सभी के सहयोग की जरूरत होती है । अध्यक्ष महोदय, आपकी विशेष कृपा रहती है । आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए फिर से आप सबको धन्यवाद् प्रेषित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा । माननीय सदस्य राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

समय :
8:00 बजे

<u>राष्ट्रगान</u>

(राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित् ।

(रात्रि 08 बजकर 01 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 28 अगस्त, 2020

Uncorrected and unedited/Not for Publication